....पढ़ें सिर्फ उतना, सेलेक्शन के लिए ज़रूरी है जितना !

वर्ष 4 : अंक 37 : फरवरी 2025 : मूल्य ₹100/-

संस्कृति IAS

करेंट अप-टू-डेट

मासिक करेंट अफेयर्स संकलन

Dr. Manmohan Singh
May 22, 2004 - May 26, 2014
India's fourteenth Prime Minister

Sanjay Malhotra
(RBI Governor)

D. Gukesh
(World Chess Champion)

- महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह
(योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू., साइंस रिपोर्टर)
- सीसैट एवं निबंध
- क्विक रिवीज़न

संस्कृति IAS

संस्कृति पब्लिकेशन्स की प्रस्तुति

हिंदी माध्यम

CSE: GS Booklet · PYQs · Synopsis · Practice Set

STATE PCS: UPPSC · MPPSC · BPSC · RAS

पुस्तकों की विशेषताएँ

परीक्षा के वर्तमान पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री

आवश्यक सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुतीकरण

विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षापयोगी बनाने पर विशेष बल

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 9555 124 124 sanskritiias.com

संस्कृति करेंट अप-टू-डेट

वर्ष 4 | अंक 37 | फरवरी 2025 | ₹100

प्रधान संपादक

अखिल मूर्ति

परामर्शदाता मंडल

अमित कुमार सिंह, ए.के. अरुण, सीबीपी श्रीवास्तव, कुमार गौरव, के.पी. द्विवेदी, राजेश मिश्रा, रीतेश आर. जायसवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शिवेश मिश्रा

संपादक

सुशील शिवनाथ

विज़ुअलाइज़ेशन

मो. साजिद सैफी

संपादकीय परामर्श

मनोज कुमार, अजेंद्र कुमार सिंह, पंकज तिवारी, पुनीत पाल, शिव कुमार चौबे

संपादन सहयोग

अभिषेक शुक्ल

लेखन एवं संकलन

अभिजित मिश्र, रुचिका शर्मा, विपिन चौधरी, मिकलेश कुमार, देवराज सिंह, प्रीति गुप्ता, हरिशंकर, ऋषि कुमार शर्मा

प्रूफरीडिंग सहयोग

कमलेश पाण्डेय, जय नारायण व्यास, रेनू

टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग

तनवीर खान, संतोष झा, जसवीर सिंह, शेखर फुलारा, अमित कुमार, गुलफाम, हेम राज

संपादकीय पत्र व्यवहार

संपादक
संस्कृति करेंट अप-टू-डेट
संस्कृति पब्लिकेशन्स
E-mail: sushilnathkumar@gmail.com
636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें, ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट : संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिए संपर्क (WhatsApp) करें – 8800873762 (सुशीलनाथ कुमार)

वितरण, विज्ञापन एवं पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिए संपर्क (WhatsApp) करें – 7428085757 (नरेंद्र प्रताप)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अखिल मूर्ति द्वारा 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 से प्रकाशित एवं एस.के. इंटरप्राईज़ेज, प्लॉट न. 92/6/2 एवं 92/15, रोड न.-1, मुंडका उद्योग नगर (साउथ साइड) इंड्स्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110041 से मुद्रित।

इस अंक में

संपादकीय 8

करेंट अफेयर्स 9-121

राजव्यवस्था एवं शासन 9-30

एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक, 2024 9
ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 11
एन.टी.ए. के पुनर्गठन की सिफारिश 13
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 13
राजनीतिक दलों पर PoSH अधिनियम का कार्यान्वयन 14
भारतीय शहर एवं असुरक्षित पेयजल 16
स्नातक छात्रों के लिए नए नियम 18
उपासना स्थल अधिनियम 19
भारत में जनगणना से संबंधित मुद्दे 20
भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' कानून की आवश्यकता 22
अटल इनोवेशन मिशन 2.0 24
मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 25
भारत में मलेरिया की स्थिति 27
संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था 28
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 29
अधिसूचित बीमारी 30

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 31-38

भारत-बांग्लादेश संबंध 31
भारत-कुवैत द्विपक्षीय संबंध 34
भारत की खनिज कूटनीति 37

आर्थिक घटनाक्रम 39-52

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना 39
भारतीय रिज़र्व बैंक के नए गवर्नर 41
पैन 2.0 परियोजना 42
डॉ. मनमोहन सिंह के आर्थिक सरोकार 43
भारत एवं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, 2024 45
व्यापार घाटा एवं पूंजी अंतर्वाह तथा अर्थव्यवस्था 46
GST परिषद् और पॉपकॉर्न कर 49
म्यूचुअल फंड विनियमन में संशोधन 50
बिटकॉइन रणनीतिक रिज़र्व 50
भारत एवं ए.डी.बी. के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर 51
एल्गो ट्रेडिंग 51
म्यूलहंटर ए.आई. टूल 52
राष्ट्रीय लघु बचत कोष 52

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 53-62

भारत में 6GHz से संबंधित चुनौतियाँ 53
स्पैडेक्स मिशन 54
भारत में बढ़ती सिलिकोसिस की समस्या 54
डिजिटल धोखाधाड़ी से संबंधित मुद्दे 55
न्यूट्रास्युटिकल्स : एक अवलोकन 57
मशीन लर्निंग मॉडल के लिए एक नई भाषा 'स्ट्रॉन्ग' 58
उपग्रह अंतरिक्ष प्रदूषण के प्रभाव 58
ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क-3 59
इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस 60
सेंटिनल-1सी उपग्रह 60
WOH G64 61
शॉक डायमंड 61

मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम 62

प्रोबा-3 मिशन 62

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 63-68

वन्य एवं वन्यजीव 63-68

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 63

ट्रौएसर्टिया थैलासिना एवं प्रोटेरोथ्रिक्स सिबिली 65

राओर्चेस्टेस असाकग्रेंसिस 66

सुबाबुल पौधा 66

समशीतोष्ण वर्षावन में कमी 67

इक्वाडोर में राष्ट्रीय आपातकाल 67

स्टार कछुआ 68

कोइमा मछली की खोज 68

भूगोल 69-71

भू-भौतिकी घटनाएँ 69-71

लेक इफेक्ट स्नो 69

आर्कटिक महासागर संबंधी नया अध्ययन 69

GenCast AI और मौसम पूर्वानुमान 70

चक्रवात चिडो एवं मायोट द्वीप 71

कृषि 72-73

संयुक्त राष्ट्र की भूमि क्षरण रिपोर्ट 72

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 73

अवसंरचना 74-76

दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि प्रबंधन) नियम, 2024 74

शहरी बुनियादी ढाँचा वित्तपोषण : चुनौतियाँ एवं समाधान 74

भारत में समुद्री केबल का विकास 76

सामाजिक मुद्दे 77-80

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 77

लाइटहाउस पैरेंटिंग 78

परिवार नियोजन में लैंगिक असमानता 78

राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति 80

इतिहास, कला एवं संस्कृति 81-84

नुपी लान 81

केरल में प्रागैतिहासिक शैलचित्रों की खोज 82

साध्या विझा महोत्सव 82

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष 83

सुब्रमण्यम भारती 84

बेलगाम अधिवेशन के 100 वर्ष 84

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 85-87

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और भारत 85

सामाजिक संवाद रिपोर्ट 87

आपदा प्रबंधन 88-89

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 88

आंतरिक सुरक्षा 90-93

गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा चरमपंथ को बढ़ावा 90

K-4 मिसाइल 91

आई.एन.एस. तुशिल 92

सबल 20 ड्रोन 93

गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर 93

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि 94-98

विवाह एवं नैतिकता 94

केस स्टडी 96-98

केस स्टडी-1 96

केस स्टडी-2 98

विविध *99-121*

राष्ट्रीय घटनाक्रम *99-100*
ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म 'वेव्स' 99
एकलव्य डिजिटल पोर्टल 99
अन्न चक्र एवं स्कैन पोर्टल 99

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम *100-103*
यू.एन.एस.सी. संकल्प 1701 100
विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम 100
आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 101
नारकोटिक ड्रग्स आयोग 101
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग 102
रियाद डिज़ाइन कानून संधि 102
संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद् 102

योजना एवं कार्यक्रम *103-104*
एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना 103
शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम 103
जलवाहक योजना 104
यूथ को:लैब 104

सूचकांक एवं रिपोर्ट *104-106*
नई चेतना 3.0 पहल 104
बीमा सखी योजना 105
अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 105

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संगठन *106-108*
परमाणु ऊर्जा विभाग 106

अंतर्राष्ट्रीय संगठन *108-111*
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 108

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ *111*
महत्त्वपूर्ण पुस्तकें *112*
महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम *112*
महत्त्वपूर्ण दिवस *115*
महत्त्वपूर्ण पुरस्कार *116*
महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन *120*
महत्त्वपूर्ण शब्दावली *120*

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार 122-145
योजना 122-126
कुरुक्षेत्र 126-132
डाउन टू अर्थ 132-136
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 136-142
साइन्स रिपोर्टर 142-145

निबंध उद्धरण 146

क्विक रिवीज़न 147-162
महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में 147-153
मानचित्र अध्ययन 154-155
प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न 156-161
मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न 162

हिंदी माध्यम

संस्कृति IAS

दिल्ली के साथ अब **प्रयागराज** में भी...

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

Distance Learning Programme DLP

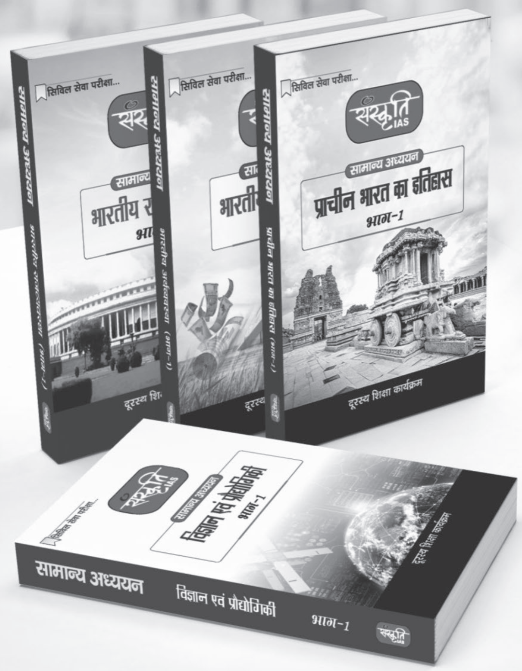

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

- ☑ यह कार्यक्रम ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार (डिज़ाइन) किया गया है, जो किन्हीं वजहों से हमारे कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं।
- ☑ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की अध्ययन सामग्री प्रकृति में सरल, संक्षिप्त, प्रामाणिक और परीक्षोन्मुखी है। इसे हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अनुभवी एवं प्रतिबद्ध कॉन्टेंट राइटरों द्वारा तैयार किया गया है।
- ☑ सिविल सेवा परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री इस तरह से तैयार की गई है कि कोई भी टॉपिक छूटने न पाए, अर्थात् अध्ययन की सरलता हेतु सभी अध्यायों में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उचित समावेश किया गया है।
- ☑ अध्ययन सामग्री को पैराग्राफ्स, बुलेट फॉर्म, सारणी, मानचित्र एवं फ्लोचार्ट के माध्यम से उपयोगी एवं सरल बनाया गया है।

Fee Details

IAS Prelims	₹ 9,000
IAS Mains	₹ 12,000
IAS Prelims + Mains	₹ 14,000
IAS Optional History	₹ 6,000
IAS Optional Geog.	₹ 6,000

प्रिलिम्स अध्ययन सामग्री
25 Booklets

मेन्स अध्ययन सामग्री
27 Booklets

प्री.+मेन्स अध्ययन सामग्री
35 Booklets

For Demo

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | 9555 124 124 | sanskritiias.com

संपादकीय

नया साल, नए संकल्प

प्रिय विद्यार्थियों,

जीवन में आने वाली हर सकारात्मक करवट, नई उम्मीदों, नई संभावनाओं को जन्म देती है। आने वाला हर नया साल भी नई प्रत्याशाओं को उत्पन्न करता है, इसीलिए नए साल में प्रवेश करने से कई रोज़ पहले ही पृथ्वी का हर प्राणी अपने भीतर नई ऊर्जा के संचार को महसूस करने लगता है। इसी ऊर्जा के बूते वे नए साल से ढेरों उम्मीदें भी पालने लगते हैं।

दिक्कत उस समय पेश आती है जब मनुष्य नए साल की नई उम्मीदों से किसी चमत्कार के घटने की शेखचिल्ली कल्पनाएँ करने लगता है मगर उनके क्रियान्वयन में आगे बढ़कर योगदान करने की हिम्मत जुटाने से गुरेज़ करता है। इसीलिए अक्सर यही देखने को मिलता है कि नए साल के शुरू में किए गए संकल्प, साल के मध्य तक आते-आते लड़खड़ाने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे इंसान इस बात को भी भूल जाता है कि साल की शुरुआत में उसने अपने जीवन के सकारात्मक विकास के लिए कोई संकल्प भी किया था जिसे इस साल के अंत तक पूरा करना था।

नए साल के लिए संकल्प (Resolutions) के बनने और टूटने का सिलसिला इसीलिए भी बदस्तूर जारी रहता है क्योंकि लक्ष्य चाहे बड़ा हो या छोटा, हमेशा नियम-कायदों की बात करता है, अपने चारों ओर एक रेखा का निर्धारण करता है जिसके भीतर रहकर इंसान को कठिन श्रम करना होता है और मनुष्य अपने स्वभावगत आलस के कारण अपने लक्ष्य प्राप्ति में कामयाब नहीं हो पाता है।

अगर हम अपने बड़े लक्ष्यों को कामयाब करने के लिए दिन-प्रतिदिन की समय सारिणी पर ध्यान देते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो किसी मंज़िल पर पहुँचना कतई असंभव नहीं होगा। इसके साथ ही, हमें यह भी समझना होगा कि सफलता पूरी प्रतिबद्धता और लगन मांगती है जिसके लिए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दिनचर्या में एक बड़ी जगह बनानी पड़ेगी और लंबे समय तक उस दिनचर्या पर कायम रहना होगा।

यह सच है कि मनुष्य का समूचा जीवन कर्म पर टिका है। श्रीमद्भगवद्गीता में कर्मयोग का बेहद लोकप्रिय सिद्धांत इसी सत्य का विस्तार करता है जिसमें फल प्राप्ति नहीं बल्कि, पूरी तरह कर्म पर आस्था की बात कही गई है–

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।

जब हम अपने मन से किसी लक्ष्य के लिए अडिग हो जाते हैं तो उस लक्ष्य से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इच्छा स्वतः ही जाग्रत हो जाती है। यानी जैसे ही हम अपने जीवन के लिए कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उपकरणों को जुटाना शुरू कर देते हैं तो हमारे लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा में काफी मदद मिलने लगती है।

इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण के बाद ही कदम-दर-कदम सटीक मार्गदर्शन को अपनाने की ज़रूरत पेश आती है और जब स्वतः ही अनुशासन कायम हो जाता है जो लक्ष्य की तैयारी के लिए फोकस करने में मदद करता है।

लक्ष्य निर्धारण एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो छात्रों को उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी शैक्षणिक यात्रा को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है। लक्ष्य निर्धारण की शक्ति को अपनाने के साथ-साथ अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को रेखांकित करना भी ज़रूरी है। योजना निर्धारण करने से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलती है। अपने काम की प्रगति पर लगातार नज़र रखना और हमेशा सकारात्मक एवं दृढ़ बने रहना भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

दूसरा प्रार्थियों की लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा में अनुशासन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक और जटिल से जटिलतर होने वाले आधुनिक समय में विद्यार्थियों पर निश्चित तौर पर अत्यधिक दबाव है, मगर यह भी सच है कि जहाँ पहले संसाधन और परामर्शदाताओं की कमी थी वहीं आज कई प्लेटफॉर्मों के ज़रिए लक्ष्य तक पहुँचने में मदद भी ली जा सकती है।

तीसरा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्म-निरीक्षण के साथ-साथ लक्ष्य प्राप्त हो जाने की कल्पना करना और अपने प्रयासों को लिखित में दर्ज करना भी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है।

जैसा की आधुनिक युग की महानतम साहित्यिक विभूति टी.एस. इलियट ने कहा है– "हर पल एक नई शुरुआत है।"

इसीलिए किसी भी समय लक्ष्य प्राप्ति के लिए नई पहल करने का जोखिम उठाया जा सकता है और जैसा कहा भी गया है हमारा समय ज़रूर तटस्थ है मगर पहल और साहस के ज़रिए अपनी परिस्थितियों में मानाखेज़ बदलाव किया जा सकता है और ऊँचे से ऊँचे लक्ष्य को पाया जा सकता है।

शुभकामनाओं सहित

(अखिल मूर्ति)

राजव्यवस्था एवं शासन

एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक, 2024

संदर्भ

- 17 दिसंबर, 2024 को विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) योजना को वास्तविक जामा पहनाने के लिए लोक सभा में दो महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया।
- पहला संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को एक-साथ करने के लिए है। दूसरा विधेयक केंद्र-शासित प्रदेशों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन करने के लिए है, ताकि वहाँ भी एक-साथ चुनाव कराए जा सकें।
  - हालाँकि, इन विधेयकों में अभी नगरपालिका चुनावों को शामिल नहीं किया गया है।
- **कार्यान्वयन की समय सीमा :** एक-साथ चुनाव संभवत: वर्ष 2034 की शुरुआत में शुरू हो सकती है।
  - बशर्ते कि 18वीं और 19वीं दोनों लोक सभाएँ अपना पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा कर लें।
- विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली ONOE पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप हैं। समिति ने सिफारिश की थी कि पहले चरण में लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक-साथ कराए जाने चाहिए।
  - इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

आवश्यक संविधान संशोधन

- प्रस्तावित संशोधनों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत के माध्यम से लोक सभा एवं राज्य सभा दोनों में पारित किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्न दो शर्तें पूरी होनी चाहिए–
  - लोक सभा एवं राज्य सभा दोनों में से आधे सदस्यों को संशोधन के पक्ष में मतदान करना होगा।
  - सभी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई को संशोधन के पक्ष में मतदान करना होगा।

प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- पहला विधेयक 129वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2024 है जो संविधान के तीन अनुच्छेदों (अनुच्छेद 82, 83 एवं 327) को संशोधित करने और एक नया अनुच्छेद 82ए(1-7) जोड़ने का प्रस्ताव करता है।
- **अनुच्छेद 82ए :** यह अनुच्छेद लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को एक-साथ करने का प्रावधान करेगा।
  - **अनुच्छेद 82ए(1) :** राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोक सभा की पहली बैठक की तिथि को प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू कर सकते हैं।
  - **अनुच्छेद 82ए(2) :** निर्वाचित राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल नियत तिथि से पहले, लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। फलत: लोक सभा के पाँच वर्षीय चक्र के अनुरूप कुछ राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल संभवत: छोटा हो जाएगा।
  - **अनुच्छेद 82ए(3) :** भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं दोनों के लिए एक-साथ चुनाव कराने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
  - **अनुच्छेद 82ए(4) :** एक-साथ चुनावों को लोक सभा और सभी विधान सभाओं के लिए एक-साथ गठन के लिए आयोजित आम चुनावों के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
  - **अनुच्छेद 82ए(5) :** चुनाव आयोग किसी विशेष राज्य विधान सभा के लिए चुनाव स्थगित करने की सिफारिश कर सकता है, यदि लोक सभा चुनाव के साथ चुनाव कराना संभव न हो।
    - इस मामले में स्थगित चुनाव भी लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही संपन्न होंगे।
  - **अनुच्छेद 82ए(6) :** यदि किसी विधान सभा का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, तो उस विधान सभा का पूरा कार्यकाल भी आम चुनाव में निर्वाचित लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।
  - **अनुच्छेद 82ए(7) :** चुनाव आयोग विधान सभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करते समय वह तारीख घोषित करेगा जिस दिन विधान सभा का पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

मध्यावधि चुनाव और प्रभाव

- **लोक सभा में मध्यावधि चुनाव :** विधेयक में उन परिदृश्यों को भी संबोधित किया गया है जहाँ सरकार अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने में विफल हो सकती है। ऐसे मामलों में मध्यावधि लोक सभा चुनाव होंगे किंतु, अगली लोक सभा केवल शेष अवधि के लिए ही काम करेगी। उदाहरण के लिए, यदि लोक सभा तीन साल और दो महीने के बाद भंग हो जाती है, तो अगला चुनाव केवल शेष 22 महीनों के लिए होगा।
  - इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83 में नए खंड जोड़ने का प्रस्ताव है।
  - **राज्य विधान सभाएँ और मध्यावधि चुनाव :** यदि किसी राज्य की विधान सभा अपने पूरे कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो उस विधान सभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इससे लोक सभा चक्र के साथ तालमेल सुनिश्चित होगा।
  - इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 172 में भी बदलाव का प्रस्ताव है।

अनुच्छेद 82	अनुच्छेद 82 परिसीमन से संबंधित है, जो प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद राज्यों के बीच लोक सभा सीटों के आवंटन का पुनर्समायोजन है।
अनुच्छेद 83	अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि निर्धारित करता है। इसके अनुसार, राज्य सभा भंग नहीं होती है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि लोक सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष तक का निर्धारित है जब तक कि इसे निर्धारित अवधि से पहले भंग न कर दिया जाए।
अनुच्छेद 172	यह राज्य विधान सभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 327	संविधान के अनुच्छेद 327 में 'निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन' शब्दों के पश्चात् 'एक-साथ निर्वाचनों का संचालन' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे (चुनाव से संबंधित प्रावधान बनाने की संसद की शक्ति)।

दूसरा विधेयक : केंद्र-शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

- इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर तथा अलग संवैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित अन्य संघ शासित प्रदेशों सहित केंद्र-शासित प्रदेशों में एक-साथ चुनाव कराने के प्रावधानों का विस्तार करना है।
- वस्तुतः केंद्र-शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन प्रस्तावित हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- प्रारंभ में लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के लिए आम चुनाव वर्ष 1951-52, 1957, 1962 एवं 1967 में एक-साथ आयोजित किए गए थे।
- हालाँकि, वर्ष 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधान सभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह समन्वय बाधित हो गया।

अनुशंसाएँ

- भारतीय विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट) ने सुझाव दिया कि एक-साथ चुनाव कराना सामान्य नियम होना चाहिए, केवल कुछ मामलों में अपवाद होना चाहिए।
- विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति (79वीं रिपोर्ट) ने भी इस विचार का समर्थन किया तथा चुनावों की आवृत्ति कम करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की सिफारिश की तथा एक-साथ चुनाव कराने की चुनौतियों के समाधान का प्रस्ताव दिया।

एक-साथ चुनाव कराने की आवश्यकता

- अलग-अलग चुनाव कराना महँगा और समय लेने वाला हो गया है।
- आदर्श आचार संहिता लागू होने से सामान्य सार्वजनिक जीवन, विकास कार्यक्रम एवं आवश्यक सेवाएँ बाधित होती हैं।
- एक-साथ चुनाव कराने से देश पर प्रशासनिक व वित्तीय बोझ कम होगा।

ONOE के पक्ष में तर्क

- **लागत दक्षता :** एक-साथ चुनाव कराने से सरकारी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी, क्योंकि एक ही समय पर चुनाव कराने से संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकेगा।
- **बेहतर संसाधन प्रबंधन :** कार्मिकों और सुरक्षा बलों सहित चुनाव संबंधी संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा जिससे अलग-अलग चुनावों के दौरान बार-बार तैनाती की आवश्यकता नहीं होगी।
- **नीतिगत पक्षाघात का सामना :** चुनावों की बारंबारता के कारण नीतिगत पक्षाघात का सामना करना पड़ता है क्योंकि आदर्श आचार संहिता (MCC) के कारण सरकार किसी नई महत्त्वपूर्ण नीति की घोषणा या उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकती है।

- **मतदान में वृद्धि :** एक ही चुनाव प्रक्रिया से मतदाता की थकान कम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मतदान में वृद्धि हो सकती है।
- **राजनीतिक स्थिरता :** एक-साथ चुनाव कराने से बार-बार होने वाले चुनावी चक्र और राजनीतिक व्यवधान कम हो सकते हैं जिससे शासन में स्थिरता की अवधि लंबी हो सकती है।
- **राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना :** चुनावों की आवृत्ति कम होने से सरकारें लगातार प्रचार से विचलित होने के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों और शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

ONOE के विरुद्ध तर्क

- **तार्किक चुनौतियाँ :** भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग बुनियादी ढाँचा व सुरक्षा ज़रूरतें होती हैं जिससे समन्वय मुश्किल हो जाता है।
- **संघवाद का कमज़ोर होना :** ONOE के कारण राज्य विधान सभा चुनावों में राष्ट्रीय दलों का दबदबा बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय दल और मुद्दे दरकिनार हो सकते हैं। इससे संघीय ढाँचा एवं राज्य सरकारों की स्वायत्तता कमज़ोर हो सकती है।
- **राजनीतिक अस्थिरता का खतरा :** यदि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के परिणाम भिन्न होते हैं तो इससे राष्ट्रीय व राज्य दोनों स्तरों पर अस्थिर गठबंधन सरकारें बन सकती हैं जिससे शासन संबंधी चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
- **मतदाता को भ्रम :** एक-साथ कई चुनाव होने से मतदाता भ्रमित हो सकते हैं, विशेषकर जब कई दल व उम्मीदवार चुनाव में भागीदारी कर रहे हों। इससे गलतियाँ हो सकती हैं और मतदाता की भागीदारी कम हो सकती है।
- **जावबदेही में कमी :** ONOE की स्थिति में सरकारों की जनता के प्रति जवाबदेही में कमी हो सकती है क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के समक्ष आने से राजनेताओं की जवाबदेहिता में वृद्धि होती है।
- **प्रारंभिक कार्यान्वयन लागत :** हालाँकि ONOE से दीर्घकालिक लागत में बचत हो सकती है किंतु, परिवर्तन के लिए निर्वाचन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिसमें महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक लागत व समय लगेगा।

आगे की राह

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन :** एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जहाँ राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन से पहले कुछ राज्यों या क्षेत्रों के लिए चुनावों को एक-साथ किया जाता है। इससे तार्किक चुनौतियों का समाधान करने और प्रणाली का परीक्षण करने के लिए समय मिल सकता है।
- **चुनावी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना :** एक-साथ चुनाव कराने की बढ़ती जटिलता और पैमाने को संभालने के लिए चुनाव मशीनरी को काफी उन्नत करने की आवश्यकता होगी। प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण व बुनियादी ढाँचे में निवेश आवश्यक होगा।
- **आम सहमति बनाना :** इस तरह की पहल की सफलता के लिए सभी हितधारकों, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज एवं जनता को शामिल करते हुए आम सहमति निश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **जन जागरूकता एवं शिक्षा :** मतदाताओं को ONOE के लाभों के बारे में शिक्षित करने के साथ-साथ संयुक्त चुनावों के दौरान मुद्दों के बारे में भ्रम से बचने के लिए प्रक्रिया को समझाने के लिए जागरूकता अभियान महत्त्वपूर्ण होंगे।
- **क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करना :** यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए कि क्षेत्रीय चिंताएँ राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित न हों। राजनीतिक दल ऐसी अभियान रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं जो राष्ट्रीय व राज्य-विशिष्ट विषयों के बीच संतुलन बनाए रखें।

ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024' का उद्घाटन किया। साथ ही, इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया गया।

ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के बारे में

- **क्या है :** यह सम्मेलन वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए अग्रणी निकाय है।
- **सम्मेलन का विषय :** 'सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है'
  - भारत सरकार के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- **आयोजनकर्ता :** भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) द्वारा ICA, भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं 'अमूल' एवं 'कृभको' के सहयोग से
- **समयावधि :** 25 से 30 नवंबर, 2024 तक
- **विशेष :** ICA के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और ICA महासभा का आयोजन भारत में किया गया है।
- **भागीदार :** भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे और फिजी के उप-प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका एवं साथ ही, 100 से अधिक देशों के लगभग 3,000 प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बारे में

- प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया।
- **विषय :** 'सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है'
  - यह विषय सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तीकरण और सतत् विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित करती है।
- **उद्देश्य :** दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी उद्यमों की शक्ति को प्रदर्शित करना

स्मारक डाक टिकट

- प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है, जो सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
- इस टिकट पर कमल का फूल है जो शांति, शक्ति, लचीलापन एवं विकास का प्रतीक है। यह संधारणीयता व सामुदायिक विकास के सहकारी मूल्यों को दर्शाता है।
- कमल की पाँच पंखुड़ियाँ प्रकृति के पाँच तत्त्वों (पंचतत्त्व) का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पर्यावरण, सामाजिक एवं आर्थिक संधारणीयता के प्रति सहकारी समितियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
- डिज़ाइन में कृषि, डेयरी, मत्स्यपालन, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ और आवास जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के बारे में

- दुनिया भर में लगभग 3 मिलियन सहकारी समितियों के साथ ICA सहकारी आंदोलन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान एवं समन्वित कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।
- वर्ष 1895 में प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन में स्थापित यह सबसे पुराने व सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठनों में से एक है।
- ICA वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ICA के 105 देशों में 306 से अधिक सदस्य संगठन हैं।
- इसके सदस्यों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहकारी संगठन शामिल हैं जो कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता वस्तुएँ, मत्स्यपालन, स्वास्थ्य, आवास, बीमा उद्योग एवं सेवाओं जैसे आर्थिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में सहकारी क्षेत्र

- भारत का राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े व सबसे विविध आंदोलनों में से एक है जिसमें लाखों लोगों के साथ-साथ कृषि, बैंकिंग, आवास एवं ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।
- 14 नवंबर, 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने नई दिल्ली में ICA क्षेत्रीय कार्यालय एवं शिक्षा केंद्र (ICA ROEC) का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया था।
- भारत, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया-प्रशांत (ICA-AP) के विकास एवं सफलता में एक केंद्रीय भूमिका में रहा है।
- सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।
  - इस मंत्रालय का लक्ष्य सहकारी-संचालित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना है जो हर गाँव तक पहुँचे और सभी क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को मज़बूत करे।

भारत में सहकारी समितियों के प्रकार

- **उपभोक्ता सहकारी समितियाँ :** ये बिचौलियों को हटाकर उचित मूल्य पर उपभोग की वस्तुएँ उपलब्ध कराती हैं, जैसे– केंद्रीय भंडार एवं अपना बाज़ार।
- **उत्पादक सहकारी समितियाँ :** ये छोटे उत्पादकों को कच्चा माल एवं उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता करती हैं, जैसे– APPCO और हरियाणा हैंडलूम।
- **सहकारी विपणन समितियाँ :** ये छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को सामूहिक रूप से विपणन करने में सहायता करती हैं, जैसे– गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, अमूल।
- **सहकारी ऋण समितियाँ :** ये जमा स्वीकार करके और उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
- **सहकारी कृषि समितियाँ :** ये छोटे किसानों को सामूहिक कृषि पद्धतियों से लाभान्वित होने में सक्षम बनाती हैं।
- **आवास सहकारी समितियाँ :** ये समितियाँ अपने सदस्यों के लिए भूमि खरीदकर और उसका विकास करके किफायती आवास विकल्प उपलब्ध कराती हैं।

निष्कर्ष

भारत द्वारा ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेज़बानी करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे सहकारी आंदोलन द्वारा निरंतर समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अधिक समतापूर्ण समाज के निर्माण में सहकारी समितियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में पता चलता है।

एन.टी.ए. के पुनर्गठन की सिफारिश

संदर्भ

जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के पुनर्गठन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात-सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया गया था। इस पैनल का गठन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET-UG) में प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायतों की प्रतिक्रिया में किया गया था।

पैनल की प्रमुख अनुशंसाएँ

- **डिजी-परीक्षा प्रणाली :** संपूर्ण प्रक्रिया (आवेदन, परीक्षा, प्रवेश और अध्ययन/कार्य) के दौरान अभ्यर्थियों को प्रमाणित करने के लिए डिजी-यात्रा (Digi-Yatra) के समान डिजी-परीक्षा (Digi-Exam) प्रणाली की शुरुआत की जानी चाहिए।
- **एन.टी.ए. का पुनर्गठन :** एन.टी.ए. को मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  - वर्ष 2025 से एन.टी.ए. द्वारा भर्ती परीक्षाएँ (Recruitment Exams) आयोजित नहीं की जानी चाहिए।
- **शासी निकाय :** परीक्षण लेखा परीक्षा, नैतिकता, पारदर्शिता और हितधारक संबंधों की देखरेख के लिए तीन उप-समितियों के साथ एक सशक्त शासी निकाय की स्थापना की जानी चाहिए।
- **नेतृत्व :** एन.टी.ए. का महानिदेशक केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए।
  - एन.टी.ए. को 10 विशिष्ट खंडों में संगठित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक निदेशक होगा।
- **संस्थागत संबंध :** परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य एवं ज़िला प्राधिकारियों के साथ समन्वय विकसित करना आवश्यक है।
  - निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ राज्य व ज़िला स्तरीय समन्वय समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए।
- **बहु-सत्र और बहु-चरण परीक्षण :** NEET-UG और CUET परीक्षाओं के लिए विविध विषय धाराओं (संकायों) को समायोजित करने के लिए बहु-सत्र एवं बहु-चरणीय परीक्षण लागू किया जाना चाहिए।
  - बहु-सत्र परीक्षण के सामान्यीकरण के लिए कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित, दस्तावेज़ीकृत और संप्रेषित किया जाना आवश्यक है।
- **परीक्षण सुरक्षा और शुचिता :** पैनल ने परीक्षण के दौरान उल्लंघनों और कदाचारों को रोकने के लिए कड़े उपायों की सिफारिश की, जिनमें शामिल हैं–
  - प्रश्नपत्रों का सावधानीपूर्वक संचालन (मुद्रण, परिवहन व भंडारण)।
  - परीक्षा केंद्रों का चयन एवं निगरानी, सीट आवंटन, तलाशी, तथा छद्मवेश की रोकथाम।
  - अप्रयुक्त ओ.एम.आर. शीटों के प्रबंधन, ओ.एम.आर. शीटों के परिवहन और परिणामों की घोषणा के लिए कदम।

एन.टी.ए. की भविष्य की भूमिका

- एन.टी.ए. का पुनर्गठन वर्ष 2025 तक किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और CUET-UG का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाएगा।
- पुनर्गठन योजना के अनुसार, एन.टी.ए. की क्षमता और विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए इसमें नए पद सृजित किए जाएंगे।

डिजी-यात्रा

- डिजी-यात्रा भारत में एक डिजिटल पहल है जो संपर्करहित और निर्बाध हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करने के लिए चेहरे की पहचान (Facial Recognition) तकनीक का उपयोग करती है। यात्री बिना किसी भौतिक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए चेक-इन, सुरक्षा एवं बोर्डिंग से गुज़र सकते हैं।
- यह प्रणाली एयरलाइन चेक-इन प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत होती है जिससे दक्षता एवं सुरक्षा बढ़ती है।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम

संदर्भ

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आयोजित आगामी महाकुंभ 2025 और अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को देखते हुए अगले 6 माह के लिए 'आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम' (Essential Services Maintenance Act : ESMA) लागू कर दिया है। इसके तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों एवं प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के बारे में

- **अधिनियमन :** उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम राज्य विधायिका द्वारा वर्ष 1966 में पारित किया गया था।
- **उद्देश्य :** इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में कुछ आवश्यक सेवाओं (ऐसी सेवाएँ जिनके बाधित होने से सामान्य जन-जीवन

प्रभावित होता है, जैसे– सार्वजानिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएँ) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968

- भारतीय संसद ने वर्ष 1968 में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य सामान्य जन-जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
- इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है। भारत में प्रत्येक राज्य का अपना अलग 'आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून' है।

अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख परिभाषाएँ

आवश्यक सेवा से तात्पर्य

- कोई भी डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा
- भूमि, जल या वायु द्वारा यात्रियों या माल के लिए परिवहन सेवा
- हवाई अड्डों/वायुयान के संचालन या रखरखाव से संबंधित कोई सेवा
- किसी भी बंदरगाह में माल की आवाजाही या भंडारण से संबंधित कोई भी सेवा
- सीमा शुल्क के माध्यम से माल या यात्रियों की निकासी या तस्करी की रोकथाम से जुड़ी कोई भी सेवा
- किसी भी टकसाल या सुरक्षा प्रेस में कोई भी सेवा
- भारत सरकार के किसी रक्षा प्रतिष्ठान में कोई सेवा
- या ऐसी कोई भी अन्य सेवा, जो ऐसे विषयों से संबंधित है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है और जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उसमें कोई चूक होने से किसी लोक उपयोगिता सेवा के अनुरक्षण, लोक सुरक्षा या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्तियों एवं सेवाओं के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हड़ताल से तात्पर्य

- 'हड़ताल' का अर्थ है किसी आवश्यक सेवा में नियोजित व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करना बंद कर देना या संगठित रूप से मना कर देना और इसमें शामिल हैं–
  - किसी आवश्यक सेवा के रखरखाव के लिए आवश्यक कार्य के लिए ओवरटाइम काम करने से मना करना।
  - कोई अन्य आचरण जिसके परिणामस्वरूप किसी आवश्यक सेवा में कार्य बंद हो जाने या उसमें पर्याप्त रूप से मंदता आने की संभावना हो।

- **प्रमुख कार्य :** यह अधिनियम आवश्यक सेवाओं में शामिल नियोजकों एवं श्रमिकों को कार्य करने से मना करने या हड़ताल करने पर प्रतिबंध व उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी करता है।
- **हालिया अधिसूचना :** राज्य सरकार द्वारा जारी हालिया अधिसूचना उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **अवैध हड़ताल के लिए जुर्माना :** कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद अवैध हड़ताल शुरू करता है या हड़ताल में शामिल होता है या अन्यथा भाग लेता है तो उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- **भड़काने आदि के लिए दंड :** कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है या अन्यथा उसे बढ़ावा देता है जो इस अधिनियम के तहत अवैध है या होगी, उसे एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या 1,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
- **अवैध हड़तालों को वित्तीय सहायता देने पर जुर्माना :** कोई भी व्यक्ति जो जान-बूझकर हड़ताल को बढ़ावा देने या समर्थन देने के लिए कोई धनराशि खर्च करता है या उपलब्ध कराता है जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है या होगी, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या 1,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
- **बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति :** कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में यह संदेह हो कि उसने इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है।
- **अन्य राज्य स्तरीय कानूनों को रद्द करने के लिए अधिनियम :** इस अधिनियम और इसके अधीन जारी किसी आदेश के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

राजनीतिक दलों पर PoSH अधिनियम का कार्यान्वयन

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने राजनीतिक दलों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (Prevention of Sexual Harassment: PoSH) से संबंधित कानून लागू करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता से भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क करने को कहा है।

हालिया वाद

याचिकर्ता के तर्क

- याचिका में इस न्यायिक घोषणा की मांग की गई थी कि राजनीतिक दल कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 या PoSH अधिनियम का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना भी शामिल है।
- याची के अनुसार, राजनीतिक दलों के भीतर पारदर्शिता की कमी, अपर्याप्त संरचना एवं आतंरिक शिकायत समिति के असंगत कार्यान्वयन से ऐसी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है जो महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तीकरण को प्राथमिकता देने में विफल रहती है।
- यह एक व्यापक चुनौती को दर्शाता है जहाँ महिलाओं को राजनीतिक भूमिकाएँ निभाने में अनेक बाधाओं व हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- यह याचिका अनुच्छेद 32 का आह्वान करके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार की मांग करती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रतिवादी (जैसे– राजनीतिक दल या संबंधित प्राधिकारी) आवश्यक कार्रवाई करें।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया है जिसके अनुसार, राजनीतिक दलों पर PoSH अधिनियम का अनुपालन करने का कोई दायित्व नहीं है क्योंकि उनमें नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मौजूद नहीं है।
- न्यायमूर्ति के अनुसार, राजनीतिक दलों के मामले में निर्वाचन आयोग सक्षम प्राधिकारी है और याचिकाकर्ता को चुनाव निकाय से संपर्क करने की सलाह दी।

क्या है PoSH अधिनियम

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1992 में राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के सामूहिक बलात्कार के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 'कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न' के खिलाफ 'लैंगिक समानता के बुनियादी मानवाधिकार के प्रभावी प्रवर्तन के लिए अधिनियमित' किसी भी कानून की अनुपस्थिति को देखते हुए वर्ष 1997 में दिशा-निर्देशों का एक सेट निर्धारित किया।
  - इसे विशाखा दिशा-निर्देश नाम दिया गया जिसे सभी कार्यस्थलों पर सख्ती से अनुपालन किया जाना कानूनी रूप से बाध्यकारी था। इसका उद्देश्य किसी निश्चित एवं स्पष्ट कानून बनने तक वैधानिक शून्यता को भरना था।
- न्यायालय ने अनुच्छेद 15 (केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध) तथा प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों एवं मानदंडों, जैसे– महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय की सामान्य अनुशंसाओं से प्रेरणा लेकर इसे तैयार किया था।
  - महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय का भारत ने वर्ष 1993 में अनुसमर्थन किया था।
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2000, 2003, 2004, 2006 एवं 2010 में कार्यस्थल के लिए आचार संहिता के मसौदे प्रस्तुत किए।
- वर्ष 2007 में तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं से संबंधित सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किया। संशोधित विधेयक 9 दिसंबर, 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) या PoSH अधिनियम के रूप में लागू हुआ।

PoSH अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल एवं कर्मचारी की परिभाषा

- PoSH अधिनियम यौन उत्पीड़न को शारीरिक संपर्क एवं यौन प्रस्ताव, यौन पक्षपात (Favour) की मांग या अनुरोध, यौन रूप से अनुचित टिप्पणी करना, पोर्नोग्राफी दिखाना और यौन प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण जैसे अवांछित कृत्यों के रूप में परिभाषित करता है।
- इसमें यौन उत्पीड़न के संबंध में पाँच परिस्थितियों (कृत्यों) को भी सूचीबद्ध किया गया है–
  - रोज़गार में अधिमान्य उपचार का निहित या स्पष्ट वादा
  - रोज़गार में हानिकारक उपचार की निहित या स्पष्ट धमकी
  - वर्तमान या भविष्य की रोज़गार स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट धमकी
  - काम में हस्तक्षेप या डराने वाला या आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना
  - स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार
- इस अधिनियम के तहत सभी महिला कर्मचारी, चाहे वे नियमित, अस्थायी, अनुबंध पर, तदर्थ या दैनिक वेतन के आधार पर, प्रशिक्षु या प्रशिक्षु के रूप में या फिर मुख्य नियोक्ता की जानकारी के बिना कार्यरत हों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण की मांग कर सकती हैं।
- यह अधिनियम पारंपरिक कार्यालयों से परे 'कार्यस्थल' की परिभाषा का विस्तार करता है और सभी क्षेत्रों के सभी प्रकार के संगठनों, यहाँ तक कि गैर-पारंपरिक कार्यस्थलों (उदाहरण के लिए वे जिनमें दूरसंचार शामिल हैं) और कर्मचारियों द्वारा काम के लिए जाने वाले स्थानों को भी शामिल करता है।
  - यह पूरे भारत में सभी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों पर लागू होता है।

नियोक्ताओं के लिए उपबंध

- कानून के अनुसार, 10 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी नियोक्ता को एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना होगा।
    - इससे कोई भी महिला कर्मचारी औपचारिक यौन उत्पीड़न शिकायत दर्ज कराने के लिए संपर्क कर सकती है।
- ICC की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जानी चाहिए। इसमें कम-से-कम दो महिला कर्मचारी व एक अन्य कर्मचारी होना चाहिए।
    - इसमें वरिष्ठ स्तर से किसी भी तरह के अनुचित दबाव को रोकने के लिए यौन उत्पीड़न की चुनौतियों से परिचित पाँच वर्ष के अनुभव वाले गैर-सरकारी संगठन कार्यकर्ता जैसे तीसरे पक्ष को शामिल किया जाना चाहिए।
- यह अधिनियम देश के प्रत्येक ज़िले को 10 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों में काम करने वाली महिलाओं एवं अनौपचारिक क्षेत्र के घरेलू कामगारों, घर-आधारित कामगारों, स्वैच्छिक सरकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक स्थानीय समिति (LC) बनाने का आदेश देता है।
- नियोक्ता को वर्ष के अंत में दर्ज यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या और की गई कार्रवाई के बारे में ज़िला अधिकारी के पास वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
- यह अधिनियम नियोक्ता को कर्मचारियों को अधिनियम के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा ICC सदस्यों के लिए संगोष्ठी आयोजित करने के लिए भी बाध्य करता है।
- यदि नियोक्ता ICC का गठन करने में विफल रहता है या किसी अन्य प्रावधान का पालन नहीं करता है, तो उसे ₹50,000 तक का जुर्माना देना होगा।

अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधाएँ

आंतरिक समिति के गठन का अभाव

कुछ अध्ययन के अनुसार, अधिकांश संस्थानों ने ICC का गठन नहीं किया है। जहाँ ICC की स्थापना की गई थी उनके पास या तो सदस्यों की संख्या अपर्याप्त थी या अनिवार्य बाहरी सदस्य की कमी थी।

जवाबदेहिता की कमी

- कानूनी विशेषज्ञों एवं हितधारकों के अनुसार, यह अधिनियम जवाबदेही को संतोषजनक ढंग से संबोधित नहीं करता है।
    - यह कार्यस्थलों पर अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा गैर-अनुपालन की स्थिति में जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट प्रावधानों का उल्लेख नहीं करता है।
    - सरकार ने वर्ष 2019 में संसद को बताया था कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों के बारे में उसके पास कोई केंद्रीकृत डाटा उपलब्ध नहीं है।
- भारत की 80% से अधिक महिला श्रमिकों के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत होने के बावजूद कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले भारत में कई कारणों से बहुत कम रिपोर्ट किए जाते हैं।
- कानून निर्माताओं ने माना था कि शिकायतों को नागरिक संस्थानों (कार्यस्थलों) के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है, ताकि महिलाओं को पहुँच एवं समयबद्धता से संबंधित आपराधिक न्याय प्रणाली की कठिन प्रक्रियाओं से न गुज़रना पड़े।
    - हालाँकि, इस संदर्भ में स्पष्टता की कमी है।
- महिला कर्मचारियों में ऐसी समितियों के बारे में जागरूकता की कमी की वजह से न्याय प्रणाली से जुड़ी पहुँच संबंधी बाधाएँ और भी बढ़ गई हैं।
- संगठनों की शक्ति गतिशीलता और पेशेवर परिणामों का डर भी महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज करने के रास्ते में बाधक है।
- यौन उत्पीड़न के मामलों में प्रायः ठोस सबूतों (साक्ष्यों) की कमी होती है जबकि न्यायिक प्रणाली सबूतों पर अधिक भरोसा करती है।

आगे की राह

- ICC या LC द्वारा की जाने वाली जाँच में न्यायपालिका की तरह 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।
- हितधारकों के साथ-साथ सक्षम समिति की रिपोर्ट (2010) के अनुसार, आंतरिक समिति के लिए उचित प्रक्रिया की आवश्यकता कानूनी प्रणाली द्वारा नियोजित की गई आवश्यकता से अलग होनी चाहिए, जिसमें लैंगिक भेदभाव के रूप में यौन उत्पीड़न की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि महिलाएँ पितृसत्तात्मक प्रणालियों में असमान रूप से प्रभावित होती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे समयबद्ध तरीके से यह सत्यापित करें कि मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों आदि ने इस अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs), स्थानीय समितियों (LCs) व आंतरिक समितियों (ICs) का गठन किया है या नहीं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से निकायों को अपनी-अपनी समितियों का विवरण अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करने का आदेश दिया है।

भारतीय शहर एवं असुरक्षित पेयजल

संदर्भ

वर्तमान नीतियों में पेयजल तक सार्वभौमिक पहुँच को प्राथमिकता दी जा रही है। हालाँकि, संदिग्ध रूप से पाइप वाले दूषित जल के सेवन से कुछ लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इससे स्पष्ट है कि कवरेज के साथ-साथ व्यवस्था एवं स्वच्छता को बनाए रखना आवश्यक है।

प्रदूषित पेयजल की बढ़ती समस्या

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में दुनिया भर में संभावित रूप से कम-से-कम 1.7 बिलियन लोग मल से दूषित पेयजल स्रोत का उपयोग करते थे।
- सामान्य स्वच्छता एवं हाथ की स्वच्छता में कमी और असुरक्षित पेयजल के कारण होने वाले दस्त से दुनिया भर में अनुमानतः प्रतिवर्ष दस लाख लोगों की मौत हो जाती है।
- वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्पष्ट रूप से जल एवं स्वच्छता के मानव अधिकार को मान्यता दी थी।
  - इस दिशा में भू-जल के रासायनिक प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करना भी अपरिहार्य है।

भारत की स्थिति

- भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- जल शक्ति मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, 25 राज्यों के 230 ज़िलों के कुछ हिस्सों में भू-जल में आर्सेनिक और 27 राज्यों के 469 ज़िलों में फ्लोराइड पाया गया है।
- लंबे समय से पाइप से जलापूर्ति करने वाले शहरी केंद्रों में भी खतरनाक संदूषण से मुक्त पेयजल की गारंटी नहीं है।
  - यह चिंताजनक है कि भारत के शहरों में पानी का गंभीर संदूषण नियमित अंतराल के साथ जारी है।
- पिछले छह महीनों में बेंगलुरु, कोच्चि, नोएडा एवं विजयनगरम जैसे शहरों में ई. कोलीयुक्त पानी के सेवन के कारण बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी मामले सामने आए हैं।
- पेयजल संदूषण के कारण तेज़ी से शहर की ओर पलायन कर रहे लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की चुनौती सामने आती है जिससे पानी एवं जल निकासी के बुनियादी ढाँचे पर दबाव पड़ रहा है।

स्वच्छ पेयजल के लिए भारत सरकार के प्रयास

- जल राज्य सूची का विषय है, इसलिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति सहित जल संसाधनों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं कुशल प्रबंधन के लिए मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्य किए जाते हैं।
- जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, वित्तपोषण, क्रियान्वयन एवं रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों व प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।
  - हालाँकि, उनके प्रयासों को पूरक बनाने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से सतत् विकास व जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जल जीवन मिशन

- ग्रामीण जलापूर्ति के लिए राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (JJM) को राज्यों के साथ साझेदारी में अगस्त 2019 से लागू है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है।

जल शक्ति अभियान

- इसे वर्ष 2019 में देश के 256 जल संकटग्रस्त ज़िलों के 2,836 ब्लॉकों में से 1,592 ब्लॉकों में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य पाँच लक्ष्य हस्तक्षेपों के त्वरित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करके जल संरक्षण एवं जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना था। इन पाँच लक्ष्य हस्तक्षेपों में शामिल हैं–
  - जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन
  - पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों का जीर्णोद्धार
  - बोरवेलों का पुनः उपयोग एवं पुनर्भरण
  - वाटरशेड विकास
  - गहन वनीकरण

जल शक्ति अभियान : कैच द रेन अभियान

- जल शक्ति अभियान : कैच द रेन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च, 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर की थी।
- इस अभियान में पाँच केंद्रित हस्तक्षेप थे–
  - वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण
  - सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग एवं सूची बनाना तथा जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएँ तैयार करना
  - सभी ज़िलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना
  - गहन वनरोपण
  - जागरूकता प्रसार

नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) की भागीदारी

- राष्ट्रीय जल मिशन ने नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) और उसके युवा क्लबों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करके कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 623 ज़िलों के 31,150 गाँवों को कवर करने के लिए युवा कार्य विभाग के साथ समझौता किया है।
- NYKS ने रैलियों, जल चौपालों, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, नारा लेखन प्रतियोगिताओं, दीवार लेखन आदि जैसी अपनी कई गतिविधियों के माध्यम से अभियान में 23.86 लाख गतिविधियों में 2.90 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल किया है।
- जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर लोगों को जागरूक करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) को शामिल करके देश के युवाओं की शक्ति का उचित दोहन किया गया है।

जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना

- जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (BWUE) की स्थापना जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सिंचाई, औद्योगिक व घरेलू क्षेत्र में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने, विनियमन तथा नियंत्रण के लिए की गई है।
- यह ब्यूरो देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाता है।

अटल भू-जल योजना

- भारत सरकार 7 राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में अटल भू-जल योजना को लागू कर रही है।
- इसका उद्देश्य समुदाय द्वारा संचालित सतत् भू-जल प्रबंधन है। इस योजना की कुल लागत 6,000 करोड़ रुपए है और कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2020-2025 है।
- इस योजना के तहत समुदायों को संगठित किया जा रहा है और उन्हें प्रशिक्षण एवं जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अपने क्षेत्र में भू-जल की स्थिति के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
- इसके तहत जल बजट एवं जल सुरक्षा योजनाएँ (WSP) तैयार की जा रही हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं–
  - **आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेप :** चेक डैम, खेत तालाब, विभिन्न कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएँ आदि का निर्माण
  - **मांग पक्ष हस्तक्षेप :** सूक्ष्म सिंचाई, सिंचाई के लिए पाइप, फसल विविधीकरण आदि का उपयोग
- प्रस्तावित हस्तक्षेपों को संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से क्षेत्र में लागू किया जा रहा है।
- यह योजना पीने के साथ-साथ कृषि उद्देश्यों के लिए जल के स्रोत की स्थिरता का लक्ष्य रखते हुए जल जीवन मिशन की पूरक के रूप में कार्य करती है।

पंजाब के सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग

- भारत सरकार ने वर्ष 2016 के दौरान पंजाब और राजस्थान राज्यों के लिए सरहिंद फीडर एवं राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग/पुनरुद्धार को मंजूरी दी थी, ताकि सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में रिसाव व जल-जमाव की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- सिंचाई के अलावा सरहिंद एवं राजस्थान फीडर पंजाब व राजस्थान राज्यों के कुछ क्षेत्रों को पेयजल भी उपलब्ध कराता है। राजस्थान फीडर विशेष रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी उपलब्ध कराने के लिए है।

जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार

- इस योजना में जल निकायों की गाद निकालने, टैंक कमांड के जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार, जल निकायों की भंडारण क्षमता में वृद्धि, भू-जल पुनर्भरण, कृषि, बागवानी उत्पादकता में सुधार, पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास और पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि सहित चयनित टैंक प्रणालियों में व्यापक सुधार की परिकल्पना की गई है।
- वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हर खेत को पानी घटक का हिस्सा है।

स्नातक छात्रों के लिए नए नियम

संदर्भ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्नातक शिक्षा के लिए नए नियमों को मंजूरी प्रदान की है। यू.जी.सी. विनियमों के संग्रह के भाग के रूप में जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) दो अलग-अलग विकल्प प्रदान कर सकते हैं– त्वरित डिग्री कार्यक्रम और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम।

त्वरित डिग्री कार्यक्रम (ADP) और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम (EDP) के बारे में

- स्नातक छात्रों को ADP या EDP चुनने की अनुमति पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंत में ही होगी।
- ADP के तहत नामांकित छात्र उसी पाठ्यक्रम का पालन करेंगे और उन्हें तीन या चार वर्ष के UG प्रोग्राम के लिए आवश्यक क्रेडिट की समान संख्या अर्जित करनी होगी।
  - हालाँकि, वे ADP चुनने वाले सेमेस्टर से ही अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके अपना कार्यक्रम जल्दी पूरा कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षीय UG कार्यक्रम को मानक छह सेमेस्टरों के स्थान पर पाँच सेमेस्टरों में पूरा किया जा सकता है, जबकि चार वर्षीय UG कार्यक्रम को मानक आठ सेमेस्टरों के स्थान पर छह या सात सेमेस्टरों में पूरा किया जा सकता है।
- EDP चुनने वाले छात्रों को मानक कार्यक्रम की तुलना में प्रति सेमेस्टर कम क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें अपना कोर्स पूरा करने में अधिक समय लगेगा।
  - इनके कोर्स की अवधि अधिकतम दो सेमेस्टर तक बढ़ाई जा सकती है।

ADP एवं EDP नियमों को लागू करने के उद्देश्य

- राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क छात्रों को 'विविध शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं' को समायोजित करने के लिए त्वरित या विस्तारित कार्यक्रमों में UG पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति देता है।
- EDP उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके अपनी डिग्री तेज़ी से पूरी करने की अनुमति देता है और

उन्हें कार्यबल में प्रवेश करने या उच्च अध्ययन करने की अनुमति देता है।

- इसके विपरीत EDP उन छात्रों का समर्थन करता है जो शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करते हैं। यह उन्हें प्रबंधनीय तरीके से अपनी डिग्री पूरी करने के लिए विस्तारित समय सीमा प्रदान करते हैं।
- सभी शिक्षार्थियों के पास अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन सुनिश्चित करते हुए ये विकल्प समानता को बढ़ावा देते हैं।
- कमज़ोर शैक्षणिक प्रदर्शन वाले छात्रों को प्राय: अवधारणाओं को समझने एवं लागू करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है।
- EDP उन्हें प्रति सेमेस्टर कम क्रेडिट लेने में सक्षम बनाता है जिससे वे भारी कार्यभार के तनाव के बिना प्रत्येक पाठ्यक्रम पर गहन रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि EDP के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

क्रियान्वयन

- UGC द्वारा हाल ही में स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंत में ADP एवं EDP के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच करने के लिए एक समिति गठित करें और उसके अनुसार छात्रों का चयन करें।
- यह समिति पहले या दूसरे सेमेस्टर में उनके प्रदर्शन के आधार पर छात्र की 'क्रेडिट-पूरा करने की क्षमता' का मूल्यांकन करेगी।
    - एक संस्थान ADP छात्रों के लिए स्वीकृत प्रवेश का 10% तक निर्धारित कर सकता है।
- यह समिति UGC के स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढाँचे पर विचार करते हुए ADP एवं EDP के तहत प्रत्येक सेमेस्टर में एक छात्र को अर्जित करने वाले न्यूनतम क्रेडिट की संख्या भी तय करेगी।

उपासना स्थल अधिनियम

संदर्भ

- संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। संभल की जामा मस्जिद एक 'संरक्षित स्मारक' है जिसे 22 दिसंबर, 1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत अधिसूचित किया गया था।
- इसे राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक भी घोषित किया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट पर केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में इसका नाम शामिल है। इस संदर्भ में उपासना स्थल अधिनियम, 1991 चर्चा में है।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के बारे में

- उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के अनुसार, किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र (स्वरूप) वैसा ही बना रहना चाहिए, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था।
- यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य पूजा स्थल के कथित ऐतिहासिक 'रूपांतरण' से उत्पन्न सभी विवादों को समाप्त करना है।

उपासना स्थल अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- इस अधिनियम की धारा 3 किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को पूर्णत: या आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है या यहाँ तक कि उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य भाग के पूजा स्थल में भी परिवर्तित करने पर रोक लगाती है।
- धारा 4(1) के अनुसार, 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा, जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को था।
- धारा 4(2) में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
- यदि 15 अगस्त, 1947 के बाद तथा इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप बदला गया है और उससे संबंधित कोई वाद या अपील किसी न्यायालय में लंबित है, तो उसका निर्णय धारा 4(1) के अनुसार होगा।
- धारा 5 के अनुसार, इस अधिनियम की कोई धारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले से संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।
- धारा 6 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन करने पर अधिकतम 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।

यह अधिनियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होता है–

- यह अधिनियम ऐसे किसी पुरातात्विक स्थल पर लागू नहीं होता है, जो प्राचीन स्मारक व पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा संरक्षित है।
- यदि कोई वाद इस अधिनयम के लागू होने से पहले ही अंतिम रूप से निपटाया जा चुका है, तो ये अधिनियम उस वाद पर भी लागू नहीं होता है।
- यदि कोई विवाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सुलझाया जा चुका हो, तो उस पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होता है।

संबंधित कानूनी मुद्दे

- यद्यपि यह अधिनियम बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के आलोक में लाया गया था, किंतु इसे विशेष रूप से इसके दायरे से बाहर रखा गया था क्योंकि इस कानून के पारित होने के समय यह विवाद पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन था।
- मई 2022 में न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि यद्यपि वर्ष 1991 के कानून के तहत धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने पर रोक है किंतु, प्रक्रियात्मक साधन के रूप में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वस्तुत: इस अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता है।
    - इसका अर्थ यह है कि 15 अगस्त, 1947 को पूजा स्थल की प्रकृति की जाँच की अनुमति दी जा सकती है, भले ही बाद में उस प्रकृति को बदला न जा सके।
- मथुरा एवं ज्ञानवापी दोनों मामलों में मस्जिद पक्ष ने उपासना स्थल अधिनियम की इस व्याख्या को चुनौती दी है।
- सर्वोच्च न्यायालय को अभी इस प्रारंभिक मुद्दे पर अंतिम बहस सुननी है कि क्या वर्ष 1991 का अधिनियम ऐसी याचिका दायर करने पर भी रोक लगाता है या फिर केवल उपासना या पूजा की प्रकृति में अंतिम बदलाव करता है।
- इसी प्रकार, वर्तमान में संभल मस्जिद विवाद भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

भारत में जनगणना से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी। इसका अगला चरण वर्ष 2021 में शुरू होना था किंतु, कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। वर्तमान में नवीनतम जनगणना के डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू होगी और वर्ष 2026 में रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

जनगणना के बारे में

- **परिभाषा :** जनगणना को 'एक निर्दिष्ट समय पर किसी देश या देश के किसी सुस्पष्ट भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक एवं सामाजिक डाटा संकलित करने, मूल्यांकन करने, विश्लेषण करने व प्रकाशित करने की कुल प्रक्रिया' के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **उद्देश्य :** जनसंख्या के आकार, वितरण, संरचना एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के बारे में मानक जानकारी प्रदान करना।
    - यह जानकारी नीतियों व कार्यक्रमों की नियोजन, राष्ट्रीय व वैश्विक विकास एजेंडे के कार्यान्वयन की निगरानी और अनुसंधान के लिए आवश्यक होती है।
- **दशकीय आधार :** संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक देश को प्रत्येक दस वर्ष में जनगणना करानी चाहिए।

भारत में जनगणना का इतिहास

- भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन साहित्य 'ऋग्वेद' से पता चलता है कि 800-600 ईसा पूर्व के दौरान किसी तरह की जनसंख्या गणना की जाती थी।
- 321-296 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कराधान के उद्देश्य से राज्य की नीति के उपाय के रूप में जनगणना पर ज़ोर दिया गया था।
- मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान, प्रशासनिक रिपोर्ट 'आइन-ए-अकबरी' में जनसंख्या, उद्योग, धन व कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक डाटा शामिल था।
- ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1824 ई. में इलाहाबाद शहर में और 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनारस शहर में जनगणना की गई थी।
- किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ई. में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में की गई थी।
- ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1872 ई. में वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी।
- इसके बाद 1881 ई. की जनगणना 17 फरवरी, 1881 को भारत के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू. सी. प्लोडेन द्वारा की गई थी।
- स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में और अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में दर्ज की गई थी।
- वर्ष 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है और वर्ष 2025 में भारत की 16वीं जनगणना दर्ज की जाएगी।

जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य

- जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ, साक्षरता दर 74.04% और वर्ष 2001 से वर्ष 2011 तक जनसंख्या वृद्धि 17.64% थी।
- कुल 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 31.16% शहरी क्षेत्रों में रहती थी।
- उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी (लगभग 20 करोड़) वाला राज्य है, जबकि न्यूनतम आबादी वाला केंद्र-शासित प्रदेश लक्षद्वीप था जिसकी जनसंख्या 64,429 है।
- भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किमी.) है और गोवा सबसे छोटा राज्य (क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किमी.) है।

भारत में जनगणना प्रक्रिया

- भारत में जनगणना की योजना एवं अधिसूचना भारत सरकार द्वारा 'जनगणना अधिनियम, 1948' के प्रावधानों के तहत बनाई जाती है।
- संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, यह संघ का विषय है और संविधान की सातवीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है।
- भारत की जनगणना की संपूर्ण गतिविधियाँ गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के निर्देशों व मार्गदर्शन के तहत निष्पादित की जाती हैं।
- यह कार्य सभी राज्य सरकारों व केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रशासनिक समर्थन एवं सहयोग से किया जाता है।
- प्रत्येक राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश में जनगणना संचालन निदेशकों के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में जनगणना गतिविधियों के संचालन के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- ज़िला कलेक्टरों/नगर निगम आयुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है जो संबंधित ज़िलों/नगर निगमों में जनगणना के संचालन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।

जनगणना से संबंधित प्रमुख कानून

- जनगणना अधिनियम, 1948
- नागरिकता अधिनियम, 1955
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023

जनगणना 2025 से संबंधित मुद्दे

- जनगणना 2025 का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Indian Citizens : NRIC) स्थापित करना है।
- NRIC की स्थापना के प्रथम चरण में जनगणना प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register : NPR) को अद्यतन करना भी शामिल है।
- इस जनगणना के बाद जनगणना चक्र भी बदलने वाला है। वर्ष 2025 के बाद वर्ष 2035 और फिर वर्ष 2045, वर्ष 2055 में जनगणना होगी।
- जनगणना पूरी होने के बाद लोक सभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया वर्ष 2028 तक पूर्ण होने की उम्मीद है।
- सरकार ने अभी तक जाति जनगणना पर निर्णय नहीं लिया है जिसकी मांग कई विपक्षी दल कर रहे हैं।
- जनगणना में धर्म एवं वर्ग को ध्यान में रखा जाता है किंतु, इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय को मानते हैं।

NRIC के बारे में

- **क्या है :** NRIC से तात्पर्य सभी भारतीय नागरिकों की नागरिकता के सत्यापित दस्तावेज़/रजिस्टर से है।
- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य भारत के सभी कानूनी नागरिकों का दस्तावेज़ीकरण करना है, ताकि अवैध अप्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके।
- **अधिदेश :** नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा।
- **अनिवार्यता :** इसे नागरिकता अधिनियम, 1955 में वर्ष 2003 के संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया।
- **सुब्रह्मण्यम समिति :** वर्ष 1951 की जनगणना के बाद संकल्पित NRIC को कारगिल युद्ध (1999) के बाद गठित सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशों से अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ।
  - इस समिति की सिफारिशों में नागरिकों एवं गैर-नागरिकों दोनों को शामिल करने वाले एक मज़बूत डाटाबेस की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
  - इन सिफारिशों के कारण अंततः इस अधिनियम में धारा 14A को जोड़ा गया, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण को आवश्यक किया गया और उनकी नागरिकता की स्थिति को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने के लिए पहचान-पत्र जारी करने को अधिकृत किया गया।
  - तब से बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (MNIC) और मछुआरा पहचान-पत्र जैसी कई पायलट परियोजनाओं को अलग-अलग सफलता के साथ लागू किया गया है।

NRIC के लाभ

- सत्यापित नागरिक रजिस्ट्री बनाए रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना
- पहचान सत्यापन को सुव्यवस्थित करना
- पहचान में धोखाधड़ी एवं दोहराव को कम करना
- केवल पात्र लाभार्थियों तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए लक्षित कल्याण कार्यक्रमों को सक्षम करना

NPR का महत्त्व

NPR एक बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों को गैर-नागरिकों से अलग करता है जो सभी सामान्य निवासियों पर जनसांख्यिकीय व बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करता है।

प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण चरण

- सर्वप्रथम जनगणना में हाउसलिस्टिंग के दौरान जनसांख्यिकीय डाटा संकलित करके एक व्यापक डाटाबेस बनाया जाता है।

- इसके बाद डुप्लिकेट रिकॉर्ड को समाप्त करने के लिए बायोमेट्रिक डाटा एकत्र किया जाता है।
- फिर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक दावे एवं आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। इसके बाद सत्यापन व अपील प्रक्रिया होती है जिससे निवासियों को रिकॉर्ड को चुनौती देने की अनुमति मिलती है और सटीकता व प्रामाणिकता में वृद्धि होती है।

NRIC प्रक्रिया का अंतिम चरण

- NRIC को अंतिम रूप देने के लिए नागरिकता की स्थिति के बारे में विस्तृत पूछताछ की जाती है, जो नागरिकों को गैर-नागरिकों से अलग करती है।
- यह प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से पहचान-पत्र जारी करने के साथ समाप्त होती है।
- वर्ष 2011 की जनगणना में व्यक्तियों के बारे में विवरण एकत्र किए गए थे जिनमें नाम, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, पारिवारिक संबंध, निवास एवं सामाजिक-आर्थिक संकेतक शामिल थे।
- वर्ष 2025 की जनगणना में भी इसी तरह के पैटर्न का पालन करने की उम्मीद है। हालाँकि, बायोमेट्रिक डाटा संग्रह को संभवत: बाहर रखा जाएगा क्योंकि यह जानकारी पहले से ही आधार डाटाबेस में उपलब्ध है।

आधार एवं NRIC में अंतर

- आधार एवं NRIC अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
  - आधार पहचान सत्यापन पर केंद्रित है और इसे कोई भी निवासी रख सकता है, जबकि NRIC एक नागरिकता सत्यापन प्रणाली है जो नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य करती है।
- इस प्रकार, आधार मोटे तौर पर सभी निवासियों के लिए समावेशी है, जबकि NRIC नागरिकों के लिए एक निश्चित रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है।
  - **आधार :** आधार एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के निवासियों को नागरिकता की परवाह किए बिना जारी की जाती है।
    - यह मुख्यत: बायोमेट्रिक-आधारित पहचान सत्यापन उपकरण के रूप में कार्य करता है जो निवासियों को बैंकिंग, सब्सिडी एवं डिजिटल पहचान जैसी सेवाओं से जोड़ता है।

असम में NRC प्रक्रिया

- असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ वर्ष 2019 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट किया गया है।
- अवैध अप्रवासियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया ने सख्त दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं के कारण इसकी सटीकता और निष्पक्षता पर चिंताएँ पैदा कीं जिससे कई ग्रामीण एवं अल्प शिक्षित निवासी मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ हो गए।
- प्रस्तावित राष्ट्रीय NRIC के विपरीत असम का NRC असम समझौते द्वारा निर्देशित था, जिसने अद्वितीय शर्तें आरोपित की थीं।
- असम का अनुभव उन मानवीय व प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर करता है जो राष्ट्रव्यापी NRIC को लागू करने से उत्पन्न हो सकती हैं।

संबंधित चुनौतियाँ

- **गोपनीयता व डाटा सुरक्षा :** इस मामले में डाटा गोपनीयता व जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक जानकारी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ हैं। इसीलिए NRIC में मज़बूत डाटा सुरक्षा की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- **बहिष्करण की आशंका :** सीमित दस्तावेज़ों वाले समुदायों के लिए बहिष्करण की आशंकाओं को भी संबोधित किया जाना चाहिए।
- **प्रशासनिक चुनौतियाँ :** इतने वृहद् स्तर पर नागरिकता का सत्यापन महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौतियों का सामना भी करता है जो सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं एवं लक्षित जन-जागरूकता अभियानों के महत्त्व को रेखांकित करता है।

आगे की राह

अपने अधिकारों को समझकर, सटीक जानकारी प्रदान करके और चिंताओं को व्यक्त करके, नागरिक यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि NRIC समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी हो।

भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' कानून की आवश्यकता

संदर्भ

हाल ही में एक कंपनी के कर्मचारी की कथित तौर पर कार्य के दबाव के कारण मौत के बाद कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। ए.डी.पी. रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार, कार्यस्थल पर तनाव 49% भारतीय श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है जो कि भारतीय संदर्भ में भी 'राइट टू डिस्कनेक्ट' (Right To Disconnect) की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट

- 'राइट टू डिस्कनेक्ट' कार्यक्षेत्र में एक उभरता हुआ दृष्टिकोण है जो कर्मचारियों को उनके नियमित कार्य घंटों (कार्यावधि) के बाद कार्य से संबंधित संचार के साथ-साथ कार्यों से मुक्त रहने की अनुमति देता है। यह कार्यस्थल एवं घर के बीच की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
- इसमें कर्मचारियों को अपने सामान्य समय के अतिरिक्त कार्य-संबंधी संचार का उत्तर न देना, अपने व्यक्तिगत समय का अपने लिए प्रयोग करना, तनाव एवं थकावट को कम करना जैसे अधिकार शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लगभग 15% कामकाजी वयस्क चिंता, अवसाद एवं अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित हैं जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

अन्य देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट की स्थिति

- वर्ष 2017 में फ्राँस राइट टू डिस्कनेक्ट को लागू करने वाला पहला देश था। फ्राँस के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, किसी कर्मचारी पर कार्य संबंधी फाइलें और काम करने के उपकरण ले जाने की कोई बाध्यता नहीं है। साथ ही, कार्यावधि के बाद अपने फोन पर उपलब्ध न होने को कदाचार नहीं माना जा सकता है।
- पुर्तगाल में राइट टू डिस्कनेक्ट संबंधी कानून नियोक्ताओं के लिए आपात स्थिति को छोड़कर कार्यावधि के बाद कर्मचारियों से संपर्क करने को अवैध बनाता है।
- स्पेन में व्यक्तिगत डाटा संरक्षण और डिजिटल अधिकारों की गारंटी पर ऑर्गेनिक लॉ के अनुसार, कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिवाइस बंद करने का अधिकार होगा कि मानक कार्यावधि के बाद उनके अवकाश एवं उनकी व्यक्तिगत व पारिवारिक गोपनीयता का भी सम्मान किया जाए। इसका उद्देश्य एक बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना है।
- आयरलैंड ने भी कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट के अधिकार को मान्यता दी है।
- ऑस्ट्रेलिया ने 'राइट टू डिस्कनेक्ट' नामक एक नया विनियमन लागू किया है जो श्रमिकों को उनके नियमित कार्यावधि के बाद नौकरी से संबंधित संचार से अलग रहने की अनुमति देता है।

कार्य की बेहतर स्थिति के संदर्भ में भारत की स्थिति

- भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' को मान्यता देने वाले विशिष्ट कानून नहीं हैं। हालाँकि, वर्ष 2018 में भारत में भी राइट टू डिस्कनेक्ट नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यावधि के बाद कार्य से संबंधित कॉल एवं ईमेल का उत्तर न देने का अधिकार प्रदान करना था किंतु यह विधेयक पारित नहीं हो पाया।
- हालाँकि, भारत के संविधान में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत के प्रावधानों और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं ने अनुकूल व स्वस्थ वातावरण में काम करने के अधिकार की बात की है।
  - संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
  - अनुच्छेद 39(ई) राज्य को अपने श्रमिकों की शक्ति एवं स्वास्थ्य को सुरक्षित करने की दिशा में अपनी नीति-निर्देशित करने का निर्देश देता है।
  - विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस निर्णय ने कार्यस्थल पर सम्मान के अधिकार को मान्यता दी और यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए कि महिलाओं व लैंगिक समानता के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण हो।

भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की आवश्यकता और लाभ

- इनडीड के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय कार्यस्थलों में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' नीतियों को लागू करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लगभग 79% भारतीय नियोक्ता अब इस कदम का समर्थन करते हैं। साथ ही वे 'हमेशा काम पर' (Always on) रहने की संस्कृति के कारण बढ़ते तनाव के स्तर एवं कर्मचारियों की थकान को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया सहित लगभग 13 से अधिक यूरोपियन और लैटिन अमेरिकी देशों में इस प्रकार के कानून लागू हैं। भारत में भी एक बेहतर कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'राइट टू डिस्कनेक्ट' जैसे कानूनों की आवश्यकता है जिसके निम्नलिखित लाभ होंगे–
  - **बर्नआउट कम करना :** कर्मचारियों को उनके नियमित समय के अलावा कार्य-संबंधी संचार से अलग रहने की अनुमति से तनाव एवं थकान को कम करने में मदद मिलती है जो उसकी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए ही बेहतर है।
  - **उत्पादकता में वृद्धि :** विशेषज्ञों के अनुसार, जिन कर्मचारियों को आराम करने एवं ऊर्जा प्राप्त करने का समय मिलता है उनमें कार्य अवधि के दौरान अधिक ऊर्जावान व उत्पादक होने की संभावना होती है।
  - **बेहतर कार्य-जीवन संतुलन :** कर्मचारियों को अपने काम के अतिरिक्त बचे हुए समय में निजी जीवन के लिए पर्याप्त समय मिलता है जिससे वे अपने परिवार को भी समय दे पाते हैं जो एक बेहतर कार्य-जीवन संतुलन के लिए महत्त्वपूर्ण है।

- **मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य :** आमतौर पर जब कर्मचारी 'हमेशा काम पर' नहीं रहते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए निश्चिंतता के साथ आराम करने का समय मिलता है जिससे उनमें कार्य का दबाव और तनाव का स्तर कम होता है तथा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। साथी ही, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आदि का भी समय मिल पाता है।
- **कर्मचारी संतुष्टि एवं प्रतिधारण :** राइट टू डिस्कनेक्ट से कर्मचारियों में कंपनी के प्रति भी सकारात्मक संतुष्टि का भाव होता है। चूँकि, कंपनी द्वारा उनके निजी समय का सम्मान करने का प्रभाव उनके काम व कंपनी के लाभ पर भी होता है।
- **मानवीय मूल्यों का संरक्षण :** इससे मनुष्य को मशीन नहीं, बल्कि मनुष्य बने रहने में सहायता मिलती है क्योंकि इससे मनुष्य की आराम व संतुलन की आवश्यकता का सम्मान होता है।

राइट टू डिस्कनेक्ट के समक्ष चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ :** स्वास्थ्य सेवा या आपातकालीन सेवाओं जैसे कुछ क्षेत्रों में डिस्कनेक्ट के अधिकार को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अलग-अलग टाइम ज़ोन में काम करने वाली कंपनियों के लिए भी इस प्रकार के कानून चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
- **लचीलेपन में कमी की संभावना :** इस अधिकार के लागू होने के साथ कुछ कंपनियाँ अधिक कठोर नियम लागू कर सकती हैं जिससे कर्मचारियों में कार्य का दबाव भी अधिक हो सकता है। इसके अलावा, कर्मचारी अपने कार्यावधि के बाद मिलने वाले अवसरों से भी वंचित रह सकते हैं।
- **कानूनी एवं अनुपालन संबंधी मुद्दे :** इस प्रकार के कानून का नकारात्मक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर पड़ सकता है क्योंकि अलग-अलग देशों व क्षेत्रों में एकसमान कोड लागू करना मुश्किल होगा। इससे कर्मचारी नए कानून का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और समग्र उत्पादकता में कमी आ सकती है।
- **त्वरित निर्णय में बाधा :** भारत जैसे देश में यह कानून प्रौद्योगिकी एवं वित्त जैसे तीव्र गति वाले उद्योगों में संचालन को बाधित कर सकता है जहाँ त्वरित निर्णय लेना महत्त्वपूर्ण है।

अटल इनोवेशन मिशन 2.0

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन (AIM) को कार्य के बढ़े हुए दायरे और 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसे अटल इनोवेशन मिशन 2.0 कहा जा रहा है।

अटल इनोवेशन मिशन के बारे में

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM) नीति आयोग की प्रमुख पहल है। यह देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख प्रयास है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम एवं नीतियाँ विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच व सहयोग के अवसर प्रदान करना और देश के नवाचार तथा उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख के लिए एक छत्र संरचना बनाना है।

अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के बारे में

- ए.आई.एम. 2.0 को भारत के नवाचार एवं उद्यमिता के वातावरण को तीन तरीकों से मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है–
  - इनपुट बढ़ाकर (अर्थात् अधिक इनोवेटर्स एवं उद्यमियों को शामिल करके)
  - सफलता दर या 'थ्रूपुट' में सुधार करके (अर्थात् अधिक स्टार्टअप को सफल होने में मदद करके)
  - 'आउटपुट' की गुणवत्ता में सुधार करके (अर्थात् बेहतर नौकरियों, उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करके)

ए.आई.एम. 2.0 के प्रमुख स्तंभ

1. पारिस्थितिकी तंत्र में इनपुट को बढ़ावा देना

- **भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम (LIPI) :** यह पहल भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार को बढ़ावा देगी जिससे गैर-अंग्रेज़ी भाषी नवप्रवर्तकों, उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए बाधाएँ कम होंगी। इसके लिए मौजूदा इनक्यूबेटरों के भीतर 30 वर्नाक्यूलर इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- **फ्रंटियर कार्यक्रम :** इसे विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी ज़िलों जैसे क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2,500 नए अटल टिंकरिंग लैब (ATL) बनाए जाएंगे, जो इन वंचित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, जहाँ भारत की 15% आबादी रहती है।

2. स्टार्टअप्स के लिए थ्रूपुट बढ़ाना

- **मानव पूंजी विकास कार्यक्रम :** भारत के नवाचार एवं उद्यमिता परिदृश्य को समर्थन देने के लिए 5,500 पेशेवरों (प्रबंधक, प्रशिक्षक व शिक्षक) को प्रशिक्षित करने के लिए एक मज़बूत प्रणाली निर्माण किया जाएगा।
- **डीप टेक रिएक्टर :** शोध-आधारित डीप टेक स्टार्टअप के व्यावसायीकरण के तरीकों के परीक्षण के लिए डीप टेक रिएक्टर

एक शोध सैंडबॉक्स तैयार करेगा जिसे बाज़ार में आने के लिए काफी लंबे समय व गहन निवेश की ज़रूरत होती है। शुरुआत में न्यूनतम एक डीप टेक रिएक्टर को संचालित किया जाएगा।

- **राज्य नवाचार मिशन :** राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों को उनकी अद्वितीय शक्तियों के अनुरूप नवाचार पारितंत्र बनाने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन के हिस्से के रूप में काम करेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग :** ए.आई.एम. की वैश्विक पहुँच में निम्नलिखित पहल शामिल होंगी–
  - एक वार्षिक वैश्विक टिंकरिंग ओलंपियाड
  - उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ 10 द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारियाँ
  - ए.आई.एम. के मॉडलों को वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों तक विस्तारित करने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के साथ सहयोग करना
  - भारत के लिए जी-20 के स्टार्टअप-20 सहभागिता समूह की अध्यक्षता करना

3. आउटपुट गुणवत्ता को बढ़ाना

- **औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम :** उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं के साथ साझेदारी में इस कार्यक्रम का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 उद्योग त्वरक स्थापित करना है जो उन्नत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देगा।
- **अटल क्षेत्रीय नवाचार लॉन्चपैड (ASIL) :** आई.डी.ई.एक्स. (Innovations for Defence Excellence : iDEX) की सफलता से प्रेरित होकर ए.एस.आई.एल. केंद्रीय मंत्रालयों में 10 प्लेटफॉर्म बनाएगा जिससे प्रमुख उद्योगों में स्टार्टअप्स से निर्बाध एकीकरण और खरीद संभव हो सकेगी।

मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024

संदर्भ

वैश्विक स्तर पर भारत की समुद्री प्रतिस्पर्द्धा मज़बूत करने के साथ ही, शिपिंग उद्योग में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने एवं विभिन्न सुधारों के उद्देश्य से मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 (Merchant Shipping Bill, 2024) और तटीय नौवहन विधेयक, 2024 (Coastal Shipping Bill, 2024) प्रस्तावित किया गया है।

इन विधेयकों की आवश्यकता

- **विनियामक अंतराल की समस्या :** शिपिंग उद्योग से संबंधित मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 व तटीय जलयान अधिनियम, 1838 वर्तमान की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं जिसमें विभिन्न विनियामक अंतराल एवं निजी क्षेत्र की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए कानूनी ढाँचे का अभाव है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुमोदन में बाधा :** भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें अनुमोदन की आवश्यकता है। हालाँकि, मौजूदा अधिनियम में कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों को लागू करने के लिए सक्षम प्रावधानों का अभाव है।
- **नाविक कल्याण से संबंधित सीमित प्रावधान :** मौजूद अधिनियम नाविकों के कल्याण से संबंधित प्रावधानों को भारतीय ध्वज वाले (Indian-flagged Vessels) पोत तक ही सीमित करता है। हालाँकि, 85% भारतीय नाविक विदेशी ध्वज वाले पोत (Foreign-flagged Vessels) पर कार्यरत हैं।
- **लाइसेंस आवश्यकताओं को सीमित करना :** मौजूदा अधिनियम के कुछ लाइसेंस प्रावधान समुद्री प्रशासन के आधुनिकीकरण में बाधक हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है।
  - ऐसे में नए विधेयकों का उद्देश्य मौजूदा विनियामक ढाँचों का आधुनिकीकरण करना, कुछ लाइसेंस आवश्यकताओं को समाप्त करना और अनुपालन बोझ को कम करना तथा घरेलू जलमार्ग व्यापार को बढ़ावा देना शामिल हैं।
  - पुराने अधिनियम 'नियामक' से 'नियामक-सह-सुविधाकर्ता' में बदलने की आवश्यकता को रेखांकित करता है जिससे 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ावा दिया जा सके।

मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024

- यह विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की जगह लेगा। यह विधेयक भारत के समुद्री कानूनों को आधुनिक बनाने के साथ ही, उभरती चुनौतियों का समाधान करता है तथा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है।
- प्रस्तावित विधेयक मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों को समेकित करके अनावश्यक प्रक्रियाओं एवं नौकरशाही बाधाओं को कम करके एक सुव्यवस्थित व सुसंगत संरचना प्रस्तुत करता है।
- इस विधेयक में यू.के., नॉर्वे व सिंगापुर जैसे प्रमुख समुद्री अधिकार क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी शामिल किया गया है।

मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधान

- **पंजीकरण सुगमता (Ease of Registration) :** मौजूदा कानून 100% भारतीय स्वामित्व वाली संस्थाओं तक ही पोत पंजीकरण को सीमित करता है। प्रस्तावित विधेयक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव करता है।
  - यह भारतीय नागरिकों/संस्थाओं के लिए स्वामित्व सीमा को 100% से घटाकर 51% कर देता है जिससे अधिक लचीलापन संभव होता है।

- यह सीमित देयता भागीदारी (LLP), अनिवासी भारतीयों (NRIs) और भारत के विदेशी नागरिकों (OCIs) को भारतीय पोत का स्वामित्व व पंजीकरण करने की अनुमति देता है।
- इसके अलावा इस विधेयक में पोत रीसाइक्लिंग उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए ध्वस्त किए जाने वाले पोत के अस्थायी पंजीकरण के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

- **पोत की परिभाषा में विस्तार (Expansion in the Definition of Ships) :** मौजूदा अधिनियम केवल एक निश्चित आकार से बड़े यंत्रीकृत पोत (इंजनयुक्त पोत) को नियंत्रित करता है तथा छोटे यंत्रीकृत पोतों और सभी गैर-यंत्रीकृत पोतों को इसके दायरे से बाहर रखता है। यह विनियामक अंतराल कई पोतों को पर्याप्त निगरानी के बिना संचालन की अनुमति देता है जो परिचालन एवं सुरक्षा जोखिमों की चिंताओं को उजागर करता है।
  - प्रस्ताविक विधेयक में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए 'पोत' की परिभाषा का विस्तार करते हुए निम्नलिखित को शामिल किया गया है–
    - सबमर्सिबल (Submersibles), सेमी-सबमर्सिबल (Semi-submersibles), हाइड्रोफॉइल (Hydrofoils), नॉन-डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट (Non-displacement Crafts), एम्फिबियस क्राफ्ट (Amphibious Crafts), विंग-इन-ग्राउंड क्राफ्ट (Wing-in-ground Crafts), प्लेज़र क्राफ्ट (Pleasure Crafts), बार्ज (Barges), लाइटर (Lighters), मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट (Mobile Offshore Drilling Units) और मोबाइल ऑफशोर यूनिट (Mobile Offshore Units) आदि।

- **नाविकों से संबंधित प्रावधान :** विगत 7-8 वर्षों में विदेशी ध्वज वाले पोत पर कार्यरत भारतीय नाविकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2015-16 में 1,16,000 से बढ़कर वर्तमान में 2,85,000 हो गया है जिनमें से लगभग 85% नाविक विदेशी ध्वज वाले पोत पर सेवारत हैं। मौजूदा अधिनियम में विदेशी ध्वज वाले पोतों पर काम करने वाले इस कार्यबल के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए प्रावधान नहीं हैं।
  - प्रस्तावित विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी उपायों के दायरे को बढ़ाकर विदेशी ध्वज वाले पोत पर काम करने वाले भारतीय नाविकों को भी शामिल किया गया है।
  - इसके अलावा, यह समुद्री श्रम अभिसमय में उल्लिखित सुरक्षा एवं लाभों को सभी भारतीय नाविकों तक विस्तारित करता है जिससे वैश्विक समुद्री उद्योग में योगदान देने वालों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियाँ, सुरक्षा मानक व सहायता प्रणाली सुनिश्चित होती है।

- **समुद्री प्रशिक्षण से संबंधित प्रावधान :** संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 25 के तहत संघ सरकार व्यापारिक नौसैनिकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा राज्यों व अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण के विनियमन के लिए ज़िम्मेदार है। पहले समुद्री प्रशिक्षण मुख्यत: सरकार द्वारा संचालित संस्थानों द्वारा ही प्रायोजित किया जाता था।
- हालाँकि, आर्थिक उदारीकरण के बाद समुद्री प्रशिक्षण को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। वर्तमान में देश भर में 160 से अधिक निजी समुद्री प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं और उनकी गतिविधियाँ किसी कानूनी ढाँचे के बजाय केवल नियमों, सरकारी आदेशों एवं अधिसूचनाओं द्वारा संचालित होती हैं।
  - प्रस्तावित विधेयक संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप समुद्री प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान प्रस्तुत करके इस विनियामक अंतराल को दूर करने का प्रयास करता है जो अवैध समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों एवं संबंधित धोखाधड़ी प्रथाओं को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण होगा।

तटीय नौवहन विधेयक, 2024

तटीय नौवहन से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जैसे– लाइसेंसिंग, भारतीय तट एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) पर परिचालन के लिए अनुमति, संघ व राज्यों को शामिल करते हुए तटीय योजना का निर्माण तथा अंतर्देशीय व तटीय नौवहन का एकीकरण सहित विभिन्न पहलुओं को तटीय नौवहन विधेयक, 2024 में शामिल किया गया है।

तटीय नौवहन विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- सरकार ने पोतों के तकनीकी विनियमन एवं भारतीय तटीय जल के वाणिज्यिक उपयोग के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है।
- विधेयक तटीय जहाज़ों के लिए समर्पित बर्थ एवं तटीय कार्गो आवागमन के लिए बेहतर अंतर्देशीय संपर्क जैसी पहलों के माध्यम से तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने पर ज़ोर देता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत तटीय व्यापार का अर्थ भारत में एक स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान तक माल एवं यात्रियों का परिवहन है।
  - प्रस्तावित विधेयक इस परिभाषा का विस्तार करते हुए सेवाओं के प्रावधान को भी शामिल करता है जिसमें अन्वेषण, अनुसंधान एवं मत्स्यन को छोड़कर अन्य सभी वाणिज्यिक गतिविधियों को शामिल किया गया है।
- विधेयक में केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के लागू होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय तटीय एवं अंतर्देशीय नौवहन रणनीतिक योजना तैयार करे।

भारत में मलेरिया की स्थिति

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2024 जारी की है।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक स्थिति

- वर्ष 2023 में दुनिया भर में मलेरिया के 263 मिलियन मामले और इससे 597,000 मौतें होने का अनुमान है।
- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 में मलेरिया से प्रभावित 83 देशों में से 29 देश वैश्विक मलेरिया के लगभग 95% मामलों और मलेरिया से होने वाली 96% मौतों के लिए ज़िम्मेदार थे।
    - नाइजीरिया (25.9%), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, इथियोपिया और मोज़ांबिक दुनिया भर में मलेरिया के आधे से अधिक मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं।
    - वैश्विक स्तर पर मलेरिया से होने वाली मौतों में से आधे से अधिक मौतें 4 देशों में होती हैं : नाइजीरिया (30.9%), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजर और तंज़ानिया।
    - वर्ष 2022-2023 की अवधि में 4 देशों ने अपने मलेरिया के मामलों में कमी लाने में सफलता प्राप्त की है : बांग्लादेश (–9.2%), भारत (–9.6%), इंडोनेशिया (–5.7%) और नेपाल (–58.3%)
    - 3 देशों में मामलों में वृद्धि देखी गई है : दक्षिण कोरिया (+47.9%), थाईलैंड (+46.4%) और म्याँमार (+45.1%)

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र

- दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र से वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों का लगभग 1.5% हिस्सा है और इस क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतों में 82.9% की कमी आई है, जो वर्ष 2000 में 35,000 से घटकर वर्ष 2023 में 6,000 हो गई है।
- भारत और इंडोनेशिया दोनों मिलकर इस क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतों के लगभग 88% के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के मामले वर्ष 2000 में 22.8 मिलियन से घटकर वर्ष 2023 में 4 मिलियन (–82.4%) हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

Estimated Number of Malaria Cases in South-East Asia Region, 2023

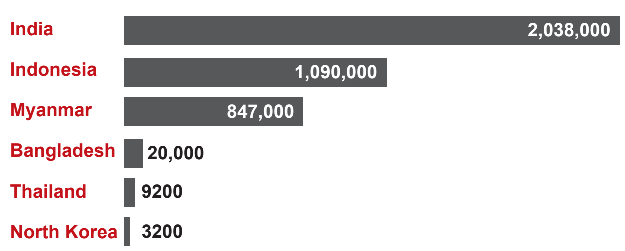

Source: WHO World Malaria Report 2024

भारत की स्थिति

- भारत वर्ष 2024 में आधिकारिक तौर पर हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (HBHI) समूह से बाहर हो जाएगा।
- वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के बीच भारत ने मलेरिया के मामलों में 9.6% की गिरावट दर्ज की।
- भारत ने वर्ष 2000 से 2023 के बीच मलेरिया के मामले की घटनाओं में 87% की कमी हासिल की है और इससे जोखिमग्रस्त जनसंख्या की स्थिति प्रति 1,000 पर 17.7 से घटकर 2.3 रह गई।

44 देश मलेरियामुक्त घोषित

- नवंबर 2024 तक 44 देशों को WHO ने मलेरियामुक्त प्रमाणित किया है और कई अन्य देश इस लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
    - जिन देशों में लगातार कम-से-कम 3 वर्षों तक मलेरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आता है, वे मलेरियामुक्त स्थिति के लिए WHO के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन के पात्र होते हैं।
- मलेरिया से प्रभावित 83 देशों में से 25 देशों में अब वार्षिक स्तर पर मलेरिया के 10 से कम मामले सामने आते हैं, जो वर्ष 2000 में 4 देशों से अधिक है।

मलेरिया में कमी लाने के प्रयास

- वर्ष 2016 में भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए '2016-2030 राष्ट्रीय रूपरेखा' को अपनाया।
    - यह रूपरेखा भारत सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा वर्ष 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने के लिए वर्ष 2014 में की गई क्षेत्रीय प्रतिज्ञा के अनुरूप थी।
- भारत की प्रगति का श्रेय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं को जाता है, जो दूरदराज़ की आबादी तक पहुँचने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
    - सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि महिला मरीज़ स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने के लिए सामाजिक बाधाओं को पार कर सकें।
- कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी और इनडोर अवशिष्ट छिड़काव (IRS) मलेरिया की रोकथाम में महत्त्वपूर्ण उपकरण रहे हैं।
- वर्ष 2023 में भारत ने मलेरिया के मामलों को कम करने के लिए 1.1 मिलियन से अधिक कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी वितरित किए।
- वर्ष 2018 में शुरू की गई WHO की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (HBHI) पहल ने वर्ष 2024 तक भारत में मलेरिया नियंत्रण का समर्थन किया।

मलेरिया की रोकथाम के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- वित्तपोषण की कमी
- जैविक खतरें
- एनोफेलीज़ स्टेफेंसी प्रजाति की रोकथाम
- वैश्विक संघर्ष
- संवेदनशील वर्ग के लिए खतरा

मलेरिया की रोकथाम के लिए सुझाव

- निवेश की आवश्यकता
- मलेरिया-रोधी नवाचार की आवश्यकता
- वैक्सीन विकास

इसे भी जानिए!

मलेरिया के बारे में

- मलेरिया प्लास्मोडियम (एक प्रकार का प्रोटोज़ोआ) से होने वाली बीमारी है जो मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलती है।
  - यह बीमारी ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है।
  - इसका रोकथाम एवं उपचार संभव है।
  - यह व्यक्ति-से-व्यक्ति में नहीं फैलता है।

लक्षण

- हल्के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना एवं सिरदर्द शामिल हैं।
- गंभीर लक्षणों में थकान, भ्रम, दौरे एवं साँस लेने में कठिनाई शामिल हैं।

संवेदनशील वर्ग

- शिशुओं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व लड़कियों, यात्रियों तथा एच.आई.वी. या एड्स से पीड़ित लोगों को गंभीर संक्रमण का अधिक खतरा होता है।

प्लास्मोडियम की प्रजातियाँ

- प्लास्मोडियम परजीवी की 5 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं–
  - पी. फाल्सीपेरम (P. falciparum) सबसे घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीकी महाद्वीप इससे सर्वाधिक प्रभावित है।
  - पी. विवैक्स (P. vivax) उप-सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में प्रमुख मलेरिया परजीवी है।
  - मनुष्यों को संक्रमित कर सकने वाली अन्य 3 मलेरिया प्रजातियाँ हैं– पी. मलेरिया (P-malariae), पी. ओवेल (P-ovale) और पी. नोलेसी (P-knowlesi)।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था

संदर्भ

17 दिसंबर, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड एवं मिज़ोरम राज्यों के लिए संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (Protected Area Regime : PAR) को फिर से लागू कर दिया है।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था से तात्पर्य

- भारत में पी.ए.आर. उन विनियमों व नीतियों के समूह को संदर्भित करती है जो देश के कुछ संवेदनशील या रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करती हैं।
- इन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है और इनमें प्रवेश करने तथा रहने के लिए विदेशी नागरिकों को विशेष परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना और संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत विदेशी प्रभाव को रोकना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में विदेशियों की आवाजाही को नियंत्रित करना, जहाँ भू-राजनीतिक कारकों या आंतरिक गड़बड़ियों के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हैं।

विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958

विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 भारत के संरक्षित क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश एवं ठहरने को नियंत्रित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति केंद्र सरकार या किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी परमिट के बिना संरक्षित क्षेत्र में न ही प्रवेश कर सकता और न ही ठहर सकता है।

निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र

- संरक्षित क्षेत्रों में राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों के वे हिस्से शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, जातीय तनावों या सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निकटता के कारण संवेदनशील माना जाता है।
- इस आदेश के तहत संरक्षित क्षेत्रों में मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल राज्य का संपूर्ण क्षेत्र के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान व उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र शामिल हैं।
- विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 इन प्रावधानों को पूरे अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा सिक्किम (आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्र और आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में) तक विस्तारित करता है।

पी.ए.आर. को संरक्षित क्षेत्रों, जहाँ कड़े नियंत्रण लागू होते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्रों जहाँ विदेशियों पर अधिक विशिष्ट प्रतिबंध होते हैं, में विभाजित किया जा सकता है।

पी.ए.आर. में छूट के कारण

- दिसंबर 2010 को मणिपुर, मिज़ोरम एवं नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था में निम्नलिखित कारणों से ढील दी गई थी–
  - सुरक्षा स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए और
  - राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने का एक प्रयास के रूप में
- यह छूट शुरू में एक वर्ष के लिए दी गई थी किंतु, इसे दिसंबर 2022 तक कई बार बढ़ाया गया। वर्ष 2022 में इसे पाँच अन्य वर्षों के लिए 31 दिसंबर, 2027 तक बढ़ा दिया गया था।

छूट वापस लेने का कारण

- **सुरक्षा चिंताएँ :** गृह मंत्रालय ने इन राज्यों, विशेषकर मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण छूट वापस लेने का निर्णय लिया है।
  - मई 2023 से मणिपुर में आदिवासी कुकी-जो और मैतेई समुदायों के बीच काफी जातीय हिंसा हुई है।
- **बढ़ता प्रवास :** फरवरी 2021 में म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के बाद 40,000 से अधिक शरणार्थी मिज़ोरम भाग गए और लगभग 4,000 शरणार्थी मणिपुर में प्रवेश कर गए।
  - ये शरणार्थी मुख्यत: कुकी-चिन-जो जातीय समूह से संबंधित हैं, जो मणिपुर और मिज़ोरम दोनों में स्थानीय आबादी के साथ सांस्कृतिक व जातीय संबंध साझा करते हैं।
- **सीमापार आवागमन :** यह क्षेत्र म्याँमार के साथ 1,643 किमी. लंबी सीमा साझा करता है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिज़ोरम से होकर गुज़रती है।
  - फलत: यह क्षेत्र सीमापार प्रवास के लिए संवेदनशील हो गया है।

विदेशियों के लिए नई पंजीकरण

- विदेशी व्यक्तियों को जिस राज्य या ज़िले में वे जा रहे हैं, वहाँ पहुँचने के 24 घंटे के भीतर विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- अब से पूर्व में म्याँमार के नागरिकों को संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) आवश्यकता से छूट दी गई थी, यदि उनके पास ई-पर्यटक वीज़ा या कोई अन्य वीज़ा था। किंतु, वर्तमान में उन्हें भी पंजीकरण की आवश्यकता है।
- ध्यातव्य है कि फ्री मूवमेंट व्यवस्था (FMR) को जनवरी 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया था। यह व्यवस्था भारत-म्याँमार सीमा के 16 किमी. के भीतर रहने वाले लोगों को दोनों देशों के बीच स्वतंत्र रूप से आवाजाही की अनुमति देती थी।

विदेशी नागरिक विभिन्न माध्यमों से पी.ए.पी. के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे–

- विदेश स्थित भारतीय मिशन
- गृह मंत्रालय
- ज़िला मजिस्ट्रेट
- राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नर
- गृह आयुक्त

पी.ए.पी. में शामिल आवश्यक मुख्य विवरण

- प्रवेश का स्थान
- निवास की जगह
- ठहरने की अवधि

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024

संदर्भ

लोक सभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 (The Railways (Amendment) Bill) पारित कर दिया गया है।

भारत में रेलवे बोर्ड का विकास

- भारत के रेलवे नेटवर्क का निर्माण स्वतंत्रता से पहले लोक निर्माण विभाग की एक शाखा के रूप में प्रारंभ हुआ था। इस नेटवर्क का विस्तार होने के साथ विभिन्न रेलवे इकाइयों के समुचित संचालन के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 लागू किया गया।
- बाद में रेलवे संगठन को लोक निर्माण विभाग से पृथक करके भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को अधिनियमित किया गया, ताकि रेलवे बोर्ड को भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के तहत कुछ शक्तियाँ या कार्य प्रदान किए जा सकें।
- यद्यपि वर्ष 1989 में रेलवे अधिनियम लागू होने के बाद 1890 का अधिनियम निरस्त कर दिया गया किंतु, रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 अस्तित्व में बना रहा तथा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति इसी कानून के तहत होती रही।

रेलवे (संशोधन) विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करना तथा इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में एकीकृत करके कानून को सरल बनाना है। इस संशोधन से दो कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

- यह विधेयक रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 में संशोधन करता है और रेलवे बोर्ड से संबंधित एक नया अध्याय 1ए जोड़ने का प्रावधान करता है। यह रेलवे बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान करता है।
    - संशोधित विधेयक में जोड़े गए प्रावधान केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना, सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्तें, उनकी योग्यताएँ और अनुभव आदि तय करने का अधिकार देते हैं।
- इसके अनुसार, केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत रेलवे बोर्ड को सभी या किसी रेलवे के संबंध में केंद्रीय सरकार की सभी या कोई भी शक्ति अथवा कार्य सौंप सकता है।
- साथ ही, 1905 के अधिनियम के तहत नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य भी इस अधिनियम के तहत नियुक्त माने जाएंगे। रेलवे बोर्ड पहले से ही अस्तित्त्व में है और इस विधेयक में किसी नए बोर्ड या निकाय के गठन का प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे (संशोधन) विधेयक के लाभ

- इस विधेयक में परिचालन दक्षता में सुधार और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं जिससे रेलवे ज़ोन को अधिक स्वायत्तता मिलेगी।
- यह विधेयक से रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य को भी पूरा करता है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे नेटवर्क का कुशल विकास हो सकेगा।

विधेयक से संबंधित आलोचनाएँ

- विशेषज्ञों के अनुसार, यह विधेयक रेलवे से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जैसे- सुरक्षा, रिक्ति, क्षेत्रीय तथा मंडल स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण को संबोधित करने में विफल रहा है।
- कुछ सांसदों ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि केंद्र में बोर्ड से संबंधित विभिन्न शक्तियों को शामिल करने से यह कानून रेलवे बोर्ड के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित करेगा।
- इसमें भारतीय रेलवे को परिचालन में देरी, दुर्घटना व सुरक्षा पहल, नौकरशाही की अकुशलता, धीमी तकनीकी प्रगति व पी.पी.ए. मॉडल एवं निवेश की जटिलता और ज़ोन को शक्तियों में छूट से संबंधित चुनौतियों का सामना करने को लेकर प्रश्नचिह्न है।

संबंधित सुझाव

- रेलवे बोर्ड को एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाना चाहिए, जिसे निर्णय लेने का अधिकार हो तथा इसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए।
- रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों व महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।

क्या आप जानते हैं

वर्ष 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना से पहले सर थॉमस रॉबर्टसन ने एक समिति गठित की थी, जिसके बाद बोर्ड की स्थापना की गई।

अधिसूचित बीमारी

संदर्भ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से साँप के काटने (Snake Bite) को अधिसूचित रोग बनाने का आग्रह किया है।

किस प्रकार की बीमारियों को अधिसूचना योग्य माना जाता है?

- अधिसूचना योग्य या अधिसूचित रोग, ऐसे रोग होते हैं जिसके बारे में निजी और सार्वजनिक दोनों अस्पतालों द्वारा सरकार को सूचित करना कानूनी रूप से आवश्यक है।
- आमतौर पर, जिन संक्रमणों से प्रकोप फैलने की संभावना होती है, जिनसे मृत्यु हो सकती है तथा जिनके लिए उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने के लिए शीघ्र जाँच की आवश्यकता होती है, उन्हें अधिसूचित रोग घोषित किया जाता है।
- यद्यपि अधिसूचना योग्य रोगों की सूची राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है। अधिसूचना जारी करने का काम राज्य सरकारें करती हैं किंतु, अधिकांश राज्य तपेदिक, एच.आई.वी., हैज़ा, मलेरिया, डेंगू व हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों को अधिसूचना योग्य मानते हैं।

सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की आवश्यकता

- वर्ष 2020 इंडियन मिलियन डेथ स्टडी के अनुसार, प्रतिवर्ष साँप के काटने के लगभग तीन से चार मिलियन मामले सामने आते हैं और अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष इसके कारण 58,000 लोगों की मौत होती है। यह स्टडी भारत में अकाल मौत के कारणों की जाँच करने वाला एक बड़ा अध्ययन है।
- सर्पदंश की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श से 'वर्ष 2030 तक भारत में सर्पदंश से होने वाले विष के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSE)' शुरू की है।
    - इस कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा करना है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-बांग्लादेश संबंध

संदर्भ

- अगस्त 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सार्वजनिक विद्रोह के बाद बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भारत-बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंध कुछ कमज़ोर हो गए हैं।
- इस घटना के बाद भारत विरोधी भावनाओं और बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर विरोध एवं प्रतिक्रियात्मक विरोध के बाद दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ गया है।
- दिसंबर 2024 में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बांग्लादेश की यात्रा की और दोनों देशों के बीच संबंधों पर छाए बादलों को हटाने का आह्वान किया।
- इस दौरान मिसरी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की और हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों एवं राजनयिक घटनाओं सहित हाल के तनावों पर चर्चा की।

भारत-बांग्लादेश संबंध की पृष्ठभूमि

- भारत एवं बांग्लादेश अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत व ऐतिहासिक घटनाओं के कारण एक जैविक बंधन साझा करते हैं।
  - इसमें वर्ष 1947 में भारत विभाजन के दौरान हुए नुकसान और बड़े पैमाने पर परिवारों का अलग होना भी शामिल है।
- भारत ने वर्ष 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान स्वतंत्र बांग्लादेश के उदय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मुक्ति संग्राम के दौरान अनुमानित दस मिलियन शरणार्थियों को शरण दी थी।
  - बांग्लादेश मुक्ति दिवस '16 दिसंबर' को भारत में 'विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- बांग्लादेश को एक अलग राज्य (राष्ट्र) के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भारत था।

भारत के लिए बांग्लादेश का महत्त्व

भू-राजनीतिक

- भारत-बांग्लादेश के बीच 4,096 किमी. लंबी सीमा दुनिया में पाँचवीं सबसे लंबी सीमा है। सीमा सुरक्षा के लिए दोनों देशों के मध्य सहयोग आवश्यक है।
  - यह सीमा बांग्लादेश के छह संभागों और भारतीय राज्यों, असम, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय व त्रिपुरा को अलग करती है।
- यह भारत की सुरक्षा एवं विदेश नीति के लिए महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भारत को चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश से सहयोग की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, कुछ एन्क्लेव हैं जो एक-दूसरे देश के विदेशी क्षेत्र में स्थित भूमि के हिस्से हैं।
  - वर्ष 2015 में भारत और बांग्लादेश ने 162 एन्क्लेव का आदान-प्रदान किया था जिससे स्थलीय सीमा सुगम हो गई और एन्क्लेव निवासियों को नागरिकता का विकल्प प्रदान किया गया।
- बांग्लादेश दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के चौराहे पर स्थित है। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना है।

आर्थिक

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत-बांग्लादेश के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

सांस्कृतिक

भारत एवं बांग्लादेश का इतिहास, संस्कृति व विरासत साझा है। दोनों देशों के लोग सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों से मज़बूती से जुड़े हुए हैं और बांग्लादेश में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

बांग्लादेश और भारत सीमापार की नदियों एवं पारितंत्रों को साझा करते हैं जिससे दोनों देशों के लिए जल प्रबंधन व बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दों पर सहयोग करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, सुंदरबन के संरक्षण के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत एवं बांग्लादेश के बीच सहयोग के क्षेत्र

सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन

- पुलिस मामलों, भ्रष्टाचार-रोधी गतिविधियों और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, मानव तस्करी आदि मुद्दों से निपटने के लिए दोनों देशों की विभिन्न एजेंसियों के बीच सक्रिय सहयोग है।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण और सहकारी प्रबंधन तंत्र सक्रिय रूप से सीमा पर बाड़ लगाने, सीमा स्तंभों के संयुक्त निरीक्षण, नदी की सीमाओं सहित सीमा के संयुक्त सीमांकन आदि पर केंद्रित हैं।

रक्षा सहयोग

इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय आदान-प्रदान में भारत-बांग्लादेश कॉर्पेट 'बंगोसागर' अभ्यास, तटरक्षकों की क्षेत्रीय कमांडरों की बैठक और वार्षिक रक्षा संवाद शामिल हैं।

कनेक्टिविटी

रेल कनेक्टिविटी

- जन-केंद्रित भागीदारी और बेहतर कनेक्टिविटी के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत एवं बांग्लादेश के बीच वर्ष 1965 से पहले के 6 रेल संपर्कों का पुनरुद्धार हुआ है। नवंबर 2023 को भारत के अगरतला स्टेशन और बांग्लादेश के अखौरा के बीच छठें सीमापार रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया।
    - यह रेल संपर्क भारत के उत्तर-पूर्व को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा।
- भारत एवं बांग्लादेश के बीच चालू किए गए अन्य पाँच रेल संपर्क हैं–
    - हल्दीबाड़ी (भारत)-चिलाहाटी (बांग्लादेश) रेल संपर्क
    - पेट्रापोल (भारत)-बेनापोल (बांग्लादेश)
    - गेडे (भारत)-दर्शना (बांग्लादेश)
    - सिंहाबाद (भारत)-रोहनपुर (बांग्लादेश)
    - राधिकापुर (भारत)-बिरोल (बांग्लादेश)
- वर्तमान में दोनों देशों के बीच 3 रेलवे ट्रेनें संचालित हो रही हैं–
    - मैत्री एक्सप्रेस (2008 से कोलकाता एवं ढाका को जोड़ती है)
    - बंधन एक्सप्रेस (2017 से कोलकाता एवं खुलना को जोड़ती है)
    - मिताली एक्सप्रेस (जून 2022 से न्यू जलपाईगुड़ी एवं ढाका के बीच)

सड़क एवं अंतर्देशीय जल संपर्क

- वर्तमान में भारत एवं बांग्लादेश के बीच कोलकाता, अगरतला व गुवाहाटी शहरों को ढाका और आगे खुलना तक जोड़ने वाली पाँच बस सेवा मार्ग संचालित हैं।
- भारत व बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार एवं पारगमन (PIWTT) प्रोटोकॉल वर्ष 1972 से ही संचालित है।
    - इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार एवं पारगमन को सुविधाजनक बनाना है।
- PIWTT मार्गों के उपयोग के माध्यम से दोनों देशों के बीच क्रूज़ सेवाएँ भी संचालित की गई हैं। यह अंतर्देशीय व्यापार के लिए माल की आवाजाही के साथ-साथ भारत एवं बांग्लादेश की नदी प्रणालियों के माध्यम से बजरों/जहाज़ों पर पारगमन की अनुमति देता है।

बंदरगाह कनेक्टिविटी

दोनों देशों ने वर्ष 2023 में चटगाँव एवं मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौते को लागू किया है। इससे भारत को पूर्वोत्तर और मुख्य भूमि भारत के बीच पारगमन कार्गो के लिए बांग्लादेश में इन बंदरगाहों की सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा मिलेगी जिससे परिवहन लागत एवं समय लागत में कमी आएगी।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक

- भारत, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और पिछले दशक में भारत-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है।
- बांग्लादेश का निर्यात पिछले दशक की तुलना में तीन गुना बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1 बिलियन डॉलर को पार कर गया है और वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश ने भारत को 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया।
- प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मार्च 2021 में भारत-बांग्लादेश स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन किया। बांग्लादेश का पहला स्टार्टअप प्रतिनिधिमंडल मई 2023 में भारत आया।

शक्ति एवं ऊर्जा

- वर्तमान में बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट बिजली आयात कर रहा है।
- बिजली पर संयुक्त कार्य समूह संयुक्त संचालन समिति बिजली के सीमापार व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है।
- बांग्लादेश ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करने के लिए मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट को चालू कर दिया गया है।
- मार्च 2023 में भारत से बांग्लादेश में हाईस्पीड डीज़ल की ढुलाई के लिए दोनों देशों के बीच भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था।
- इसके अलावा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2023 में G2G आपूर्तिकर्ता के रूप में भी पंजीकृत किया गया है और यह बांग्लादेश को POL (पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक) उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है।

विकास साझेदारी

अवसंरचना विकास

भारत ने पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश को विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 3 ऋण (LOC) प्रदान किए हैं। भारत ने बांग्लादेश में छात्रावासों, शैक्षणिक भवनों, कौशल विकास व प्रशिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों एवं अनाथालयों आदि के निर्माण सहित 77 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (HICDP) को वित्तपोषित किया है।

अनुदान

भारत सरकार बांग्लादेश को विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान कर रही है जिसमें अखौरा-अगरतला रेल लिंक का निर्माण, बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण शामिल है। भारत ने बांग्लादेशी छात्रों के लिए 1000 'सुबोर्नो जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है।

प्रशिक्षण

भारत सरकार बांग्लादेश के सिविल सेवा अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायाधीशों, पेशेवरों व अन्य को भारत के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित करती है।

सांस्कृतिक सहयोग

- ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक संबंधों की मज़बूती में महत्त्वपूर्ण हैं।
- योग, कथक, मणिपुरी नृत्य, हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और भारत व बांग्लादेश के प्रसिद्ध कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यक्ति-से-व्यक्ति के बीच संपर्क को बढ़ावा देने में सहायक हैं।
- फरवरी 2024 में 100 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की।
- भारतीय उच्चायोग पिछले 51 वर्षों (अप्रैल 1973) से बंगाली साहित्यिक मासिक पत्रिका 'भारत विचित्र' को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों संस्करणों में प्रकाशित कर रहा है।
    - इस पत्रिका को बांग्लादेश में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है और समाज के विभिन्न वर्गों में इसके बड़ी संख्या में पाठक हैं।

वीज़ा

भारतीय वीज़ा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरे बांग्लादेश में 16 IVAC केंद्रों में सेवाओं को बढ़ाया गया है। चिकित्सा वीज़ा की मांग बांग्लादेश में सर्वाधिक है। भारत एक चिकित्सा रोगी के साथ तीन व्यक्तियों को चिकित्सा परिचर वीज़ा जारी करता है। बांग्लादेश में जारी किया जाने वाला भारतीय वीज़ा विश्व भर में भारत द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा वीज़ा परिचालन हैं।

रोहिंग्या संकट व बहुपक्षीय सहयोग

भारत ने बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों के लिए राहत सहायता प्रदान करने के लिए 'ऑपरेशन इंसानियत' शुरू किया है। साथ ही, भारत एवं बांग्लादेश सार्क, बिम्सटेक आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग कर रहे हैं।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियाँ

अल्पसंख्यक संबंधी मुद्दे

वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है जिसमें हिंदू व बौद्ध मंदिरों, चर्च, घरों, व्यवसायों एवं व्यक्तियों पर हमले शामिल हैं। यह हिंसा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पदच्युत होने के बाद राजनीतिक अस्थिरता एवं सार्वजनिक अशांति की पृष्ठभूमि में हुई है।

धार्मिक असहिष्णुता पर भारत की चिंता

भारत ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में बड़ी हिंदू आबादी और दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक एवं पारिवारिक संबंधों को देखते हुए हिंदुओं पर हमलों को कूटनीतिक तनाव का एक महत्त्वपूर्ण बिंदु माना जाता है।

सीमा विवाद

साझा सीमा के सीमांकन, विशेष रूप से असम एवं त्रिपुरा के क्षेत्रों में, पर लंबे समय से विवाद रहा है। 6.5 किमी. की कोमिला-त्रिपुरा स्थलीय सीमा का सीमांकन नहीं किया गया है जिससे सीमा विवाद अनसुलझा रह गया है।

अवैध आप्रवासन

देश की अशांति के परिणामस्वरूप बांग्लादेशी सीमा के पार से प्रवासियों के आगमन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों के निवासियों को प्रवासियों की अत्यधिक आमद के परिणामस्वरूप पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

आर्थिक चुनौतियाँ

दोनों देशों के मध्य गैर-टैरिफ बाधाओं ने व्यापार में बाधा उत्पन्न की है। इन बाधाओं में लंबी सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ, नौकरशाही व लालफीताशाही शामिल हैं।

सुरक्षा चुनौतियाँ

बांग्लादेश में जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) जैसे विद्रोही समूहों की उपस्थिति आतंकवाद के बारे में चिंता उत्पन्न करती है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा भी बांग्लादेश में कैंप चलाते हैं।

तीस्ता नदी विवाद

- तीस्ता नदी के जल प्रवाह को न्यूनतम रखने के लिए वर्ष 2011 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत भारत को 42.5% पानी, बांग्लादेश को 37.5% पानी और शेष 20% पानी के प्रवाह की पूरी छूट दी गई थी। कुछ मतभेदों के कारण यह समझौता अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी के जल वितरण को लेकर भी विवाद है।
    - **फरक्का बैराज विवाद :** गंगा से हुगली नदी में पानी का मोड़ बांग्लादेश द्वारा अतीत में कई बार उठाई गई चिंता का एक प्रमुख स्रोत है।

चीन कारक

बुनियादी ढाँचे के विकास, ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में चीन द्वारा बांग्लादेश में निवेश में वृद्धि की जा रही है। उदाहरण के लिए, बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) एवं चटगाँव बंदरगाह में निवेश।

पाकिस्तान कारक

- हालिया मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ और बांग्लादेश सरकार के मुख्य कर्ता-धर्ता मोहम्मद यूनुस ने वर्ष 1971 के मुद्दों को सुलझाने की बात कही है।
- इसके अलावा, बांग्लादेश की सेना को पाक सेना के ज़रिए ट्रेनिंग दिलाने की प्रक्रिया शुरू करना और जाँच-पड़ताल के बिना पाकिस्तानी पोत व पाक नागरिकों को प्रवेश दिया जाना, पाक-बांग्लादेश की तीव्र गति से बढ़ती नज़दीकी को रेखांकित करता है।

आगे की राह

- **राजनीतिक तनाव को संबोधित करना :** भारत को बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक परिवर्तन का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। साथ ही, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखना चाहिए।
- **ट्रैक 2 कूटनीति :** नागरिक समाज, शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं एवं गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए ट्रैक 2 कूटनीति को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।
- **बेहतर कनेक्टिविटी :** भारत को बांग्लादेश में रेल एवं बस सेवा नेटवर्क का विस्तार जारी रखना चाहिए। इससे भारत के पूर्वोत्तर के प्रमुख शहरों को बांग्लादेश से जोड़ने से व्यापार, पर्यटन व लोगों के बीच आदान-प्रदान के नए अवसर सृजित होंगे।
- **क्षेत्रीय एकीकरण :** भारत एवं बांग्लादेश को BBIN उप-क्षेत्र (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) के भीतर क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में सुधार, बाधाओं को दूर करना और वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाना शामिल है।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में निवेश :** बांग्लादेश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। ये क्षेत्र औद्योगीकरण, रोज़गार सृजन एवं सीमापार व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दों का समाधान :** बिजली आयात के लिए बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता और भुगतान में देरी के संदर्भ में समाधान की आवश्यकता है।
  - दोनों देशों को ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी पर विचार करना चाहिए जिसमें रणनीतिक भंडार, सीमापार बिजली व्यापार एवं बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल हो।
- **नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग :** नवीकरणीय ऊर्जा में भारत के नेतृत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएँ हैं।
  - भारत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निवेश एवं ज्ञान साझाकरण के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने में बांग्लादेश की सहायता कर सकता है।
- **अल्पसंख्यक अधिकार एवं धार्मिक तनाव :** दोनों देशों को बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित चिंताओं का समाधान करना चाहिए।
  - मानवाधिकारों पर निरंतर संवाद, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कूटनीतिक मामलों (जैसे- हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी) को सुलझाना दोनों सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए।
- **सांस्कृतिक कूटनीति :** दोनों देशों द्वारा अपने लोगों के बीच सद्भावना एवं समझ का निर्माण करने के लिए छात्र विनिमय, सहयोगी कला एवं पर्यटन पहल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से साझा इतिहास व सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर संबंधों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

लंबित मुद्दों का समाधान

तीस्ता जल बंटवारा समझौता और सीमा प्रबंधन एवं सुरक्षा जैसे विवाद को सुलझाना एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

भू-राजनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय सहयोग

- **हिंद-प्रशांत में सहयोग :** चूँकि दोनों देश रणनीतिक रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं। इसलिए उन्हें चीन द्वारा उत्पन्न भू-राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक सहयोगात्मक ढाँचे में शामिल होना चाहिए।
  - इसमें सुरक्षा सहयोग, संयुक्त रक्षा पहल एवं आसियान व बिम्सटेक क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करना शामिल हो सकता है।
- **एक्ट ईस्ट नीति एवं क्षेत्रीय एकीकरण :** बुनियादी ढाँचे एवं व्यापार में बांग्लादेश के साथ सहयोग के माध्यम से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मज़बूत करना यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों देश इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धी बने रहें।
  - यह म्याँमार, थाईलैंड एवं आसियान देशों जैसे अन्य क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अधिक मज़बूत संबंध बनाने में भी योगदान दे सकता है।

भारत-कुवैत द्विपक्षीय संबंध

संदर्भ

कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-ज़बर अल-सबाह के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 दिसंबर, 2024 तक कुवैत की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत की यह पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने कुवैत में 26वें अरेबियन गल्फ कप (26th Arabian Gulf Cup) के उद्घाटन समारोह में महामहिम के 'सम्मानित अतिथि' (Guest of Honour) के रूप में भाग लिया।

यात्रा के दौरान प्रमुख द्विपक्षीय सहयोग

- **संयुक्त सहयोग आयोग (JCC) :** दोनों देशों ने जे.सी.सी. स्थापना का स्वागत किया, जो सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय तंत्र के रूप में काम करेगा। जे.सी.सी. की सह-अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा की जाएगी।
  - इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए संयुक्त कार्य समूह (JWG) की स्थापना की।
- **व्यापार एवं निवेश :** दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, रसद एवं अन्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में वृद्धि की संभावनाओं पर बल दिया।
  - निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य निवेश के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण करना है।
- **ऊर्जा सहयोग :** इसका उद्देश्य क्रेता-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर एक व्यापक अपस्ट्रीम-डाउनस्ट्रीम ऊर्जा साझेदारी विकसित करना है।
  - दोनों पक्षों ने तेल एवं गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन, रिफाइनिंग, इंजीनियरिंग सेवाओं, पेट्रोकेमिकल उद्योगों, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात की।
- **रक्षा सहयोग :** संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, तटीय रक्षा एवं रक्षा उपकरण विकास में मज़बूत सहयोग के लिए रक्षा क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
  - आतंकवाद का मुकाबला करने, खुफिया जानकारी साझा करने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने तथा धन शोधन, मादक पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर सहयोग करने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिबद्धता जताई गई।
- **स्वास्थ्य सहयोग :** दोनों पक्षों ने कुवैत में भारतीय दवा निर्माण संयंत्र स्थापित करने की संभावना पर चर्चा की।
  - उन्होंने औषधि नियामक प्राधिकरणों के बीच समझौता ज्ञापन पर चल रही चर्चाओं में चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की।
- **प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा :** प्रौद्योगिकी के संदर्भ में दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग में रुचि व्यक्त की। ई-गवर्नेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व आई.टी. क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा के मामले में दोनों देशों ने संस्थागत संबंधों और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सहयोग के महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने शैक्षिक बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और डिजिटल पुस्तकालयों के अवसरों की खोज की।
  - शेख सऊद अल-नासिर अल-सबाह कुवैती डिप्लोमैटिक इंस्टीट्यूट एवं सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस (SSIFS) के बीच समझौता के तहत दोनों पक्षों ने नई दिल्ली स्थित SSIFS में कुवैत के राजनयिकों और अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया।
- **सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध :** दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (वर्ष 2025-2029) को नवीनीकृत किया गया जो कला, संगीत एवं साहित्य के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा तथा सांस्कृतिक संबंधों को अधिक मज़बूत करेगा।
  - खेल सहयोग पर एक कार्यकारी कार्यक्रम (वर्ष 2025-2028) पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें खेलकर्मियों, कार्यशालाओं एवं खेल प्रकाशनों का पारस्परिक आदान-प्रदान शामिल है।
  - कुवैत में भारतीय समुदाय की महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा कुवैत के विकास में उसके योगदान को मान्यता दी गई।
- **बहुपक्षीय सहयोग :** दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन एवं जी.सी.सी. सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर चर्चा की।
  - भारतीय पक्ष ने वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की भारत की अध्यक्षता के दौरान एस.सी.ओ. में 'वार्ता भागीदार' के रूप में कुवैत के प्रवेश का स्वागत किया।
  - वर्ष 2024 की शुरुआत में आयोजित भारत-जी.सी.सी. संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक ने व्यापार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि एवं ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मज़बूत सहयोग के लिए मंच तैयार किया।

भारत-कुवैत द्विपक्षीय संबंध

भारत एवं कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं जो इतिहास, व्यापार व सांस्कृतिक आदान-प्रदान के आधार पर दशकों से मज़बूत हुए हैं।

ऐतिहासिक एवं प्रारंभिक आर्थिक संबंध

- भारत एवं कुवैत के बीच संबंध सदियों पुराने हैं। भारत के लिए कुवैत एक स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार है। कुवैत द्वारा तेल की खोज से पहले इसकी अर्थव्यवस्था उत्कृष्ट बंदरगाह एवं समुद्री गतिविधियों के इर्द-गिर्द घूमती थी।
  - इन गतिविधियों में पोत निर्माण, मोती गोताखोरी, मछली पकड़ने के अलावा खजूर, अरबी घोड़े एवं मोती लेकर लकड़ी के नावों पर भारत की यात्राएँ शामिल थीं।
- उल्लेखनीय रूप से वर्ष 1961 तक भारतीय रुपया कुवैत में एक वैध मुद्रा थी, जो दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंधों का प्रतीक थी।
- वर्ष 2021-22 में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगाँठ मनाई गई जो उनके सहयोग की स्थायी प्रकृति को उजागर करती है।

राजनीतिक संबंध

- भारत वर्ष 1961 में कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। इससे पहले भारत का प्रतिनिधित्व एक व्यापार आयुक्त द्वारा किया जाता था।
- अगस्त 2024 में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कुवैत की यात्रा की, जबकि कुवैती विदेश मंत्री डॉ. शेख अहमद नासिर अल-मोहम्मद अल-सबाह ने वर्ष 2021 में भारत की यात्रा की थी।

द्विपक्षीय तंत्र एवं सहयोग

- **संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (JMC) :** वर्ष 2006 में स्थापित जे.एम.सी. दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - इसे वर्ष 2021 में विदेश मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में अद्यतन किया गया था।
- **विदेश कार्यालय परामर्श (FOCs) :** ये परामर्श दोनों देशों के बीच नियमित संचार सुनिश्चित करते हैं।
  - छठवाँ FOC जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था।
- **संयुक्त राष्ट्र/बहुपक्षीय परामर्श :** भारत एवं कुवैत के बीच संयुक्त राष्ट्र/बहुपक्षीय परामर्श पर पहली बैठक 1 जून, 2023 को कुवैत में संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय व सहायक विदेश मंत्री, कुवैत के स्तर पर आयोजित की गई थी।
- **हाइड्रोकार्बन सहयोग :** ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए हाइड्रोकार्बन पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई।
  - इसकी हालिया बैठक आभासी रूप से जुलाई 2023 में आयोजित की गई थी।
- **चिकित्सा सहयोग :** कुवैत में भारतीय डॉक्टरों एवं नर्सों की मज़बूत उपस्थिति के साथ दोनों देशों ने चिकित्सा सहयोग पर वर्ष 2012 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।
- **कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग :** भारत ने कुवैत की सहायता के लिए भारतीय चिकित्सा दल भेजने के साथ-साथ कोविशील्ड टीकों (सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से) की 2 लाख खुराक की आपूर्ति की थी, जबकि कुवैत ने भारत को 282 ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं वेंटिलेटर भेजा था।
- **श्रमशक्ति सहयोग :** कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीय हैं, दोनों देशों ने रोज़गार एवं कार्यबल विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए श्रम पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) जैसे तंत्र स्थापित किए हैं।
  - 7वीं जे.डब्ल्यू.जी. बैठक वर्ष 2021 में वर्चुअली आयोजित की गई थी।
- **नागरिक उड्डयन :** दोनों पक्षों ने वर्ष 2007 में एक द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे कुवैत एवं भारत के बीच हवाई यातायात में वृद्धि हुई।
  - वर्तमान में एयर इंडिया, इंडिगो व कुवैत एयरवेज जैसी प्रमुख विमानन कंपनियाँ सीधी उड़ानें संचालित कर रही हैं।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :** भारत एवं कुवैत ने अंतरिक्ष व पर्यावरण अनुसंधान सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए वर्ष 2009 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इसरो और कुवैत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान प्रमुख साझेदार थे।
- **शिक्षा :** कुवैत के 26 स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। इन स्कूलों में 60 हज़ार से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें मुख्यत: भारतीय तथा कुछ अरब व दक्षिण एशियाई प्रवासी शामिल हैं।
  - वर्ष 2024 में गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइन्स एंड टेक्नोलॉजी (GUST), कुवैत टेक्निकल कॉलेज और कुवैत कॉलेज ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलॉजी में 'इंडिया कॉर्नर' स्थापित किए गए।
  - GUST कुवैत में हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् और GUST के मध्य 12 सितंबर, 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- **कुवैत द्वारा एकजुटता का संकेत :** 26 मई, 2021 को प्रतिष्ठित कुवैत टावर्स ने 'कुवैत भारत के साथ खड़ा है' संदेश के साथ भारतीय तिरंगा प्रदर्शित किया।

वाणिज्यिक एवं आर्थिक संबंध

- भारत लगातार कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। प्रमुख भारतीय निर्यातों में विमान के पुर्ज़े, अनाज एवं कार्बनिक रसायन शामिल हैं।
- कुवैत भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है जो भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 3% प्रदान करता है (9वाँ सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता)।
- कुवैत के कारोबारी माहौल में भारत की मौजूदगी भी उल्लेखनीय है क्योंकि एलएंडटी, टाटा, विप्रो, इंडिगो एवं अन्य कंपनियाँ कुवैत में कार्यरत हैं।

सांस्कृतिक संबंध

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारत-कुवैत संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- कुवैत में 'स्प्लेंडर्स ऑफ इंडिया' और 'नमस्ते कुवैत' जैसे प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा मार्च 2023 में 'फेस्टिवल ऑफ इंडिया' का आयोजन किया गया।

- सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक नया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया है।

कुवैत में भारतीय समुदाय

- कुवैत में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या 10 लाख से अधिक है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - इस समुदाय में इंजीनियर, डॉक्टर व तकनीशियन जैसे कुशल पेशेवर एवं अकुशल मज़दूर शामिल हैं।
- खुदरा व वितरण क्षेत्रों में भारतीयों की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है और कई भारतीय स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं जो पीढ़ियों से कुवैत में काम कर रहे हैं।
- भारतीय समुदाय सांस्कृतिक और धर्मार्थ गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, कुवैत में 200 से अधिक भारतीय संघ पंजीकृत हैं।

हस्ताक्षरित विभिन्न द्विपक्षीय समझौते

- पारस्परिक निवेश संरक्षण (2001)
- आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता (2004)
- श्रम, रोज़गार एवं श्रमशक्ति विकास पर समझौता ज्ञापन (2007)
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग (2009)
- चिकित्सा सहयोग (2012)
- सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर समझौता (2013)
- घरेलू कामगारों के लिए सहयोग एवं भर्ती पर समझौता ज्ञापन (जून 2021)
- एक नए द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन समझौते पर बातचीत चल रही है जिसका उद्देश्य आर्थिक भागीदारी को अधिक बढ़ाना है।

आगे की राह

- **व्यापार में विविधता :** यद्यपि भारत एवं कुवैत के बीच पहले से ही तेल व ऊर्जा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं किंतु प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल्स, मशीनरी तथा कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों में व्यापार में विविधता लाने की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं।
- **निवेश के अवसर :** कुवैत से भारत में प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने से, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
  - भारत व्यापक खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) क्षेत्र में निवेश के लिए कुवैत को एक प्रवेश द्वार के रूप में भी देख सकता है।
- **तेल एवं गैस :** भारत की ऊर्जा संक्रमण आवश्यकताओं के साथ दीर्घकालिक समझौतों, रिफाइनिंग में अधिक निवेश व प्राकृतिक गैस आयात के साथ इस साझेदारी का विस्तार करने की संभावनाएँ हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा :** दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने के कुवैत के निर्णय का स्वागत किया है।
  - यह निम्न-कार्बन विकास पथ को विकसित करने और लागू करने तथा टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में सहयोग की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **कुशल कार्यबल :** भारत कुवैत को स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, निर्माण व आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में कुशल कार्यबल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो कुवैत के विकास लक्ष्यों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- **रक्षा सहयोग :** संयुक्त प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा खरीद सहित रक्षा सहयोग को बढ़ाने की संभावना है क्योंकि दोनों देश मध्य पूर्व में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में रुचि रखते हैं।
- **पर्यटन को बढ़ावा :** पर्यटन को बढ़ावा देने से सांस्कृतिक अंतराल को पाटने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
  - भारत किफायती चिकित्सा पर्यटन पैकेज की पेशकश कर सकता है, जबकि कुवैत खाड़ी क्षेत्र की खोज करने में रुचि रखने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य हो सकता है।

भारत की खनिज कूटनीति

संदर्भ

- भारत अपनी विनिर्माण एवं तकनीकी क्षमता के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस महत्त्वाकांक्षा को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण खनिजों की अत्यावश्यक भूमिका है।
- भारत मुख्यत: एक खनिज आयातक देश है जो अपनी खनिज सुरक्षा के लिए अन्य देशों, मुख्यत: चीन पर निर्भर है। यह रणनीतिक चिंता का विषय है।
- आर्थिक कारणों से संसाधनों के लिए संघर्ष का इतिहास लंबा रहा है किंतु, कुछ देशों द्वारा रणनीतिक कारणों से संसाधनों का हथियारीकरण तुलनात्मक रूप से एक नई घटना है।
- भारत ने खनिज सुरक्षा चुनौती को संबोधित करने के लिए खनिज कूटनीति में संलग्न होने का प्रयास शुरू किया है जिसका उद्देश्य भारत की सामरिक भेद्यता को कम करना है।

खनिज कूटनीति में संलग्न होने के भारत के प्रयास

- यह प्रयास निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित है : खनिज उत्पादक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव विकसित करना और अंतर-सरकारी संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना।
- पहला स्तंभ लिथियम एवं कोबाल्ट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, रूस एवं कज़ाकिस्तान

जैसे संसाधन संपन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाने पर केंद्रित है।

- इस दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2019 के बाद भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) की स्थापना की। यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका उद्देश्य 'भारतीय घरेलू बाज़ार में महत्त्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना' है।
- इसके उद्देश्यों में सरकार-से-सरकार, सरकार-से-व्यवसाय और व्यवसाय-से-व्यवसाय मार्गों के माध्यम से समझौते व अधिग्रहण करके खनिज सुरक्षा प्राप्त करना भी शामिल है।

- मार्च 2022 में KABIL ने दो लिथियम और तीन कोबाल्ट परियोजनाओं की पहचान करते हुए एक महत्त्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- लैटिन अमेरिका के लिथियम त्रिभुज पर भी भारत ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें अर्जेंटीना, चिली एवं बोलीविया शामिल हैं। जनवरी 2024 में भारत ने पाँच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों के लिए अर्जेंटीना में एक सरकारी स्वामित्व वाली उद्यम के साथ $24 मिलियन का लिथियम अन्वेषण समझौता किया।
- KABIL बोलीविया व चिली से संपत्ति खरीदने की सुविधा प्रदान करके खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार के अलावा भारत के निजी क्षेत्र को भी लाभ हुआ है। ऑल्टमिन प्राइवेट लिमिटेड ने लिथियम आयन बैटरी की कच्चे माल की आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने के लिए बोलीविया की राष्ट्रीय कंपनी YLB के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
- मध्य एशिया ने भी भारत का ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में, भारत एवं कज़ाकिस्तान ने भारत में टाइटेनियम स्लैग का उत्पादन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम 'IREUK टाइटेनियम लिमिटेड' का गठन किया।
    - यह मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत का पहला संयुक्त उद्यम है। यह प्रयास क्षेत्र के समृद्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए भारत-मध्य एशिया रेयर अर्थ फोरम की स्थापना के भारत के प्रस्ताव के अनुरूप है।

सहकारी कार्य

- खनिज कूटनीति का दूसरा स्तंभ अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव है। यह महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला में सहयोग के लिए क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका), इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF), मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) और जी-7 जैसे खनिज सुरक्षा से संबंधित मिनीलेटरल व मल्टीलेटरल पहलों के साथ साझेदारी को मज़बूत कर रहा है।
    - इन सहकारी जुड़ावों का उद्देश्य भारत को इसके तीन खंडों 'अपस्ट्रीम', 'मिडस्ट्रीम' एवं 'डाउनस्ट्रीम' में महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ना है।
- इसके अतिरिक्त, ये ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण में भी सहायक हैं जो अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU), दक्षिण कोरिया एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ समन्वय के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- पश्चिमी साझेदारों के साथ इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत के खान मंत्रालय ने महत्त्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग को मज़बूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
    - इससे भारत को महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में अपनी नीतियों, विनियमों एवं निवेश रणनीतियों को सुव्यवस्थित करने, उन्हें वैश्विक मानकों व सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने में मदद मिलेगी।

आगे की राह

- खनिज कूटनीति में भारत के प्रयासों से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं किंतु, अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जुड़ाव के लिए आवश्यक तीन प्रमुख तत्त्वों का अभाव है।
    - **ये हैं :** निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी; कमज़ोर कूटनीतिक क्षमता एवं अपर्याप्त टिकाऊ भागीदारी। इसके अलावा, भारत का निजी क्षेत्र इस व्यवस्था से काफी हद तक अनुपस्थित रहा है।
- 'महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला रणनीति' एवं 'निजी क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की अनुपस्थिति' नीति स्पष्टता की कमी के लिए ज़िम्मेदार दो प्राथमिक चर हैं। इनसे निपटने के लिए भारत को आपूर्ति शृंखला में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार करते हुए जोखिम कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- एक महत्त्वपूर्ण कदम भारत की विकास संभावनाओं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के आधार पर आपूर्ति शृंखला रणनीति बनाना होगा।
- भारत को खनिज कूटनीति भागीदारी को मज़बूत करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के भीतर एक समर्पित खनिज कूटनीति प्रभाग होना चाहिए, जो कि नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी (NEST) प्रभाग के समान हो। चयनित राजनयिक मिशनों में खनिज कूटनीति के लिए एक विशेष पद महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
- खनिज सुरक्षा के प्रति भारत के लक्ष्य के लिए आवश्यक है कि भारत द्विपक्षीय भागीदारों और बहुपक्षीय मंचों के साथ रणनीतिक, टिकाऊ एवं भरोसेमंद साझेदारी निर्मित करे।
- अपने सभी भागीदारों में से यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया एवं अन्य क्वाड सदस्यों के साथ काम करना भारत की खनिज सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इन देशों के पास घरेलू क्षमताएँ, कूटनीतिक नेटवर्क व तकनीकी जानकारी है।

आर्थिक घटनाक्रम

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना

संदर्भ

25 दिसंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना (KBLP) की आधारशिला रखी। जो भारत की राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत है।

के.बी.एल.पी. के बारे में

- के.बी.एल.पी. केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है, जिसके अंतर्गत केन नदी से पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाना है।
  - केन एवं बेतवा यमुना की सहायक नदियाँ हैं।
- **कुल अनुमानित लागत :** 44,605 करोड़ रुपए
- **समय सीमा :** लगभग 8 वर्ष
- **पृष्ठभूमि :** 22 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया तथा कार्यान्वयन के लिए सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया।
  - यह परियोजना दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण के अनुरूप है जिन्होंने भारत की जल कमी की समस्या के समाधान के रूप में नदी-जोड़ने की वकालत की थी।

परियोजना के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे का विकास

- **दौधन बाँध :** दौधन बाँध का निर्माण पन्ना टाइगर रिज़र्व में केन नदी पर किया जाएगा, जो 77 मीटर ऊँचा और 2.13 किमी. लंबा होगा।
- **जल संग्रहण :** बाँध की जल संग्रहण क्षमता 2,853 मिलियन घन मीटर होगी।
- **लिंक नहर :** 221 किमी. लंबी नहर दौधन बाँध को बेतवा नदी से जोड़ेगी जिससे सिंचाई एवं पेयजल प्रयोजनों के लिए अधिशेष जल का स्थानांतरण सुगम हो जाएगा।
- **सुरंग :** इस परियोजना में दो नदियों के बीच जल स्थानांतरण को सहायता प्रदान करने के लिए दो सुरंगों (ऊपरी स्तर पर 1.9 किमी. और निचले स्तर पर 1.1 किमी.) का निर्माण भी शामिल है।

लाभार्थी

- **मध्य प्रदेश :** इस परियोजना से 10 ज़िलों के लगभग 44 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा।
- **उत्तर प्रदेश :** राज्य में करीब 21 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

कृषि एवं किसानों पर प्रभाव

- इस परियोजना से दोनों राज्यों के 2,000 गाँवों के 7.18 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- **मध्य प्रदेश :** इस परियोजना से पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी एवं दतिया सहित 10 ज़िलों में 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।
- **उत्तर प्रदेश :** इस परियोजना से 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी जिससे महोबा, झाँसी, ललितपुर एवं बाँदा ज़िलों में पानी की उपलब्धता में सुधार होगा।

पेयजल एवं औद्योगिक आपूर्ति

- यह परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों को विश्वसनीय पेयजल उपलब्ध कराएगी जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या दूर होगी।
- औद्योगिक उपयोग के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, जो क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।

पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताएँ

- **पन्ना टाइगर रिज़र्व पर प्रभाव :** दौधन बाँध पन्ना टाइगर रिज़र्व के मुख्य भाग में स्थित है और इसके निर्माण से रिज़र्व का लगभग 98 वर्ग किमी. क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - विशेषज्ञों ने बाघों की आबादी के लिए संभावित खतरों के बारे में चिंता जताई है जिन्हें पूर्व में वर्ष 2009 में स्थानीय रूप से विलुप्ति का सामना करना पड़ा था।
- **वन्यजीव चिंताएँ :** दौधन बाँध के निर्माण से केन घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियाल जैसी प्रजातियों और नीचे की ओर गिद्धों के घोंसले के स्थलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **वनों की कटाई :** इस परियोजना में लगभग 2-3 मिलियन वृक्षों की कटाई भी की गई है, जो सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक है क्योंकि इससे क्षेत्र की जैव-विविधता प्रभावित हो सकती है।
- **विस्थापन :** भूमि के जलमग्न होने और परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के कारण छतरपुर ज़िले में 5,228 परिवार और पन्ना ज़िले में 1,400 परिवार प्रभावित होंगे।
- **हाइड्रोलॉजिकल डाटा और व्यवहार्यता अध्ययन :** केन नदी से अधिशेष जल के लिए हाइड्रोलॉजिकल डाटा के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। आई.आई.टी.-बॉम्बे के वैज्ञानिकों सहित विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बड़ी मात्रा में पानी स्थानांतरित करने से क्षेत्र की स्थलीय-वायुमंडलीय अंत:क्रिया प्रभावित हो सकती है जिससे सितंबर माह के दौरान संभावित रूप से 12% तक वर्षा कम हो सकती है।

पर्यावरणीय लाभ

- **पन्ना टाइगर रिज़र्व :** दौधन जलाशय पन्ना टाइगर रिज़र्व के लिए जल संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इस क्षेत्र में वन्यजीवों को वर्ष भर पीने का पानी मिलता रहे।
  - इससे वन पारितंत्र में काफी सुधार होने की संभावना है।
- **चंदेलकालीन विरासत तालाब :** इस परियोजना में छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जैसे ज़िलों में चंदेलकालीन विरासत तालाबों के संरक्षण के प्रयास शामिल हैं।
  - मध्ययुगीन काल के इन तालाबों को वर्षा के मौसम में पानी के भंडारण में मदद करने के लिए पुन: बहाल किया जाएगा जिससे स्थानीय कृषि एवं पानी की उपलब्धता में लाभ होगा।
- **विद्युत उत्पादन :** इस परियोजना में 103 मेगावाट जल-विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी शामिल है जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान मिलेगा और क्षेत्र की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

- **जल संकट का समाधान :** केन-बेतवा परियोजना का उद्देश्य जल संकट को कम करना है जिससे क्षेत्र में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- **पलायन :** बेहतर जल उपलब्धता के साथ-साथ इस परियोजना का उद्देश्य रोज़गार के लिए पलायन को कम करना, स्थानीय आजीविका एवं संधारणीयता को बढ़ावा देना है।
- **बाँदा में बाढ़ नियंत्रण :** उत्तर प्रदेश के बाँदा ज़िले में यह परियोजना बाढ़ की समस्या को दूर करने में मदद करेगी।

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के बारे में

- जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में तैयार किया गया था।
- एन.पी.पी. में दो घटक शामिल हैं, जिसके अंतर्गत कुल 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है।
  - वस्तुत: हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत 14 एवं प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत 16 लिंक परियोजनाएँ शामिल हैं।
- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) को एन.पी.पी. के तहत नदियों को जोड़ने का कार्य सौंपा गया है।

नदी जोड़ो के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाएँ

प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत के.बी.एल.पी. सहित 16 परियोजनाएँ	हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 परियोजनाएँ
1. (a) महानदी (मणिभद्रा)- गोदावरी (दौलीस्वरम) लिंक (b) महानदी (बरमुल)- गोदावरी (दौलीस्वरम) लिंक 2. गोदावरी (इंचमपाल)-कृष्णा (पुलीचिंतला) लिंक 3. गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक 4. गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक 5. कृष्णा (अलमाटी)-पेन लिंक 6. कृष्णा (श्रीशैलम)-पेन्नार लिंक 7. कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक 8. पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक 9. कावेरी (कट्टलाई)-वैगई-गुंडर लिंक 10. (a) पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (b) संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ERCP के साथ विधिवत एकीकृत) 11. पार-बट-नर्मदा लिंक 12. दमनगंगा-पिंजल लिंक 13. बेड़ती-वरदा लिंक 14. नेत्रवती-हेमवती लिंक 15. पंबा-अचानकोविल-वैप्पर लिंक 16. केन-बेतवा लिंक	1. मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक 2. कोसी-घाघरा लिंक 3. गंडक-गंगा लिंक 4. घाघरा-यमुना लिंक 5. सारदा-यमुना लिंक 6. यमुना-राजस्थान (सूकरी नदी) लिंक 7. राजस्थान-साबरमती लिंक 8. चुनार (गंगा)-सोन बैराज लिंक 9. सोन बाँध-गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ 10. गंगा (फरक्का)-दामोदर-स्वर्णरेखा लिंक 11. सुवर्णरेखा-महानदी लिंक 12. कोसी-मेची लिंक 13. गंगा (फरक्का)-सुंदरबन लिंक 14. जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)

आर्थिक विकास

- **औद्योगिक विकास को बढ़ावा :** इस परियोजना से कृषि एवं औद्योगिक विकास को समर्थन देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- **पर्यटन को बढ़ावा :** यह परियोजना, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में, पर्यटन के विकास का समर्थन करती है जहाँ कई सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं। इनमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो भी शामिल है।
- **रोज़गार के अवसर :** परियोजना के निर्माण एवं चालू परिचालन से स्थानीय लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

निष्कर्ष

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल एवं ऊर्जा उपलब्ध कराकर जल संकट को दूर करने की अपार संभावनाएँ हैं। हालाँकि, इसे महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर पन्ना टाइगर रिज़र्व और स्थानीय वन्यजीवों के साथ-साथ समुदायों के विस्थापन के संबंध में। इन चिंताओं को परियोजना के लाभों के साथ संतुलित करना इसके सफल कार्यान्वयन के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के नए गवर्नर

संदर्भ

केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 11 दिसंबर, 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और ये शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे जिन्होंने 6 वर्षों तक पद ग्रहण किया।

संजय मल्होत्रा के बारे में

- संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हैं। गवर्नर के रूप में नियुक्ति से पूर्व वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (DOR) के सचिव थे।
- वे 16 फरवरी, 2022 से 14 नवंबर, 2022 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में कार्यरत रहे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में

- **स्थापना :** 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत
- **प्रारंभिक मुख्यालय :** कोलकाता
- **स्थायी मुख्यालय :** मुंबई (वर्ष 1937 से)
  - 33 स्थानों पर RBI के कार्यालय हैं।
- **स्वामित्व :** प्रारंभ में निजी स्वामित्व; वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से पूर्णत: भारत सरकार के स्वामित्व में।

RBI प्रस्तावना के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य

- मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करना तथा भंडार का प्रबंधन करना
- देश के लाभ के लिए मुद्रा एवं ऋण प्रणाली संचालित करना
- बढ़ती एवं जटिल होती अर्थव्यवस्था के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति ढाँचा विकसित करना
- विकास को बढ़ावा देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना

केंद्रीय निदेशक मंडल

- RBI के कामकाज की देखरेख केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा की जाती है जिसे RBI अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह बोर्ड चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है।
- **आधिकारिक निदेशक :**
  - **गवर्नर :** RBI में केंद्रीय व्यक्ति
  - **उप-गवर्नर :** चार से अधिक नहीं

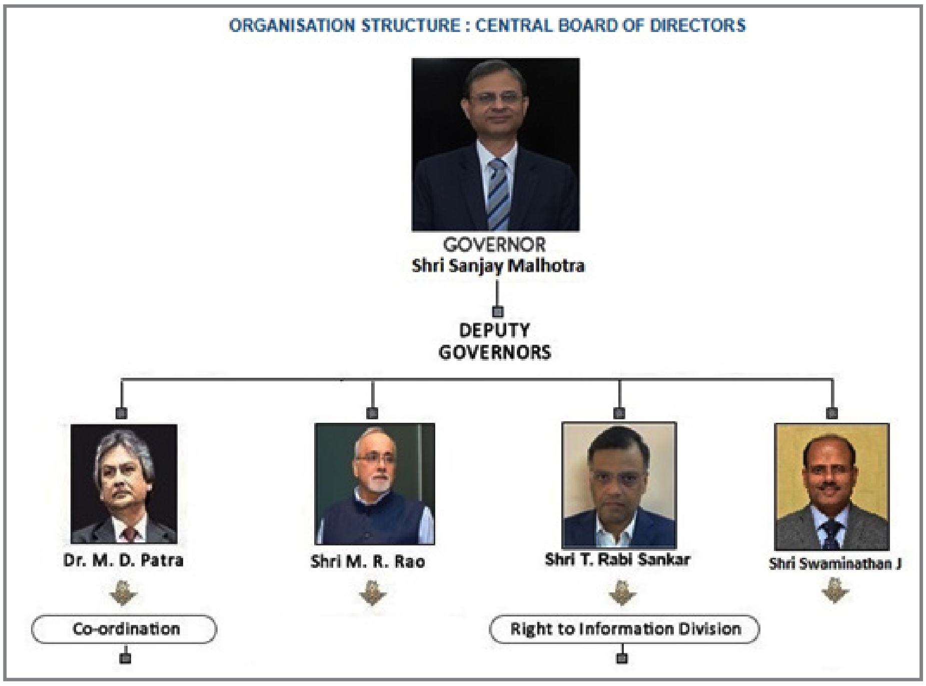

- **गैर-आधिकारिक निदेशक :**
  - **सरकार द्वारा मनोनीत :** विभिन्न विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों से सरकार द्वारा नामित दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी
  - **अन्य :** आर.बी.आई. के चार स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निदेशक

मुख्य कार्य

- **मौद्रिक प्राधिकरण :** मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसे लागू करता है और उसकी निगरानी करता है।
  - **उद्देश्य :** विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
- **वित्तीय प्रणाली का नियामक एवं पर्यवेक्षक :** बैंकिंग परिचालन के व्यापक मापदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है।
  - **उद्देश्य :** प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और जनता को लागत प्रभावी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधक :** विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंधन करता है।
  - **उद्देश्य :** बाह्य व्यापार एवं भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास व रखरखाव को बढ़ावा देना।
- **मुद्रा जारीकर्ता :** मुद्रा नोट जारी करना, उनका आदान-प्रदान करना और उन्हें नष्ट करना तथा भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाना।
  - **उद्देश्य :** जनता को पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट एवं सिक्के उपलब्ध कराना।
- **सरकार का बैंकर :** केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मर्चेंट बैंकिंग का कार्य करता है उनके बैंकर के रूप में भी कार्य करता है।
- **बैंकों का बैंकर :** सभी अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग खातों का रखरखाव करता है।
- **विकासात्मक भूमिका :** राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए प्रचार कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करता है।
- **भुगतान एवं निपटान प्रणालियों का विनियामक व पर्यवेक्षक:** देश में आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित व कुशल तरीकों को प्रस्तुत करता है और उन्हें उन्नत बनाता है।
  - **उद्देश्य :** भुगतान एवं निपटान प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना।

पैन 2.0 परियोजना

संदर्भ

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आयकर विभाग के तहत पैन 2.0 परियोजना (PAN 2.0 Project) को मंज़ूरी दी है। इसको लागू करने के लिए सरकार द्वारा 1,435 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

पैन 2.0 परियोजना के बारे में

- पैन 2.0 एक ई-गवर्नेंस परियोजना है जिसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य ऑनलाइन सत्यापन सेवा के माध्यम से वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों एवं केंद्र व राज्य सरकार के विभागों सहित पैन डाटा का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के लिए 'अनिवार्य पैन डाटा वॉल्ट सिस्टम' (Mandatory PAN Data Vault System) स्थापित करना है।
- यह मौजूदा पैन/टैन 1.0 (PAN/TAN 1.0) पारितंत्र का अपग्रेड होगा जो कोर एवं नॉन-कोर पैन/टैन गतिविधियों के साथ-साथ पैन सत्यापन सेवा को एकीकृत करेगा।
- पैन 2.0 परियोजना डिजिटल इंडिया में निहित सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है जो निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता (Common Identifier for All Digital Systems) के रूप में पैन के उपयोग को सक्षम बनाती है।
- वर्तमान में पैन से संबंधित सेवाएँ तीन अलग-अलग पोर्टल (ई-फाइलिंग पोर्टल, यू.टी.आई.आई.टी.एस.एल. पोर्टल एवं प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल/e-Filing Portal, UTIITSL Portal and Protean e-Gov Portal) पर कार्य करती हैं। इस परियोजना में सभी पैन/टैन संबंधित सेवाएँ आयकर विभाग के एकल एकीकृत पोर्टल पर क्रियान्वित किया जाएगा।
  - इनमें आवंटन, अद्यतनीकरण, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन (OPV), अपने ए.ओ. को जानिए (Know Your AO), आधार-पैन लिंकिंग, अपने पैन का सत्यापन, ई-पैन के लिए अनुरोध, पैन कार्ड के पुनः मुद्रण के लिए अनुरोध आदि सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

पैन 2.0 परियोजना के लाभ

- पैन 2.0 परियोजना करदाता नामांकन सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इसके महत्त्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं–
  - बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुँच में आसानी और तेज़ सेवा प्रदान करना
  - सत्य एवं डाटा स्थिरता का एकमात्र स्रोत

- पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाएँ तथा लागत समायोजन
- अधिक दक्षता के लिए बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा एवं अनुकूलन

इसे भी जानिए!

- **PAN :** यह आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) है जो आयकर विभाग को कर भुगतान, स्रोत पर कर कटौती (TDS)/स्रोत पर कर संग्रह (TCS) क्रेडिट और आयकर रिटर्न जैसे लेनदेन को विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। मूलतः पैन, कर विभाग के समक्ष व्यक्ति के लिए पहचान-पत्र के रूप में कार्य करता है।
- **TAN :** कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (Tax Deduction and Collection Account Number) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर है। टैन उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जो स्रोत पर कर (TDS) काटने के लिए ज़िम्मेदार हैं या जिन्हें स्रोत पर कर (TDS) एकत्र करने की आवश्यकता है।
- **TIN :** करदाता पहचान संख्या (Taxpayer Identification Numbers) एक 11 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो प्रत्येक राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यवसायों को जारी किया जाता है।

डॉ. मनमोहन सिंह के आर्थिक सरोकार

संदर्भ

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर, 2024 को 92 वर्ष की आयु में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया।

डॉ. मनमोहन सिंह के बारे में

- **जन्म :** 26 सितंबर, 1932 को गाह (अविभाजित पंजाब, अब पाकिस्तान) में
- **शिक्षा :** कैंब्रिज विश्वविद्यालय (अर्थशास्त्र) एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (डी.फिल) से शिक्षा
- **प्रमुख पदों पर कार्य :** मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर.बी.आई. गवर्नर, वित्त सचिव एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष सहित प्रमुख आर्थिक पदों पर कार्य किया।

राजनीतिक जीवन

- **राज्य सभा में सेवा :** वर्ष 1991 से छह कार्यकालों तक असम का प्रतिनिधित्व किया।
- **वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल :** वर्ष 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया।
- **प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल :** वर्ष 2004-2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
- **राज्य सभा कार्यकाल :** फरवरी 2024 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सभा के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त।

वित्त मंत्री के रूप में प्रमुख कार्य

- वर्ष 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह भारत के आर्थिक उदारीकरण के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं।
- कुछ क्षेत्रों में 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई।
- कुछ रणनीतिक उद्योगों को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था की समाप्ति।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के विनिवेश की अनुमति दी गई तथा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में संशोधन किया गया।
- विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच को प्रोत्साहित किया गया।
- भारत सरकार ने भुगतान संतुलन संकट को प्रबंधित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 1 जुलाई, 1991 को रुपए का अवमूल्यन किया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार लेने और तरलता प्रबंधन के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को 46 टन सोना हस्तांतरित किया।

प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल (वर्ष 2004 से 2009 तक)

- **(महात्मा गांधी) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) :** यह वर्ष 2005 में लाया गया एक ऐतिहासिक कानून था, जिसने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को किसी भी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिन के रोज़गार की कानूनी गारंटी दी।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) :** इसे वर्ष 2005 में लागू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण आबादी को सुलभ व सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) :** RTE अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया गया था, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया।
- **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) :** इसकी स्थापना निवासियों के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाने के लिए की गई थी, ताकि सरकारी सेवाओं तक पहुँच में सुधार हो और कल्याणकारी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार कम हो।

- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) :** यह पहल सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए शुरू की गई थी जिससे लीकेज को कम किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ लक्षित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे।

प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल (वर्ष 2009 से 2014 तक)

- **अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौता (2008) :** इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य भारत के परमाणु अलगाव को तोड़ना और अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु सहयोग का मार्ग प्रशस्त करना था, जो भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव था।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) :** इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया जिससे भारत की दो-तिहाई आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। इसके तहत खाद्य सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हुए सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया।

प्राप्त पुरस्कार और सम्मान

- **एडम स्मिथ पुरस्कार (1956) :** डॉ. मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार कैंब्रिज में अध्ययन के दौरान आर्थिक सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया था।
- **पद्म विभूषण (1987) :** डॉ. मनमोहन सिंह को विभिन्न प्रमुख सरकारी भूमिकाओं में उनके कार्यकाल के दौरान भारत के वित्तीय एवं विकासात्मक ढाँचे में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था।
- **जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार (1994-95) :** यह पुरस्कार उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा आर्थिक विकास एवं शासन के साथ वैज्ञानिक प्रगति के लिए दिया गया था।
- **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री (1993) :** डॉ. मनमोहन सिंह को वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में उनकी असाधारण भूमिका के लिए यूरोमनी पत्रिका द्वारा यह खिताब दिया गया।
- **उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार (2002) :** डॉ. मनमोहन सिंह को सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके असाधारण समर्पण और भारतीय राजनीति में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
- **विश्व स्टेट्समैन पुरस्कार (2010) :** विश्व स्टेट्समैन पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों तथा योगदान के लिए द अपील ऑफ कॉन्शियंस फाउंडेशन द्वारा दिया गया था।
- **इंदिरा गांधी पुरस्कार (2017) :** प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह की उपलब्धियों के तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (2023) :** एक अर्थशास्त्री, राजनेता एवं एक नेता के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह की विरासत का जश्न मनाने के लिए भारत-यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया गया।

कालानुक्रम

- **1952-54 :** पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी की
- **1957 :** कैंब्रिज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स
- **1957 :** पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त
- **1962 :** ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल
- **1963 :** पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पुन: शुरुआत
- **1966-69 :** संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में शामिल हुए
- **1969-71 :** दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर
- **1971 :** वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार
- **1972-76 :** वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार
- **1976 :** वित्त मंत्रालय में सचिव
- **1976 :** जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर
- **1976-80 :** भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक
- **1985-87 :** योजना आयोग के प्रमुख
- **1987 :** पद्म विभूषण से सम्मानित
- **1990-91 :** भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार
- **1991 :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष
- **1991 :** पी.वी. नरसिम्हा राव के अधीन वित्त मंत्री। राज्य सभा के लिए चुने गए।
  - वर्ष 1995, 2001, 2007 2013 एवं 2019 में पुनर्निर्वाचित।

पुस्तकें

- चेंजिंग इंडिया (Changing India)
- दि क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट (The Quest for Equity in Development)
- चिली: इंस्टीट्यूट एंड पॉलिसीस अंडरपिनिंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ (Chile: Institutions and Policies Underpinning Stability and Growth)

- मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो-पूअर डेवलपमेंट (Making Democracy Work for Pro-poor Development)
- ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, दि डब्ल्यू.टी.ओ., एंड दि डेवलपिंग कंट्रीज़ (Global Trading System, the WTO, and the Developing Countries)
- राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति: डॉ. मनमोहन सिंह के चुनिंदा भाषणों से अंश (To the Nation, for the Nation: Selections from Selected Speeches of Dr. Manmohan Singh)

भारत एवं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, 2024

संदर्भ

भारत ने वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI), 2024 में भारत अब 49वें स्थान पर है, जबकि भारत वर्ष 2023 की रिपोर्ट में 60वें स्थान पर था। यह उल्लेखनीय सुधार डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है जो काफी हद तक मज़बूत सरकारी पहलों द्वारा संचालित है।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, 2024 के बारे में

- **क्या है :** यह सूचकांक 4 प्रमुख स्तंभों– 'प्रौद्योगिकी, लोग, शासन एवं प्रभाव' के आधार पर 133 देशों की अर्थव्यवस्थाओं की नेटवर्क तत्परता का मूल्यांकन करता है।
  - नेटवर्क तत्परता एक बहुआयामी अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि प्रत्येक देश भविष्य में होने वाले डिजिटल परिवर्तनों के लाभों को प्राप्त करने के लिए कितना तैयार है।
- **जारीकर्ता :** पोर्टलैन्स इंस्टीट्यूट, सैद बिज़नेस स्कूल और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी।
- **रैंकिंग में शीर्ष 5 देश :** अमेरिका (1) > सिंगापुर > फिनलैंड > स्वीडन > दक्षिण कोरिया (5)
- **रैंकिंग में अंतिम 5 देश :** यमन (133) > बुरुंडी > कांगो गणराज्य > चाड > सियारा लियोन (129)

भारत का प्रभावशाली प्रदर्शन

वर्ष 2024 में भारत के प्रदर्शन में सुधार सरकारी नीतियों एवं अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, नवाचार व डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई रणनीतिक पहलों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

NRI सूचकांक में भारत के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएँ

- NRI 2024 में भारत की बेहतर स्थिति कई प्रमुख क्षेत्रों में देश की प्रगति का संकेत है। भारत कई संकेतकों में अग्रणी स्थान पर है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं–
  - **प्रथम स्थान :** ए.आई. (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वैज्ञानिक प्रकाशन, ए.आई. प्रतिभा संकेंद्रण और आई.सी.टी. (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) सेवा निर्यात
  - **दूसरा स्थान :** एफ.टी.टी.एच. (फाइबर टू द होम)/इंटरनेट मेंबरशिप का निर्माण, देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ
  - **तीसरा स्थान :** घरेलू बाज़ार पैमाना
  - **चौथा स्थान :** दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश
- भारत निम्न-मध्यम आय वाले देशों में भी दूसरे स्थान पर है, जो अपने आय समूह के भीतर डिजिटल उन्नति में अपने नेतृत्व को दर्शाता है। ये उपलब्धियाँ तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं दूरसंचार क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाती हैं।

डिजिटल परिवर्तन को गति देने वाली प्रमुख सरकारी पहल

- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम :** 1 जुलाई, 2015 को शुरू किया गया डिजिटल इंडिया भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसे भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **ब्रॉडबैंड एक्सेस का विस्तार :** डिजिटल इंडिया ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसने इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि की है, जो पिछले दशक में 25.1 करोड़ से बढ़कर 94.4 करोड़ हो गई है।
- **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम ने डिजिटल साक्षरता में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसके तहत ग्रामीण एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में लाखों लोगों को डिजिटल उपकरणों व सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
- **सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन :** इसने कई सरकारी सेवाओं को डिजिटल बना दिया है, उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिससे पहुँच व पारदर्शिता बढ़ी है।
- **भारतनेट पहल :** भारतनेट परियोजना भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे की आधारशिला है।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (ग्राम परिषदों) को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है जिससे देश के सबसे दूरदराज़ के इलाकों में भी ब्रॉडबैंड की पहुँच हो सके।
  - भारतनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सक्षम किया है तथा शहरी एवं ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल विभाजन को पाटा है।
  - ब्रॉडबैंड की उपलब्धता ने ग्रामीण आबादी तक ई-गवर्नेंस सेवाओं, जैसे– ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं कृषि सेवाओं की पहुँच बढ़ा दी है।
- **5G एवं भविष्य की दूरसंचार प्रौद्योगिकियाँ :** भारत द्वारा वर्ष 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत करना देश के दूरसंचार

क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगली पीढ़ी के मोबाइल ब्रॉडबैंड में इस उल्लेखनीय सुधार के साथ भारत ने मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में अपनी वैश्विक रैंकिंग 118वें से 15वें स्थान पर सुधारी है।

- **बुनियादी ढाँचे का उन्नयन :** भारत सरकार देश भर में 5G बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ काम कर रही है जिससे तेज़ डाटा स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।
- **इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव :** 5G इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव है।
  - इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी गैप को पाटना और 5G तकनीक की परिवर्तनकारी शक्ति का लाभ उठाकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।
  - यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए 'कनेक्टिविटी गैप से स्मार्ट समाधान तक: ग्रामीण नवाचार के लिए 5G नेटवर्क डिज़ाइन करना' शीर्षक के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करती है।

- **भारत 6G विज़न :** सरकार द्वारा पेश किए गए भारत 6G विज़न का उद्देश्य भारत को 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाना है।
  - इस विज़न में स्वदेशी तकनीक का विकास, अनुसंधान केंद्र स्थापित करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एवं ब्लॉकचेन जैसी भविष्य की तकनीकों में नवाचार को गति देना शामिल है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 :** यह नीति भारत में जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहल है।
  - इस नीति का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार, रोज़गार के अवसर सृजित करना और दूरसंचार क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है।
- **सभी के लिए ब्रॉडबैंड :** यह नीति सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने पर ज़ोर देती है जिससे पूरे भारत में सूचना व सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- **पीएम गति शक्ति :** वर्ष 2021 में शुरू की गई पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य पूरे देश में निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत बुनियादी ढाँचा तैयार करना है।
- **परिवहन एवं डिजिटल अवसंरचना :** इस योजना का ध्यान देश के परिवहन, रसद एवं दूरसंचार नेटवर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित है तथा यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल व भौतिक अवसंरचना एक-दूसरे के पूरक हों।
- **राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति :** नीति आयोग द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य भारत को ए.आई. अनुसंधान एवं विकास में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है।
  - एसेंचर ने अपनी हालिया ए.आई. शोध रिपोर्ट्स में चुनिंदा जी-20 देशों के लिए ए.आई. के आर्थिक प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है और अनुमान लगाया है कि ए.आई. वर्ष 2035 तक भारत की वार्षिक विकास दर को 1.3% तक बढ़ा देगा।
- **ए.आई. अनुसंधान एवं विकास :** भारत कई शोध संस्थानों और निजी उद्योग के हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से ए.आई. नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।
  - इसके परिणामस्वरूप NRI, 2024 रिपोर्ट में ए.आई. वैज्ञानिक प्रकाशन एवं ए.आई. प्रतिभा संकेंद्रण में भारत को शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुई है।
- **सामाजिक कल्याण के लिए ए.आई. :** यह रणनीति स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं कृषि जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए ए.आई. का उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **सभी के लिए डिजिटल साक्षरता :** प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को काफी बढ़ावा दिया है जिससे लोगों को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में मदद मिली है।

निष्कर्ष

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, 2024 में भारत का प्रभावशाली प्रदर्शन डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी नवाचार एवं शासन में की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। सरकार की व्यापक पहलों के साथ-साथ इसके दूरगामी 6G विज़न ने भारत को डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत को अपनी नेटवर्क तत्परता को अधिक बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों, विनियामक सुधारों एवं कौशल विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता है।

व्यापार घाटा एवं पूंजी अंतर्वाह तथा अर्थव्यवस्था

संदर्भ

भारत में लगातार व्यापार घाटे और निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं के आयात की स्थिति देखी जाती है। इसे प्राय: विनिर्माण की कमज़ोरी के संकेत के रूप में नकारात्मक रूप से समझा जाता है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को भ्रामक भी माना जा सकता है किंतु, व्यापार घाटे और अधिक आयात के कारण एवं प्रभावों पर ध्यान देना आवश्यक है।

व्यापार घाटा से तात्पर्य

- व्यापार घाटे की स्थिति तब होती है जब किसी देश के वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है।
- इस असंतुलन का अर्थ है कि किसी देश द्वारा अन्य देशों को जितनी बिक्री की जा रही है, उससे अधिक वह देश खरीद रहा है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार संतुलन नकारात्मक हो जाता है।

व्यापार घाटे के घटक

- **वस्तुएँ एवं सेवाएँ :** व्यापार घाटा वस्तुओं (भौतिक उत्पाद) एवं सेवाओं (अमूर्त उत्पाद, जैसे– पर्यटन, बैंकिंग, आदि) दोनों से उत्पन्न हो सकता है।
- **भुगतान संतुलन :** व्यापार घाटा एक बड़े वित्तीय ढाँचे का हिस्सा है जिसे भुगतान संतुलन के रूप में जाना जाता है। इसमें पूंजी खाता (पूंजी का अंतर्वाह एवं बहिर्वाह) और चालू खाता (व्यापार संतुलन, आय एवं चालू स्थानांतरण) शामिल हैं।
- **व्यापार घाटे की गणना का सूत्र :** व्यापार घाटा = कुल आयात – कुल निर्यात
  - यदि परिणाम सकारात्मक है तो यह व्यापार घाटे का संकेत है।

व्यापार घाटे के कारण

- **उच्च घरेलू मांग :** उपभोक्ता व्यय में वृद्धि से आयात में वृद्धि हो सकती है। यदि घरेलू उपभोक्ता गुणवत्ता, विविधता या कीमत के कारण विदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं तो इससे आयात स्तर बढ़ सकता है।
- **मुद्रा की मज़बूती :** जब किसी देश की मुद्रा की कीमत बढ़ती है, तो यह उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों के लिए आयात को सस्ता बना देता है। इससे आयात का स्तर बढ़ सकता है, जबकि विदेशी खरीददारों के लिए निर्यात अधिक महँगा हो सकता है। इससे निर्यात की मात्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्यापार घाटा बढ़ सकता है।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ :** कई कंपनियाँ उत्पादन के लिए वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भर रहती हैं और कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं घटकों का आयात करती हैं। इससे आयात की मात्रा बढ़ सकती है।
- **आर्थिक स्थिति :** यदि प्रमुख व्यापारिक साझेदारों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है तो निर्यात की मांग कम हो सकती है। इससे असंतुलन पैदा हो सकता है और ऐसी स्थिति में आयात जारी रहेगा जबकि निर्यात में गिरावट आएगी।
- इसके अलावा अन्य देशों की व्यापार नीतियाँ, संरचनात्मक कारक, सरकारी नीतियाँ, मौसमी एवं चक्रीय कारक, भू-राजनीतिक कारक आदि भी इसके कारकों में शामिल हैं।

व्यापार घाटे के निहितार्थ

- **आर्थिक विकास :** व्यापार घाटा आर्थिक विकास एवं उपभोक्ता विश्वास का संकेतक हो सकता है। अधिक आयात करने वाले देश पूंजी एवं वस्तुओं में निवेश कर सकते हैं जो विकास को बढ़ावा देते हैं।
- **रोज़गार सृजन एवं हानि :** हालाँकि, आयात से खुदरा जैसे क्षेत्रों में रोज़गार का सृजन हो सकता है किंतु इससे घरेलू निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो विदेशी वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
- **ऋण संबंधी विचार :** लगातार व्यापार घाटे के कारण विदेशी उधारी में वृद्धि हो सकती है जो देश के ऋण स्तर एवं वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।
- **विनिमय दरें :** व्यापार घाटा मुद्रा मूल्य को प्रभावित कर सकता है और लंबे समय तक घाटा रहने से देश की मुद्रा कमज़ोर हो सकती है।

उदाहरण एवं संदर्भ

- **अमेरिका :** अमेरिका कई वर्षों से व्यापार घाटे में चल रहा है, विशेष रूप से वस्तुओं के मामले में, किंतु सेवाओं का शुद्ध निर्यातक बना हुआ है।
  - वर्ष 2023 तक अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 773 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **विकासशील देश :** कई विकासशील राष्ट्र व्यापार घाटे में हैं क्योंकि वे विकास के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों का आयात करते हैं जबकि कच्चे माल का निर्यात करते हैं।

भारतीय संदर्भ

- परंपरागत रूप से व्यापार घाटे को नकारात्मक रूप से देखा जाता है तथा प्राय: इसे आर्थिक कमज़ोरी का संकेतक माना जाता है, विशेष रूप से भारत के विनिर्माण क्षमताओं के मामले में।
- हालाँकि, इसका विपरीत परिप्रेक्ष्य यह दर्शाता है कि भारत में लगातार बना रहने वाला व्यापार घाटा उसके विनिर्माण क्षेत्र की बुनियादी कमज़ोरी को नहीं, बल्कि सेवा क्षेत्र में उसकी सापेक्षिक मज़बूती तथा निवेश स्थल के रूप में उसके आकर्षण को दर्शाता है।
- जब तक भारत सेवाओं में अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त बनाए रखेगा तथा महत्त्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित करता रहेगा तब तक व्यापार घाटा बरकरार रहने की संभावना है।

घरेलू मांग बनाम निर्यात

- भारतीय विनिर्माण को प्रभावी ढंग से विस्तारित करने के लिए इसे मुख्यत: घरेलू मांग द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। केवल निर्यात पर निर्भर रहना जोखिमयुक्त हो सकता है, विशेषकर वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान।
  - वस्तुत: एक मज़बूत घरेलू बाज़ार स्थिरता प्रदान कर सकता है और विनिर्माण क्षमताओं में लगातार वृद्धि का समर्थन कर सकता है।

- घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढाँचे में सुधार, लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनिर्माण स्थानीय ज़रूरतों व मांगों के अनुरूप हो।

निवेश एवं चालू खाते के बीच संबंध

- जब कोई देश विदेशी निवेश आकर्षित करता है (अर्थात् पूंजी खाते में निधियों का शुद्ध अंतर्वाह होता है) तो ये अंतर्वाह पूंजी खाते में दिखाई देते हैं, जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित बहिर्वाह चालू खाते में दिखाई देते हैं। इस प्रकार, जो देश पूंजी आकर्षित करता है, उसके चालू खाते में घाटा होने की संभावना होती है या विदेशी मुद्रा भंडार एकत्रित होता है।
- **इसका सूत्र है :** पूंजी खाता अंतर्वाह = चालू खाता घाटा + मुद्रा भंडार में वृद्धि

विदेशी निवेश की भूमिका

- भारत का लक्ष्य अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। विदेशी निवेश घरेलू बचत पूल को पूरक बनाता है और बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है।
- अधिक पूंजी प्रवाह से परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में मदद मिलती है जिससे उच्च आर्थिक उत्पादन एवं रोज़गार सृजन हो सकता है।

विदेशी मुद्रा भंडार का महत्त्व

- **आपात स्थिति में :** विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक उतार-चढ़ाव एवं संकटों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है।
  - उदाहरण के लिए, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान इन भंडारों का प्रयोग आयात लागतों में वृद्धि को प्रबंधित करने में किया जा सकता है।
- **भंडार बनाए रखने की लागत :** विदेशी मुद्रा भंडार रखने में लागत लगती है, विशेषकर तब जब इन भंडारों पर मिलने वाला रिटर्न, विदेशी निवेशकों को भारत में उनके निवेश से मिलने वाले रिटर्न से कम हो।
- इस प्रकार, भारत को आपातकालीन स्थितियों के लिए पर्याप्त भंडार बनाए रखने और आर्थिक विकास में योगदान न देने वाले अत्यधिक संचय के मध्य संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

चालू खाता घाटा एवं विदेशी निवेश का अंतर्संबंध

- **आर्थिक विशेषता के रूप में चालू खाता घाटा :** चालू खाता घाटा को अर्थव्यवस्था का एक सामान्य पहलू माना जाता है जो विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।
  - भारत सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% के बराबर स्थिर चालू खाता घाटा बनाए रखने में कामयाब रहा है। इस स्तर को टिकाऊ माना जाता है और यह आर्थिक विकास को समर्थन देने वाली संगत पूंजी प्रवाह की अनुमति देता है।
- **निवेश गंतव्य :** चालू खाता घाटा की स्वीकृति यह दर्शाती है कि भारत विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य है जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि एवं विकास हो सकता है।

चालू खाते की संरचना

- **सेवाओं का शुद्ध निर्यातक :** भारत सेवाओं का शुद्ध निर्यातक है जो इस क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ दर्शाता है। उदाहरण के लिए, देश वैश्विक स्तर पर आई.टी. और सॉफ्टवेयर सेवाओं का अग्रणी प्रदाता है। हालाँकि, भारत को अधिक वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, जो समग्र चालू खाता घाटे का कारक होता है।
- **विनिर्माण निर्यात :** व्यापार घाटे के बावजूद भारत के पास विनिर्माण निर्यात के लिए एक ठोस आधार है, विशेषकर फार्मास्युटिकल्स (अमेरिका में उपभोग होने वाली 1/3 से अधिक दवाइयाँ भारत में बनती हैं) और ऑटोमोटिव घटक जैसे क्षेत्रों में।
  - ये क्षेत्र निर्यात घाटे की भरपाई करने एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं।

तुलनात्मक बनाम पूर्ण लाभ

आर्थिक सिद्धांत तुलनात्मक लाभ (दूसरों की तुलना में कम अवसर लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता) और पूर्ण लाभ (किसी अन्य देश की तुलना में अधिक वस्तु का उत्पादन करने की क्षमता) के बीच अंतर करता है।

चालू खाता घाटा

- चालू खाता घाटा यह दर्शाता है कि भारत कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करता है किंतु आयात का कुल मूल्य, निर्यात से अधिक है (अर्थात् कुल मिलाकर वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध आयातक होंगे)।

अवसर लागत

- अवसर लागत वह लागत है जो किसी विकल्प को चुनने पर छोड़े जाने वाले अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य को संदर्भित करती है।
- दूसरे शब्दों में, अवसर लागत अगले सबसे अच्छे विकल्प का मूल्य है जिसे आप चुनाव करते समय छोड़ देते हैं। यह दर्शाता है कि जब आप एक विकल्प को दूसरे विकल्प के बजाय चुनते हैं तो आप क्या खो देते हैं।

- **तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत :** यह सुझाव देता है कि देशों को उन वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जहाँ उन्हें तुलनात्मक लाभ हो।
- भारत के मामले में इसका अर्थ सेवाओं में अपनी शक्ति का लाभ उठाना है, जबकि यह पहचानना कि सक्षम होने के बावजूद भारत का विनिर्माण क्षेत्र वियतनाम एवं बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में कुछ श्रेणियों में वैश्विक मंच पर उतना प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता है।

GST परिषद् और पॉपकॉर्न कर

संदर्भ

21 दिसंबर, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद् ने पॉपकॉर्न पर कर की नई अलग-अलग दरें प्रस्तुत किए हैं।

GST परिषद् का नवीनतम निर्णय

- **पॉपकॉर्न पर कर की नई दरें इस प्रकार हैं–**
  - **5% GST :** नमक एवं मसालों के साथ मिश्रित गैर-ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर
  - **12% GST :** प्री-पैकेज्ड एवं ब्रांडेड पॉपकॉर्न
  - **18% GST :** कारमेल पॉपकॉर्न (चीनी कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत)
- इस परिवर्तन का उद्देश्य पहले की भ्रांति को दूर करना है क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों में पॉपकॉर्न पर अलग-अलग कर लगाया जाता था।

कराधान के पीछे तर्क

वित्त मंत्री के अनुसार, कारमेल पॉपकॉर्न पर योजक या अतिरिक्त चीनी (Added Sugar) सामग्री के कारण अधिक कर लगाया जाता है। वस्तुत: जिन उत्पादों में चीनी मिलाई जाती है उन पर अधिक कर लगता है।

आलोचनाएँ

- आलोचकों का तर्क है कि इस निर्णय से नौकरशाही जटिलता बढ़ेगी और नागरिकों को असुविधा होगी।
- भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन के अनुसार, इससे कर राजस्व में न्यूनतम योगदान होगा, जबकि नागरिकों के समक्ष जटिलता उत्पन्न होगी।
- पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने तर्क दिया कि इस कदम से जटिलता एवं तर्कहीनता बढ़ेगी।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद् के बारे में

- यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के कार्यान्वयन को प्रबंधित एवं नियंत्रित करने के लिए की गई है।
  - GST एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पूर्व में लगाए जाने वाले कई व्यापक कर समाहित हैं।

पृष्ठभूमि

- 122वें संविधान (संशोधन) विधेयक को अगस्त 2016 में राज्य सभा एवं लोक सभा दोनों द्वारा पारित किया गया।
- इस अधिनियम को 15 से अधिक राज्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा सितंबर 2016 में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई।
- 101वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों के भीतर संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार, GST परिषद् का गठन किया जाना था।

GST परिषद् सचिवालय की स्थापना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर, 2016 को GST परिषद् की स्थापना और नई दिल्ली स्थित सचिवालय के निर्माण को मंजूरी दी।
- राजस्व सचिव को GST परिषद् का पदेन सचिव नियुक्त किया जाता है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष परिषद् की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य (गैर-मतदानकर्ता) होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, परिषद् के सचिवालय में इसके संचालन के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सचिव एवं आयुक्त जैसे प्रमुख पद हैं।

GST परिषद् की संरचना (अनुच्छेद 279ए)

- संविधान के अनुच्छेद 279 ए(2) के अनुसार, जी.एस.टी. परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं–
  - केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)
  - केंद्रीय वित्त या राजस्व राज्य मंत्री
  - प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान मंत्री अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री
  - ऐसे मामलों में जहाँ कोई राज्य राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के अधीन है, राज्य का राज्यपाल एक प्रतिनिधि को नामित करता है।

GST परिषद् के कार्य (अनुच्छेद 279ए(4)

- परिषद् को GST से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है, जैसे–
  - कर योग्य या छूट प्राप्त वस्तुएँ एवं सेवाएँ
  - आदर्श GST कानून और विनियम
  - आपूर्ति का स्थान और सीमा सहित लेवी के सिद्धांत
  - GST कर दरें, जिनमें न्यूनतम दरें, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष दरें और विशिष्ट राज्यों के लिए प्रावधान शामिल हैं।
  - कृषि, सेवा या ई-कॉमर्स जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान।

म्यूचुअल फंड विनियमन में संशोधन

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (MF) के विनियमन के लिए कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

सेबी द्वारा प्रस्तुत संशोधन

विशेष निवेश कोष

- सेबी ने एक नए परिसंपत्ति वर्ग 'विशेष निवेश कोष (Special Investment Fund : SIF)' की शुरुआत के लिए मानदंड अधिसूचित किए हैं। इसकी न्यूनतम निवेश सीमा 10 लाख रुपए होगी।
- इसका उद्देश्य MF एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (Portfolio Management System : PMS) के बीच अंतर को पाटना है।
- इसके तहत म्यूचुअल फंड को ओपन-एंडेड, क्लोज-एंडेड एवं अंतराल निवेश रणनीतियों (Interval Investment Strategies) को लॉन्च करने की अनुमति होगी, जिसमें सब्सक्रिप्शन व रिडेम्प्शन फ्रीक्वेंसी (Frequency) का उचित रूप से प्रस्ताव दस्तावेज़ (Offer Document) में उल्लेख किया जाएगा।
- SIF के तहत कोई भी योजना अपने शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (Net Asset Value : NAV) के 20% से अधिक का निवेश ऋण साधनों में नहीं करेगी।
  - इसमें एकल जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और नॉन-मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जिन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड से नीचे नहीं रेट किया गया हो।
- निवेश सीमा को परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) के न्यासी बोर्ड और निदेशक मंडल की पूर्व स्वीकृति से NAV के 25% तक बढ़ाया जा सकता है।
- नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, 20% की सीमा ट्रेज़री बिलों व सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू नहीं होगी।
- SIF के तहत सभी योजनाओं को किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयरों एवं इक्विटी से संबंधित उपकरणों में अपने NAV के 10% से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- AMC को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि SIF की पहचान म्यूचुअल फंड से अलग हो, ताकि नए परिसंपत्ति वर्ग और म्यूचुअल फंड की ऑफरिंग (Offering) के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा जा सके।
- अधिसूचना के अनुसार, AMC ब्रांडिंग, विज्ञापन, मानक अस्वीकरण, प्रायोजक या म्यूचुअल फंड के ब्रांड नाम के उपयोग पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगी।

म्यूचुअल फंड लाइट

- सेबी ने निष्क्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए म्यूचुअल फंड लाइट विनियमन को भी अधिसूचित किया है।
- म्यूचुअल फंड लाइट AMC शुरू करने के लिए आवेदक के पास सभी व्यावसायिक लेनदेन में निष्पक्षता एवं ईमानदारी के संबंध में सामान्य प्रतिष्ठा और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ही AMC के नेटवर्थ में कम-से-कम 40% का योगदान होना चाहिए।
- म्यूचुअल फंड लाइट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कम-से-कम 35 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए जो परिसंपत्तियों में निवेश की गई हो।
  - हालाँकि, यदि कंपनी लगातार पाँच वर्ष तक मुनाफा कमाती है तो नेटवर्थ को 25 करोड़ रुपए तक कम किया जा सकता है।
- म्यूचुअल फंड लाइट विनियमन का उद्देश्य अनुपालन आवश्यकताओं को कम करना, निवेश बढ़ाना, निवेश विविधीकरण को सुविधाजनक बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना है।

बिटकॉइन रणनीतिक रिज़र्व

संदर्भ

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बिटकॉइन रणनीतिक रिज़र्व बनाने की घोषणा की है। इसके परिणामस्वरूप बिटकॉइन की कीमत 107,000 डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है।

क्या होता है रणनीतिक भंडार

- रणनीतिक भंडार महत्त्वपूर्ण संसाधनों के भंडार होते हैं जिसका उपयोग संकट या आपूर्ति में व्यवधान के समय किया जा सकता है।
  - इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यू.एस. रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व है जिसे वर्ष 1973-74 में अरब तेल संकट के बाद वर्ष 1975 में यू.एस. कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था।
- अमेरिकी प्रशासन ने युद्ध के दौरान या तूफान के कारण तेल के बुनियादी ढाँचे के नष्ट होने की स्थिति में तेल बाज़ारों को संतुलित करने के लिए इन भंडारों का उपयोग किया है।
- कनाडा के पास 'मेपल सिरप' का विश्व का एकमात्र रणनीतिक भंडार है, जबकि चीन के पास धातुओं, अनाजों के साथ ही पोर्क उत्पादों का भी रणनीतिक भंडार है।
  - मेपल सिरप शहद की तरह होता है। यह एक प्राकृतिक मधुरक है जिसमें उच्च मात्रा में स्टार्च होता है।

अमेरिका का रणनीतिक बिटकॉइन रिज़र्व

- वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप रिज़र्व बनाने के लिए अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं या कांग्रेस का कोई अधिनियम आवश्यक होगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप यू.एस. ट्रेज़री के एक्सचेंज स्थिरीकरण कोष को निर्देशित करने वाले कार्यकारी आदेश के माध्यम से रिज़र्व स्थापित कर सकते हैं।

- इसका उपयोग विदेशी मुद्राओं को खरीदने या बेचने और बिटकॉइन रखने के लिए भी किया जा सकता है।
- इस रिज़र्व में सरकार द्वारा आपराधिक व्यक्तियों से ज़ब्त किए गए बिटकॉइन शामिल हो सकते हैं।

बिटकॉइन रिज़र्व के लाभ

- बिटकॉइन रिज़र्व से अमेरिका को चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के सामने वैश्विक बिटकॉइन बाज़ार पर हावी होने में मदद मिलेगी।
- बिटकॉइन का भंडार रखने से अमेरिका कर बढ़ाए बिना अपने घाटे को कम कर सकता है जिससे अमेरिकी डॉलर मज़बूत होगा।
- मज़बूत डॉलर से बदले में अमेरिका को चीन और रूस जैसे विदेशी प्रतिस्पर्द्धियों पर अधिक लाभ मिलेगा।

बिटकॉइन रिज़र्व की चुनौतियाँ

- क्रिप्टो आलोचकों के अनुसार, अधिकांश अन्य वस्तुओं के विपरीत बिटकॉइन का कोई आंतरिक उपयोग नहीं है और यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है।
- वर्ष 2008 में निर्मित बिटकॉइन अभी भी बहुत नया एवं अस्थिर है, इसलिए इसके मूल्य में दीर्घकालिक वृद्धि का अनुमान लगाना मुश्किल है।
- क्रिप्टो वॉलेट साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील है और इसकी अस्थिरता को देखते हुए, किसी भी सरकारी खरीद या बिक्री का बिटकॉइन की कीमत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

भारत एवं ए.डी.बी. के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत सरकार एवं एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 350 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- यह ऋण मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम के दूसरे उप-कार्यक्रम के अंतर्गत है।

हस्ताक्षरकर्ता

- आर्थिक कार्य विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय
- उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- एशियाई विकास बैंक

SMILE कार्यक्रम के बारे में

- SMILE कार्यक्रम एक कार्यक्रमिक नीति-आधारित ऋण (PBL) है जिसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार करने में सरकार को सहयोग प्रदान करना है।
- कार्यक्रम दृष्टिकोण में दो उप-कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना और इसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलापन में सुधार करना है।

फोकस के प्रमुख क्षेत्र

- **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर :** राष्ट्रीय, राज्य एवं शहरी स्तर पर लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए संस्थागत आधार को मज़बूत करना
- **मानकीकरण :** आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स परिसंपत्तियों का मानकीकरण करना
- **बाह्य व्यापार रसद :** बाह्य व्यापार में रसद दक्षता में सुधार करना
- **स्मार्ट सिस्टम :** स्मार्ट, कुशल एवं निम्न उत्सर्जन वाली लॉजिस्टिक्स प्रणाली अपनाना

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर प्रभाव

- यह विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने की कुंजी है। इसका उद्देश्य लागत कम करना, दक्षता में सुधार करना, रोज़गार के अवसर सृजित करना और लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना है।
- यह टिकाऊ आर्थिक विकास का समर्थन कर भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो व्यापक आर्थिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में

- **क्या है :** यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है।
- **स्थापना :** वर्ष 1966 में
- **मुख्यालय :** मनीला, फिलीपींस में
- **सदस्य :** 69 सदस्य, जिनमें से 49 एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से तथा 20 बाहर से हैं।
- **उद्देश्य :**
  - सतत् आर्थिक विकास, समावेशी विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  - गरीबी उन्मूलन, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना।

एल्गो ट्रेडिंग

सेबी द्वारा खुदरा निवेशकों को एल्गो-आधारित ट्रेडिंग तक पहुँच की अनुमति देने की योजना बनाई जा रही है।

क्या है एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading)

- यह ऑर्डर का तेज़ी से निष्पादन (निपटान करने) और बेहतर मार्केट लिक्विडिटी के लिए एक कंप्यूटर-आधारित तथा एल्गोरिदम-आधारित ट्रेडिंग है।

- वर्तमान में केवल संस्थागत निवेशकों को एल्गो-आधारित ट्रेड्स में निवेश करने की अनुमति है।
- सेबी सभी निवेशकों के लिए एकसमान अवसर प्रदान करने के लिए एल्गो-ट्रेडिंग में खुदरा भागीदारी करने का प्रयास कर रहा है।
- प्रस्तावित नियमों के तहत एल्गो ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने वाले ब्रोकर ग्राहकों के ट्रेड्स के लिए ज़िम्मेदार होंगे। एक्सचेंज एवं ब्रोकर्स को ए.पी.आई. (Application Programming Interfaces) आधारित एल्गो प्रोग्राम की अनुमति देने की आवश्यकता होगी।

म्यूलहंटर ए.आई. टूल

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने म्यूलहंटर नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग-आधारित मॉडल शुरू किया है।

म्यूलहंटर ए.आई. टूल (MuleHunter AI tool) के बारे में

- **विकास :** आर.बी.आई. की सहायक कंपनी रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) द्वारा
- **उपयोग :** म्यूल एकाउंट (खाता) की कुशलतापूर्वक पहचान करना और उनका पता लगाना
  - म्यूल एकाउंट का उपयोग प्राय: मनी लॉन्ड्रिंग जैसी वित्तीय धोखाधड़ी गतिविधियों में किया जाता है।
- **विशेषता :** तुलनात्मक रूप से उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लेनदेन एवं खाता विवरण से संबंधित डाटासेट का विश्लेषण करके अधिक तीव्रता व सटीकता से म्यूल एकाउंट्स का पता लगाना संभव
- **आवश्यकता :** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, साइबर अपराध की शिकायतों में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की हिस्सेदारी 67.8%
  - यह प्रभावी ए.आई.-आधारित धोखाधड़ी रोकथाम समाधानों की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। ऐसे में यह पहल वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

मनी म्यूल एवं म्यूल एकाउंट

- मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो नकदी या महँगे उपहार के बदले अपने बैंक खाते में अवैध धन प्राप्त कर इसे दूसरे खाते में स्थानांतरित करता है। ऐसे एकाउंट को म्यूल एकाउंट कहते हैं।
- अपराधी इसके लिए युवाओं को लक्षित करते हैं जो इसके परिणामों से अनभिज्ञ होते हैं। इस तरह की गतिविधि में शामिल होने से बैंक खाता बंद होने के साथ ही वित्तीय उत्पादों और क्रेडिट तक पहुँच मुश्किल हो सकती है।
  - इससे कानून प्रवर्तन निकायों के लिए धन के प्रवाह का पता लगाना जटिल हो जाता है।
- बायोकैच की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में म्यूल एकाउंट्स की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2024 डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड ट्रेंड्स इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वैध भारतीय नागरिकों द्वारा म्यूल एकाउंट्स खोले जा रहे हैं तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खाते के उपयोग के लिए इसकी बिक्री (किराए पर उपलब्ध कराना) भी कर रहे हैं।
  - रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल म्यूल खातों में लगभग 18 मिलियन रुपए प्राप्त हुए हैं।

राष्ट्रीय लघु बचत कोष

दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने की मांग की है।

राष्ट्रीय लघु बचत कोष

- भारत के सार्वजनिक खाते में एक 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' (NSSF) की स्थापना वर्ष 1999 से की गई है।
- राष्ट्रीय लघु बचत निधि भारत में सरकारी खातों के बड़े एवं छोटे शीर्षों की सूची में एक नया उपक्षेत्र है।
  - सभी लघु बचत संग्रह इस निधि में जमा किए जाते हैं।
- जमाकर्ताओं द्वारा लघु बचत योजनाओं के तहत सभी निकासी इस निधि में जमा राशि से की जाती है। इस निधि में शेष राशि को केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।
  - निवेश पैटर्न भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए मानदंडों के अनुसार है।
- इस कोष का प्रशासन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 283(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय लघु बचत कोष (संरक्षण एवं निवेश) नियम, 2001 के अंतर्गत किया जाता है।
- एन.एस.एस.एफ. का उद्देश्य भारत की संचित निधि से लघु बचत लेनदेन को अलग करना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है।
  - चूँकि एन.एस.एस.एफ. सार्वजनिक खाते में संचालित होता है, इसलिए इसके लेनदेन केंद्र के राजकोषीय घाटे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।
- सार्वजनिक खाते में एक साधन के रूप में एन.एस.एस.एफ. के तहत शेष राशि प्रत्यक्ष देयताएँ हैं और केंद्र की बकाया देयताओं का एक हिस्सा हैं।
  - एन.एस.एस.एफ. प्रवाह केंद्र सरकार की नकदी स्थिति को प्रभावित करता है।

राष्ट्रीय लघु बचत कोष में तीन श्रेणियाँ

- **बचत साधन :** डाक जमा, जैसे- बचत खाते, आवर्ती जमा एवं सावधि जमा
- **मासिक आय योजनाएँ :** राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाण-पत्र (NSC) और किसान विकास-पत्र (KVP) जैसे बचत प्रमाण-पत्र
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ :** इसमें सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आदि शामिल हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में 6GHz से संबंधित चुनौतियाँ

संदर्भ

सोनी कंपनी की घोषणा के अनुसार, उसका नवीनतम गेमिंग कंसोल प्लेस्टेशन 5 प्रो, भारत सहित ऐसे कुछ देशों में उपलब्ध नहीं होगा जहाँ 'WiFi 7' में उपयोग किए जाने वाले 6GHz वायरलेस बैंड को अभी तक अधिकृत नहीं किया गया है। 'गेमिंग कंसोल' वीडियो गेम खेलने के लिए डिज़ाइन किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है।

WiFi बैंड का संक्षिप्त इतिहास

- भारत एवं विश्व भर में मुख्यत: WiFi में दो प्रमुख आवृत्ति बैंड 2.4GHz व 5GHz का उपयोग किया जाता है।
  - 2.4GHz में सीमित डाटा बैंडविड्थ होता है, यह धीमी कवरेज के साथ एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। 5GHz काफी तेज़ होता है किंतु कम दूरी को कवर करता है।
  - वर्ष 2002 से भारत में इन दोनों WiFi बैंड स्पेक्ट्रम की आवृत्तियों को उपयोग के लिए लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया।
- वर्ष 2020 में WiFi 6 तकनीक की शुरुआत की गई।
  - यह तकनीक 2.4GHz और 5GHz दोनों आवृत्तियों का एक-साथ उपयोग करती है जिससे अधिक दक्षता व बेहतर गति मिलती है।
- वर्ष 2021 में WiFi 6E तकनीक शुरू की गई, जिसने दुनिया को इस तकनीक को अनुमति देने वाले एवं अनुमति नहीं देने वाले दो गुटों में विभाजित कर दिया है।

6GHz स्पेक्ट्रम के बारे में

- 6GHz स्पेक्ट्रम 5,925 मेगाहर्ट्ज़ और 7,125 मेगाहर्ट्ज़ के बीच स्पेक्ट्रम के बैंड पर निर्भर होता है। 6GHz बैंड की सैद्धांतिक अधिकतम गति 9.6Gbps तक हो सकती है।
- 6GHz स्पेक्ट्रम मौजूदा 2.4GHz और 5GHz बैंड की तुलना में कम दूरी पर तेज़ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- वर्ष 2021 तक जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के. एवं अमेरिका सहित दुनिया भर के कई नियामक प्राधिकरणों ने WiFi के लिए स्पेक्ट्रम के तीसरे बैंड 6GHz को लाइसेंसमुक्त करना शुरू कर दिया।
- हालाँकि, भारत एवं चीन जैसे कई देशों ने अभी तक WiFi के लिए 6GHz स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) दुनिया भर में दूरसंचार, WiFi सैटेलाइट एवं उपयोग के अन्य मामलों के लिए वायरलेस आवृत्तियों को एकसमान रखने की कोशिश करता है किंतु कई देश अभी तक 6GHz बैंड के मानक पर सहमत नहीं हुए हैं।

भारत में 6GHz बैंड की स्थिति

- वर्तमान में भारत में 6GHz स्पेक्ट्रम के अनन्य अधिकार सैटेलाइट उपयोग के लिए केवल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पास है।
- भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) ने 6GHz स्पेक्ट्रम के आवंटन में देरी की है जो भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है।
- **दूरसंचार कंपनियों का पक्ष :** ये कंपनियाँ केवल 5G एवं 6G दूरसंचार उपयोग के लिए 6GHz स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग कर रही हैं।
  - दूरसंचार कंपनियों का दावा है कि बिना नीलामी के WiFi के लिए 6GHz स्पेक्ट्रम आवंटित करने से राष्ट्रीय खज़ाने को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है।
  - 6GHz बैंड दूरसंचार क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र मिड-बैंड स्पेक्ट्रम रेंज है जहाँ प्रति दूरसंचार सेवा प्रदाता 300-400 मेगाहर्ट्ज़ की निरंतर बैंडविड्थ संभव है, जो वर्ष 2030 की ओर तेज़ी से विकसित हो रही मांगों को पूरा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **टेक कंपनियों का पक्ष :** ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के अंतर्गत आने वाली टेक कंपनियों गूगल, मेटा, अमेज़न आदि ने केवल WiFi के उपयोग के लिए 6GHz स्पेक्ट्रम का अमेरिका की तरह आवंटन की मांग की है।
  - टेक फर्म्स का तर्क है कि अगर पूरे 6GHz बैंड को लाइसेंसमुक्त नहीं किया जाता है तो भारत वैश्विक नीति में अलग-थलग पड़ सकता है, घरेलू विनिर्माण में बाधा आ सकती है और डिजिटल आर्थिक विकास धीमा हो सकता है।
  - इसके अलावा यदि 6GHz बैंड को दूरसंचार सेवाओं के लिए आवंटित किया जाता है तो इससे गैर-विश्वसनीय स्रोतों से आयात बढ़ सकता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
- **इसरो का पक्ष :** 6GHz स्पेक्ट्रम आवंटन से इसरो के उपग्रह संचालन में संभावित हस्तक्षेप की चिंता है।
  - विशेषज्ञों का सुझाव है कि 6GHz मोबाइल सेवाएँ उपग्रहों में हस्तक्षेप कर सकती हैं किंतु WiFi की कम शक्ति के कारण ऐसी समस्या नहीं होती है।
  - इसरो ने दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन का विरोध किया है।

आगे की राह

- दूरसंचार विभाग का अंतिम निर्णय संभवत: अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार एवं उपग्रह सेवाओं के बीच सह-अस्तित्व अध्ययनों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

- विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2024 में भारत और कुछ अन्य देशों को 6GHz स्पेक्ट्रम के बारे में निर्णय लेने के लिए वर्ष 2027 तक का समय प्राप्त है।
- सरकार ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का अनुसरण कर सकती है, जिन्होंने आधे स्पेक्ट्रम को लाइसेंसमुक्त कर सभी के लिए उपलब्ध करा दिया है, जबकि बाकी आधे के प्रयोग पर विचार कर रही है।

स्पैडेक्स मिशन

संदर्भ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा 9 जनवरी को डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (Space Docking EXperiment : SpaDEX) मिशन लॉन्च किया जाएगा।

स्पैडेक्स मिशन के बारे में

उद्देश्य :

- स्पैडेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष यान को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास व प्रदर्शन करना है।
    - **डॉकिंग (Docking) :** डॉकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दो अंतरिक्ष यान (Spacecraft) अंतरिक्ष में भौतिक रूप से एक-साथ संयोजित होते हैं। इसमें आमतौर पर एक अंतरिक्ष यान, लक्ष्य अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष स्टेशन के समीप आता है और डॉकिंग पोर्ट के माध्यम से संयोजित होता है।
    - **अनडॉकिंग (Undocking) :** यह डॉक किए गए दो अंतरिक्ष यानों को अलग करने की प्रक्रिया है। इसमें आमतौर पर अंतरिक्ष यान को एक-साथ रखने वाले यांत्रिक या चुंबकीय लॉक को खोलने की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसके बाद ये सुरक्षित रूप से अलग होने के लिए प्रयासरत रहते हैं।
- यह मिशन इन-ऑर्बिट मरम्मत एवं असेंबली जैसे कार्यों के लिए उन्नत रोबोटिक्स का भी उपयोग करेगा, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है।
- स्पैडेक्स का उपयोग प्रायोगिक प्लेटफॉर्म के रूप में भी किया जाएगा, जिसे POEM-4 के रूप में जाना जाता है। इससे विभिन्न माइक्रोग्रैविटी प्रयोगों के लिए अनुमति (सहायता) मिलती है।
- इस मिशन के दौरान कुल 24 पेलोड उड़ाए जाएंगे, जिसमें शिक्षाविदों एवं स्टार्टअप्स का योगदान भी शामिल है।

विशेषताएँ

- इस मिशन को PSLV C60 द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा।
- इस मिशन के तहत दो उपग्रहों SDX01 या चेजर और SDX02 या टारगेट को लॉन्च किया जाएगा जिनमें से प्रत्येक का वज़न लगभग 220 किग्रा. है।
    - इन उपग्रहों को लगभग 475 किमी. की निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थापित किया जाएगा।
    - दोनों उपग्रह अगले दस दिनों में अंतरिक्ष में डॉकिंग का उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे।
- दोनों उपग्रह एक-दूसरे का पता लगाने, संरेखित करने और डॉक करने के लिए अत्याधुनिक सेंसर एवं एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे। वे आपस में विद्युत शक्ति का भी हस्तांतरण करेंगे, जो अंतरिक्ष में रोबोटिक्स और समग्र अंतरिक्ष यान नियंत्रण जैसे भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। अलग होने के बाद दोनों उपग्रहों पर लगे पेलोड दो वर्षों तक काम करते रहेंगे।
- यह मिशन एक तकनीकी प्रदर्शन के साथ ही अधिक जटिल परिचालनों के लिए भी महत्त्वपूर्ण है जिसमें उपग्रह सर्विसिंग एवं फॉर्मेशन फ्लाइंग आदि शामिल हैं।

महत्त्व

- मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत उन्नत डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।
- स्पैडेक्स उन मिशनों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिनमें साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई उपग्रहों को लॉन्च करने की आवश्यकता होती है।
- स्पैडेक्स का सफल निष्पादन भविष्य के मिशनों के लिए नए मार्ग प्रशस्त कर सकता है और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति को अधिक मज़बूत कर सकता है।
- स्पैडेक्स मिशन अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता की उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने पर केंद्रित है जो चंद्रयान एवं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस सफल प्रक्षेपण के बाद जटिल अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संचालन के लिए इसरो की क्षमता में वृद्धि होगी।

भारत में बढ़ती सिलिकोसिस की समस्या

संदर्भ

भारत की विकास आकांक्षाओं ने राष्ट्रीय खनन उद्योग को विनिर्माण में उपयोग के लिए अधिक खनिज निष्कर्षण के लिए प्रेरित किया है। ऐसा ही एक खनिज सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका है जो रेत व पत्थर का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

क्या है सिलिकोसिस

- सिलिकोसिस फेफड़े की एक बीमारी है जो सिलिका धूल को श्वास के साथ अंदर लेने से होती है।
    - सिलिका रेत, क्वाट्र्ज़ एवं अन्य प्रकार की चट्टानों में पाया जाने वाला एक महीन पाउडर है।
- समय के साथ सिलिका धूल फेफड़ों में सूजन एवं घाव उत्पन्न करती है जिससे श्वसन मुश्किल हो सकता है।

- सिलिकोसिस कार्यस्थल से संबंधित बीमारी है जो प्रायः निम्नलिखित उद्योगों में काम करने वाले लोगों को अत्यधिक प्रभावित करती है–
  - निर्माण एवं विध्वंस पत्थर की चिनाई व कटाई
  - मिट्टी के बर्तन (मृद्भांड)
  - चीनी मिट्टी एवं काँच का निर्माण
  - खनन एवं उत्खनन
  - रेत विस्फोट
- सिलिकोसिस का जोखिम आयु से संबंधित नहीं है बल्कि कई वर्षों तक सिलिका धूल के संपर्क में रहने वाले खदान श्रमिकों में सिलिकोसिस विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अनुसार, नई खदानों के खुलने से सिलिकोसिस पीड़ितों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- वर्तमान में सिलिकोसिस के लिए कोई स्पष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है तथा बचाव ही इससे निपटने का सर्वोत्तम उपाय है।

सिलिकोसिस के लक्षण

- श्वसन में तकलीफ
- शारीरिक गतिविधि के बाद लंबे समय तक चलने वाली खांसी
- सीने में दर्द
- कारण स्पष्ट हुए बिना वज़न घटना
- हल्का बुखार
- उँगलियों में सूजन
- त्वचा पर नीलापन
- साँस लेते समय तेज़ सी.टी. जैसी आवाज़

सिलिकोसिस से निपटने में चुनौतियाँ

- सिलिकोसिस की स्थिति से निपटने के लिए विशेष अस्पतालों की कमी
- खदान संचालकों द्वारा प्रायः विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित श्रमिकों के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय को सूचित न करना
  - इससे राज्य सरकार खदान संचालकों के कार्यस्थल प्रथाओं के बारे में कार्रवाई योग्य जागरूकता विकसित करने से वंचित हो जाती है।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा सिलिकोसिस को तपेदिक के रूप में गलत तरीके से दर्ज कर देना
- NGT के अनुसार, संबंधित अधिकारी द्वारा कानून का पालन न करना
- खदान श्रमिकों के कल्याण में राज्य की निष्क्रियता
- निम्न साक्षरता एवं स्वास्थ्य देखभाल कवरेज की कमी वाले सीमांत राज्यों में खनिज संसाधनों का केंद्रित होना
- श्रमिकों को खराब कार्य परिस्थितियों का सामना करना

सिलिकोसिस से निपटने के सरकारी प्रयास

NGT द्वारा दिशा-निर्देश

- इसी वर्ष 29 नवंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिलिका खनन एवं वाशिंग प्लांट के लिए अनुमति देने के संबंध में नए नियम तैयार करने का निर्देश दिया।
  - NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिलिका खदानों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता, 2020

- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता, 2020 मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को सिलिकोसिस के मामलों को योग्य चिकित्सकों को सूचित करने के लिए बाध्य करती है।
- इस संहिता के अनुसार, खदान श्रमिकों के नियोक्ताओं को श्रमिकों को शारीरिक क्षति के खतरों और सिलिकोसिस सहित विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित श्रमिकों के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय को सूचित करना आवश्यक है।

डिजिटल धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एवं जर्मनी के साथ-साथ भारत भी फिशिंग हमलों (Phishing Attack) द्वारा लक्षित शीर्ष पाँच देशों में शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में फिशिंग हमलों में 58.2% की वृद्धि हुई है।

धोखाधड़ी के विभिन्न रूप

फिशिंग

फिशिंग के तहत धोखाधड़ी करने वाले ईमेल, लिंक के माध्यम से या बैंक, बीमा फर्म व सरकारी विभागों जैसी वैध संस्थाओं की नकली वेबसाइट से जानकारी चुराते हैं।

स्मिशिंग (SMS फिशिंग)

स्मिशिंग के अंतर्गत धोखाधड़ी करने वाले संदेश आधार सेवाओं या डिजिटल वॉलेट जैसी संस्थाओं का प्रयोग करके उपयोगकर्ताओं को गलत लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं।

विशिंग (वॉयस फिशिंग)

विशिंग में धोखेबाज़ फर्ज़ी बैंक प्रतिनिधि या अन्य अधिकारी बनकर फोन कॉल या वॉयस नोट के माध्यम से पीड़ितों से OTP, खाते का विवरण आदि के लिए धोखाधडी करते हैं।

साइबर अपराध में AI का बढ़ता दुरुपयोग

साइबर खतरे परिशुद्ध रूप से AI-संचालित स्वरूप में बदल गए हैं जिन्हें मानवीय कमज़ोरियों का लाभ उठाने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है।

व्यक्तिगत फिशिंग

AI के माध्यम से हमलावर सोशल मीडिया प्रोफाइल का परीक्षण करने और अत्यधिक लक्षित फिशिंग ईमेल का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च वेतन वाली नौकरी के दावे के साथ स्थानीय जॉब पोर्टल की नकल करने वाला ईमेल भेजना।

डीपफेक तकनीक

AI जनित आवाज़ों एवं वीडियो का उपयोग विश्वसनीय व्यक्तियों का प्रतिकृति तैयार करने के लिए विशिंग कॉल में किया जाता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय हस्तांतरण को अधिकृत करने के लिए अधिकारियों की डीपफेक वॉयस कॉल का उपयोग करना।

पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर

पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर एक तरह का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो पहचान छिपाने के लिए लगातार अपना कोड बदलता रहता है। AI-संचालित मैलवेयर पारंपरिक एंटी-वायरस प्रोग्राम को दरकिनार करते हुए लगातार अपना कोड विकसित करता रहता है।

स्मिशिंग के लिए चैटबॉट

AI बॉट व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में मनुष्यों जैसी बातचीत की नकल करते हैं जिससे धोखाधड़ी प्रक्रियाएँ अधिक विश्वसनीय हो जाती हैं।

इंटरैक्टिव स्मिशिंग

गिग प्लेटफॉर्म (जैसे– ज़ोमैटो, स्विगी, ओला आदि) के ग्राहक सेवा एजेंट बनकर AI चैटबॉट नकली 'रिफंड' का लालच देकर भुगतान विवरण निकाल सकते हैं।

विशिंग में वॉयस स्पूफिंग

हमलावर क्षेत्रीय लहज़े एवं बोलियों की नकल करने के लिए AI-जनरेटेड आवाज़ों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, स्कैमर्स द्वारा क्षेत्रीय भाषा के अधिकारियों का रूप धारण करना।

हाइब्रिड स्मिशिंग विशिंग हमले

धोखेबाज़ SMS और वॉयस कॉल के संयोजन का उपयोग करते हैं। इसमें SMS एक प्रलोभन के रूप में काम करता है जिसके बाद की गई कॉल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

साइबर हमलों से निपटने के उपाय

तकनीकी उपाय

- क्विक हील एवं K7 सिक्योरिटी जैसे AI-संचालित साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग फिशिंग लिंक एवं मैलवेयर या एंटी-स्पैम व एंटी-फिशिंग ब्राउज़र एक्सटेंशन का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।
- स्पैम फिल्टर एवं एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर पहली सुरक्षा पंक्ति है, जबकि मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण व एन्क्रिप्शन उभरते खतरों के खिलाफ मज़बूत सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  - मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (MFA) को पेटीएम एवं गूगल पे जैसे भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापक रूप से अपनाया जाता है।
  - इससे उपयोगकर्ता के लिए अपने खातों में लॉगिन करने के लिए कई सत्यापन चरण अनिवार्य हो जाते हैं।
- वर्तमान में कई भारतीय बैंक और ई-कॉमर्स साइट लेनदेन के दौरान संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं।
- भारत में प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने पहले ही निःशुल्क AI-संचालित 'स्पैम कॉल डिटेक्शन' टूल की शुरुआत की है जो पूर्व में स्पैम कॉल के रूप में रिपोर्ट किए गए नंबरों के लिए चेतावनी प्रदर्शित करते हैं।
- बैंकिंग एवं आई.टी. जैसे उद्योगों में नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

व्यक्तिगत उपाय

- अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना
- साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर घटना की रिपोर्ट करना
- हैक किए गए पासवर्ड बदलना और अनधिकृत गतिविधि के लिए खातों की निगरानी करना
- व्यक्तिगत विवरण साझा करने या अज्ञात स्रोतों से प्राप्त लिंक पर क्लिक करने से बचना
- स्पैम कॉल की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए Truecaller जैसे टूल का उपयोग करना
- व्यापक डिजिटल साक्षरता अभियानों में प्रतिभाग करना

भारत में उपलब्ध विधिक उपाय

- भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 फिशिंग, स्मिशिंग एवं विशिंग से संबंधित अपराधों को कवर करता है, जिसमें जुर्माना व कारावास का प्रावधान है।
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-IN) संगठनों को छह घंटे के भीतर डाटा उल्लंघनों की रिपोर्ट करने का आदेश देता है।
- फिशिंग के मामलों में, विशेष रूप से जहाँ कुछ पैसों का हेरफेर शामिल होता है वहाँ साइबर सेल आरोपी के खाते को फ्रीज़ कर देता है और पीड़ित को फ्रीज़ किए गए खाते से धन स्थानांतरित करने में मदद करता है।

- आरोपी के बारे में उसके KYC विवरण से जानकारी ली जा सकती है और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है।
- भारत में किसी भी डिजिटल धोखाधड़ी या साइबर अपराधों के संदर्भ में नागरिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पर रिपोर्ट कर सकते हैं।

न्यूट्रास्युटिकल्स : एक अवलोकन

संदर्भ

केरल शास्त्र साहित्य परिषद् की एक शाखा 'कानून एवं नैतिकता का उपयोग करते हुए छद्म विज्ञान के विरुद्ध अभियान' (Campaign Against Pseudo Science Using Law and Ethics : CAPSULE) ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के समक्ष तीन न्यूट्रास्युटिकल्स उत्पादों के ऑनलाइन विपणन दावों व बिक्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

न्यूट्रास्युटिकल्स के बारे में

- न्यूट्रास्युटिकल्स (Nutraceuticals) खाद्य स्रोतों से प्राप्त ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले मूल पोषण मूल्य के अलावा अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं।
  - न्यूट्रास्युटिकल्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई परिभाषित गुण नहीं है।
- 'न्यूट्रास्युटिकल' शब्द दो शब्दों पौष्टिक खाद्य घटक (Nutrient) और चिकित्सा दवा (Pharmaceutical) से मिलकर बना है।
- यह नाम वर्ष 1989 में अमेरिकी फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन के संस्थापक स्टीफन डेफेलिस ने गढ़ा था।

न्यूट्रास्युटिकल्स का वर्गीकरण

- इन उत्पादों को उनके प्राकृतिक स्रोतों, औषधीय घटकों और उत्पादों की रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- न्यूट्रास्युटिकल्स को प्रमुख रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है–
  - **आहार पूरक :** ऐसे उत्पाद जिसमें खाद्य उत्पादों से प्राप्त पोषक तत्त्व होते हैं जो तरल, कैप्सूल, पाउडर या गोली के रूप में केंद्रित होते हैं।
  - **कार्यात्मक भोजन :** कार्यात्मक भोजन में संपूर्ण खाद्य पदार्थ और फोर्टिफाइड, समृद्ध या संवर्द्धित आहार घटक शामिल होते हैं। ये दीर्घकालिक बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं और इसमें शामिल पारंपरिक पोषक तत्त्वों से परे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं।
  - **औषधीय भोजन :** इसको एक योग्य चिकित्सक की देखरेख में आंतरिक रूप से सेवन करने के लिए तैयार किया जाता है। इसका इच्छित उपयोग किसी बीमारी या स्थिति का विशिष्ट आहार प्रबंधन है जिसके लिए पोषण संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को चिकित्सा मूल्यांकन एवं मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर स्थापित किया जाता है।
  - **फार्मास्युटिकल्स :** फार्मास्युटिकल्स संशोधित कृषि फसलों या जानवरों से उत्पादित चिकित्सकीय रूप से मूल्यवान घटक होते हैं।

न्यूट्रास्युटिकल्स के स्वास्थ्य लाभ

- न्यूट्रास्युटिकल्स का उपयोग स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, पुरानी बीमारियों को रोकने, आयु बढ़ने की प्रक्रिया को स्थगित करके जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने या शरीर के कार्यों एवं संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करने में किया जा सकता है।
- इन उत्पादों को मधुमेह, गुर्दे एवं जठरांत्र संबंधी विकारों के साथ-साथ विभिन्न संक्रमणों जैसी जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वस्थ स्रोत माना जाता है।
- न्यूट्रास्युटिकल्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रतिरक्षा स्थिति और कुछ रोग स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- न्यूट्रास्युटिकल्स अल्ज़ाइमर रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, पार्किंसंस रोग, कैंसर, एलर्जी एवं मोटापे सहित ऑक्सीडेटिव तनाव से संबंधित रोग-संशोधित संकेत भी प्रदर्शित करते हैं।

हालिया विवाद

- **क्या है :** CAPSULE नामक संस्था ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) द्वारा विकसित 3 उत्पादों अल्गामिन टेंशन, एल्गैमिन डायबेट-ईज कैप्सूल, ग्रीनरेक्स कैप्सूल के स्वास्थ्य लाभों के भ्रामक दावों के विरुद्ध FSSAI के समक्ष शिकायत दर्ज की है।
- **सुरक्षा की चिंता :** शिकायत में आधिकारिक दस्तावेज़ों के आधार पर बताया गया है कि इन उत्पादों का मानव परीक्षण नहीं किया गया है और उनकी सुरक्षा एवं प्रभावकारिता को लेकर चिंताएँ हैं।
- **कानून का उल्लंघन :** ये उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन व दावा) विनियम, 2018; खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का उल्लंघन करते हैं।

न्यूट्रास्युटिकल्स से संबंधित चिंताएँ

- **विनियमन की कमी :** न्यूट्रास्युटिकल्स वैश्विक रूप से परिभाषित नहीं हैं जिससे इनके विनियमन में चुनौती बनी हुई है।
- **भ्रामक मार्केटिंग प्रचार :** इन उत्पादों को वास्तविक नैदानिक साक्ष्य के आधार पर बेचे जाने के बजाय मार्केटिंग प्रचार द्वारा बेचा जाता है।
- **मानव परीक्षणों का अभाव :** न्यूट्रास्युटिकल्स के मानव परीक्षणों में कमी के कारण स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रभावकारिता के लिए ठोस सबूत नहीं है।
- **गुणवत्ता में कमी :** फार्मा कंपनियों द्वारा इन उत्पादों के लिए आवश्यक घटकों के स्थान पर सस्ते जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिससे इनकी गुणवत्ता एवं संभावित स्वास्थ्य लाभ पर प्रभाव पड़ता है।

मशीन लर्निंग मॉडल के लिए एक नई भाषा 'स्ट्रॉन्ग'

संदर्भ

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग (ML) मॉडल के लिए एक नई भाषा विकसित की है जो नैनोपोर्स के आकार एवं संरचना को वर्णों के अनुक्रम के रूप में कोडित करती है।

- IISc ने इस नई भाषा को 'स्ट्रॉन्ग' (STring Representation Of Nanopore Geometry : STRONG) नाम दिया है।
- 'स्ट्रॉन्ग' भिन्न-भिन्न परमाणु विन्यासों को अलग-अलग अक्षर प्रदान करती है और नैनोपोर के किनारे (Edge of Nanopore) पर सभी परमाणुओं का एक क्रम बनाती है जिससे उसका आकार निर्धारित होता है।
- इस भाषा का उपयोग किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में नैनोपोर्स के गुणों की भविष्यवाणी करने के लिए प्रशिक्षित करने में किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी की तरह न्यूरल नेटवर्क (Machine Learning Model) स्ट्रॉन्ग में अक्षरों को पढ़कर यह समझ सकते हैं कि नैनोपोर कैसा दिखेगा और इसकी विशेषताएँ क्या होंगी?
- शोधकर्ताओं ने ज्ञात गुणों (जैसे– ऊर्जा निर्माण या गैस परिवहन में अवरोध) वाले अनेक नैनोपोर संरचनाओं का उपयोग तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए किया।
  - तंत्रिका नेटवर्क इस प्रशिक्षण डाटा का उपयोग एक अनुमानित गणितीय फंक्शन का पता लगाने के लिए करता है जिसका उपयोग तब नैनोपोर के गुणों का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है जब इसकी संरचना STRONG अक्षरों के रूप में दी गई हो।
- **महत्त्व :** इससे रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए अपार संभावनाएँ भी खुलती हैं जिसमें विशिष्ट गुणों के साथ एक नैनोपोर संरचना का निर्माण करना भी शामिल है, जो कि गैस पृथक्करण में विशेष रूप से उपयोगी है।

नैनोपोर्स (Nanopores) के बारे में

- **क्या है :** नैनोपोर्स (Nanopores) नैनोमीटर व्यास वाले नैनोस्केल छिद्र होते हैं जिनका उपयोग नैनोपोर अनुक्रमण तकनीक (Nanopore Sequencing Technology) में किया जा सकता है। ये पोर्टेबल हैं, जैव रासायनिक अभिकर्मकों से स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें भौतिक विधियों का उपयोग करके सीधे पढ़ा जा सकता है।
- **आकार :** नैनोपोर का आकार बेलनाकार, शंक्वाकार या दोनों का संयोजन हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक नैनोपोर में एक संकीर्ण बेलनाकार छिद्र हो सकता है जो एक शंक्वाकार क्षेत्र में खुलता है। यह फिर एक चौड़े व लंबे सिलेंडर की ओर जाता है जिसे 'वेस्टिब्यूल' कहते हैं।
- **निर्माण :** नैनोपोर्स का निर्माण सिलिकॉन या ग्रैफीन जैसे सिंथेटिक पदार्थों में किया जा सकता है या उन्हें जैविक सब्सट्रेट में छिद्र-निर्माण प्रोटीन द्वारा बनाया जा सकता है।
- **अनुप्रयोग :** नैनोपोर्स का अनुप्रयोगों विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है जिनमें शामिल हैं–
  - **एकल-अणु का पता लगाना :** जब एक नैनोपोर को विद्युत-रोधी झिल्ली में स्थापित किया जाता है तो इसका उपयोग एकल अणुओं का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।
  - **डी.एन.ए. शृंखला बनाना :** डी.एन.ए. स्ट्रैंड पर प्रत्येक बेस के आकार एवं विद्युत गुणों का आकलन डी.एन.ए. को नैनोपोर से गुज़ार कर किया जा सकता है। इससे शोधकर्ताओं को जीन में त्रुटियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है जो कैंसर का कारण बन सकती हैं।

उपग्रह अंतरिक्ष प्रदूषण के प्रभाव

संदर्भ

वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में लगभग दस हज़ार से भी अधिक सक्रिय उपग्रह हैं जिनकी संख्या वर्ष 2030 तक बढ़कर एक लाख तक होने का अनुमान है। चूँकि, अधिकांश उपग्रह अपने जीवन-चक्र के अंत में पृथ्वी के वायुमंडल में ही विघटित हो जाते हैं और विघटन के दौरान ये उपग्रह ऊपरी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। ऐसे में इन प्रदूषकों से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है।

क्या है उपग्रह अंतरिक्ष प्रदूषण

- उपग्रह प्रदूषण, उपग्रहों एवं अन्य अंतरिक्ष मलबे द्वारा उत्पन्न ऐसे प्रदूषक हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण व मानव गतिविधियों पर पड़ सकता है। इस प्रकार का प्रदूषण परित्यक्त अंतरिक्ष यान, मिशन से संबंधित मलबा, परित्यक्त रॉकेट सिस्टम एवं अंतरिक्ष यान के टूटने से विखंडित टुकड़ों, अंतरिक्ष यान से निष्कासित ठोस तरल पदार्थों आदि से उत्पन्न होता है।
- अमेरिकी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के वायुमंडलीय वैज्ञानिकों के अनुसार, समतापमंडल में 10% एरोसोल कणों में एल्युमिनियम व अन्य धातुएँ होती हैं जो उपग्रहों के दहन और पुन: प्रवेश के दौरान रॉकेट चरणों से उत्पन्न होती हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में उपग्रह पुन:प्रवेश से एल्युमिनियम एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 3.3 बिलियन ग्राम से बढ़कर वर्ष 2022 में 5.6 बिलियन ग्राम हो गया।
- इसके अलावा रॉकेट प्रक्षेपण से होने वाले उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है जिनमें ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं विभिन्न प्रकार की क्लोरीन गैस आदि शामिल हैं।

उपग्रह प्रदूषण के प्रभाव

- **वायुमंडल के रासायनिक गुणों में परिवर्तन :** अंतरिक्ष यान में मिश्रधातुओं के दहन के दौरान निष्कर्षित होने वाले ताँबे एवं अन्य धातुओं को वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक माना जाता है। ऐसे में वायुमंडल उपग्रहों से होने वाले प्रदूषण में वायुमंडल के रासायनिक गुणों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं।
  - चूँकि, पृथ्वी पर जीवन अरबों वर्षों में ग्रह के विशिष्ट वातावरण के अनुकूल ढलने के लिए विकसित हुआ है और ऐसे में इस प्रकार के छोटे-छोटे बदलाव भी ग्रह को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- **ओज़ोन परत पर प्रभाव :** वैज्ञानिकों ने इस प्रदूषण के कारण पृथ्वी के समतापमंडल में ओज़ोन परत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विशेष रूप चिंता जताई है। चूँकि, यह परत सूर्य से आने वाली 99% पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ऐसे में इसमें होने वाले किसी भी बदलाव से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है।
  - उदाहरण के लिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड ओज़ोन परत के क्षरण के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक है जो ओज़ोन परत के लिए एक बड़ा नया खतरा बनता जा रहा है।
- **वैश्विक तापन :** विशेषज्ञों के अनुसार, रॉकेट इंजन से निकलने वाली कालिख (Shoot) सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है जो वायुमंडल को गर्म करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **कृत्रिम बादल निर्माण :** उपग्रहों से निकलने वाली धातुएँ एवं छोटे कण मेघ बीजन (Cloud Seeding) के रूप में कार्य करते हैं जो कृत्रिम रूप से बादल निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकती है।

ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क-3

इसरो ने 18 दिसंबर, 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) में ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (HLVM-3) को असेंबल करना शुरू कर दिया। HLVM-3 की असेंबली LVM3-X/CARE मिशन की 10वीं वर्षगाँठ के अवसर पर शुरू हुई।

HLVM-3 के बारे में

- HLVM-3 असेंबली के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण विकास LVM-3 लॉन्च वाहन की सफल ह्यूमन रेटिंग है।
- ह्यूमन रेटिंग में यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण शामिल है कि वाहन की प्रणालियाँ मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं।
- HLVM-3 का उपयोग गगनयान मिशन के तहत भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान में किया जाएगा।
- इस मिशन के लिए S200 मोटर्स, नियंत्रण प्रणाली एवं एवियोनिक्स जैसे अतिरिक्त घटकों को एकीकृत किया जा रहा है।

HLVM-3 की विशिष्टताएँ

- **चरण :** तीन-चरणीय वाहन
- **ऊँचाई :** 53 मीटर
- **वज़न :** 640 टन
- **पेलोड क्षमता :** निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में 10 टन तक ले जा सकता है।
- **क्रू एस्केप सिस्टम (CES) :** इसमें CES को शामिल किया गया है जो चढ़ाई के प्रत्येक चरण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और वाहन के वायुमंडलीय उड़ान व्यवस्था से अलग होने तक क्रियाशील रहता है।

भविष्य की अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए गगनयान का महत्त्व

- गगनयान मिशन न केवल भारत के पहले मानवयुक्त मिशन की ओर एक कदम है, बल्कि यह भारत के भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के लिए एक महत्त्वपूर्ण अग्रदूत भी है।
- गगनयान मिशन से प्राप्त सबक उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढाँचे के विकास में योगदान देंगे, जो भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों का समर्थन करेंगे।

- आगामी मानवरहित गगनयान मिशन, मानवयुक्त मिशन से पहले सभी प्रमुख प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के लिए परीक्षण स्थल के रूप में काम करेगा।
- HLVM-3 वाहन का सफल संयोजन और आवश्यक परीक्षणों का पूरा होना भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

गगनयान मिशन के बारे में

- गगनयान परियोजना में तीन-दिवसीय मिशन के लिए तीन सदस्यों के दल को 400 किमी. की कक्षा में प्रक्षेपित करना है और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है।
- इस कार्यक्रम में तीन मानवरहित मिशन और एक मानवयुक्त मिशन शामिल हैं। पहला मानवरहित मिशन वर्ष 2024-2025 के लिए निर्धारित है, जबकि मानवयुक्त मिशन वर्ष 2025-2027 के बीच होने की उम्मीद है।

इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस

भारत के मशहूर तबला वादक ज़ाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (Idiopathic Pulmonary Fibrosis : IPF) के कारण अमेरिका में निधन हो गया।

क्या है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस

- IPF फेफड़ों की दीर्घकालिक गंभीर बीमारी है जो फेफड़ों के वायुकोषों या एल्वियोली के आसपास के ऊतकों को प्रभावित करती है।
- यह स्थिति तब विकसित होती है जब अज्ञात कारणों से फेफड़े के ऊतक स्थूल एवं कठोर हो जाते हैं। समय के साथ ये परिवर्तन फेफड़ों को स्थायी रूप से ज़ख्मी कर सकते हैं, जिसे 'फाइब्रोसिस' भी कहा जाता है।
- ऊतक में घाव के कारण साँस लेना एवं फेफड़ों से मानव शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
  - इससे प्रभावित व्यक्ति के लिए धीरे-धीरे साँस लेना मुश्किल हो जाता है।
  - स्वस्थ फेफड़े के मामले में ऑक्सीजन आसानी से वायुकोषों की दीवारों से होकर केशिकाओं में और अंततः रक्तप्रवाह में चली जाती है।
  - हालाँकि, IPF के मामले में एल्वियोली की दीवारें मोटी हो जाती हैं जिससे ऑक्सीजन का रक्त में जाना मुश्किल हो जाता है।
- धूम्रपान की आदत या IPF की बीमारी के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्ति को इस बीमारी का जोखिम अधिक होता है। यह जोखिम आयु के साथ बढ़ता ही जाता है।

IPF के लिए जोखिम कारक

- आयु में वृद्धि के साथ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का अधिक जोखिम
- धूम्रपान की आदत वाले लोगों में IPF सबसे सामान्य जोखिम
- इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक सामान्य
- पारिवारिक इतिहास और विरासत में मिले जीन के कारण भी IPF विकसित होने की अधिक संभावना

IPF के लक्षण

साँस लेने में समस्या, लंबे समय तक सूखी खाँसी, जोड़ों एवं माँसपेशियों में दर्द, थकान या कमज़ोरी महसूस करना, वज़न कम होना।

IPF के लिए उपचार

- वर्तमान में IPF का कोई स्पष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, दवाएँ, प्रक्रियाएँ या अन्य उपचार फेफड़ों की क्षति को धीमा करने और बाद में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।
- **दवाएँ :** Nintedanib या Pirfenidone जैसी दवाएँ फेफड़ों को बेहतर ढंग से काम करने में मदद कर सकती हैं। एंटासिड पेट के एसिड को रिफ्लक्स से फेफड़ों में प्रवेश करने और IPF को बदतर बनाने से रोकने में मदद कर सकता है।
- **ऑक्सीजन थेरेपी :** यह साँस की तकलीफ को कम करने और व्यायाम क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करती है।
- **सर्जरी :** दीर्घकालिक IPF वाले कुछ लोगों के लिए फेफड़े का प्रत्यारोपण एक विकल्प हो सकता है। हालाँकि, फेफड़े के प्रत्यारोपण से बड़ी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि- संक्रमण या शरीर द्वारा नए अंग के प्रत्यारोपण को अस्वीकार करना।
- जीवन शैली में बदलाव इसके उपचार में सबसे प्रभावी है जिसमें धूम्रपान छोड़ना, स्वस्थ आहार लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना शामिल है। काउंसलिंग एवं थेरेपी भी तनाव व चिंता को दूर करने या प्रबंधित करने में मदद कर सकती है।

सेंटिनल-1सी उपग्रह

यूरोपियन यूनियन के कॉपरनिकस पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम के तहत सेंटिनल-1सी उपग्रह (Sentinel-1C Satellite) को फ्रेंच गुयाना से वेगा-सी (Vega-C) रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।

सेंटिनल-1सी उपग्रह के बारे में

- यह सेंटिनल-1 का उन्नत संस्करण है जो पृथ्वी के बदलते पर्यावरण का अवलोकन करने के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली रडार इमेजरी प्रदान करता है।

- यह सेंटिनल मिशन का पहला ऐसा उपग्रह है जो स्वचालित पहचान प्रणाली (Automatic Identification System) पेलोड से सुसज्जित है।
    - इससे यह यातायात प्रबंधन में सुधार, टकरावों से बचने और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पोत की निगरानी करके समुद्री सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा।
- इस प्रणाली में चार ऑनबोर्ड एंटीना शामिल हैं जो जहाज़ों द्वारा प्रेषित संकेतों को कैप्चर करने में अनुकूलन करता है।
    - इसमें जहाज़ की पहचान, स्थान एवं मार्ग की दिशा जैसे महत्त्वपूर्ण विवरण शामिल हैं जिससे जहाज़ों की सटीक ट्रैकिंग संभव हो पाती है।

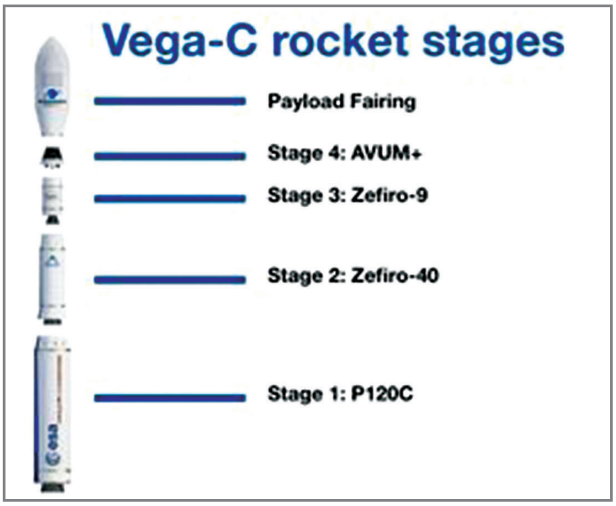

वेगा-सी रॉकेट के बारे में

- वेगा-सी चार चरण वाला 115 फीट (35 मीटर) लंबा रॉकेट है।
- इसके पहले तीन चरण ठोस-रॉकेट प्रणोदक द्वारा संचालित होते हैं, जबकि चौथा चरण सटीक कक्षीय प्रविष्टि के लिए तरल प्रणोदक का उपयोग करता है।
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अनुसार, वेगा-सी रॉकेट लगभग 800 किग्रा. पेलोड को वहन करते हुए उपग्रहों को विभिन्न ऊँचाइयों पर कक्षाओं में स्थापित कर सकता है।
- यह प्रक्षेपण वेगा-सी की 'रिटर्न टू फ्लाइट' (Return to Flight) में भी सक्षम है जो अंतरिक्ष तक यूरोप की स्वतंत्र पहुँच को बहाल करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

WOH G64

खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा (Galaxy) मंदाकिनी (Milky Way) के बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया है। इस तारे का नामकरण 'WOH G64' के रूप में किया गया है।

WOH G64 के बारे में

- WOH G64 तारा मंदाकिनी की उपग्रह आकाशगंगा (Satellite Galaxy) 'लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड' में पृथ्वी से 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
- WOH G64 को 'लाल महादानव' (Red Giant) तारा माना गया है, जिसका आकार हमारे सूर्य से लगभग 2,000 गुना बड़ा है।
- इस तारे का विस्तृत चित्रण यूरोपियन वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर (VLTI) का उपयोग करते हुए चिली में केइची ओहनाका के नेतृत्व में किया गया है।
- इस विस्तृत चित्रण में तारे को स्पष्ट रूप से उसकी मृत्यु के दौर में दिखाया गया है जो गैस एवं धूल से घिरा हुआ है और सुपरनोवा नामक एक विशाल विस्फोट में अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है।
- यह पहला अवसर है जब वैज्ञानिकों ने अपनी आकाशगंगा के बाहर किसी तारे को इस अवस्था में चित्रित किया गया है।

शॉक डायमंड

क्या है शॉक डायमंड

कभी-कभी जब कोई रॉकेट या जेट उड़ान भरता है तो उसके निकास (Exhaust) द्वार पर हल्के एवं गहरे धब्बों (Patch) का एक एकांतरिक पैटर्न बन जाता है। इस संरचना में चमकीले धब्बों को 'शॉक डायमंड' (Shock Diamonds) या 'मैक डायमंड' (Mach Diamonds) कहा जाता है।

शॉक डायमंड के निर्माण की प्रक्रिया

- शॉक डायमंड का निर्माण तब होता है जब किसी इंजन का धुआँ सुपरसोनिक गति से वायुमंडल में निष्काषित होता है।
- जैसे ही इंजन से धुआँ बाहर निकलता है, निकास का दबाव समान ऊँचाई पर वायुमंडलीय दबाव से कम हो सकता है। धुआँ बाहर निकलने के बाद वायुमंडल इसे तब तक संपीड़ित (Compresses) करता है जब तक कि दोनों दबाव बराबर न हो जाएँ।
- यह भी संभव है कि निकास अत्यधिक संपीड़ित हो जाए। ऐसे में इस बिंदु पर यह अपना दबाव कम करने के लिए पुनः बाहर की ओर प्रसारित होगा।
- उतार-चढ़ाव (Seesawing) की यह प्रक्रिया का कई बार दोहराव हो सकता है जब तक कि निकास या गैसों का दबाव, वायुमंडलीय

दबाव के समान (बराबर) न हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में निकास पाइप (Exhaust Plume) में तरंगें उत्पन्न होती हैं जिससे 'शॉक डायमंड' का निर्माण होता है।

- जब वायुमंडलीय दबाव निकास पाइप पर पड़ता है तो यह बाहर की ओर जाने वाले निकास को अंदर की ओर मोड़ देता है, इससे पहले कि इसका दबाव निकास को फिर से बाहर की ओर मोड़ दे। यह प्रक्रिया चलती रहती है। जब यह अंदर की ओर प्रवाहित होता है तो उस हिस्से में दबाव बढ़ जाता है, जिससे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और उस क्षेत्र से गुज़रने वाला कोई भी ईंधन जलने लगता है।
    - दहन के उस स्थान पर चमकदार धब्बे बनते हैं, जिन्हें शॉक डायमंड कहा जाता है। निकास के बाहर और अंदर की ओर झुकने से शॉक वेव उत्पन्न होती हैं जो पाइप से होकर प्रवाहित होती हैं जिससे पूरे क्षेत्र में शॉक डायमंड पैटर्न बनता है।

मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम

- मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने किया है। यह स्टील्थ प्रौद्योगिकी में भारत की एक बड़ी प्रगति है।
- कपड़ा-आधारित ब्रॉडबैंड मेटामटेरियल माइक्रोवेव अवशोषक एक व्यापक स्पेक्ट्रम में लगभग पूर्ण तरंग अवशोषण प्रदान करता है जो सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) इमेजिंग के खिलाफ क्षमताओं को काफी बढ़ाता है।
- व्यापक स्पेक्ट्रम में लगभग पूर्ण तरंग अवशोषण की सुविधा प्रदान करते हुए यह प्रणाली एस.ए.आर. इमेजिंग का मुकाबला करने की क्षमता को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है और रडार मार्गदर्शन का उपयोग करने वाली मिसाइलों से भी प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगी।
- इस प्रौद्योगिकी का वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के बीच व्यापक प्रयोगशाला और क्षेत्र परीक्षण किया गया जिससे विभिन्न परिस्थितियों में इसकी प्रभावकारिता प्रमाणित हुई।
    - इसकी 90% सामग्री स्वदेशी रूप से प्राप्त की गई थी।
- इस प्रौद्योगिकी का लाइसेंस मेटा तत्त्व सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जो इसके विनिर्माण और कार्यान्वयन की देखरेख करेगी।

प्रोबा-3 मिशन

- इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के प्रोबा-3 मिशन को PSLV-C-59 रॉकेट द्वारा श्री हरि कोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
- दुनिया में पहली बार प्रोबा-3 मिशन में दो कृत्रिम उपग्रह 'समानांतर उपग्रह युग्म (Parallel Satellite Pair)' संरचना में होंगे।

प्रोबा-3 मिशन के बारे में

- **निर्माण एवं डिज़ाइन :** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)
- **कार्य :** सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत अर्थात् कोरोना का अध्ययन करना
- **शामिल उपग्रह :** इस मिशन में दो कृत्रिम उपग्रहों कोरोनाग्राफ स्पेस क्राफ्ट (SC) और ऑकुल्टर स्पेसक्राफ्ट को शामिल किया गया है।
    - भारत के आदित्य एल 1 मिशन में कोरोनाग्राफ एवं ऑकुल्टर दोनों उपकरण एक ही कृत्रिम उपग्रह में शामिल थे, जबकि इस मिशन में दोनों उपकरणों के लिए अलग-अलग कृत्रिम उपग्रह है।
    - 'ऑकुल्टर' पूर्ण सूर्यग्रहण की प्रतिलिपि करेगा, जो सूर्य के बाह्य वातावरण के धुंधले दृश्यों को प्रदर्शित करेगा तथा कोरोनाग्राफ नामक 'ऑप्टिकल' उपकरण सौर कोरोना का निरीक्षण करेगा।
- **प्रक्षेपण कक्ष :** इसरो द्वारा दोनों उपग्रहों को 600 × 60530 किमी. की अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक-साथ प्रक्षेपण
    - दोनों कृत्रिम उपग्रहों को समानांतर कक्षा में स्थापित किया गया।

प्रोबा-3 मिशन की विशेषताएँ

- ये कृत्रिम उपग्रह एक-दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समानांतर गति करेंगे और प्रतिदिन छह घंटे तक एक ही दिशा में उड़ेंगे। इस सापेक्ष स्थिति को बनाए रखने के लिए एक कृत्रिम उपग्रह से दूसरे कृत्रिम उपग्रह पर लगे रिफ्लेक्टर पर लेज़र प्रकाश का उपयोग किया गया।
- इसके बाद सामान्य परिचालन में एक विशाल सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग करते हुए उड़ान संचालन एवं वैज्ञानिक अवलोकन दोनों शामिल होंगे, जो सूर्य के कोरोना या आसपास के वातावरण के निरंतर दृश्य प्राप्त करने के लिए सौर डिस्क से आने वाले प्रकाश को रोक देगा।

लाभ एवं महत्त्व

- प्रोबा-3 मिशन अंतरिक्ष में एक प्रकार की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगी जो रणनीतियों, मार्गदर्शन, नेविगेशन एवं नियंत्रण तथा अन्य एल्गोरिदम, जैसे– सापेक्षिक जी.पी.एस. नेविगेशन आदि के संदर्भ में स्पष्टता प्रदान करेगी।
- यह मिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग के लिए मेट्रोलॉजी उपकरणों जैसी प्रमुख तकनीकों को भी मान्य करेगा। इस तकनीक का उपयोग भविष्य के मंगल सैंपल रिटर्न मिशन और निम्न-पृथ्वी कक्षा से उपग्रहों को डी-ऑर्बिट करने के लिए किया जा सकता है।
- प्रोबा-3 मिशन दुनिया का पहला मिशन है जो इस स्तर पर प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग (Precision Formation Flying) क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

वन एवं वन्यजीव

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023

संदर्भ

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), 2023 जारी की। यह रिपोर्ट इस शृंखला की 18वीं रिपोर्ट है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में

- **प्रकाशन :** वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा द्विवार्षिक आधार पर इसे जारी किया जाता है।
- **मूल्यांकन आधार :** यह रिपोर्ट उपग्रह डाटा व्याख्या और क्षेत्र-आधारित राष्ट्रीय वन सूची (NFI) पर आधारित है।
- रिपोर्ट में निम्नलिखित डाटा शामिल हैं–
  - वनावरण
  - वृक्षावरण
  - मैंग्रोव आवरण
  - स्टॉक में वृद्धि
  - कार्बन स्टॉक
  - जंगल की आग
  - कृषि वानिकी

आई.एस.एफ.आर. का उद्देश्य एवं महत्त्व

- वानिकी क्षेत्र की निगरानी, नीतियों के मूल्यांकन एवं नियोजन के लिए वन संसाधनों का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है।
- यह राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) लक्ष्यों की निगरानी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचा अभिसमय (UNFCCC) को ग्रीनहाउस गैस सूची की रिपोर्टिंग के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के वन संसाधनों के वैश्विक आकलन के लिए उपयोगी होता है।

आई.एस.एफ.आर. 2023 के प्रमुख निष्कर्ष

- **कुल वन एवं वृक्ष आवरण :** भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण 827,356.95 वर्ग किमी. है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें शामिल हैं–
  - **वनावरण :** 715,342.61 वर्ग किमी. (21.76%)
  - **वृक्षावरण :** 112,014.34 वर्ग किमी. (3.41%)

भारत में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र

वर्ग	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	सकल क्षेत्र प्रतिशत (%)
वनावरण (Tree Cover)	7,15,342.61	21.76
वृक्षावरण (Forest Cover)	1,12,014.34	3.41
कुल वन एवं वृक्ष आवरण	8,27,356.95	25.17
स्क्रब क्षेत्र (Scrub Area)	43,622,64	1.33
गैर-वन क्षेत्र (Non-Forest Area)	24,16,489.29	73.50

वनावरण की स्थिति

- वर्ष 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।
- 19 राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत हैं। इनमें से आठ राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों, जैसे- मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा व मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण हैं।

क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य	प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य	वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य
1. मध्य प्रदेश (77,073 वर्ग किमी.) 2. अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग किमी.) 3. छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग किमी.)	1. लक्षद्वीप (91.33%) 2. मिज़ोरम (85.34 %) 3. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (81.62%)	1. मिज़ोरम (242 वर्ग किमी.) 2. गुजरात (180 वर्ग किमी.) 3. ओडिशा (152 वर्ग किमी.)

वन एवं वृक्ष आवरण की स्थिति

कुल मिलाकर, देश में वर्ष 2021 में अंतिम मूल्यांकन के बाद से 1,445.81 वर्ग किमी. वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है।

सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्य	वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य	वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी दर्शाने वाले शीर्ष राज्य
1. मध्य प्रदेश (85,724 वर्ग किमी.) 2. अरुणाचल प्रदेश (67,083 वर्ग किमी.) 3. महाराष्ट्र (65,383 वर्ग किमी.)	1. छत्तीसगढ़ (683.62 वर्ग किमी.) 2. उत्तर प्रदेश (559.19 वर्ग किमी.) 3. ओडिशा (558.57 वर्ग किमी.) 4. राजस्थान (394.46 वर्ग किमी.)	1. मध्य प्रदेश (612.41 वर्ग किमी.) 2. कर्नाटक (459.36 वर्ग किमी.) 3. लद्दाख (159.26 वर्ग किमी.) 4. नागालैंड (125.22 वर्ग किमी.)

आर.एफ.ए./जी.डब्ल्यू.* (सरकार द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र) के अंदर परिवर्तन	
सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य	**सर्वाधिक कमी वाले राज्य**
1. मिज़ोरम (192.92 वर्ग किमी.)	1. त्रिपुरा (116.90 वर्ग किमी.)
2. ओडिशा (118.17 वर्ग किमी.)	2. तेलंगाना (105.87 वर्ग किमी.)
3. कर्नाटक (93.14 वर्ग किमी.)	3. असम (86.66 वर्ग किमी.)
4. पश्चिम बंगाल (64.79 वर्ग किमी.)	4. आंध्र प्रदेश (83.47 वर्ग किमी.)
5. झारखंड (52.72 वर्ग किमी.)	5. गुजरात (61.22 वर्ग किमी.)
*RFA/GW: Recorded Forest Area/Green Wash	

आर.एफ.ए./जी.डब्ल्यू. (सरकार द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र) के बाहर परिवर्तन	
सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य	**सर्वाधिक कमी वाले राज्य**
1. गुजरात (241.29 वर्ग किमी.)	1. मध्य प्रदेश (344.77 वर्ग किमी.)
2. बिहार (106.85 वर्ग किमी.)	2. राजस्थान (110.65 वर्ग किमी.)
3. केरल (95.19 वर्ग किमी.)	3. आंध्र प्रदेश (55.19 वर्ग किमी.)
4. उत्तर प्रदेश (79.27 वर्ग किमी.)	4. अरुणाचल प्रदेश (45.32 वर्ग किमी.)
5. असम (74.90 वर्ग किमी.)	5. महाराष्ट्र (41.07 वर्ग किमी.)

वृक्षावरण

- कुल मिलाकर, 21 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों (UTs) में वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई है जो कृषि वानिकी गतिविधियों में वृद्धि का संकेत है।

सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य	वर्ष 2021 की तुलना में वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य
1. महाराष्ट्र (14,524.88 वर्ग किमी.)	1. छत्तीसगढ़ (702.75 वर्ग किमी.)
2. राजस्थान (10,841.12 वर्ग किमी.)	2. राजस्थान (478.26 वर्ग किमी.)
3. उत्तर प्रदेश (8,950.92 वर्ग किमी.)	3. उत्तर प्रदेश (440.76 वर्ग किमी.)

- **पश्चिमी घाट के संदर्भ में :** लगभग 60,285.61 वर्ग किमी. में विस्तृत पश्चिमी घाट में से 44,043.99 वर्ग किमी. (73%) वन क्षेत्र है।
    - पिछले 10 वर्षों में भारतीय वन सर्वेक्षण के दौरान वन क्षेत्र में कुल 58.22 वर्ग किमी. की कमी आई है।
    - अति सघन वन में वृद्धि हुई है जबकि मध्यम सघन वन और खुले वन में कमी आई है।
- **पहाड़ी ज़िलों में वन क्षेत्र :** भारत के पहाड़ी ज़िलों में वन क्षेत्र 2,83,713.20 वर्ग किमी. है जो उनके कुल क्षेत्रफल का 40% है।
    - नवीनतम आकलन में यहाँ वन क्षेत्र में 234.14 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र :** इस क्षेत्र में कुल वन एवं वृक्ष आवरण 1,74,394.70 वर्ग किमी. (भौगोलिक क्षेत्र का 67%) है।
    - हालाँकि, इस क्षेत्र में वनावरण में 327.30 वर्ग किमी. की कमी आई है।
- **मैंग्रोव आवरण :** भारत में कुल मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किमी. है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.15% है।
    - वर्ष 2021 की तुलना में कुल मैंग्रोव कवर में 7.43 वर्ग किमी. की कमी आई है जिसमें गुजरात में सर्वाधिक कमी (36.39 वर्ग किमी.) दर्ज की गई है।
    - आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 वर्ग किमी. व 12.39 वर्ग किमी. की वृद्धि देखी गई।
- **जंगल की आग :** वर्ष 2023-24 सीज़न के दौरान पता लगाए गए आग के हॉटस्पॉट की संख्या 2,03,544 थी जो वर्ष 2021-22 सीज़न में 2,23,333 से कम थी।
    - सर्वाधिक आग की घटनाओं वाले राज्य क्रमशः उत्तराखंड, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ थे।
- **लकड़ी (काष्ठ) का बढ़ता स्टॉक :** भारत में लकड़ी का कुल बढ़ता स्टॉक 6,429.64 मिलियन घन मीटर अनुमानित है जो वर्ष 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 262.32 मिलियन घन मीटर (4.25%) की वृद्धि है।
    - वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धिशील स्टॉक अरुणाचल प्रदेश (457.83 मिलियन घन मीटर) में है जिसके बाद क्रमशः उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश का स्थान है।
    - बढ़ते स्टॉक का तात्पर्य वन क्षेत्र में सभी जीवित पेड़ों की मात्रा से है।
- **बाँस वाले क्षेत्र :** भारत में बाँस वाला कुल क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किमी. है जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।
    - मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बाँस क्षेत्र (20,421 वर्ग किमी.) है, इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र का स्थान है।
- **कृषि वानिकी :** कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल वृक्ष हरित आवरण 127,590.05 वर्ग किमी. है, जिसमें वर्ष 2013 से 21,286.57 वर्ग किमी. (20.02%) की वृद्धि हुई है।

- कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल बढ़ता स्टॉक 1,291.68 मिलियन घन मीटर होने का अनुमान है जो वर्ष 2013 से 28.56% की वृद्धि दर्शाता है।

कार्बन स्टॉक

- वर्ष 2023 के लिए कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मीट्रिक टन है जो वर्ष 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 81.5 मीट्रिक टन ज़्यादा है।
  - एन.डी.सी. के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य तक पहुँच गया है। यह दर्शाता है कि वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुँच चुका है।
  - वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है।
  - कार्बन स्टॉक की वार्षिक वृद्धि 40.75 मीट्रिक टन होने का अनुमान है जो 149.42 मीट्रिक टन CO_2 के बराबर है।
  - सर्वाधिक कार्बन स्टॉक के मामले में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर है, जिसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र का स्थान है।
  - प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में जम्मू एवं कश्मीर शीर्ष पर है, जिसके बाद क्रमशः सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का स्थान है।

दशकीय परिवर्तन (वर्ष 2013 से 2023 तक)

सकारात्मक परिवर्तन

- वन क्षेत्र में 16,630.25 वर्ग किमी. की वृद्धि
- मैंग्रोव आवरण में 296.33 वर्ग किमी. की वृद्धि
- वृक्षावरण में 20,747.34 वर्ग किमी. की वृद्धि
- देश के पहाड़ी ज़िलों में वन क्षेत्र में 2,649.04 वर्ग किमी. की वृद्धि
- इसके अलावा, वनों में बढ़ते स्टॉक और वनों के बाहर वृक्षों (TOF) में क्रमशः 305.54 मिलियन घन मीटर तथा 466.07 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है।

वन स्वास्थ्य एवं जैव-विविधता

- मृदा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, मृदा की गहराई और ह्यूमस में वृद्धि हुई है जिससे घास का आवरण व झाड़ियाँ बेहतर हुई हैं।
- इस अवधि के दौरान मृदा के कार्बनिक कार्बन में भी मामूली वृद्धि हुई है।
- मिश्रित आकार के वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है जो वन एवं जैव-विविधता की बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)

- **स्थापना :** 1 जून, 1981
- **नोडल मंत्रालय :** केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- **मुख्यालय :** देहरादून
- **वर्तमान महानिदेशक :** अनूप सिंह
- **प्राथमिक ज़िम्मेदारी :** भारत के वन संसाधनों का नियमित मूल्यांकन एवं निगरानी

ट्रौएसर्टिया थैलासिना एवं प्रोटेरोथ्रिक्स सिबिली

रोमानिया की एक अनुसंधान टीम ने मेघालय के जंगलों में पक्षियों पर नियमित पारिस्थितिक अध्ययन के दौरान पंख वाले कीट या घुन (Feather Mites) की पहले से अज्ञात दो प्रजातियों का पता लगाया है।

इन दो प्रजातियों का नामकरण

- **ट्रौएसर्टिया थैलासिना (Trouessartia Thalassina) :** इसका नाम वेर्डिटर फ्लाईकैचर (Verditer Flycatcher) के नाम पर रखा गया है जिसके चमकीले समुद्री-हरे पंखों से इस प्रजाति का नाम थैलासिना रखा गया है।
  - लैटिन में थैलासिना का अर्थ 'समुद्री-हरा' होता है।
- **प्रोटेरोथ्रिक्स सिबिली (Proterothrix Sibillae) :** इसका नाम प्रसिद्ध जर्मन प्रकृतिवादी मारिया सिबिला मेरियन के नाम पर रखा गया है। इन्होंने वर्गीकरण विज्ञान में कीटों के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था।

विशेषताएँ

खोजी गईं दोनों नई प्रजातियों में अद्वितीय विशेषताएँ हैं जो उन्हें पहले से ज्ञात पंख वाले घुनों से अलग करती हैं।

- ट्रोएसर्टिया थैलासिना को इसके अर्द्ध-अंडाकार टर्मिनल लैमेली (Semi-ovate Terminal Lamellae) द्वारा पहचाना जाता है।
  - नर में लांसोलेट सेटे (Lanceolate Setae) होते हैं, जबकि मादाओं में असामान्य गैर-स्केलेरोटाइज़्ड लैकुने (Non-Sclerotized Lacunae) होते हैं।
- प्रोटेरोथ्रिक्स सिबिली (Proterothrix Sibillae) वोल्फफी प्रजाति (Wolffi Species) समूह का एक सदस्य है जो अपने बड़े आकार एवं प्रोडोर्सल शील्ड पर विशिष्ट गोलाकार लैकुने के साथ-साथ नर में अद्वितीय संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है।

क्या होते हैं पंख घुन (Feather Mites)

- पंख वाले माइट (घुन) सूक्ष्म अरचिन्ड (Arachnids) होते हैं जो पक्षियों के पंखों एवं त्वचा पर रहते हैं। ये तेल, त्वचा के टुकड़े एवं कार्बनिक मलबे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पंख वाले घुन विश्व भर में पाए जाते हैं।

- प्राय: वे अपने पक्षी मेज़बानों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं, जिससे पंखों को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। हालाँकि, कुछ असामान्य स्थितियों में वे परजीवी बन सकते हैं।

राओर्चेस्टेस असाकग्रेंसिस

- सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र के वैज्ञानिकों ने मेघालय के गारो हिल्स में दो वर्ष के अध्ययन के दौरान मेंढक की दो प्रजातियों की पुन: खोज की है।
- साथ ही, एक नई मेंढक प्रजाति की भी खोज की गई है। इससे संबंधित अध्ययन को ऑस्ट्रियाई हर्पेटोलॉजिकल सोसायटी की अंतर्राष्ट्रीय ओपन-एक्सेस जर्नल 'हर्पेटोज़ोआ' में प्रकाशित किया गया है।

पुन: खोजी गई प्रजातियों के बारे में

- पुन: खोजी गई मेंढक प्रजातियों 'राओर्चेस्टेस गारो' (पूर्व में इक्सलस गारो) और 'राओर्चेस्टेस केम्पिया' (पूर्व में इक्सलस केम्पिया) का वर्णन आखिरी बार वर्ष 1919 में जॉर्ज बौलेंज़र ने किया था।
- इन दोनों प्रजातियों के मूल विवरण में कई रूपात्मक विशेषताओं, आनुवंशिक सामग्री एवं प्रजातियों के जीवन की तस्वीरों के बारे में जानकारी का अभाव था। हालाँकि, वर्तमान में पुन: खोज इनके बारे आनुवंशिक, रूपात्मक एवं पारिस्थितिक डाटा को संयोजित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- **संरक्षण स्थिति :** IUCN ने इन्हें 'संकटमुक्त श्रेणी' (Least Concern Category) में रखा है।
- **विस्तार :** राओर्चेस्टेस केम्पिया का दायरा बहुत बड़ा है जो भारत एवं चीन के कुछ हिस्सों में विस्तृत है। राओर्चेस्टेस गारो मेघालय में लगभग 11 वर्ग किमी. क्षेत्र तक सीमित है, जो संभावित रूप से असुरक्षित स्थिति का संकेत है।

नई प्रजाति के बारे में

इनके साथ ही एक नई प्रजाति राओर्चेस्टेस असाकग्रेंसिस की पहचान की गई है जो पूर्वोत्तर भारत के उभयचर जीवों की वैज्ञानिक समझ में महत्त्वपूर्ण है।

- **नामकरण :** वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम इसके खोज स्थल मेघालय के गारो हिल्स में 'इमान असाकग्रे सामुदायिक रिज़र्व' के नाम पर 'राओर्चेस्टेस असाकग्रेंसिस' रखा है।
- **विशेषताएँ :** इमान असाकग्रे में 174 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाने वाला यह छोटा वृक्षीय मेंढक अपनी नुकीली थूथन (Pointed Snout) और दृश्यमान टिम्पेनम (Visible Tympanum) के लिए जाना जाता है।
    - नर मेंढक शाम के समय झाड़ियों से 1.5 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई पर बैठकर आवाज़ देते हैं, तथा प्रथम मानसूनी वर्षा के बाद आवाज़ देने की गतिविधि चरम पर होती है।
    - आणविक विश्लेषण के अनुसार, यह आर. शिलोन्जेन्सिस एवं आर. गारो से निकटता से संबंधित है किंतु इसमें महत्त्वपूर्ण आनुवंशिक भिन्नता है।
- **महत्त्व :** यह खोज गारो एवं खासी पहाड़ियों की समृद्ध जैव-विविधता को रेखांकित करती है।

सुबाबुल पौधा

गुवाहाटी स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) के शोधकर्ताओं ने टाइप II मधुमेह से संबंधित इंसुलिन प्रतिरोध के प्रबंधन में पारंपरिक औषधीय पौधे 'सुबाबुल' (Subabul) के बीज की चिकित्सीय क्षमता की जाँच की है। IASST विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।

सुबाबुल के बारे में

- सुबाबुल या ल्यूकेना ल्यूकोसेफला (Leucaena leucocephala: LAM) तेज़ी से बढ़ने वाला एक सदाबहार व फलीदार पौधा है जो प्राय: उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- इसकी पत्तियों एवं अपरिपक्व बीजों को सूप या सलाद के रूप में खाया जाता है। यह प्रोटीन व फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है, जिसके कारण विभिन्न जातीय समुदायों द्वारा मानव और पशु भोजन में इसका पारंपरिक उपयोग किया जाता है।

नवीनतम अध्ययन के बारे में

- सुबाबुल के सभी अंशों की जैव गतिविधि की जाँच करने के बाद सबसे अधिक सक्रिय अंश का चयन करके एक 'जैव-गतिविधि निर्देशित अंश' (Bio-activity Guided Fraction) और चार सक्रिय यौगिक विकसित किया गया है।
- जैव सक्रिय अंश ने मुक्त फैटी एसिड-प्रेरित कंकाल माँसपेशी कोशिकाओं (C2C12) में इंसुलिन संवेदीकरण में वृद्धि दर्शाई।
- इसके अलावा, पौधे से पृथक सक्रिय यौगिक क्वेरसेटिन-3-ग्लूकोसाइड (Quercetin-3-glucoside) ने माइटोकॉन्ड्रियल डेसेटाइलेज़ एंज़ाइम सिरटुइन 1 (SIRT1) का अपग्रेडेशन दिखाया, जो अपग्रेडेड GLUT2 (कोशिका झिल्ली में ग्लूकोज़ एवं फ्रुक्टोज़ को स्थानांतरित करने में सहायक एक प्रोटीन) ट्रांसलोकेशन के साथ इंसुलिन संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है।

समशीतोष्ण वर्षावन में कमी

यूनाइटेड किंगडम के लीड्स विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वर्तमान गति से जारी रहता है तो वर्ष 2100 तक लगभग दो-तिहाई से अधिक समशीतोष्ण वर्षावन नष्ट हो जाएंगे।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- अध्ययन के अनुसार, यदि उत्सर्जन की 'सामान्य स्थिति' बनी रहती है तो जलवायु परिवर्तन के कारण 68% से अधिक समशीतोष्ण वर्षावन के नष्ट होने की संभावना है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, वैश्विक तापमान को 2°C से नीचे सीमित रखने से नुकसान 9% तक सीमित हो जाएगा।
- ये वन प्रणालियाँ शीत एवं आर्द्र जलवायु वाले बायोम पर निर्भर हैं जो वैश्विक स्तर पर दुर्लभ होने के साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में हैं।
- अध्ययन के अनुसार, शीतोष्ण वर्षावन केवल आर्द्र एवं ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले दुर्लभ पारितंत्र हैं। ये गर्म जलवायु के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- इन्हें संरक्षित करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ये अद्वितीय प्रजातियों की मेज़बानी करने के साथ ही, उच्च मात्रा में कार्बन संगृहीत कर सकते हैं।
- यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया तो यह संकट बढ़ता ही जाएगा।
- अध्ययन में यह भी पाया गया कि मौजूदा समशीतोष्ण वर्षावन बायोम का 43% हिस्सा पहले ही वनों की कटाई के कारण नष्ट हो चुका है और केवल 37% प्राथमिक पुराने विकास वन बचे हैं।
  - शोधकर्ताओं ने समशीतोष्ण वर्षावन बायोम के संरक्षण एवं बहाली की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- अध्ययन के अनुसार, मानव हस्तक्षेपरहित वनों का सूक्ष्म वातावरण आमतौर पर परिवेश के तापमान की तुलना में ठंडा होता है और यह बफरिंग वनों की कार्यप्रणाली तथा जैव-विविधता पर तापमान वृद्धि के प्रभाव की गंभीरता को कम कर सकती है।
- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि खंडित एवं पृथक वन तथा सीमांत वन, मानव हस्तक्षेपरहित वनों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

समशीतोष्ण वर्षावन के बारे में

- समशीतोष्ण वर्षावन स्थलीय सतह के 1% से भी कम क्षेत्र में विस्तृत हुए हैं और वैश्विक वन क्षेत्र का लगभग 2.5% हिस्सा है।
  - हालाँकि, ये अपने पारिस्थितिक महत्त्व और अन्य अक्षांशों के वनों की तुलना में उच्च कार्बन घनत्व के कारण महत्त्वपूर्ण हैं।
- सबसे बड़े समशीतोष्ण वर्षावन जलवायु बायोम वाले देश कनाडा, अमेरिका, चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड एवं यूनाइटेड किंगडम हैं।
- अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन ब्रिटेन एवं विश्व स्तर पर समशीतोष्ण वर्षावनों के लिए एक आपदा है क्योंकि वे उच्च ग्रीष्मकालीन तापमानों को सहन नहीं कर सकते हैं।

इक्वाडोर में राष्ट्रीय आपातकाल

इक्वाडोर की सरकार ने जल की कमी, सूखा एवं जंगल की आग के कारण 60 दिन के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है।

इक्वाडोर का हालिया संकट

- वैश्विक वन्य अग्नि सूचना प्रणाली (GWIS) के अनुसार, इक्वाडोर के जंगल की आग पूर्वानुमान प्रभावित प्रांतों में उच्च से चरम तक बढ़ने का अनुमान है।
  - यह सूचना प्रणाली दुनिया भर में जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं पर नज़र रखती है।
- इक्वाडोर वर्तमान में 60 वर्षों के अपने सबसे खराब सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। इसने जल-विद्युत बाँधों के जलस्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जो देश की 70% से अधिक बिजली का स्रोत है।
  - इससे फसल क्षति एवं कृषि पशुओं की मौत, निम्न वायु गुणवत्ता, नदियों का निम्न जलस्तर एवं ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है।
- इक्वाडोर के अलावा दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों में भी लगातार आग की घटनाएँ देखी जा रही हैं जिनमें ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया और पेरू शामिल हैं। वर्तमान में यह सभी देश भी गंभीर सूखे के संकट का सामना कर रहे हैं।

हालिया संकट का कारण

- **मानवीय गतिविधियाँ :** कुछ लोगों का तर्क है कि जंगल की आग का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं जिनमें धूम्रपान, खाना पकाना, कैंप फायर, वेल्डिंग और दोषपूर्ण मशीनरी का प्रयोग आदि शामिल हैं।
- **जलवायु संकट :** वर्तमान में इक्वाडोर में चरम सूखे की स्थिति बनी हुई है जो जंगल की आग को बढ़ाने में एक प्रमुख कारक है। इस चरम सूखे का संबंध जलवायु परिवर्तन और एल-नीनो मौसमी घटना से है।
  - वर्ष 2023 के बाद से यहाँ सूखे की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।

- **तेज़ हवाएँ :** तेज़ हवाएँ जंगल की आग को और भी भयंकर बना सकती हैं।

स्टार कछुआ

- भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं पंजाब विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय स्टार कछुए (Indian Star Tortoise) के जीनोम का अनुक्रमण किया है।
- इससे भारत में इनकी विविधता व प्राकृतिक वितरण का पता लगता है। इस अध्ययन में भारतीय स्टार कछुओं के दो आनुवंशिक रूप से अलग समूहों की पहचान की गई है– उत्तरी-पश्चिमी एवं दक्षिणी।
- इस उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक भारतीय स्टार कछुए उत्तर-पश्चिम भारत (पाकिस्तान की सीमा), दक्षिण भारत एवं श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
    - स्टार कछुआ पालतू भी होते हैं और इसे कनाडा व अमेरिका जैसे दूरदराज़ के क्षेत्रों में भी पाया गया है।
- भारतीय स्टार कछुआ अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय वन्यजीव एवं वनस्पति प्रजाति व्यापार अभिसमय (CITES) के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सम्मिलित है।
- इस कछुए के वयस्क होने पर भी इसका आकार 20 सेमी. तक होता है। इस प्रजाति की मादाएँ अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती हैं।
- यह कई अलग-अलग आवासों, जैसे– शुष्क/अर्द्ध-रेगिस्तान से लेकर घास के मैदानों तक और आर्द्र पर्णपाती वनों में अधिक आर्द्र क्षेत्रों में भी पाया जाता है।

कोइमा मछली की खोज

शोधकर्ताओं के एक दल ने पूर्वी घाट से कोइमा वंश (Koima Genus) की मीठे पानी की दो मछली प्रजातियों की खोज की है, जिन्हें पहले नेमाचेइलस वंश (Nemacheilus Genus) के अंतर्गत रखा गया था।

इनके बारे में

- पूर्व में नेमाचेइलस वंश (Nemacheilus Genus) के अंतर्गत पहचानी गई मछलियों की दो प्रजातियों को नए वंश (Genus) के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया गया है। नामकरण में एक नए वंश का जुड़ना तुलनात्मक रूप से एक दुर्लभ घटना है।
    - मेसोनोमाचेइलस रेमाडेवी (Mesonoemacheilus Remadevii) एवं नेमाचेइलस मोनिलिस (Nemacheilus Monilis) नामक मछलियों का नाम कोइमा रेमाडेवी व कोइमा मोनिलिस रखा गया है।

- गहरी तलहटी में रहने वाली इन छोटी व मीठे पानी की मछलियों का उपयोग स्थानीय समुदायों द्वारा आहार एवं सजावट के लिए किया जाता है।
- नेमाचेइलस मोनिलिस प्रजाति के बारीकी से निरीक्षण करने पर इनकी रूपात्मक विशेषताएँ भी अपने समकक्षों से भिन्न थीं। इसलिए, वैज्ञानिकों ने नेमाचेलिड लोच (Nemachelid Loach) की एक नई प्रजाति को कोइमा नाम दिया है।
    - इसका अर्थ मलयालम भाषा में 'लोच मछली' है।
- अध्ययन के अनुसार, यह प्रजाति अपने अनूठे रंग प्रतिरूप के कारण नेमाचेइलिडे परिवार की अन्य सभी प्रजातियों से अलग है।
- **विस्तार :** नेमाचेइलिडे वंश में मीठे पानी की मछलियों का एक विविध समूह शामिल है जो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय एशिया एवं यूरोप में पाई जाती हैं।
- दोनों प्रजातियाँ कावेरी नदी की सहायक नदियों (भवानी, मोयार, काबिनी एवं पंबर) एवं भरतपुझा बेसिन में पाई जाती हैं।
- कोइमा मुख्यत: तीव्र बहाव वाली तटीय धाराओं में पाई जाती है जिसमें रेत व गाद के पैच, चट्टानें, पत्थर एवं बजरी शामिल हैं।
    - तलहटी की ये सतही सामग्रियाँ सूक्ष्म आवासों के रूप में कार्य करती हैं और पत्थरों के नीचे अंतराल तथा चट्टानों के बीच दरारें तीव्र धाराओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
    - इसके अलावा यह प्रजाति 350 मीटर से 800 मीटर की ऊँचाई पर भी पाई जाती है।

❑❑❑

भूगोल

भू-भौतिकी घटनाएँ

लेक इफेक्ट स्नो

संदर्भ

वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट लेक क्षेत्र में बर्फबारी, तेज़ हवाएँ और शीतकालीन तूफान के साथ लेक इफेक्ट स्नो (Lake Effect Snow) का प्रभाव जारी है।

क्या होता है लेक इफेक्ट स्नो

- यह एक मौसमी परिघटना है जो अपेक्षाकृत गर्म झील क्षेत्रों के ऊपर से बर्फीली ठंडी हवा के गुज़रने के परिणामस्वरूप घटित होती है जिससे गर्मी एवं नमी वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में स्थानांतरित हो जाती है। इससे वह क्षेत्र 'लेक इफेक्ट स्नो' (Lake Effect Snow) के प्रभाव में आ जाता है।
  - लेक इफेक्ट स्नो प्राय: अपेक्षाकृत संकीर्ण पट्टियों में होती हैं और प्रचुर मात्रा में बर्फ गिरती हैं। इस मौसमी परिघटना से बर्फबारी की मात्रा में भारी वृद्धि हो सकती है और उस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँच सकता है।
- जब यही प्रभाव खारे जल निकायों पर होता है, तब इसे ओसियन इफेक्ट या बे इफेक्ट स्नो (Ocean-effect or Bay-effect Snow) कहा जाता है।
- 'लेक इफेक्ट' और समानांतर 'ओसियन इफेक्ट' परिघटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों को 'स्नोबेल्ट' कहा जाता है।
  - इनमें उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के पूर्व के क्षेत्र, उत्तरी जापान के पश्चिमी तट, रूस में बैकाल झील और ग्रेट साल्ट लेक, काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, एड्रियाटिक सागर, उत्तरी सागर आदि क्षेत्र शामिल हैं।

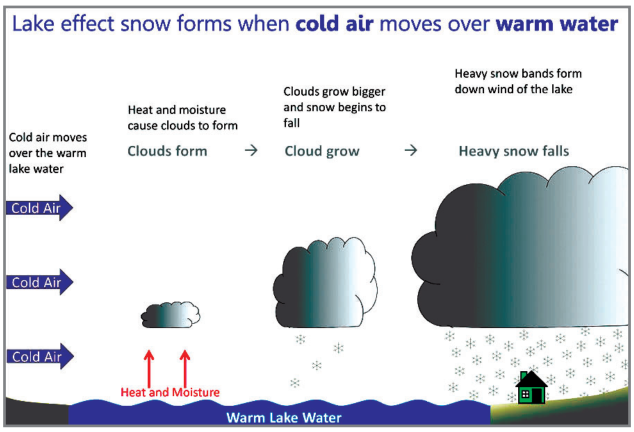

प्रभाव

बादलों का निर्माण, बर्फबारी की मात्रा में वृद्धि, तूफानों की बारंबारता में वृद्धि, तीव्र वर्षा।

ग्रेट लेक क्षेत्र में लेक इफेक्ट स्नो

- संयुक्त राज्य अमेरिका में 'लेक इफेक्ट स्नो' आमतौर पर तब शुरू होती है जब कनाडा से आने वाली ठंडी हवा प्राय: ग्रेट लेक्स के गर्म पानी के ऊपर से बहती है।
- ऐसे में झीलों से आने वाली गर्म हवा, आकाश में नमी को ऊपर की ओर धकेलती है, जो अपने तापमान के कारण बर्फबारी के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र बन जाता है।
- मिशिगन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, जैसे-जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रहेगी, ग्रेट लेक्स और अधिक गर्म होंगे। लेक इफेक्ट वाले क्षेत्रों में लेक इफेक्ट स्नो में वृद्धि जारी रहेगी क्योंकि गर्म वातावरण अधिक मात्रा में नमी को धारण करने में सक्षम होगा।

ग्रेट लेक क्षेत्र

- ग्रेट लेक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा एवं राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित पाँच झीलों का समूह है जिसमें निम्नलिखित झीलें शामिल हैं– सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो
- ग्रेट लेक क्षेत्र पृथ्वी पर मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समूह है। दुनिया के ताज़े पानी का लगभग 22% हिस्सा इन्हीं झीलों में ही पाया जाता है।
- ये झीलें सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से तथा इलिनोइस जलमार्ग के माध्यम से मिसिसिपी नदी बेसिन से जुड़ती हैं।
- सभी ग्रेट लेक झीलों में मिशिगन झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। बाकी सभी चार झीलें अमेरिका व कनाडा की बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं।

आर्कटिक महासागर संबंधी नया अध्ययन

संदर्भ

नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2030 से पहले आर्कटिक महासागर में फर्स्ट आइस-फ्री डे (First Ice-Free Day) अर्थात् कोई एक दिन ऐसा हो सकता है जो हिमरहित हो। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग (स्वीडन) की सेलिन ह्यूजे और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर (अमेरिका) की एलेक्जेंड्रा जहान ने किया।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- अध्ययन के अनुसार, शुरुआत में हिमरहित दिन तेज़ी से बर्फ पिघलने की घटना के दौरान होते हैं। शुरुआत में हिमरहित स्थिति के लिए तीव्र परिवर्तन केवल गर्मियों में ही नहीं होता है, बल्कि

इसमें शरद ऋतु, शीतकाल एवं बसंत के दौरान समुद्री बर्फ के आवरण में कमी भी शामिल होती है।

- इसके अलावा तूफानी मौसम भी तेज़ी से पिघलने का कारण बन सकता है।

- हालाँकि, पहली बार 'फर्स्ट आइस-फ्री डे' की तिथि को लेकर अनिश्चितता है किंतु, इस परिघटना के घटित होने को लेकर वैज्ञानिकों में आम सहमति है। ऐसी स्थिति की रोकथाम का एकमात्र तरीका ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन में शीघ्रता से कमी लाना है।
- अध्ययन के अनुसार, फर्स्ट आइस-फ्री डे अगले कुछ वर्षों में होगा। हालाँकि इसके बाद इस प्रकार की स्थिति कई बार भी बन सकती है।
  - जलवायु मॉडल सिमुलेशन के अनुसार, आइस-फ्री डेज की अवधि 11 से 53 दिनों के बीच रह सकती है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड की वैश्विक औसत सतह सांद्रता पहले ही बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है।
- एम.आई.टी. क्लाइमेट पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 40 वर्षों में समुद्री बर्फ की मात्रा प्रत्येक दशक में 12.6% की दर से घट रही है, जो कि कम-से-कम विगत 1,500 वर्षों में कभी नहीं हुआ।

आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ के समाप्त होने के दूरगामी परिणाम

- **जलवायु परिवर्तन की तीव्रता में वृद्धि :** आर्कटिक महासागर में बर्फ के समाप्त होने से जलवायु परिवर्तन की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है जो एल्बिडो में होने वाले परिवर्तन के कारण हो सकता है।
  - एल्बिडो सौर विकिरण का वह अंश होता है जो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है जिससे पृथ्वी के तापमान में संतुलन बना रहता है। बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है क्योंकि इसकी चमकदार व सफेद सतह द्रवित जल की तुलना में सूर्य के अधिक प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करती है।
  - वैज्ञानिकों के अनुसार, बर्फ के लुप्त होने से आर्कटिक अतिरिक्त रूप से अधिक गर्म हो जाएगा जिससे मध्य अक्षांशों में और अधिक चरम मौसमी घटनाएँ शुरू हो जाएंगी।
- **समुद्र के जलस्तर में वृद्धि :** इसका एक अन्य परिणाम समुद्र के स्तर में होने वाली वृद्धि है। विगत 10 वर्षों में वैश्विक समुद्र स्तर 1990 के दशक की तुलना में 1.5 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्तमान में समुद्र का औसत स्तर वार्षिक 3.6 मिमी. की दर से बढ़ रहा है।
  - विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर के बीच स्थित ग्रीनलैंड का हिमक्षेत्र पूर्णतया पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र स्तर छह मीटर बढ़ सकता है। इससे विश्व भर के तटीय समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव :** समुद्री बर्फ के लुप्त होने से उस पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव होगा।
- वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'बर्फ का कम होना और पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना ध्रुवीय भालू, वालरस, आर्कटिक लोमड़ी, बर्फीले उल्लू, बारहसिंगा एवं कई अन्य प्रजातियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। जैसे-जैसे वे प्रभावित होते हैं, वैसे-वैसे उन पर निर्भर रहने वाली अन्य प्रजातियाँ भी प्रभावित होती हैं।
  - उदाहरण के लिए, समुद्री बर्फ पिघलने के कारण कई प्रजातियों को शिकार के लिए ज़मीन पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। समुद्री जानवर ठंडे पानी की तलाश में उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं।
- ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में चार गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है जिससे वहाँ रहने वाले लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, बुनियादी ढाँचे व आजीविका को खतरा हो रहा है।

GenCast AI और मौसम पूर्वानुमान

संदर्भ

गूगल डीपमाइंड (DeepMind) ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल GenCast का अनावरण किया है। GenCast AI मौजूदा उपकरणों की तुलना में मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगा सकता है।

क्या है मौसम पूर्वानुमान का अवलोकन

- सामान्यत: मौसम संबंधी पूर्वानुमान संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (NWP) मॉडल का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जो वर्तमान मौसम संबंधी आँकड़ों के आधार पर वायुमंडल का अनुकरण करते हैं।
- NWP मॉडल मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए शक्तिशाली सुपरकंप्यूटरों व उच्च गुणवत्ता वाले डाटा पर निर्भर करते हैं और आमतौर पर एक सप्ताह पहले तक का ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं।

GenCast के बारे में

- GenCast सामूहिक पूर्वानुमान (Ensemble Forecasting) का उपयोग करते हुए संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (NWP) को AI से प्रतिस्थापित करता है।

- इसे 40 वर्षों के पुनर्विश्लेषण डाटा (वर्ष 1979-2019) से प्रशिक्षित किया गया है जो पारंपरिक मॉडलों की तुलना में मौसम की भविष्यवाणी अधिक सटीक एवं अग्रिम रूप से कर सकता है।

सामूहिक पूर्वानुमान (Ensemble Forecasts)

- 1990 के दशक में सामूहिक पूर्वानुमानों की शुरुआत हुई। इसमें वैज्ञानिक एक निश्चित समय एवं स्थान पर अलग-अलग प्रारंभिक स्थितियों के साथ कई पूर्वानुमान के लिए NWP मॉडल का उपयोग करते हैं।
- पूर्वानुमानों के इस संग्रह को सामूहिक (Ensemble) कहा जाता है और यह मौसम संबंधी संभावनाओं की सीमा को इंगित करता है।

GenCast का प्रदर्शन

- यह यूरोपीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (ECMWF) के सामूहिक पूर्वानुमान से बेहतर प्रदर्शन करता है।
- यह 36 घंटों से अधिक के पूर्वानुमानों में विशेष रूप से बेहतर है और 99.8% मामलों में इसका प्रदर्शन ENS (Ensemble) से बेहतर है।
  - ENS मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के लिए यूरोपीय केंद्र द्वारा उत्पन्न सामूहिक पूर्वानुमानों को संदर्भित करता है।

GenCast के मुख्य लाभ

- **संभाव्य पूर्वानुमान :** GenCast निश्चयात्मक पूर्वानुमानों के बजाय संभाव्य पूर्वानुमान (जैसे वर्षा की 25% संभावना) प्रदान करता है जो इसे चरम मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए अधिक उपयोगी बनाता है।
- **तीव्र डाटा प्रसंस्करण :** GenCast, NWP की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य करता है जिससे डाटा प्रसंस्करण समय काफी कम हो जाता है।
  - GenCast लगभग 8 मिनट में पूर्वानुमान तैयार कर सकता है जो NWP सुपरकंप्यूटर (जिसमें कई घंटे लगते हैं) की तुलना में बहुत तेज़ है।

सीमाएँ

- ऐतिहासिक आँकड़ों पर निर्भरता
- अधिक डाटा की आवश्यकता
- पारंपरिक NWP की महत्ता एवं आवश्यकता

भविष्य के विकास

- नियतात्मक मध्यम-सीमा पूर्वानुमान के लिए (Deterministic Medium-range Forecasts) गूगल ग्राफकास्ट (GraphCast) मॉडल भी विकसित कर रहा है।
  - इसके अलावा गूगल द्वारा न्यूरलजीसीएम (NeuralGCM) का भी विकास किया जा रहा है जो AI को NWP के साथ जोड़ता है।
- हुआवेई एवं एनवीडिया (FourCastNet Model) जैसी अन्य कंपनियाँ भी AI-संचालित मौसम पूर्वानुमान मॉडल को आगे बढ़ा रही हैं जो वर्तमान NWP मॉडल की तुलना में अधिक तेज़ी से और सटीक रूप से चरम मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं।

चक्रवात चिडो एवं मायोट द्वीप

फ्राँस के द्वीपसमूह 'मायोट' में चक्रवात चिडो (Cyclone Chido) के कारण व्यापक जान-माल की क्षति हुई।

चक्रवात चिडो के बारे में

- फ्राँस की मौसम सेवा के अनुसार, चिडो 'श्रेणी 4' का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था।
- इस चक्रवात की गति 220 किमी. प्रति घंटे (136 मील प्रति घंटे) से अधिक थी।
- यह 90 से अधिक वर्षों में फ्राँस या उसके द्वीपों पर आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है।

मायोट द्वीपसमूह (Archipelago of Mayotte) के बारे में

- मायोट द्वीपसमूह मेडागास्कर के ठीक पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर में स्थित है।
- यह कोमोरोस द्वीपसमूह का हिस्सा है जिसका भूमि क्षेत्र वाशिंगटन डी.सी. के आकार का लगभग दोगुना है।
- पेरिस से लगभग 8,000 किमी. (5,000 मील) दूर स्थित मायोट फ्राँस के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी गरीब है और दशकों से गिरोह-आधारित हिंसा एवं सामाजिक अशांति का सामना कर रहा है।
- मायोट में तीन-चौथाई से अधिक लोग फ्राँस की गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं जहाँ इस वर्ष की शुरुआत में पानी की कमी के कारण तनाव बढ़ गया था।
- फ्राँस ने वर्ष 1843 में मायोट को उपनिवेश बनाया और वर्ष 1904 में कोमोरोस सहित पूरे द्वीपसमूह पर कब्ज़ा कर लिया।
- वर्ष 1974 के जनमत-संग्रह में इस द्वीपसमूह के 95% लोगों ने फ्राँस से अलग होने का समर्थन किया, जबकि मायोट के 63% लोगों ने फ्राँस के साथ बने रहने के लिए मतदान किया।
- वर्ष 1975 में ग्रांडे कोमोर, अंजुआन एवं मोहेली द्वीप ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जबकि मायोट पर अभी भी फ्राँस से शासन किया जाता है।
- हाल के दशकों में पड़ोसी कोमोरोस एवं मेडागास्कर से हज़ारों लोगों ने बेहतर आर्थिक स्थिति और फ्राँस की कल्याण प्रणाली तक पहुँच की तलाश में मायोट की ओर प्रवास किया है।
- फ्राँस ने मायोट द्वीप पर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए हज़ारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।

कृषि

संयुक्त राष्ट्र की भूमि क्षरण रिपोर्ट

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भूमि क्षरण मानवता को बनाए रखने की पृथ्वी की क्षमता को कमज़ोर कर रहा है तथा इस प्रक्रिया को सुधारने या उत्क्रम करने (Reverse) में विफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करेगी।

रिपोर्ट के बारे में

- **शीर्षक :** 'स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रीसिपिस : ट्रान्सफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे इनसाइड प्लैनेटरी बाउंड्रीज़' (Stepping Back from the Precipice: Transforming Land Management to Stay within Planetary Boundaries)
- **जारीकर्ता :** संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण-रोधी सम्मेलन (UNCCD) द्वारा जर्मनी के पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के सहयोग से
- यह रिपोर्ट रियाद (सऊदी अरब) में यू.एन.सी.सी.डी. के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 16वें सत्र (COP16) के शुरू होने से पहले जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- प्रतिवर्ष दस लाख वर्ग किमी. भूमि का क्षरण हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि 15 मिलियन वर्ग किमी. भूमि का क्षरण हो चुका है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के पूरे क्षेत्र से भी अधिक है।
- भूमि क्षरण ने पिछले दशक में वृक्षों एवं मृदा जैसे भूमि पारिस्थितिकी तंत्रों की मानवजनित कार्बन डाइ-ऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को 20% तक कम कर दिया है। पहले, ये पारिस्थितिकी तंत्र इस तरह के प्रदूषण का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अवशोषित कर सकते थे।
- वनों की कटाई, शहरीकरण आदि के कारण अभूतपूर्व पैमाने पर वैश्विक भूमि क्षरण हो रहा है जिससे न केवल पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न घटकों को खतरा हो रहा है, बल्कि मानव अस्तित्व को भी खतरा हो रहा है।
- रिपोर्ट में दक्षिण एशिया, उत्तरी चीन, अमेरिका में हाई प्लेन्स और कैलिफोर्निया तथा भूमध्य सागर जैसे शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण के कई हॉटस्पॉट की पहचान की गई है।
    - मानवता का एक-तिहाई हिस्सा अब शुष्क भूमि पर रहता है जिसमें अफ्रीका का तीन-चौथाई हिस्सा शामिल है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भूमि क्षरण निम्न आय वाले देशों को असमान रूप से प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका प्रभाव उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्रों में केंद्रित है और गरीब देशों में भूमि क्षरण तथा इसके परिणामों को सहन करने की क्षमता कम है।
- अस्थायी सिंचाई पद्धतियाँ मीठे जल के संसाधनों को नष्ट कर देती हैं, जबकि नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस-आधारित उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर देता है।

क्या है भूमि क्षरण

यू.एन.सी.सी.डी. के अनुसार, भूमि क्षरण वर्षा सिंचित कृषि भूमि, सिंचित कृषि भूमि, या क्षेत्र, चारागाह, वन एवं वनभूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता और जटिलता में कमी या क्षति है, जो भूमि उपयोग और प्रबंधन प्रथाओं सहित विभिन्न दबावों के संयोजन के परिणामस्वरूप होती है।

भूमि क्षरण के कारण

- **असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ :** रासायनिक इनपुट, कीटनाशकों और पानी के डायवर्ज़न का अत्यधिक उपयोग जैसी असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ भूमि क्षरण के सबसे बड़े कारण हैं क्योंकि ऐसी प्रथाओं से मृदा के कटाव एवं प्रदूषण में वृद्धि होती है।
- **जलवायु परिवर्तन :** भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारक जलवायु परिवर्तन है क्योंकि भूमि क्षरण न केवल जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है बल्कि इससे प्रेरित भी होता है।
    - जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग ने भारी वर्षा की आवृत्ति, तीव्रता एवं मात्रा में वृद्धि करने के साथ-साथ गर्मी के तनाव में वृद्धि करके भूमि क्षरण को अधिक खराब कर दिया है।
- **तीव्र शहरीकरण :** वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है जिसने आवास विनाश, प्रदूषण एवं जैव-विविधता क्षति में योगदान देकर भूमि क्षरण को तीव्र कर दिया है।

भूमि क्षरण का प्रभाव

भूमि क्षरण से पृथ्वी के चारों ओर मनुष्यों एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभावों में शामिल हैं–

- खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा को कम करके कुपोषण के जोखिम को बढ़ाना
- खराब स्वच्छता और स्वच्छ पानी की कमी के कारण होने वाली जल एवं खाद्यजनित बीमारियों में वृद्धि
- समुद्री एवं मीठे जल प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभाव
    - उदाहरण के लिए, उर्वरक एवं कीटनाशकों को ले जाने वाली मृदा का क्षरण जल निकायों में होता है जिससे वहाँ रहने

वाले जीव-जंतुओं और उन पर निर्भर स्थानीय समुदायों दोनों को नुकसान पहुँचता है।

- जलवायु परिवर्तन में भी महत्त्वपूर्ण योगदान

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक केंद्र-प्रायोजित योजना के रूप में 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)' शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में

- पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) शुरू किया है।
- अगले दो वर्षों में एन.एम.एन.एफ. को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा तथा 1 करोड़ किसानों तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही, 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती (NF) शुरू की जाएगी।
- इसके तहत प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM)/ प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)/ किसान उत्पादक संगठन (FPO) आदि के प्रचलन वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- किसानों के उपयोग के लिए तैयार प्राकृतिक खेती लागत की आसान उपलब्धता और पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यकता-आधारित 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (BRC) स्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य

- सभी के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना
- किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करना
- बाहर से खरीदे गए संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करना

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से संबंधित गतिविधियाँ

- एन.एम.एन.एफ. के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), कृषि विश्वविद्यालयों (AU) और किसानों के खेतों में लगभग 2,000 एन.एफ. मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे।
- इच्छुक किसानों को उनके गाँवों के पास के.वी.के., ए.यू. और एन.एफ. खेती करने वाले किसानों के खेतों में एन.एफ. पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, एन.एफ. इनपुट की तैयारी आदि पर मॉडल प्रदर्शन फार्मों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 18.75 लाख प्रशिक्षित इच्छुक किसान अपने पशुओं का उपयोग करके या बी.आर.सी. से खरीद कर जीवामृत, बीजामृत आदि जैसे कृषि संबंधी संसाधन तैयार करेंगे।
- जागरूकता पैदा करने, एकजुट करने और समूहों में इच्छुक किसानों की मदद करने के लिए 30,000 कृषि सखियों/सी.आर.पी. को तैनात किया जाएगा।
- एन.एम.एन.एफ. कार्यान्वयन की वास्तविक समय की जियो-टैग एवं संदर्भित निगरानी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लाभ

- प्राकृतिक खेती स्वस्थ मृदा पारितंत्र का निर्माण एवं रखरखाव करेगी, जैव-विविधता को बढ़ावा देगी और प्राकृतिक खेती के अनुसार लाभकारी स्थानीय सतत् कृषि के लिए उपयुक्त लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से विविध फसल प्रणालियों को प्रोत्साहित करेगी।
- किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बाज़ार तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक आसान सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित सामान्य ब्रांडिंग प्रदान की जाएगी।
- इस मिशन को वैज्ञानिक रूप से पुनर्जीवित करने और किसान परिवारों एवं उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता, जलवायु लचीलापन व स्वस्थ आहार की दिशा में कृषि कार्य प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए एक बदलाव के रूप में शुरू किया गया है।

❑❑❑

अवसंरचना

दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि प्रबंधन) नियम, 2024

संदर्भ

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के नियमों का पहला सेट 'दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि प्रबंधन) नियम, 2024' जारी किया है।

दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि प्रबंधन) नियम, 2024 के बारे में

- **क्या है :** इन नियमों के तहत डिजिटल भारत निधि के कार्यान्वयन एवं प्रशासन संबंधी देखरेख के लिए ज़िम्मेदार प्रशासकों की शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित किया गया है।
  - डिजिटल भारत निधि के तहत ली जाने वाली परियोजनाओं के लिए मानदंड एवं कार्यान्वयन करने वालों के लिए चयन प्रक्रिया का प्रावधान भी करते हैं।
- **डिजिटल भारत निधि :** भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए 'सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष' (Universal Service Obligation Fund) को अब दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 24(1) के तहत डिजिटल भारत निधि के रूप में नया नामकरण किया गया है।
- डिजिटल भारत निधि के तहत वित्तपोषित योजनाओं एवं परियोजनाओं को इन नियमों के तहत निर्धारित एक या अधिक मानदंडों को पूरा करना होगा। डिजिटल भारत निधि के तहत परियोजनाओं के प्रमुख मानदंड–
  - नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना
  - स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास एवं संबंधित बौद्धिक संपदा का प्रचार
  - राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त मानकों को विकसित एवं स्थापित करना
  - अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं द्वारा उनका मानकीकरण
  - दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना
  - स्टार्टअप एवं उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना
  - दूरसंचार क्षेत्र में टिकाऊ एवं पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना।

नए नियमों का महत्त्व

- **कमज़ोर वर्गों को लाभ :** डिजिटल भारत निधि से धन का आवंटन कम सेवा वाले दूरदराज़ के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर करने और समाज के वंचित समूहों, जैसे– महिलाओं, दिव्यांगों एवं आर्थिक व कमज़ोर वर्गों पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
- **बेहतर संचार सुविधाएँ :** इसमें दूरसंचार सेवाओं की डिलीवरी के लिए आवश्यक दूरसंचार उपकरण एवं दूरसंचार सुरक्षा में सुधार, दूरसंचार सेवाओं की पहुँच व कीमत में सुधार और ग्रामीण इलाकों, दूरदराज़ के क्षेत्रों शहरी क्षत्रों में अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी की तैनाती से संबंधित परियोजनाएँ शामिल होंगी।
- **सभी के लिए उपलब्धता :** दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि से धन प्राप्त करने वालों को खुले तौर पर और बिना किसी भेदभाव के ऐसे दूरसंचार सेवाओं को सभी के लिए उपलब्ध कराना होगा।

शहरी बुनियादी ढाँचा वित्तपोषण : चुनौतियाँ एवं समाधान

संदर्भ

भारत की शहरी आबादी विगत दशक के 400 मिलियन से बढ़कर अगले तीन दशकों में 800 मिलियन होने की संभावना है। यद्यपि यह भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने का भी महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है किंतु, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

विश्व बैंक के प्रमुख आँकड़े

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2036 तक भारत के शहरों में 600 मिलियन लोग निवास कर रहे होंगे, जो कि कुल आबादी का 40% होगा। इससे भारतीय शहरों के पहले से ही तनावग्रस्त शहरी बुनियादी ढाँचे एवं सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है जिनमें स्वच्छ पेयजल, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, कुशल एवं सुरक्षित सड़क परिवहन आदि शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अपनी शहरी बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2036 तक लगभग 70 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। हालाँकि, शहरी बुनियादी ढाँचे पर वर्तमान सरकारी निवेश वार्षिक लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए है। इसमें लगभग 50% बुनियादी शहरी सेवाओं के लिए अनुमानित है जबकि शेष आधा शहरी परिवहन के लिए है।

शहरी बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण से संबंधित चुनौतियाँ

- **नगरपालिकाओं की खराब वित्तीय स्थिति :** वर्ष 2002 से नगरपालिका वित्त सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% रहा है। नगर निकाय शहरी निवेश में 45% का योगदान करते हैं। हालाँकि, केंद्रीय एवं राज्य हस्तांतरण में 37% से 44% की वृद्धि के बावजूद भी नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
- **नगर निकायों की राजस्व क्षमता में कमी :** वर्ष 2010 से 2018 के बीच नगर निकायों के कर राजस्व में केवल 8%, अनुदान में 14% और गैर-कर राजस्व में 10.5% की वृद्धि हुई। हालाँकि, नगरपालिकाओं के स्वयं के राजस्व स्रोतों का

हिस्सा 51% से घटकर 43% हो गया है जो राजस्व क्षमता में कमी को दर्शाता है।

- **कमज़ोर कर संग्रह क्षमताएँ :** वर्तमान में शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में कर संग्रह अक्षमताएँ मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु एवं जयपुर में यू.एल.बी. अपने संभावित कर राजस्व का केवल 5%-20% ही एकत्र करते हैं। राष्ट्रव्यापी स्तर पर संपत्ति कर संग्रह मात्र ₹25,000 करोड़ है जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.15% है।
    - इसके अलावा, सेवाओं के लिए लागत वसूली 20% से 50% तक है, जो शहरी सेवाओं की लागत और उनसे उत्पन्न राजस्व के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।
- **अनुप्रयुक्त निधियाँ :** पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, नगरपालिकाओं द्वारा अपने कुल राजस्व का लगभग 23% हिस्सा व्यय नहीं किया जाता है जो नगरपालिका प्रणाली में अधिशेष की स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद एवं चेन्नई जैसे शहर भी वर्ष 2018-19 में अपने पूंजीगत व्यय बजट का केवल 50% ही व्यय कर पाए।
- **निम्न अवशोषण क्षमता :** भारतीय शहरों की अवशोषण क्षमता कम है जिसका अर्थ है कि परियोजनाएँ क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता कमज़ोर है। ऐसा कई कारकों के कारण हुआ है, जिनमें शहरी संस्थागत क्षमता की कमज़ोरी और वित्तीय प्रबंधन का अभाव आदि शामिल है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी में कमी :** शहरी बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) एक महत्त्वपूर्ण साधन है। हालाँकि, पिछले दशक में इसमें उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। शहरी बुनियादी ढाँचे में पी.पी.पी. निवेश वर्ष 2012 में जहाँ ₹8,353 करोड़ के उच्चतम स्तर पर था, वहीं वर्ष 2018 तक घटकर केवल ₹467 करोड़ रह गया है।
    - विश्व बैंक के अनुसार, भारतीय शहरों की बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं का केवल 5% ही निजी स्रोतों से वित्तपोषित किया जा रहा है।

समाधान

दीर्घकालिक समाधान

- नगर निकायों में संरचनात्मक सुधार करना
- राज्य वित्त आयोगों की स्थिति को मज़बूत करना
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए स्वायत्तता व क्षमता बढ़ाना
- प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ नगरपालिका सरकारों को सशक्त बनाना
- शहरी विकास के लिए संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन एवं आवंटन करने में सक्षम बनाना
- ऋण उधार एवं नगरपालिका बॉन्ड जैसे तंत्रों के माध्यम से निजी पूंजी को आकर्षित करना

मध्यम अवधि समाधान

- परियोजनाओं की एक मज़बूत पाइपलाइन का विकास
- परियोजना की तैयारी को वित्तीय सहायता से अलग करना
- बेहतर संचालन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाना
- परिवहन परियोजनाओं में भूमि मूल्य को शामिल करना

प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम

- **राष्ट्रीय सतत् पर्यावास मिशन :** यह मिशन शमन रणनीति के तहत भारत सरकार के आठ जलवायु मिशनों में से एक है। इस नीति को भवन ऊर्जा क्षमता के सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा यातायात प्रकारों में परिवर्तन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक एवं आवासीय क्षेत्रों में वैकल्पिक प्रौद्योगिकी व ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देकर ऊर्जा मांग को कम करना है।
- **आत्मनिर्भर भारत के तहत मंत्रालय की योजना :** कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप देश में शहरी प्रवासियों/गरीबों के पलायन के कारण उनके कार्यस्थलों पर किराये के उचित आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत एक उप-योजना के रूप में किफायती किराये के आवास परिसरों (ARHC) की शुरुआत की है।
- **स्मार्ट सिटी :** स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून, 2015 को शुरू किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं। साथ ही, इसका उद्देश्य शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक एवं संस्थागत स्तंभों पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना व जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना (हृदय) :** यह भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे 21 जनवरी, 2015 को शहरी नियोजन, आर्थिक विकास एवं विरासत संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 12 शहरों– अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी व वारंगल को विकास के लिए चिह्नित किया गया है। हृदय योजना की मिशन अवधि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी विकास कार्यक्रम (NERUDP) :** इसको शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एशियाई विकास बैंक (ADB) की वित्तीय सहायता से शुरू किया गया है। इसमें ए.डी.बी. का योगदान भारत सरकार को ऋण के रूप में लागत का 70% है। यह योजना क्षमता निर्माण, संस्थागत एवं वित्तीय सुधारों के अलावा प्राथमिक शहरी सेवाओं, जैसे– जलापूर्ति, सीवरेज व स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को कवर करते हुए 5 उत्तर-पूर्वी

राज्यों की राजधानियों अगरतला (त्रिपुरा), आइज़ोल (मिज़ोरम), गंगटोक (सिक्किम), कोहिमा (नागालैंड) एवं शिलांग (मेघालय) में लागू की जा रही है।

- **शहरी परिवहन :** शहरी विकास मंत्रालय का शहरी परिवहन विंग केंद्रीय स्तर पर मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन मामलों के समन्वय, मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए नोडल प्रभाग है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी परिवहन में सभी हस्तक्षेप, जैसे– बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS), शहरी ट्रांजिट इन्फ्रास्ट्रक्चर या मेट्रो रेल परियोजनाओं का वित्तपोषण आदि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।
- **अमृत मिशन :** इसका शुभारंभ जून 2015 में किया गया। इस मिशन का उद्देश्य 500 शहरों/कस्बों की बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना है। इस केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत छावनी बोर्ड तथा राजधानी कस्बों जैसे कुछ अन्य शहरों, प्रमुख नदियों के उद्‌गम स्थलों पर बसे शहरों एवं पर्यटन व पर्वतीय दर्शनीय स्थलों तथा अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों व कस्बों को शामिल करना है।
- **स्वच्छ भारत अभियान :** भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्तूबर, 2014 को आरंभ किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना :** भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) को 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था। यह सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके स्लम निवासियों सहित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/निम्न आय समूह तथा मध्यम आय समूह श्रेणियों के मध्य शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है।

आगे की राह

- भारत में शहरों को हरित, स्मार्ट, समावेशी और संधारणीय शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में वित्तपोषण की आवश्यकता है। इसलिए, निजी स्रोतों से अधिक उधार लेने के लिए यू.एल.बी., विशेष रूप से बड़े एवं ऋण योग्य यू.एल.बी. के लिए अनुकूल वातावरण बनाना महत्त्वपूर्ण होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर अपनी बढ़ती आबादी के जीवन स्तर को संधारणीय तरीके से सुधारने में सक्षम हों।
- इसके अलावा संस्थागत निवेशकों के वित्तपोषण के प्रवाह को सुरक्षित करने के लिए ठोस परियोजना पाइपलाइनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विनियामक बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता होगी।
- भारत का शहरी भविष्य इन वित्तीय एवं संरचनात्मक चुनौतियों के समाधान क्षमता पर टिका है। ऐसे में तत्काल एवं दीर्घकालिक दोनों रणनीतियों का पालन करके भारत शहरों की बढ़ती मांगों को पूरा करने वाले शहरी बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर सकता है जिससे आने वाले दशकों के लिए टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सरकारी स्तरों पर सहयोग, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार व शासन दक्षता पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

भारत में समुद्री केबल का विकास

- डाटा के बढ़ते उपयोग के कारण भारत का समुद्री केबल नेटवर्क लगातार विस्तारित हो रहा है। अगले कुछ महीनों में दो नई केबल प्रणालियाँ इंडिया एशिया एक्सप्रेस (IAX) और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस (IEX) शुरू की जाएंगी।
- ये केबल भारत को एशिया (सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के माध्यम से) और यूरोप (फ्राँस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र, जिबूती के माध्यम से) से जोड़ेगी।
- ये प्रणालियाँ 15,000 किमी. से अधिक लंबी हैं और इनका स्वामित्व रिलायंस जियो के पास है तथा इसमें चाइना मोबाइल का रणनीतिक निवेश भी है।

भू-राजनीतिक एवं सामरिक निहितार्थ

- नई केबल प्रणालियाँ बढ़ते डाटा ट्रैफिक एवं भारत की बढ़ती भू-राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा को दर्शाती हैं।
- ये केबल राज्य या गैर-राज्यीय तत्त्वों से होने वाली भौतिक क्षति या साइबर हमलों के विरुद्ध भारत की रक्षा रणनीति को मज़बूत करते हैं।
- भारत इस क्षेत्र में एक मज़बूत समुद्री केबल नेटवर्क प्लेयर के रूप में उभर रहा है जो बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण चीन सागर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- पनडुब्बी केबल सुरक्षा एवं लचीलेपन में भारत की भूमिका प्रमुखता प्राप्त कर रही है।

लचीलापन एवं सुरक्षा चिंताएँ

- मार्च 2024 में भारत को पश्चिम एशिया एवं यूरोप से जोड़ने वाली तीन समुद्री केबलें बाधित हो गईं जिससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ प्रभावित हुई।
- भारत के सक्रिय रुख में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा पनडुब्बी केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी शामिल है।
- बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा पूर्वोत्तर भारत को बैंडविड्थ बेचने की योजना को स्थगित कर दिया है।
  - हालाँकि, पूर्वोत्तर भारत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ट्रान्समिशन लाइनों पर बिछाई गई फाइबर के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जो पर्याप्त कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

सामाजिक मुद्दे

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में 'बाल विवाह मुक्त भारत' राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में

- **क्या है :** यह अभियान 25 नवंबर, 2024 (अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस) से 10 दिसंबर, 2024 (मानवाधिकार दिवस) तक चलने वाला वैश्विक आंदोलन लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ है।
- **मंत्रालय :** यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक संयुक्त प्रयास है।
- **उद्देश्य :** इस अभियान का उद्देश्य देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और युवा बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाना है।
- **2047 तक विकसित भारत :** यह अभियान भारत के '2047 तक विकसित भारत' के विज़न के अनुरूप है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं व बालिकाओं की पूर्ण, समान व सार्थक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **7 राज्यों पर केंद्रित :** यह अभियान बाल विवाह के उच्च प्रसार वाले सात राज्यों– 'पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम व आंध्र प्रदेश' और लगभग 300 उच्च-भार वाले ज़िलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहाँ बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक हैं।
- **कार्य योजना :** यह अभियान प्रत्येक राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश से वर्ष 2029 तक बाल विवाह दरों को 5% से कम करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना तैयार करने का आह्वान करता है।
- **बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल :** इस अभियान की एक प्रमुख विशेषता 'बाल विवाह मुक्त भारत' पोर्टल का शुभारंभ है।
  - यह पोर्टल एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने और देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
  - यह पोर्टल नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को लागू करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

भारत में बाल विवाह की स्थिति

- पिछले एक वर्ष में लगभग दो लाख बाल विवाह रोके गए हैं, जबकि भारत में 5 में से 1 बालिका का विवाह कानूनी आयु 18 वर्ष तक पहुँचने से पहले ही कर दी जाती है।
- वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की शुरुआत के बाद से भारत में बाल विवाह वर्ष 2019-21 में 47.4% से घटकर 23.3% हो गया है।
  - बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर सख्त प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
- भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है जो वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 930 हो गया है।

आगे की राह

- बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें–
  - बालिकाओं की शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना
  - कौशल विकास और श्रम बल में समावेशन
  - महिलाओं के लिए पोषण संबंधी परिणाम सुनिश्चित करना
  - महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य की देखभाल
  - महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा (तस्करी-रोधी)
  - सामाजिक सुरक्षा, खेल व नेतृत्व में भागीदारी, इत्यादि।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर बालिका शिक्षित, सुरक्षित व अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो।
- '2047 तक विकसित भारत' की परिकल्पना में हर बालिका को सशक्त बनाने और बाल विवाह को रोकने के लिए एकजुट होने का लक्ष्य रखा गया है।
  - इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, अधिकारियों, सामाजिक संगठनों व नागरिकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

लाइटहाउस पैरेंटिंग

संदर्भ

आधुनिक समय में बच्चों तथा माता-पिता या अभिभावक के मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए लाइटहाउस पैरेंटिंग पद व्यापक रूप से प्रचलित है।

क्या है लाइटहाउस पैरेंटिंग

- लाइटहाउस पैरेंटिंग एक संतुलित पैरेंटिंग दृष्टिकोण है जिसमें बच्चों को प्रेम, सहायता एवं मार्गदर्शन तो प्रदान किया जाता है किंतु माता-पिता, बच्चों से उचित सीमाएँ भी बनाए रखते हैं। माता-पिता एक लाइटहाउस एवं ग्राउंडिंग स्रोत के रूप में काम करते हैं।
- यह हेलीकॉप्टर पैरेंटिंग (लगातार आसपास रहना एवं आवश्यकता से अधिक समर्थन) और फ्री-रेंज पैरेंटिंग (न्यूनतम हस्तक्षेप) के बीच का मार्ग है।
- यह विधि एक स्थिर एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण करती है जहाँ बच्चे इस गतिशील व निरंतर परिवर्तनशील दुनिया में आगे बढ़ने के साथ ही अपनेपन की भावना विकसित कर सकते हैं।
- यह बच्चों को बिना किसी चिंता के जीवन को आगे बढ़ाने तथा सुरक्षित सीमाओं के भीतर रहते हुए अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए विश्वसनीय समर्थन व मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- लाइटहाउस पैरेंटिंग में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा तंत्र का उपयोग करना, असहज विषयों पर चर्चा करना और क्रोध जैसी भावनाओं के लिए रचनात्मक आउटलेट को प्रोत्साहित करना शामिल है।
- इसके तहत माता-पिता अपने बच्चों के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होकर समझ एवं स्वच्छंद संचार को बढ़ावा देते हैं।
  - इससे बच्चों को बिना किसी डर के प्रश्न करने, खोज करने एवं सीखने की अनुमति मिलती है।

लाइटहाउस पैरेंटिंग के तहत रणनीतियाँ

स्पष्ट नियमों का निर्धारण

- अपेक्षाओं एवं परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना
  - उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि अपने फोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल न करें, समय सीमाएँ निर्दिष्ट करें और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने या ध्यान केंद्रित करने जैसे कारणों की व्याख्या करें।

परिणामों के स्थान पर प्रयासों की प्रशंसा करना

- केवल परिणामों की नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत एवं दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करना
- यह दृष्टिकोण विकास की मानसिकता को पोषित करता है जिससे बच्चों को चुनौतियों के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है।

असफलता को सामान्य बनाना

- बच्चों की गलतियों को विकास के अवसर के रूप में देखना सिखाएँ
- असफलताओं के व्यक्तिगत अनुभव साझा करना और उससे निपटने के बारे में बताना
- लचीलापन एवं समस्या-समाधान कौशल का प्रदर्शन करना

परिवार नियोजन में लैंगिक असमानता

संदर्भ

वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे शुक्रवार को पुरुष नसबंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 15 नवंबर को आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन को लेकर पुरुषों के बीच नसबंदी से संबंधित गलत धारणाओं को दूर करके उनमें जागरूकता बढ़ाकर इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। साथ ही, गर्भनिरोधक को लेकर सुरक्षित विकल्प एवं साझी ज़िम्मेदारी की चर्चा को आगे बढ़ाना है।

परिवार नियोजन संबंधी महत्त्वपूर्ण आँकड़े

- भारत में परिवार नियोजन का अधिकांश बोझ महिलाओं पर ही पड़ा है और इसीलिए महिला नसबंदी को व्यापक रूप से प्राथमिकता भी दी गई है। वर्ष 1952 में भारत ने परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की जिसके उद्देश्यों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार से लेकर जनसंख्या का स्थिरीकरण तक शामिल था।
  - इस कार्यक्रम के विकसित होने के साथ-साथ गर्भनिरोध के स्थायी तरीके भी विकसित हुए जिसमें पुरुष नसबंदी भी एक प्रमुख तरीका रहा है।
- वर्ष 1966-70 के दौरान भारत में नसबंदी की सभी प्रक्रियाओं में से लगभग 80.5% पुरुष नसबंदी थीं। हालाँकि, नीतियों में बदलाव के कारण प्रत्येक वर्ष यह प्रतिशत घटता गया तथा विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक कारणों और दोषपूर्ण दृष्टिकोण के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी संतोषजनक नहीं रही है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NHFS) के पाँचवे दौर के आँकड़ों के अनुसार, विगत तीन दशकों में सभी राज्यों में पुरुष नसबंदी में लगातार गिरावट आ रही है।
  - इसके अलावा एन.एफ.एच.एस.-4 और एन.एफ.एच.एस.-5 में पुरुष नसबंदी का प्रतिशत लगभग 0.3% पर स्थिर रहा

है। आधिकारिक आँकड़े महिला एवं पुरुष नसबंदी की दरों के बीच अत्यधिक असमानता दिखाते हैं।

- वर्तमान में भारत जैसे विकासशील देश में विभिन्न कारणों से नसबंदी का लगभग सारा बोझ महिलाओं पर ही पड़ता है जो सतत् विकास लक्ष्य-5 (वर्ष 2030 तक सभी महिलाओं एवं बालिकाओं की लैंगिक समानता व सशक्तीकरण) को प्राप्त करने में चुनौती प्रस्तुत करता है।
- इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लक्ष्यों के भी प्रतिकूल है जिसका उद्देश्य परिवार नियोजन के संदर्भ में पुरुष नसबंदी को कम-से-कम 30% तक बढ़ाना था। वर्तमान में भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर है। इस संदर्भ में विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी सरकारी नीतियाँ अभी भी ज़मीनी स्तर पर अप्रभावी बनी हुई हैं और पुरुष व महिला नसबंदी दरों के बीच का अंतर स्पष्ट है।

परिवार नियोजन में लैंगिक असमानता के कारण

- **आर्थिक कारक :** भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्था के अनुसार, कमाने की ज़िम्मेदारी पुरुषों पर डाली गई है, ऐसे में अतिरिक्त ज़िम्मेदारी के रूप में यह उन पर दोहरे बोझ का कारण बन जाती है।
    - महाराष्ट्र के एक गाँव के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश महिलाओं ने माना कि नसबंदी उनकी ज़िम्मेदारी है। साथ ही, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि पुरुषों पर इसका बोझ नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि वे पहले से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इस प्रक्रिया से पुरुषों की कुछ दिन की मज़दूरी छिन सकती है जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है।
- **सामाजिक कारक :** भारत में इस संदर्भ में हुए कई अध्ययनों के अनुसार अशिक्षा, पुरुषवादी मानसिकता, कामेच्छा पर इसके प्रभाव के बारे में गलत धारणाएँ और परिवार के विरोध के कारण पुरुष नसबंदी को कम स्वीकृति मिली है।
- **कुशल स्वास्थ्य प्रदाताओं की अनुपलब्धता :** ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल स्वास्थ्य प्रदाताओं की अनुपलब्धता ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। चूँकि कई प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वयं ही नो-स्केलपेल नसबंदी (No-scalpel Vasectomy) के बारे में अत्यल्प जानकारी है।
    - **नो-स्केलपेल नसबंदी :** यह पुरुष नसबंदी का एक आधुनिक, सुरक्षित एवं प्रभावी तरीका है जिसमें जटिलताएँ कम होती हैं और रोगी की अनुपालन क्षमता भी अधिक होती है। यह वैश्विक स्तर पर पुरुष नसबंदी की एक मानक विधि बन गई है।
- **जागरूकता का अभाव :** भारतीय समाज में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में लैंगिक समानता और अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता का अभाव है जिससे परिवार नियोजन में भी इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

परिवार नियोजन में लैंगिक समानता के लिए सुझाव

- परिवार नियोजन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में किशोरावस्था के दौरान संवेदनशीलता की शुरुआत होनी चाहिए जहाँ जागरूकता कार्यक्रम एवं निगरानी वाले सहकर्मी-समूह चर्चाएँ नसबंदी को एक साझा ज़िम्मेदारी के रूप में स्वीकार करने की नींव रख सकती हैं।
- निरंतर सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार पहल पुरुष नसबंदी के बारे में मिथकों को दूर करने और इसे अपनाने में सहायक होगी।
- इस संदर्भ में सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों को पुरुष नसबंदी के लिए अधिक सशर्त नकद प्रोत्साहन के साथ संपूरित किया जाना चाहिए, जिसका लक्ष्य पुरुषों की भागीदारी में सुधार करना है।
    - उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादातर पुरुषों ने सशर्त नकद प्रोत्साहन की पेशकश के बाद नसबंदी का विकल्प चुना।
- इसके अलावा भारत को उन देशों के मॉडल को भी देखना चाहिए जिन्होंने परिवार नियोजन के संदर्भ में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा दिया है।
    - उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया में दुनिया भर में पुरुष नसबंदी का प्रचलन सर्वाधिक है और रिपोर्ट के अनुसार, प्रगतिशील सामाजिक मानदंडों व अधिक लैंगिक समानता के परिणामस्वरूप पुरुषों में गर्भनिरोधक ज़िम्मेदारियाँ उठाने की संभावना ज़्यादा है।
    - इसी तरह, भूटान ने इस प्रक्रिया को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाकर, अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएँ उपलब्ध कराकर और सरकार द्वारा संचालित पुरुष नसबंदी शिविरों का आयोजन करके पुरुष नसबंदी को लोकप्रिय बनाया है।
    - ब्राज़ील ने जनसंचार माध्यमों पर जागरूकता अभियान चलाकर पुरुष नसबंदी को बढ़ावा दिया है और यह दर वर्ष 1980 के दशक में 0.8% से बढ़कर पिछले दशक में 5% हो गई है।

निष्कर्ष

पुरुष नसबंदी के बारे में अधिक सार्वजनिक जागरूकता से विवाह में शामिल दोनों भागीदारों को परिवार नियोजन के बारे में निर्णय लेने

में मदद मिलती है। इस संदर्भ में सरकार को नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया के लिए अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने में निवेश को बढ़ाना तथा नॉन-स्केलपेल पुरुष नसबंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना होगा। इसके आलावा परिणामी नीति में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम भी होने चाहिए। समय की मांग है कि केवल निर्माण के बजाय मांग और सेवा-केंद्रित प्रयास किए जाएँ।

राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति

संदर्भ

केंद्र सरकार ने राज्यों से स्कूली छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि सार्वजनिक और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में निम्न लागत वाले स्वच्छता उत्पादों एवं लिंग-संवेदनशील स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति

- इस नीति का उद्देश्य सरकार की स्कूल प्रणाली में मासिक धर्म स्वच्छता को मुख्यधारा में लाना है ताकि स्कूली छात्राओं के बीच ज्ञान, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके और जागरूकता में कमी की बाधाओं को दूर किया जा सके। ये बाधाएँ प्राय: उनकी स्वतंत्रता, गतिशीलता एवं दैनिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रतिबंधित करती हैं।
- यह नीति स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की निरंतर एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को सुव्यवस्थित करने को निर्देशित करती है।
- सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए इस नीति में कहा गया है कि राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को संसाधनों के कुशल उपयोग को सक्षम करने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करना एवं अनुमान लगाना चाहिए।
- इस नीति का लक्ष्य हानिकारक सामाजिक मानदंडों को समाप्त करना, सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा मासिक धर्म अपशिष्ट का पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन करना है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेश से एक विस्तृत कार्य योजना विकसित करने और प्रस्तुत करने को कहा है जिसमें नीति के सभी पहलुओं को शामिल किया जाए तथा सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी इसमें शामिल किया जाए।
- इसका उद्देश्य शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय सहित सभी हितधारकों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करके सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है, ताकि सभी स्कूली छात्राओं के लिए मासिक धर्म के अनुकूल वातावरण निर्मित किया जा सके।

मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है।
- इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं–
  - किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना
  - ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन की पहुँच और उपयोग को बढ़ाना
  - पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना

योजना के प्रमुख प्रावधान

- इस योजना को शुरू में वर्ष 2011 में 17 राज्यों के 107 चयनित ज़िलों में लागू किया गया था, जहाँ ग्रामीण किशोरियों को 'फ्रीडेज़' नामक छह सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट 6 रुपए में दिया जाता था।
- वर्ष 2014 से अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को ग्रामीण किशोरियों को 6 नैपकिन के एक पैकेट के लिए 6 रुपए की रियायती दर पर सैनिटरी नैपकिन पैक की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 'आशा' वितरण के लिए ज़िम्मेदार बनी रहेगी, उसे प्रति पैकेट 1 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी और उसे प्रतिमाह अपने निजी प्रयोग के लिए नैपकिन का एक पैकेट नि:शुल्क मिलेगा।
- आशा आंगनवाड़ी केंद्रों या अन्य ऐसे मंचों पर किशोरियों के लिए मासिक बैठकें आयोजित करेगी, जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इसमें किशोरियों के लिए ऑडियो, वीडियो एवं पाठ्य सामग्री और किशोरियों के साथ संवाद करने के लिए आशा व क्षेत्र स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए नौकरी-सहायता शामिल है।

❑❑❑

इतिहास, कला एवं संस्कृति

नुपी लान

संदर्भ

हाल ही में, मणिपुर, त्रिपुरा, असम एवं बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में 'नुपी लान/लाल नुमित (Nupi Lal/Lan Numit) 2024' का आयोजन किया गया।

नुपी लान नुमित 2024 के बारे में

- **परिचय :** 'नुपी लान नुमित' से तात्पर्य 'महिला युद्ध दिवस' से है, जो प्रतिवर्ष उत्तर-पूर्वी भारत के अनेक राज्यों, मुख्यत: मणिपुर में आयोजित किया जाता है।
- **उद्देश्य :** वर्ष 1904 और वर्ष 1939 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अन्याय के खिलाफ विद्रोह में मणिपुरी महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका के स्मरण के रूप में।
- **तिथि :** यह 12 दिसंबर, 1939 को हुए द्वितीय नुपी लान (महिला युद्ध) की स्मृति में प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को आयोजित किया जाता है।
- **संस्करण :** वर्ष 2024 में इस दिवस का 85वाँ संस्करण मनाया गया।
- **श्रद्धांजलि :** मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह द्वारा इंफाल में 'नुपी लान स्मारक परिसर' में महिला स्वतंत्रता सेनानियों को।
- **नुपी लान मेमोरियल एसोसिएशन :** यह एसोसिएशन नुपी लान विद्रोह की स्मृति में कार्य करती है।
  - यह मणिपुरी महिलाओं की बहादुरी का सम्मान करने और उनकी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए नाटक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है।

स्वाधीनता संग्राम में मणिपुरी महिलाओं का योगदान

भारत की आज़ादी के संघर्ष में मणिपुर की महिलाओं का 'नुपी लान' और '7 वर्षीय विध्वंस काल' में विशेष रूप से महत्त्व रहा है।

नुपी लान के बारे में

नुपी लान (महिला युद्ध) ब्रिटिश भारत काल के मणिपुर राज्य में औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ महिलाओं द्वारा किए गए 2 प्रमुख संघर्ष प्रदर्शन थे।

प्रथम नुपी लान

- पहला नुपी लान (महिला युद्ध) जुलाई 1904 में कर्नल मैक्सवेल द्वारा समाप्त की गई 'लालुप प्रणाली' को पुन: लागू करने के लिए उठाए गए कदम से शुरू हुआ था।
  - लालुप प्रणाली का तात्पर्य था 'राजा के लिए लोगों का मुफ्त श्रम' अर्थात् पुरुषों को प्रत्येक 30 दिन के बाद 10 दिन तक मुफ्त श्रम करना पड़ता था।
- वर्ष 1904 में दो ब्रिटिश अधिकारियों के बंगले जला दिए जाने के बाद कर्नल मैक्सवेल ने उन्हें पुन: बनाने के लिए अस्थायी रूप से लालुप प्रणाली को पुन: शुरू किया।
  - इसके परिणामस्वरूप महिलाओं ने एकजुट होकर जबरन श्रम के अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
- हालाँकि, यह पहल महिलाओं की सामूहिक पहचान के प्रयासों से की गई थी किंतु, इसे ऐतिहासिक रूप से पुरुषों की अनुपस्थिति में महिला सशक्तीकरण के पहले संकेतक के रूप में चिह्नित किया गया है।
- वर्ष 1891 के आंग्ल-मणिपुर युद्ध के बाद, मणिपुर वर्ष 1907 तक प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इसके बाद राज्य का प्रशासन राजा चुराचंद सिंह और उनके दरबार को सौंप दिया गया।
  - हालाँकि, इस क्षेत्र के कामकाज की देखरेख के लिए एक ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट को नियुक्त किया गया था और उसे शाही दरबार पर अधिकार था।

द्वितीय नुपी लान

- द्वितीय नुपी लान (महिला युद्ध) 12 दिसंबर, 1939 को शुरू हुआ था।
- इस दिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने चावल निर्यात पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर राज्य दरबार कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया।
- यह आंदोलन मणिपुर महाराजा और मणिपुर में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक एजेंट ग्रिमसन (1933-45) की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ मणिपुरी महिलाओं द्वारा एक संघर्ष के रूप में शुरू किया गया था।

- बाद में यह संघर्ष मणिपुर में संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार के लिए एक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ।
- अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया किंतु, मणिपुर की अनेक महिलाओं ने इस आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।

7 वर्षीय विध्वंस काल

- मणिपुर में वर्ष 1819 से वर्ष 1826 के मध्य बर्मा से आक्रमण के काल को '7 वर्षीय विध्वंस काल' (Seven Year Devastation Period) कहा जाता है।
- लगभग एक वर्ष तक बड़े पैमाने पर बर्मा के सैनिकों ने लूटपाट एवं अत्याचार किया और लगभग 5,50,000 मणिपुरी मारे गए।
- इस संघर्ष में मणिपुर की महिलाओं ने साहस का परिचय देते हुए घुसपैठियों के विरुद्ध संघर्ष किया था।
- डॉ. एन. बिरचंद्र ने अपनी पुस्तक 'सेवन इयर्स डिवास्टेशन: 1819-1826' में कहा है कि यह मणिपुरियों (मैती) पर बर्मा के लोगों की क्रूरता व अमानवीय व्यवहार को याद दिलाता है।

मणिपुर सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु योजनाएँ

- **इमा नोंग्थांगलीमा याइफा तेंगबांग योजना :** मणिपुर सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु की बेरोज़गार महिलाओं को 500 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **इमा बाज़ार :** आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रत्येक ज़िले में इमा बाज़ार (केवल महिलाओं के लिए बाज़ार) का निर्माण किया गया है।
- **वित्तीय सहायता :** राज्य सरकार द्वारा महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा युवा खिलाड़ियों को उनके संबंधित खेलों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **अन्य पहल :** मणिपुर सरकार द्वारा सिविल सेवा कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा (NEET और JEE) के लिए मुख्यमंत्री कोचिंग योजना तथा प्रत्येक ज़िले में ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) की स्थापना आदि शामिल हैं।

केरल में प्रागैतिहासिक शैलचित्रों की खोज

- **खोज के बारे में :** केरल में चट्टान पर उकेरी गई 24 जोड़ी प्रागैतिहासिक पदचिह्न एवं एक मानव आकृति की पुरातात्विक खोज की गई है। यह रॉक-कट वास्तुकला का एक उदाहरण है।
  - रॉक-कट वास्तुकला (Rock-Cut Architecture) शैलचित्र का एक प्रकार है जिसमें ठोस प्राकृतिक चट्टान पर नक्काशी करके संरचना का निर्माण किया जाता है।
- **खोज स्थल :** केरल के कासरगोड ज़िले में मडिक्कई पंचायत के कन्हिरापोइल स्थान पर
- **निर्माण काल :** मेगालिथिक काल (2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक)
- **सर्वप्रथम जानकारी :** स्थानीय पुरातत्वविद् सतीसन कालियानम द्वारा
- **प्रमुख विशेषताएँ :**
  - लोहे के औज़ारों से बनाई गई रॉक-कट नक्काशी में 6 से 10 इंच के आकार के पैरों के निशान शामिल हैं जो बच्चों एवं वयस्कों दोनों के चित्रण को दर्शाते हैं।
  - पैरों के निशान के अंत में एक मानव आकृति को जटिल रूप से उकेरा गया है जिसके चारों ओर 4 गोलाकार गड्डे हैं।
  - पैरों के निशान मृत लोगों की आत्माओं के प्रतीक हैं और उन्हें सम्मान देने के लिए बनाए गए हैं।
  - सभी पैरों के निशान पश्चिम दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। हालाँकि, स्थानीय लोगों का मानना है कि ये निशान देवी के हैं।
- **खोज का महत्त्व**
  - 2,000 वर्ष पुरानी यह शैल चित्रकला मडिक्कई ग्राम और समग्र रूप से केरल के प्रारंभिक निवासियों के जीवन एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों पर प्रकाश डालती है।
  - यह खोज इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्त्व को पुष्ट करती है और क्षेत्र के प्राचीन अतीत में आगे के अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करती है।

साध्या विझा महोत्सव

तमिलनाडु में साध्या विझा महोत्सव के दौरान महान चोल सम्राट राजाराज चोल प्रथम की 1039वीं जयंती मनाई गई।

साध्या विझा महोत्सव के बारे में

- **क्या है :** तमिलनाडु में महान चोल सम्राट राजाराज चोल प्रथम की जयंती प्रत्येक वर्ष साध्या विझा महोत्सव के रूप में मनाई जाती है।
- **आयोजन काल :** यह महोत्सव तमिल महीने 'अप्पासी' में मनाया जाता है। अप्पासी का समयकाल अक्तूबर माह के मध्य से नवंबर माह के मध्य तक होता है।
- **प्रक्रिया :** यह आयोजन धार्मिक समारोहों से शुरू होता है, जिसमें भगवान पेरुवुदैयार का पवित्र अभिषेक (पवित्र स्नान) शामिल है। इसके बाद 'पेरुंडीपा वजीपाडु' होता है जिसमें श्रद्धा से दीप जलाए जाते हैं और 'स्वामी पुरप्पाडु' नामक एक जुलूस होता है जिसमें देवता को मंदिर के माध्यम से ले जाया जाता है।
- **सांस्कृतिक कार्यक्रम :** इस दो-दिवसीय उत्सव में शास्त्रीय नृत्य एवं ओधुवरों (तमिल भक्ति गायक) द्वारा भजन गायन जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल होते हैं।
- **प्रमुख केंद्र :** इस महोत्सव का प्रमुख केंद्र तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर है।
  - तंजावुर से आगे यह उत्सव कुंभकोणम के पास उदययालुर तक फैला हुआ है, जहाँ माना जाता है कि राजाराज चोल के पार्थिव शरीर को दफनाया गया है।

राजाराज चोल प्रथम के बारे में

- **जीवन काल :** 947 ई. से 1014 ई. तक
- **बचपन का नाम :** अरुलमोझी वर्मन
- **पिता :** परांतक द्वितीय
- **माता :** वनवन महादेवी
- **शासन काल :** 985 ई. से 1014 ई. तक
- **जीवनी :** 1955 ई. में कल्कि कृष्णमूर्ति के तमिल उपन्यास पोन्नियिन सेलवन में
- **विशेष :** दक्षिणी भारत एवं श्रीलंका में विजय और हिंद महासागर में चोल प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध
- **प्रमुख निर्माण :** तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर (1010 ई. में निर्मित)
  - इसे पेरुवुदैयार कोविल के नाम से भी जाना जाता है।
  - भगवान शिव को समर्पित है।
  - वर्ष 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष

26 दिसंबर, 2024 को 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' (भाकपा) की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में

- **स्थापना :** 26 दिसंबर, 1925 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में
- **संस्थापक :** मानवेंद्रनाथ राय (1886 ई.-1954 ई.)
  - इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था।
- **प्रथम महासचिव :** सच्चिदानंद विष्णु घाटे
- **स्थापना सम्मेलन (1925) के अध्यक्ष :** सिंगारवेलु चेट्टियार
- **प्रमुख नेता :** मानवेंद्रनाथ राय, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली एवं शफीक सिद्दीकी आदि।
- **कम्युनिस्ट नेताओं से संबंधित मामले :** कानपुर षड्यंत्र मामला (1924), मेरठ षड्यंत्र मामला (1929-1933) और पेशावर षड्यंत्र मामला (1922-1927)
- **वर्तमान महासचिव :** डी. राजा

कम्युनिस्ट आंदोलन का योगदान : एक विश्लेषण

- शुरुआती कम्युनिस्टों ने मज़दूरों, किसानों एवं उत्पीड़ित वर्गों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की निंदा एक शोषक शक्ति के रूप में की।
- उन्होंने जाति एवं पितृसत्ता की दमनकारी सामाजिक संरचनाओं को निशाना बनाया। कानपुर सम्मेलन में अध्यक्ष एम. सिंगारवेलु ने अस्पृश्यता प्रथा की निंदा की।
- भाकपा पहला संगठन था जिसने किसी भी सांप्रदायिक संगठन के सदस्यों को सदस्यता देने से इनकार कर दिया।
- स्वतंत्रता आंदोलन में कम्युनिस्टों के केंद्रीय योगदानों में से एक पूर्ण स्वराज की उनकी शुरुआती दृढ़ मांग थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इस मांग को अपनाया।
- कम्युनिस्टों (मानवेंद्रनाथ राय ने प्रमुख रूप से) ने एक संविधान सभा के गठन की मांग की जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी।
  - उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी नई राजनीतिक व्यवस्था लोगों की संप्रभुता पर आधारित होनी चाहिए, जो बाद में प्रस्तावना के 'हम, भारत के लोग' के आह्वान में परिलक्षित होता है।
- तेलंगाना विद्रोह एवं निज़ाम के हैदराबाद राज्य में एक प्रमुख किसान विद्रोह को भूमि सुधार एवं सामाजिक न्याय के लिए भाकपा की प्रतिबद्धता का उदाहरण माना जाता था।
- कम्युनिस्टों ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS), अखिल भारतीय छात्र

संघ (AISA), प्रगतिशील लेखक संघ आदि जैसे संगठनों के माध्यम से लोगों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।

सुब्रमण्यम भारती

प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उनके संपूर्ण रचना संग्रह 'कालवरिसैयिल् भारतिया 'पडैप्पुगळ्' का विमोचन किया।

सुब्रमण्यम भारती : जीवन परिचय

- **परिचय :** एक भारतीय लेखक, कवि, पत्रकार, शिक्षक, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और बहुभाषी (32 भाषाओं के ज्ञाता) थे।
- **जीवन काल :** 11 दिसंबर, 1882 - 12 सितंबर, 1921 (39 वर्ष)
- **जन्म स्थल :** तमिलनाडु के थूथुकुडी ज़िले में
- **माता का नाम :** लक्ष्मी अम्मल
- **पिता का नाम :** चिन्नास्वामी अय्यर
- **विवाह :** चेल्लम्मा से
- **उपाधि :** भारती, भारतियार एवं महाकवि
- **गुरु :** स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता
- **प्रमुख संपादन :** तमिल साप्ताहिक 'इंडिया' एवं अंग्रेज़ी समाचार-पत्र 'बाला'
- **प्रमुख रचनाएँ :** पंजली सबथम, कन्नन पातु, कुयिल पातु, पापा पातु, चिन्नांचिरु किलिये, विनयगर ननमणिमलाई एवं पतंजलि के योग सूत्र व भगवद्गीता के तमिल अनुवाद

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भाग लिया।
- वर्ष 1906 में दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, जिसमें स्वराज एवं ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई।
- यह पहले कवि थे जिनके साहित्य का वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था अर्थात् इनके साहित्य का कॉपीराइट केंद्र सरकार के पास है।
- वर्ष 1960 में भारतीय डाक ने भारती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
- केंद्र सरकार ने भारती के साहित्य में योगदान को पुरस्कृत करने के लिए वर्ष 1987 में सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार की स्थापना की।
- वर्ष 2021 में तमिलनाडु सरकार ने एक वार्षिक 'भारती युवा कवि पुरस्कार' की स्थापना की।
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इनके योगदान के लिए महाकवि भारतियार पीठ की स्थापना की गई है।

बेलगाम अधिवेशन के 100 वर्ष

हाल ही में, ऐतिहासिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बेलगाम (बेलगावी) के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

बेलगाम अधिवेशन के बारे में

- **सत्र :** यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वाँ अधिवेशन (सत्र) था।
- **अध्यक्षता :** यह कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। गांधीजी दिसंबर 1924 से अप्रैल 1925 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे।
- **शामिल सदस्य :** इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू और खिलाफत आंदोलन के नेता मुहम्मद अली जौहर व शौकत अली सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया। इसके अलावा पूरे देश से 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- **महत्त्व :** इसी अधिवेशन के दौरान गांधीजी ने अहिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव के साथ-साथ 'स्वराज' के विचार रखे थे।
  - सत्र के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार के रूप में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की रणनीतियों पर जोर दिया।
  - सत्र में पहली बार 'वंदे मातरम' का सार्वजनिक गायन किया गया जिससे इसका ऐतिहासिक महत्त्व बढ़ जाता है।

स्वतंत्रता आंदोलन पर इसका प्रभाव

- इतिहासकारों के अनुसार, यह अधिवेशन किसान चेतना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक और देश के अन्य भागों में खादी का प्रसार हुआ, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिला तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाली पहलों में किसानों की भागीदारी को भी बढ़ावा मिला।

❑❑❑

सामाजिक न्याय एवं कल्याण

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और भारत

संदर्भ

प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' (International Day of Persons with Disabilities) मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) की सहनशीलता, सामर्थ्य, समाज में नेतृत्व एवं योगदान का जश्न मनाता है। यह दिन समावेशिता को बढ़ावा देने, PwD के अधिकारों की वकालत करने और सभी के लिए समान अवसर बनाने की वैश्विक प्रतिबद्धता पर ज़ोर देता है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2024 के बारे में

- **स्थापना :** संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 द्वारा वर्ष 1992 में 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' की घोषणा की गई थी।
- **उद्देश्य :** समाज एवं विकास के सभी क्षेत्रों में PwD के अधिकारों व कल्याण को बढ़ावा देना तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

क्या आप जानते हैं

- वैश्विक स्तर पर, अनुमानित 1.3 अरब लोग अत्यधिक दिव्यांगता (Significant disability) की स्थिति में हैं। यह विश्व की 16% जनसंख्या (प्रत्येक 6 में से 1 व्यक्ति) का प्रतिनिधित्व करता है।
- कुछ दिव्यांग व्यक्तियों की मृत्यु सामान्य व्यक्तियों (गैर-दिव्यांग) की तुलना में 20 वर्ष पहले हो जाती है।
- दिव्यांग व्यक्तियों में अवसाद, अस्थमा, मधुमेह, स्ट्रोक, मोटापा या खराब मौखिक स्वास्थ्य जैसी स्थितियां विकसित होने का जोखिम सामान्य व्यक्ति से दोगुना होता है।
- स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली अनुचित परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, जिनमें सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव, गरीबी, शिक्षा एवं रोजगार से बहिष्कार और स्वास्थ्य प्रणाली में आने वाली बाधाएँ शामिल हैं।

- **वर्ष 2024 का विषय :** समावेशी एवं टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ाना।
- **दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अभिसमय :** संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2006 में 'दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अभिसमय' को अपनाया।
  - इसने सतत् विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास ढाँचे को लागू करने में PwD के अधिकारों व कल्याण को आगे बढ़ाया है।
  - भारत ने 30 मार्च, 2007 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।

भारत सरकार द्वारा PwD सशक्तीकरण के लिए विभिन्न पहल

भारत ने विभिन्न नीतियों एवं अभियानों के माध्यम से PwD के अधिकारों व समावेशन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। इनमें निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण पहल शामिल हैं–

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

- **स्थापना :** 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अलग दिव्यांगता मामलों का विभाग स्थापित किया गया।
- **उद्देश्य :** नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने तथा PwD के कल्याण एवं सशक्तीकरण के उद्देश्य से गतिविधियों को सार्थक बल देना।
- **नामकरण :** 8 दिसंबर, 2014 को विभाग का नाम बदलकर 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' कर दिया गया।
- **प्रमुख कार्य :** यह विभाग दिव्यांगता और PwD से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

सुगम्य भारत अभियान

- **प्रारंभ :** 3 दिसंबर, 2015
- **उद्देश्य :** पूरे भारत में PwD के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करना।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र :**
  - सार्वजनिक स्थानों में निर्मित पर्यावरण सुगम्यता में सुधार
  - स्वतंत्र गतिशीलता के लिए परिवहन सुगम्यता में वृद्धि
  - एक सुगम्य सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण
  - दुभाषिया प्रशिक्षण
  - मीडिया समर्थन के माध्यम से सांकेतिक भाषा तक पहुँच का विस्तार करना

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

- **क्या है :** वर्ष 1999 में प्रारंभ यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

- **कार्य :** PwD के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- **उद्देश्य :**
  - PwD के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना।
  - दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

ज़िला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र

- **प्रारंभ :** वर्ष 1999-2000 से
- **उद्देश्य :** बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से PwD की आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **लक्ष्य :**
  - दिव्यांगता की प्रारंभिक पहचान एवं हस्तक्षेप
  - जागरूकता बढ़ाना
  - सहायक उपकरणों की आवश्यकता का आकलन एवं फिटमेंट करना
  - स्वरोज़गार के लिए ऋण की व्यवस्था करना
- इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करता है और PwD के लिए बाधामुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

PwD को सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना

- इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थान/संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र/भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)/ज़िला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र/राज्य दिव्यांग विकास निगम/अन्य स्थानीय निकाय/एन.जी.ओ.) को अनुदान सहायता प्रदान करना है।
  - इससे PwD को टिकाऊ, परिष्कृत, वैज्ञानिक एवं आधुनिक मानक सहायता उपकरण खरीदने में सहायता मिलेगी।
  - इससे दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सकेगा और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि हो सकेगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजनाएँ

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (Schemes For Implementation of Rights of Persons With Disabilities Act, 2016 : SIPDA) एक व्यापक 'केंद्रीय क्षेत्र योजना' है।
- इसमें वर्ष 2021 में 10 उप-योजनाएँ शामिल की गईं।
  - इस संशोधित योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - इन घटकों का सामूहिक उद्देश्य PwD को सशक्त बनाना, सुलभता, समावेशिता एवं समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

SIPDA के अंतर्गत आने वाली प्रमुख योजनाएँ

- PwD के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण
- सुगम्य भारत अभियान
- PwD के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
- विशिष्ट दिव्यांगता पहचान कार्ड जारी करने के लिए परियोजना
- जागरूकता सृजन एवं प्रचार का सेवाकालीन प्रशिक्षण के साथ समावेश
- प्रमुख सरकारी अधिकारियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाना
- दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता
- PwD के सशक्तीकरण के लिए उपयुक्त उत्पाद, सहायता एवं उपकरणों का अनुसंधान व विकास
- दिव्यांगताओं की प्रारंभिक अवस्था में ही समस्या का समाधान करने के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना

दिव्य कला मेला

दिव्य कला मेला PwD को समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर का मेला है। यह PwD की समावेशिता एवं सशक्तीकरण की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पीएम-दक्ष

- पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता संपन्न हितग्राही) योजना PwD, कौशल प्रशिक्षण संगठनों तथा भारत भर के नियोक्ताओं के लिए एक वन-स्टॉप पोर्टल है।
- यह पोर्टल PwD के सशक्तीकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित PwD के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा बनने के लिए है।
- इस पोर्टल के अंतर्गत दो मॉड्यूल हैं :
  - **दिव्यांगजन कौशल विकास :** देश भर में पोर्टल के माध्यम से PwD के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

- **दिव्यांगजन रोज़गार सेतु :** इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य PwD एवं इनको रोज़गार देने वाले नियोक्ताओं के बीच सेतु का काम करना है और रोज़गार/आय के अवसरों के बारे में जियो-टैग आधारित जानकारी प्रदान करना है।

निष्कर्ष

'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के लिए एक आह्वान है कि वे समाज में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता की पहचान कर सकें। भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें एक समावेशी एवं न्यायसंगत भविष्य की ओर प्रगति का उदाहरण हैं।

सामाजिक संवाद रिपोर्ट

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने आर्थिक एवं भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच 'सामाजिक संवाद रिपोर्ट' (Social Dialogue Report) प्रकाशित की।

सामाजिक संवाद रिपोर्ट के बारे में

- **रिपोर्ट का आधार :** यह रिपोर्ट शीर्ष स्तरीय सामाजिक संवाद (Peak-Level Social Dialogue : PLSD) प्रक्रियाओं एवं परिणामों की वैश्विक समीक्षा तथा राष्ट्रीय सामाजिक संवाद संस्थानों (NSDIs) की प्रभावशीलता और समावेशिता के आधार पर तैयार की गई है।
    - इसमें भारत सहित 38 देशों के 71 नियोक्ताओं व श्रमिक संगठनों के सर्वेक्षण को शामिल किया गया है।
- **महत्त्व :** सामाजिक संवाद जटिलताओं को दूर करने, उचित समाधानों की पहचान करने और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीय शासन मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है।
- **भारत का संदर्भ :** इस रिपोर्ट में राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना के लिए प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण एवं कल्याण) विधेयक के अनुभव पर प्रकाश डाला गया है।
    - राजस्थान गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड में 12 सदस्य हैं, जिनमें से 6 सरकार से और गिग वर्कर्स, एग्रीगेटर्स एवं सिविल सोसायटी के 2-2 प्रतिनिधि हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2015 से वर्ष 2022 के मध्य देशों द्वारा संघ बनाने की स्वतंत्रता का अनुपालन और सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining) के अधिकार की प्रभावी मान्यता में 7% की गिरावट आई है।
- इस गिरावट का कारण नियोक्ताओं, श्रमिकों एवं उनके प्रतिनिधि संगठनों की मौलिक नागरिक स्वतंत्रता व सौदेबाज़ी के अधिकारों के उल्लंघन में वृद्धि है।

रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशें

- **आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता :** सामाजिक संवाद देशों को सामाजिक प्रगति के साथ-साथ आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम बना सकता है। साथ ही, न्यायसंगत एवं समावेशी रूप से निम्न कार्बन की ओर परिवर्तन व डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित कर सकता है।
- **कार्यस्थल पर मौलिक स्वतंत्रता :** रिपोर्ट में सरकारों को कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों, विशेष रूप से संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाज़ी के अधिकार की प्रभावी मान्यता को बनाए रखने की सिफारिश की गई है।
- **पी.एल.एस.डी. पर ध्यान :** इस रिपोर्ट में सदस्य देशों से पी.एल.एस.डी. में प्रभावी भागीदारी के लिए श्रम प्रशासन और सामाजिक साझेदारों को आवश्यक संसाधनों व तकनीकी क्षमताओं की वृद्धि करने को कहा गया है।
- **पहुँच में वृद्धि :** आई.एल.ओ. ने विभिन्न देशों के एन.एस.डी.आई. को कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों तक अपनी पहुँच बढ़ाने की भी सिफारिश की है।
- **नियमित मूल्यांकन :** रिपोर्ट में सामाजिक-आर्थिक निर्णय लेने में पी.एल.एस.डी. संस्थानों की भूमिका और प्रभाव का नियमित, साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन करने का सुझाव दिया गया है।

शीर्ष स्तरीय सामाजिक संवाद (पी.एल.एस.डी.) प्रक्रियाएँ

- पी.एल.एस.डी. में ऐसी प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों, नियोक्ताओं व व्यावसायिक सदस्यता संगठनों और श्रमिक संगठनों (सामाजिक भागीदारों) के प्रतिनिधियों को एक-साथ लाती हैं।
- ये प्रक्रियाएँ श्रम, आर्थिक एवं सामाजिक नीति से संबंधित मुद्दों पर संवाद, परामर्श व सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
    - पी.एल.एस.डी. की द्विपक्षीय प्रक्रियाओं में केवल सामाजिक भागीदार (श्रमिक संगठन) शामिल होते हैं और त्रिपक्षीय प्रक्रियाओं में सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

संदर्भ

लोक सभा द्वारा ध्वनिमत से आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करना है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में

- **लोक सभा में प्रस्तुत :** 1 अगस्त, 2024
- **लोक सभा में पारित :** 12 दिसंबर, 2024
- **प्रमुख लक्ष्य :**
  - राष्ट्रीय, राज्य एवं ज़िला स्तर पर विभिन्न संस्थाओं की भूमिका में स्पष्टता व एकरूपता लाना।
  - यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों को संकट के समय धन की कमी का सामना न करना पड़े।
  - राज्यों द्वारा चिह्नित चुनौतियों का समाधान करना तथा आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करना।
  - 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाना।
- **महत्त्व :** आपदा प्रबंधन राज्य सूची का एक विषय है, इसलिए यह विधेयक राज्यों के अधिकारों एवं सहकारी संघवाद के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **वर्तमान संरचना :** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 निम्नलिखित प्राधिकरणों की स्थापना करता है–
  - (i) **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) :** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार।
  - (ii) **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) :** मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार।
  - (iii) **ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) :** ज़िला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार।

हालिया संशोधित विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख प्रावधान

आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी

- **वर्तमान स्थिति :** वर्तमान अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान है जो क्रमशः एन.डी.एम.ए. और एस.डी.एम.ए. के कार्यों में सहायता करती हैं।
  - इन समितियों का एक प्रमुख कार्य क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करना है।
  - एन.डी.एम.ए. और एस.डी.एम.ए. संबंधित योजनाओं को मंज़ूरी देते हैं और उन योजनाओं के कार्यान्वयन को समन्वित करते हैं।
- **प्रस्तावित संशोधन :** इसके बजाय विधेयक में प्रावधान है कि एन.डी.एम.ए. और एस.डी.एम.ए. आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करेंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019 के तहत आपदाओं के लिए नोडल मंत्रालय

प्राकृतिक आपदाएँ	*प्रबंधन/शमन के लिए नोडल मंत्रालय*
हिमस्खलन (Avalanche)	सीमा सड़क संगठन (रक्षा मंत्रालय)
शीत लहर	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
चक्रवात/टोरनैडो	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
सूखा	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भूकंप	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
बाढ़	जल शक्ति मंत्रालय
बाढ़-शहरी	गृह एवं शहरी कार्य मंत्रालय
वनाग्नि	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
तुषार/पाला (Frost)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
ओलावृष्टि (Hailstrom)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भूस्खलन (Landslide)	खान मंत्रालय
सुनामी	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

एन.डी.एम.ए. एवं एस.डी.एम.ए. के कार्य

- **वर्तमान स्थिति :** अधिनियम के तहत, अपने संबंधित स्तरों पर एन.डी.एम.ए. और एस.डी.एम.ए. के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं–
  - (i) सरकारी विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करना।
  - (ii) स्वयं से निचले प्राधिकरणों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
  - (iii) आपदा शमन के लिए धनराशि से संबंधित प्रावधानों का सुझाव देना।

- **प्रस्तावित संशोधन :** प्रस्तुत विधेयक में इन प्राधिकरणों के लिए कुछ कार्य जोड़े गए हैं जो वे अपने-अपने स्तर पर पूर्ण करेंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल है–
  - (i) मौसम की चरम घटनाओं से उभरते संकट सहित आपदा जोखिमों का समय-समय पर जायज़ा लेना।
  - (ii) स्वयं से निचले प्राधिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  - (iii) राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा-निर्देशों का सुझाव देना।
  - (iv) राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदाओं के लिए डाटाबेस तैयार करना।
- **डाटाबेस में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी–**
  - (i) आपदा जोखिमों के प्रकार और उनकी गंभीरता
  - (ii) धनराशि का आवंटन और व्यय
  - (iii) आपदाओं की तैयारी और शमन योजनाएँ
- **एन.डी.एम.ए. के कार्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे–**
  - (i) आपदाओं के संबंध में राज्यों की तैयारियों का आकलन करना
  - (ii) आपदा के बाद उससे संबंधित तैयारियों और प्रतिक्रियाओं को ऑडिट करना

अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन

- **विनियामक अधिकार :** प्रस्तुत विधेयक एन.डी.एम.ए. को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से अधिनियम के तहत विनियम बना सकता है।
- **शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन :** यह विधेयक राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राजधानी और नगर निगम वाले शहरों के लिए एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना सकती है।
  - शहरी प्राधिकरण की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त द्वारा की जाएगी और ज़िला कलेक्टर द्वारा उसकी उपाध्यक्षता।
  - अन्य सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
  - यह शहरी प्राधिकरण अपने तहत आने वाले क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करेगा और उन्हें लागू करेगा।
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन :** वर्तमान अधिनियम आपदाओं की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करता है।
  - प्रस्तुत विधेयक राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) गठित करने का अधिकार देता है।
  - राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. के कार्यों को परिभाषित करेगी और इसके सदस्यों के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित करेगी।
- **मौजूदा समितियों को वैधानिक दर्जा :** प्रस्तुत विधेयक मौजूदा निकायों जैसे राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) और उच्च स्तरीय समिति (HLC) को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
  - **एन.सी.एम.सी. :** एन.सी.एम.सी. एक नोडल निकाय के तौर पर काम करेगा और गंभीर या राष्ट्रीय प्रभाव वाली मुख्य आपदाओं से निपटेगा।
  - एन.सी.एम.सी. की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी।
  - **एच.एल.सी. :** आपदा के दौरान राज्य सरकारें एच.एल.सी. को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी।
  - यह राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से वित्तीय सहायता को मंजूर करेगी।
  - आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभाग के मंत्री द्वारा एच.एल.सी. की अध्यक्षता की जाएगी।
- **एन.डी.एम.ए. में नियुक्तियाँ :** वर्तमान अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एन.डी.एम.ए. को आवश्यकतानुसार अधिकारी, सलाहकार एवं कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।
  - इसके बजाय विधेयक में कहा गया है कि एन.डी.एम.ए. को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या व श्रेणी निर्दिष्ट करने का अधिकार है।
  - एन.डी.एम.ए. आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति भी कर सकता है।

प्रस्तुत विधेयक की आलोचना के प्रमुख बिंदु

- विधेयक में जलवायु परिवर्तन को शामिल नहीं किया गया है तथा 'मुआवज़ा' शब्द के स्थान पर 'राहत' शब्द का प्रयोग किया गया है।
- यह अति केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है और विधेयक में संसद के निर्वाचित सदस्यों की किसी भूमिका का वर्णन नहीं किया गया है।
- विधेयक एन.डी.एम.ए. के रूप में केंद्र को पर्याप्त नियम-निर्माण और विनियामक शक्तियाँ प्रदान करता है। इससे राज्य के अधिकारों का हनन होगा जिससे नौकरशाही में अतिव्यापन होगा।
- यह संविधान में निहित सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कमज़ोर करता है।
- वर्तमान विधेयक आपदा राहत को 'न्यायसंगत अधिकार' के रूप में सुनिश्चित करने में विफल रहा है। इसमें परिवर्तन हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
  - चक्रवात मिचांग से बुरी तरह प्रभावित होने के बाद तमिलनाडु को सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा।

❑❑❑

आंतरिक सुरक्षा

गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा चरमपंथ को बढ़ावा

संदर्भ

वीडियो गेम दुनिया भर के लोगों को जोड़ने वाले एक विशाल डिजिटल नेटवर्क में बदल गए हैं। हालाँकि, यह अपने साथ एक चिंताजनक तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। आतंकवादी संगठन एवं चरमपंथी समूह भौगोलिक बाधाओं को दरकिनार करते हुए दुनिया भर के युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने के लिए धीरे-धीरे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं।

ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता दायरा

- वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन गेमिंग में काफी वृद्धि हुई है। भारत में भी महामारी के दौरान सस्ते स्मार्टफोन, डाटा लागत में कमी और सामाजिक बदलावों के कारण इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।

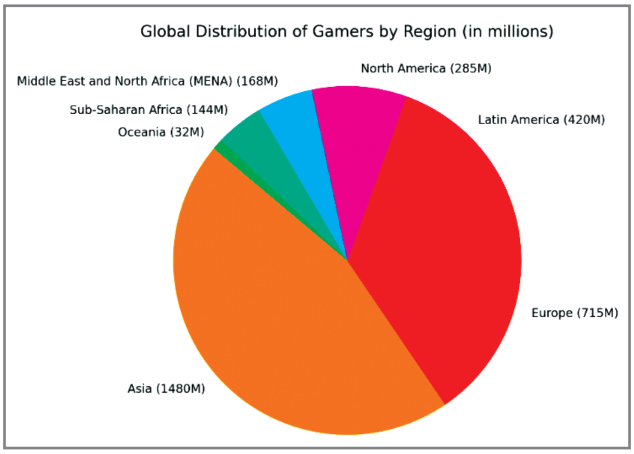

- भारतीय गेमिंग सेक्टर में वित्त वर्ष 2025 तक 20% की वृद्धि होने का अनुमान है जो अनुमानित 253 बिलियन रुपए तक पहुँच जाएगा। यह तेज़ी से बढ़ते गेमिंग परिदृश्य को दर्शाता है।
- भारत में मोबाइल गेम डाउनलोड वर्ष 2022 में 5.2 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2023 में 9.66 बिलियन तक पहुँच गया।
  - लूडो किंग एवं फ्री फायर मैक्स जैसे– गेम इस अभूतपूर्व वृद्धि के प्रमुख कारक हैं।

गेमिंग प्लेटफॉर्म पर चरमपंथी गतिविधियाँ

आतंकवादी संगठन एवं चरमपंथी समूह भर्ती व कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए गेमिंग प्लेटफॉर्म का तेज़ी से लाभ उठा रहे हैं।

गेमिंग संपत्तियों के प्रकृति में बदलाव

- इन सामान्य रणनीतियों में चरमपंथी मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए इन-गेम डिजिटल एसेट, जैसे– करेक्टर स्किन (Character Skins), वातावरण एवं कहानी को संशोधित करना शामिल है।
  - ग्लोबल प्रोजेक्ट अगेंस्ट हेट एंड एक्सट्रीमिज़्म के अनुसार, चरमपंथी-संशोधित 'काउंटर-स्ट्राइक : ग्लोबल ऑफेंसिव (CS: GO)' जैसे गेम श्वेत राष्ट्रवादी प्रतीक चिह्न या अति दक्षिणपंथी आख्यान प्रस्तुत करते हैं।
  - कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम में इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा राजनीतिक या राष्ट्रवादी ओवरटोन वाले संशोधन देखे गए हैं जिससे लगातार कट्टरपंथी विचारधाराएँ सामने आने के कारण सामान्य-सी लगती हैं।
- ये आभासी गेम खिलाड़ियों को लंबे समय तक व्यस्त रखते हैं जिससे चरमपंथियों द्वारा ब्रेनवाश की संभावनाओं में वृद्धि होती है।
- इसके अतिरिक्त, वास्तविक समय एवं व्यक्तिगत संवाद वाले वी.आर. चैट जैसे वर्चुअल रियलिटी (VR) गेम चरमपंथियों को युवा एवं संवेदनशील प्रतिभागियों को भर्ती करने का एक अवसर प्रदान करते हैं।

लामबंदी एवं प्रशिक्षण

- कुछ ऑनलाइन गेम चरमपंथी प्रशिक्षण के रूप में कार्य करते हैं जहाँ चरमपंथी युद्ध या समन्वय रणनीति का अनुकरण करते हैं।
- वे हमलों का अभ्यास करने या रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए इन-गेम एनवायरनमेंट का उपयोग करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, आर्मा 3 और एस्केप फ्रॉम टारकोव जैसे गेम आभासी प्रशिक्षण क्षेत्र बन गए हैं जहाँ उपयोगकर्ता यथार्थवादी वातावरण में सामरिक परिस्थिति का अनुकरण कर सकते हैं।
- चरमपंथी इन खेलों का उपयोग रणनीति का अभ्यास करने और वास्तविक दुनिया की स्थितियों से प्रेरित भूमिका निभाने के लिए करते हैं।

वित्तीय धोखाधड़ी एवं साइबरबुलिंग

- चरमपंथियों ने मनी लॉन्ड्रिंग एवं धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए इन-गेम मुद्रा (Currency) प्रणालियों व आइटम मार्केटप्लेस का भी लाभ उठाया है।
  - उदाहरण के लिए, CS: GO में वेपन स्किन मार्केटप्लेस का प्रयोग अवैध व्यापार एवं मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए किया गया है।
- अल कसाम ब्रिगेड, हमास, अलकायदा, आई.एस.आई.एस. एवं हिज़्बुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन साइबर धोखाधड़ी, प्रचार एवं शूटिंग अभ्यास तथा युद्ध जैसे प्रशिक्षण के लिए इनको निशाना बनाते हैं।
- गेमिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग संवेदनशील व्यक्तियों को अलग-थलग करने और उन्हें चरमपंथी समूहों की ओर खींचने

के लिए किया जाता है, जहाँ उन्हें सुरक्षा एवं अपनेपन का अनुभव हो सकता है।

गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खतरों का मुकाबला करने में चुनौतियाँ

- गेमिंग प्लेटफॉर्म पर चरमपंथ का मुकाबला करने में एक प्रमुख चुनौती इन डिजिटल एनवायरनमेंट में बनाई एवं साझा की जाने वाली सामग्री की मात्रा है।
- Roblox एवं GTA V जैसे– गेम व्यापक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं जहाँ उपयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से सामग्री को संशोधित कर सकते हैं जिससे डेवलपर्स के लिए वास्तविक समय में सभी गतिविधियों की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।
- चरमपंथी सामग्री को पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित पहचान प्रणाली लगातार विकसित की जा रही है।
    - हालाँकि, ये प्रौद्योगिकियाँ चरमपंथी रणनीति एवं गोपनीयता तथा डाटा तक पहुँच की सीमाओं के तेज़ी से विकास के कारण सीमित हो जाती हैं।
- प्राय: गेमिंग कंपनियों को चरमपंथ से निपटने के लिए अधिक समर्पित संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में कंपनियाँ समुदाय की सुरक्षा की तुलना में मुद्रीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं और चरमपंथी समूह इसका फायदा उठाते हैं।

विभिन्न सरकारों द्वारा की गई पहलें

सरकारें एवं गेमिंग कंपनियाँ विभिन्न विनियामक उपायों व सक्रिय रणनीतियों के माध्यम से गेमिंग में चरमपंथ के बढ़ते खतरे को दूर करने के लिए काम कर रही हैं।

भारत

भारत का सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में प्लेटफॉर्म द्वारा चरमपंथ सहित अवैध सामग्री को ट्रैक करना और रिपोर्ट करना अनिवार्य करता है। हालाँकि, व्यापक स्तर पर मोबाइल गेमिंग भारत के लिए अद्वितीय प्रवर्तन चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

अमेरिका

वर्ष 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर चरमपंथी गतिविधियों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए टेक कंपनियों के साथ सहयोग के उद्देश्य से एक समर्पित टास्क फोर्स लॉन्च किया।

यूरोपीय संघ

वर्ष 2022 में पारित यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के अनुसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जोखिम आकलन करने और सामग्री मॉडरेशन को लागू करने की आवश्यकता होती है। फिर भी, इन मानकों का प्रवर्तन सदस्य देशों में भिन्न हो सकता है।

अन्य देश

सिंगापुर एवं इंडोनेशिया जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों ने डिजिटल सामग्री विनियमन को लागू करना शुरू कर दिया है। हालाँकि, ये चरमपंथ के बजाय प्राय: साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके कारण उत्पन्न विनियामक अंतराल का चरमपंथी समूह लाभ उठाते हैं।

आगे की राह

- गेमिंग डेवलपर्स चरमपंथी सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।
    - इन एल्गोरिदम को नियमित रूप से अपडेट करना आवश्यक है क्योंकि चरमपंथी निरंतर अपने तरीकों को बदलते रहते हैं।
- स्पष्ट रूप से चरमपंथी एवं अभद्र भाषा को प्रतिबंधित करके सामुदायिक मानकों की स्थापना करना और प्रचारित करना से सुरक्षा में वृद्धि हो सकती हैं।
- डेवलपर्स को लगातार मॉडरेटर को विकसित हो रहे चरमपंथी व्यवहारों की पहचान करने एवं संबोधित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
- डेवलपर्स को मॉडरेशन सिस्टम को मज़बूत करने के साथ ही, AI डिटेक्शन टूल का उपयोग करना चाहिए और चरमपंथ विरोधी विशेषज्ञों के साथ काम करना चाहिए।
- नीति-निर्माताओं को प्लेटफॉर्म को जवाबदेह ठहराने के लिए नियम स्थापित करने चाहिए, ताकि गेमिंग समुदाय सतर्क होकर संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें।
- गेमिंग को एक सकारात्मक स्थान के रूप में संरक्षित करने के लिए सामूहिक सतर्कता, अभिनव मॉडरेशन और मज़बूत शोषण-रोधी उपायों की आवश्यकता है।
- कंपनियों, सरकारों व सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से गेमिंग को चरमपंथी प्रभाव से मुक्त करके एक सुरक्षित व आकर्षक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है।

K-4 मिसाइल

बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी आई.एन.एस. अरिघात से बैलिस्टिक मिसाइल K-4 का सफल परीक्षण किया।

K-4 मिसाइल के बारे में

- **क्या है :** परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की 'पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल' (SLBM)
- **नामकरण :** पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सम्मान में
- **मारक क्षमता :** 3,500 किमी. से अधिक
- **निर्माण :** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा
- **गति :** मैक 5 या ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज़ (100 किमी. प्रति मिनट)
- **आकार :** 1.5 मीटर व्यास, 10 मीटर लंबाई, वज़न 20 टन
- **वारहेड क्षमता :** 2.5 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम

प्रमुख विशेषताएँ

- **पूर्ण स्वदेशी :** इसमें स्वदेशी प्रणालियों व उपकरणों का उपयोग किया गया है जिनकी संकल्पना, डिज़ाइन, निर्माण एवं एकीकरण भारतीय वैज्ञानिकों, उद्योग तथा नौसेनाकर्मियों द्वारा किया गया है।
- **नेविगेशन :** यह हथियार प्रणाली अपने जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम से संचित त्रुटियों को संशोधित करने के लिए उपग्रह अपडेट से लैस है।
- **गुप्त आक्रमण :** यह पानी के अंदर स्थित गुप्त प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किए जाने पर दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने में सक्षम है।
- **उन्नत संस्करण :** भारत इस मिसाइल का K-5 संस्करण विकसित कर रहा है जिसकी मारक क्षमता 5,000 किमी. से अधिक होगी।

महत्त्व

- यह सफल परीक्षण भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमताओं को रेखांकित करता है जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी सुरक्षा स्थिति मज़बूत हुई है।
- इसने भारत को पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक रखने वाले 6 देशों के समूह में भी शामिल कर दिया है।
  - यह क्षमता रखने वाले अन्य देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्राँस व ब्रिटेन हैं।
- रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, पनडुब्बियों से परमाणु हथियार दागने की क्षमता भूमि या वायु-आधारित प्रणालियों की तुलना में अधिक टिकाऊपन सुनिश्चित करती है और यह भारत की 'पहले प्रयोग नहीं' वाली परमाणु नीति के अनुरूप है जो आक्रामक इरादे के बिना विश्वसनीय निवारण पर केंद्रित है।

आई.एन.एस. तुशिल

भारतीय रक्षा मंत्री की रूस यात्रा के दौरान रूस ने नौसैनिक जहाज़ 'आई.एन.एस. तुशिल' भारत को सौंपा। रक्षा मंत्री 'सैन्य एवं सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस के अंतर-सरकारी आयोग' की 21वीं बैठक में भाग लेने के लिए रूस गए हैं।

आई.एन.एस. तुशिल के बारे में

- **क्या है :** यह 'प्रोजेक्ट 1135.6' के अंतर्गत निर्मित रूसी युद्धपोत की उन्नत क्रिवाक III श्रेणी या 'तलवार श्रेणी' का 7वाँ युद्धपोत है।
  - प्रोजेक्ट 1135.6 भारतीय नौसेना के लिए रूस द्वारा डिज़ाइन व निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत का एक वर्ग है।
  - वर्ष 1999 से वर्ष 2013 के बीच रूस ने भारत के लिए ऐसे 6 पोत निर्मित किए हैं।
  - रूस से अभी तक प्राप्त तलवार श्रेणी के 6 युद्धपोत–
    1. **तलवार (F-40) :** कमीशन वर्ष 2003
    2. **त्रिशूल (F-43) :** कमीशन वर्ष 2003
    3. **तबर (F-44) :** कमीशन वर्ष 2004
    4. **तेग (F-45) :** कमीशन वर्ष 2012
    5. **तरकश (F-50) :** कमीशन वर्ष 2012
    6. **त्रिकंड (F-51) :** कमीशन वर्ष 2013
  - इस श्रेणी का 8वाँ युद्धपोत आई.एन.एस. तमाल को वर्ष 2025 की शुरुआत में भारत को दिया जाना है।
- **संक्षिप्त नाम :** F-70
- **जलावतरण :** कलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में भारतीय रक्षा मंत्री की उपस्थिति में।
- **नाम का अर्थ :** तुशिल संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ 'रक्षक कवच' (Protector Shield) होता है।
- **आदर्श वाक्य :** 'निर्भय, अभेद्य एवं बलशील'
- **निर्माण समझौता :** वर्ष 2016 में भारत एवं रूस के मध्य
- **पश्चिमी बेड़े में शामिल :** सेवा में आने के बाद आई.एन.एस. तुशिल पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के 'स्वॉर्ड आर्म', पश्चिमी बेड़े में शामिल हो जाएगा।
- **महत्त्व :** यह न केवल भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक होगा, बल्कि भारत-रूस साझेदारी का भी प्रतीक होगा।

प्रमुख विशेषताएँ

- **आकार :** 125 मी. लंबा, वज़न 3,900 टन
  - इसकी तुलना में वर्तमान में नौसेना का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत आई.एन.एस. कोलकाता केवल 163 मी. लंबा है और इसका वज़न 7,500 टन है।
- **समुद्र में अधिकतम गति :** 59 किमी./घंटा (30 नॉट)
- **कवरेज क्षमता :** 26 किमी./घंटा की गति से यह 4,850 किमी. की दूरी और 56 किमी./घंटा की गति से 2,600 किमी. की दूरी कवर कर सकता है।
- **कार्यबल क्षमता :** 180 नौसैनिकों के साथ 30 दिन समुद्र में रह सकता है।

- **इंजन :** इस श्रेणी के सभी युद्धपोतों में यूक्रेन के जोर्या नाशप्रोएक्ट कंपनी का इंजन है, जो एडवांस्ड गैस टरबाइन प्रपल्सन प्लांट से लैस होते हैं।

युद्धक क्षमता

- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल से सुसज्जित
- वर्टिकल लॉन्च वाली लंबी दूरी की सतह-से-हवा में मारक मिसाइल
- हवा-और-सतह में मार करने वाली मध्यम दूरी की अत्याधुनिक मिसाइलें
- नज़दीक के निशानों के लिए ऑप्टिकली-कंट्रोल्ड रैपिड फायर गन
- एंटी-सबमरीन टारपीडो और रॉकेट
- अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम
- एक कामोव-28 या एक कामोव-31 या ध्रुव हेलिकॉप्टर लैस होने में सक्षम
- रडार से बचने के अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित

भारतीय योगदान

- **स्वदेशी सामग्री :** भारतीय नौसैनिक विशेषज्ञों की मदद से जहाज़ की स्वदेशी सामग्री को 26% तक बढ़ाया गया है और जहाज़ में स्वदेशी निर्मित प्रणालियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 33 हो गई है।
- **स्वदेशी निर्माता :** इस जहाज़ के निर्माण में प्रमुख भारतीय मूल उपकरण निर्माता (OEM) ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केलट्रॉन, टाटा से नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम, एल्कोम मरीन, जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया और कई अन्य शामिल थे।
    - OEM से तात्पर्य आमतौर पर उस कंपनी से है जो ऐसे पुर्ज़े और उपकरण बनाती है जिनका विपणन किसी अन्य निर्माता द्वारा किया जा सकता है।

सबल 20 ड्रोन

भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में तैनाती के लिए 'एंड्योरएयर सिस्टम्स' नामक कंपनी से 'सबल 20' लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदे हैं।

सबल ड्रोन के बारे में

- 'सबल 20' इलेक्ट्रिक मानवरहित ड्रोन है जो वैरिएबल पिच तकनीक पर आधारित है। यह 20 किग्रा. तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
- इस ड्रोन में टेंडम रोटर कॉन्फिगरेशन की सुविधा है। इसका डिज़ाइन उल्लेखनीय स्थिरता, बेहतर उच्च ऊँचाई प्रदर्शन, न्यूनतम जोखिम एवं विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट लिफ्टिंग कैपेसिटी की क्षमता सुनिश्चित करता है।
- सबल 20 को कठोर परिचालन मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लंबी दूरी की डिलीवरी, उच्च ऊँचाई वाले संचालन एवं सटीक लॉजिस्टिक्स रसद जैसे मिशनों का समर्थन करता है।
- इसकी उन्नत वर्टिकल टेक-ऑफ एवं लैंडिंग (VTOL) तकनीक सीमित व ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में भी निर्बाध संचालन को सक्षम बनाती है, जबकि इसका निम्न आर.पी.एम. (Revolutions Per Minute) डिज़ाइन कम श्रवण संकेत के साथ शोर को कम करता है। इससे संवेदनशील मिशनों में गोपनीयता बढ़ जाती है।

गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर

गूगल ने हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर (Google Safety Engineering Centre : GSEC) स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

विशेषताएँ

- GSEC एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है जो भारतीय संदर्भ के लिए उन्नत सुरक्षा एवं ऑनलाइन सुरक्षा उत्पादों को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- यह केंद्र अत्याधुनिक अनुसंधान, ए.आई.-संचालित सुरक्षा समाधानों और साइबर सुरक्षा में अग्रणी विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं के लिए एक सहयोगी मंच बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसका उद्देश्य भारत में कौशल विकास और रोज़गार को बढ़ावा देने के साथ ही साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है।
- यह टोक्यो के बाद एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और दुनिया में डबलिन, म्यूनिख, मलागा और टोक्यो के बाद पाँचवां ऐसा केंद्र होगा।

लाभ

- हैदराबाद में GSEC की स्थापना भारत में साइबर सुरक्षा की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के सुरक्षा इंजीनियरों, स्थानीय नीति विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी भागीदारों को एक-साथ लाएगी।
- GSEC व्यवसायों, सरकारी संस्थानों और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान देने के साथ ही हज़ारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित करेगा।

❑❑❑

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

विवाह एवं नैतिकता

संदर्भ

वर्तमान आधुनिक समाज में वैवाहिक संबंधों में बढ़ती कटुता के कारण होने वाली आत्महत्या के मामलों में वृद्धि के संदर्भ में, भारतीय समाज में विवाह एवं नैतिकता जैसे मुद्दों पर नए परिप्रेक्ष्य से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे मुद्दों ने समाज में पुरुष एवं महिला के मध्य उपस्थित विभाजन को और अधिक बढ़ा दिया है। विवाह में विभिन्न नैतिक विचार शामिल होते हैं जो संस्कृतियों, धर्मों और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

विवाह का अर्थ

- विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है, 'उद्वह' अर्थात् 'वधू को वर के घर ले जाना'। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर ने लिखा है, कि 'विवाह स्त्री-पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता-पिता की वैध संतान माना जाए'। हैरी जॉनसन के अनुसार, 'विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक स्थायी संबंध है। जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोये बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं।'
- विवाह समाज के हृदय की तरह है जो प्रेम, स्थिरता और साझेदारी का संचार करता है। यह एक आधारशिला है जो परिवारों को मज़बूत बनाती है, अपनेपन की भावना पैदा करती है और व्यक्तियों को अपने जीवन को साझा करने के लिए एक गर्मजोशी भरा आलिंगन प्रदान करती है। विवाह का महत्त्व प्रेम, साहचर्य और भावनात्मक समर्थन को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता में देखा जाता है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे समाज को आकार देता है।

विवाह के उद्देश्य

प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक नियम विवाह को संचालित करते हैं, जिस कारण से इसके उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में विवाह के मुख्य उद्देश्य धर्म का पालन, संतानोत्पत्ति और यौन इच्छाओं की पूर्ति हैं। हिंदू विवाह में धर्म को प्राथमिकता दी गई है, यौन संतुष्टि को प्राथमिकता नहीं दी गई है। मुसलमानों में विवाह (निकाह) एक कानूनी अनुबंध है जिसका उद्देश्य पति-पत्नी के यौन संबंधों और उनकी संतानों के संबंधों तथा उनके पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को वैध बनाना है। मॉर्गन, मलिनॉस्की आदि विचारकों ने विवाह को मुख्य रूप से यौन संतुष्टि का आधार माना है। मरडॉक ने 250 समाजों का अध्ययन करने पर सभी समाजों में विवाह के तीन उद्देश्यों- यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं लालन-पालन का प्रचलन पाया।

विवाह के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से प्रकट कर सकते हैं-

- यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना
- परिवार का निर्माण करना एवं नातेदारी का विस्तार करना
- वैध संतानोत्पत्ति करना व समाज की निरंतरता को बनाए रखना
- संतानों का लालन-पालन एवं समाजीकरण करना
- स्त्री-पुरुषों में आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना
- मानसिक संतोष प्रदान करना
- माता-पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों एवं दायित्वों को जन्म देना
- संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करना
- धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना
- सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

विभिन्न धर्मों में विवाह परंपरा

- प्राचीन काल से सभी संस्कृतियों में विवाह एक धार्मिक संबंध रहा है। प्राचीन यूनान, रोम, भारत आदि सभी सभ्य देशों में विवाह को धार्मिक बंधन एवं कर्तव्य समझा जाता था। वैदिक युग में यज्ञ करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य था, किंतु यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। अतः विवाह सबके लिए धार्मिक दृष्टि से आवश्यक था। श्रीराम का अश्वमेध यज्ञ पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सका था। अतः उन्हें सीता की प्रतिमा स्थापित करनी पड़ी। हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह के प्रमुख आठ स्वरूप हैं- ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह।
- रोमन परंपरा का भी यह विश्वास था कि परलोक के मृत पूर्वजों का सुखी रहना इस बात पर अवलंबित था कि उनका मृतक संस्कार यथाविधि हो तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें अपने वंशजों की प्रार्थनाएँ, भोज और भेंटें यथा समय मिलती रहें। यहूदियों की धर्मसंहिता के अनुसार, विवाह से बचने वाला व्यक्ति उनके धर्मग्रंथ के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण हत्यारे जैसा अपराधी माना जाता था। विवाह का धार्मिक महत्त्व होने से ही अधिकांश समाजों में विवाह की विधि एक धार्मिक संस्कार मानी जाती रही है। मुस्लिम विवाह धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष बंधन है। मुस्लिम गैर-मुस्लिम लड़की से भी शादी कर सकता है यदि वह यहूदी, ईसाई या गैर-मूर्तिपूजक धार्मिक संप्रदाय से हो। किंतु ये अधिकार मुस्लिम स्त्री को प्राप्त नहीं है।
- हाल ही में, भारत में विभिन्न धर्मों के मध्य विवाह परंपरा में एकरूपता लाने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रयास हेतु समान नागरिक संहिता कानून लाने का प्रयास संसद में किया

गया है। हालाँकि विभिन्न धार्मिक समुदायों द्वारा संविधान में प्रदत्त धार्मिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इस कानून का विरोध किया जा रहा है। जनजातीय समाज की संस्कृति के संरक्षण हेतु इस समुदाय को इस कानून से बाहर रखा गया है।

वैवाहिक संबंधों में नैतिकता के स्रोत

- धार्मिक स्रोत एवं परंपराएँ
- सामाजिक नियम एवं प्रथाएँ
- व्यक्तिगत अनुभव (अंतर्ज्ञान और भावनाएँ)
- संवैधानिक एवं कानूनी आधार

विवाह एवं नैतिक मूल्य

- **ईमानदारी :** विवाह संबंधों में ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्य की अनिवार्यता होती है। ईमानदार होने से रिश्तों को विकसित करने में मदद मिल सकती है। अपने जीवनसाथी के साथ अपनी ज़रूरतों, लक्ष्यों और इतिहास के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करने से एक अटूट भरोसेमंद रिश्ता बन सकता है। वैश्विक स्तर पर वैवाहिक संबंधों के टूटने और संबंध-विच्छेद (Divorce) होने के प्रमुख कारणों में से एक निजी जीवन में ईमानदारी जैसे मूल्य का अभाव है।
- **निष्ठा :** यह वैवाहिक संबंधों का मुख्य चालक है और विवाह की नैतिकता का सार है। इसका तात्पर्य अपने जीवनसाथी के प्रति वफादार रहना और कामुक व्याकुलता या व्यभिचार से बचना है। आदर्श विवाह में अपने जीवनसाथी के प्रति समर्पित रहकर तथा उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए वफादारी के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। इससे जीवन में आपसी सद्‌भाव और प्रेम में वृद्धि होती है।
- **धैर्य :** वैवाहिक जीवन में सुख-दु:ख एवं उतार-चढ़ाव की घटनाएँ होती रहती हैं। ऐसे में दोनों जीवनसाथी के लिए यह आवश्यक होता है कि धैर्य का पालन करते हुए एक-दूसरे के बुरे वक्त में संयम बनाए रखे और अपने संबंधों को प्रभावित न होने दें।
- **विनम्रता :** आधुनिक समाज में लैंगिक समानता एक अनिवार्य मूल्य के रूप में उभरकर आया है, इसके लिए पुरुष प्रधान सोच को त्यागकर पुरुष को अपनी पत्नी के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए।
- **संचार :** विवाह संबंधों में एक समय के बाद पति-पत्नी में संचार दूरियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसका प्रभाव न केवल उनके संबंधों पर बल्कि बच्चों के पालन-पोषण पर भी पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है, दोनों जीवनसाथी एक-दूसरे के प्रति सद्‌भाव के साथ संचार बनाए रखें।
- **आपसी सम्मान :** रिश्तों में नैतिकता आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है। एक-दूसरे के दृष्टिकोण, भावनाओं और सीमाओं को पहचानना और उनका महत्त्व समझना बहुत ज़रूरी है। यह सम्मान सुनिश्चित करता है कि दोनों जीवनसाथी को मूल्यवान और समझा हुआ महसूस हो जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित संबंध बनता है। जब सम्मान परस्पर होता है, तो संघर्ष अधिक सौहार्दपूर्ण ढंग से हल होते हैं, और बंधन गहरा होता है।
- **गोपनीयता :** निजी रिश्तों की पवित्रता बनाए रखने के लिए गोपनीयता और निजता बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, हमें आमतौर पर अपने दोस्त, जीवनसाथी आदि के रहस्यों को उनकी अनुमति के बिना साझा करने से खुद को रोकना चाहिए, अन्यथा यह रिश्तों में वैमनस्य लाता है।
- **सत्यनिष्ठा :** वैवाहिक संबंधों में सत्यनिष्ठा सबसे बड़ी मांग है। यह आपसी विश्वास को बढ़ाता है और ऐसे रिश्तों में भावनात्मक बंधन को मज़बूत करता है। उदाहरण के लिए, हमेशा सत्यनिष्ठा रखने से अनावश्यक संघर्षों से बचने में मदद मिलती है जो किसी की कथित संदिग्ध गतिविधियों से उत्पन्न हो सकते हैं।

विवाह से संबंधित नैतिक मुद्दे

मानवीय समाज में परिवार एक अनिवार्य आवश्यकता है और विवाह परिवार निर्माण का एक प्रमुख आधार है। इसलिए प्रायः प्रत्येक समाज में वैवाहिक संबंधों को स्थायी बनाने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए सामाजिक नैतिकता के आधार पर नियमों एवं उपनियमों की व्यवस्था बनाई जाती है। परंतु, इसके साथ-ही-साथ प्रत्येक समाज में असफल वैवाहिक संबंधों को समाप्त करने के लिए कोई-न-कोई रास्ता निकाल लिया जाता है। साथ-ही-साथ किसी भी समाज में वह रास्ता, जो वैवाहिक संबंधों को भंग कर देता है, न तो अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, न सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत होता है और न ही कोई समाज ऐसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। समाज में इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी नैतिकता एवं मूल्यों का चयन किया जाता है जिससे सामाजिक यथास्थिति बनी रहे, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर कष्टदायक या अनैतिक हो। इसीलिए सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति ही एक साहसी और नैतिक मूल्यों से युक्त जीवन जीता है।

विवाह से संबंधित कुछ प्रमुख नैतिक मुद्दे इस प्रकार हैं :

- **आपसी सहमति :** विवाह में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के विवाह के संबंध में प्रवेश करें। यदि विवाह में एक साथी दबाव महसूस करता है, ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **समानता :** विवाह में लैंगिक भूमिकाओं और शक्ति प्रदर्शन के बारे में नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। पारंपरिक विचार असमानता को बनाए रखते हैं जिससे महिलाओं की निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रभावित होती है। इसके लिए संबंधों में समानता का मूल्य होना अति आवश्यक है।
- **वफादारी :** जब एक साथी विवाहेत्तर संबंधों में शामिल होता है, तो वफादारी और विश्वास के नैतिक मुद्दे उठते हैं। इन मुद्दों

के नैतिक निहितार्थ विभिन्न समाजों में प्रचलित समझौतों और सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

- **एकल विवाह बनाम बहुविवाह :** विभिन्न समाजों में सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर एकल विवाह एवं बहुविवाह का प्रचलन होता है, ऐसी परिस्थितियों में समाज में एक वर्ग के लिए जो नैतिक है वह दूसरे वर्ग एक लिए अनैतिक हो सकता है। इस प्रकार संबंधों की प्रकृति के बारे में अलग-अलग मान्यताएँ नैतिक दुविधाओं को जन्म दे सकती हैं।
- **वित्तीय उत्तरदायित्व :** आधुनिक समाज में वैवाहिक संबंधों में पारदर्शिता, साझा ज़िम्मेदारियों और वित्त प्रबंधन के बारे में नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। शहरी समाज में यह दुविधा बढ़ती जा रही है, एक ओर ऐसा समाज है जो पत्नी के आर्थिक रूप से सक्षम होने व घर से बाहर जाकर कार्य करने के प्रतिकूल सोच रखता है। हालाँकि, आधुनिक समाज में ऐसे विचारों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
- **पेरेंटिंग :** बच्चे पैदा करने, पेरेंटिंग स्टाइल और कुछ खास माहौल या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बच्चों की परवरिश के नैतिक निहितार्थों के बारे में निर्णय करने के संबंध में नैतिक दुविधाएँ शामिल होती हैं।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद :** अलग-अलग मान्यताओं और प्रथाओं को समझना अंतर-धार्मिक या अंतर-सांस्कृतिक विवाहों में नैतिक मुद्दों को जन्म देता है, विशेष रूप से भारतीय समाज में पारिवारिक अपेक्षाओं तथा बच्चों के पालन-पोषण के बारे में विविध मूल्य होने से ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है।
- **तलाक एवं अलगाव :** विवाह को समाप्त करने के नैतिक निहितार्थ में बच्चों, वित्तीय समझौतों और भावनात्मक कल्याण पर प्रभाव शामिल है। आधुनिक समाज में तलाक और अलगाव के संबंध में एकरूपता या एकसमान विचारधारा न होने से अनेक नैतिक मुद्दों का उद्भव हुआ है। इन मुद्दों को अंतिम रूप से न्यायालय के समक्ष ही कानूनी नैतिकता के द्वारा हल किया जाता है।
- **स्वास्थ्य और कल्याण :** एक-दूसरे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने में भागीदारों की ज़िम्मेदारियों से जुड़े मुद्दे, जिसमें चिकित्सा उपचार और देखभाल के बारे में निर्णय शामिल होते हैं, विवाह में नैतिक मुद्दों को जन्म देता है।
- **सामाजिक न्याय :** विगत कुछ दशकों से विवाह LGBTQ + अधिकारों, नस्लीय एवं आर्थिक असमानताओं और विवाह कानूनों के प्रभाव सहित व्यापक सामाजिक मुद्दों से जुड़ गया है। समलैंगिक संबंधों में नैतिकता का मुद्दा सभी समाजों की परंपराओं के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है।

लोक सेवक के लिए वैवाहिक नैतिकता का महत्त्व

- वैवाहिक जीवन में सौहार्दपूर्ण संबंध लोक सेवकों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का स्रोत होते हैं, ताकि वे सार्वजनिक जीवन में प्रभावी रूप से शामिल हो सकें। यह दृष्टिकोण लोक सेवा की भावना का सम्मान करने के लिए कर्तव्य से आगे जाने में सहायता करता है। निजी संबंधों में हम जो भावनात्मक बंधन साझा करते हैं, उसका लाभ सार्वजनिक कार्यक्रमों में मानवीय स्पर्श देने के लिए उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऐसा ज़िला कलेक्टर जो निजी जीवन में प्रेमपूर्ण और देखभाल करने वाला होता है, वह अपनी आधिकारिक भूमिका में भी गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति करुणा दिखाने की संभावना रखता है।
- हालाँकि, महात्मा गांधी इस दृष्टिकोण से असहमत थे। उनका मानना था कि जीवनसाथी के साथ कुछ अंतरंग संबंधों को छोड़कर लोक सेवक के आचरण की सार्वजनिक जाँच होनी चाहिए क्योंकि वे सार्वजनिक सेवा के पेशे के लिए समर्पित होते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनका व्यभिचार सार्वजनिक जाँच से परे है। इसके लिए सार्वजनिक और निजी संबंधों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है, न कि उन्हें परस्पर अनन्य डोमेन के रूप में देखने की। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नैतिक सिद्धांतों का लाभ उठाकर दोनों स्तरों पर किसी भी लोक सेवक को अपने संबंधों को समृद्ध बनाना चाहिए।

केस स्टडी

केस स्टडी-1

पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से, केंद्र एवं राज्य सरकारों की बहुआयामी रणनीति के चलते देश के प्रभावित राज्यों में नक्सली समस्या का काफी हद तक निराकरण हुआ है। हालाँकि, कुछ राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ नक्सली समस्या अभी भी मुख्य रूप से विदेशी देशों की दखलअंदाज़ी के कारण बनी हुई है। रोहित पिछले एक साल से किसी ज़िले में एसपी (स्पेशल ऑपरेशन) के पद पर तैनात हैं, जो अभी भी नक्सली समस्या से प्रभावित है। ज़िला प्रशासन ने लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए हाल के दिनों में नक्सल प्रभावित इलाकों में कई विकासमूलक कार्य अपनाए हैं। पिछले कुछ समय से, रोहित ने नक्सली कैडर की गतिविधियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट खुफिया नेटवर्क स्थापित किया है। जनता में विश्वास जगाने और नक्सलियों पर नैतिक प्रभुत्व जताने के लिए पुलिस द्वारा कई जगह घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रोहित स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें अपने खुफिया सूत्र के माध्यम से संदेश मिला कि लगभग दस कट्टर नक्सली अत्याधुनिक हथियारों के साथ विशेष गाँव में छिपे हुए थे। बिना कोई समय गँवाए, रोहित ने अपनी टीम के साथ उस खास गाँव में पहुँच कर पूर्ण सुरक्षा का घेरा बनाया तथा व्यवस्थित तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान, उनकी टीम सभी नक्सलियों पर स्वचालित हथियारों के साथ काबू पाने में कामयाब रही। हालाँकि,

इस बीच पाँच सौ से अधिक आदिवासी महिलाओं ने गाँव को घेर लिया और लक्ष्य घर की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रही थीं और उपद्रवियों की तत्काल रिहाई की मांग कर रही थीं क्योंकि वे उनके संरक्षक और उद्धारक हैं। ज़मीनी हालात बहुत गंभीर होते जा रहे थे क्योंकि आदिवासी महिलाएँ अत्यंत उत्तेजित और आक्रामक थीं। रोहित ने अपने उच्च अधिकारी, राज्य के आईजी (स्पेशल ऑपरेशन्स) से रेडियो सेट और मोबाइल फोन से संपर्क स्थापित करना चाहा, लेकिन कमज़ोर कनेक्टिविटी के कारण वैसा कर पाने में वे असफल रहे। रोहित की बड़ी दुविधा थी कि पकड़े गए नक्सलियों में दो न केवल चोटी के कट्टर उग्रपंथी थे, जिनके सिर पर दस लाख रुपयों का इनाम था, बल्कि वे हाल ही में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए गए हमले में भी शामिल थे। हालाँकि, अगर नक्सलियों को नहीं छोड़ा गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। यह इसलिए कि आदिवासी महिलाएँ आक्रामक रूप से उनकी ओर बढ़ रही थीं। उस स्थिति में, हालात को नियंत्रित करने के लिए रोहित को गोलीबारी का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे नागरिकों की बेशकीमती जान जा सकती है एवं स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।

(a) इस स्थिति से निपटने के लिए रोहित के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) रोहित को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

(c) आपके अनुसार रोहित के लिए कौन-सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा और क्यों?

(d) मौजूदा स्थिति में, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा क्या अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए?

(UPSC 2024)

मॉडल उत्तर

(a) उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए रोहित के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं-

विकल्प-1 : हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए नक्सलियों को रिहा करना

- ज़िले की कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए रोहित के पास पकड़े गए नक्सलियों को रिहा करने का विकल्प उपलब्ध है।
- इस विकल्प की सहायता से रोहित तनावपूर्ण स्थिति को कम कर सकता है और आदिवासी महिलाओं को और अधिक आक्रामक होने से रोक सकता है।
- इससे संभवत: और अधिक जान-माल की हानि को रोका जा सकेगा और अल्पावधि में शांति बहाल हो सकेगी।
- हालाँकि, यह विकल्प एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है और नक्सलियों एवं उनके समर्थकों को बढ़ावा दे सकता है।

विकल्प-2 : नक्सलियों को पकड़ना और संघर्ष के संभावित जोखिम का सामना करना

- रोहित नक्सलियों की रिहाई की मांग के बावजूद उन्हें हिरासत में रख सकता है, भले ही इससे आदिवासी महिलाओं के और अधिक उग्र होने का जोखिम हो।
- यह विकल्प उग्रवाद के खिलाफ एक दृढ़ रुख और कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर सकता है।

विकल्प-3 : आदिवासी महिलाओं के साथ संवाद और सुरक्षा में वृद्धि करना

- रोहित बल का सहारा लिए बिना स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए, मध्यस्थों या विश्वसनीय स्थानीय नेताओं के माध्यम से आदिवासी महिलाओं के साथ बातचीत करने का प्रयास कर सकता है।
- साथ ही, क्षेत्र में सुरक्षा के स्तर में वृद्धि की जाए जिससे किसी भी उग्र स्थिति में परिस्थिति को नियंत्रित किया जा सके और जान-माल की क्षति कम-से-कम हो।
- इस विकल्प से आदिवासी समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और विश्वास बहाली में मदद मिलेगी।

विकल्प-4 : उच्च अधिकारियों से सहायता का अनुरोध करना

- रोहित स्थिति को संभालने में सलाह और सहायता लेने के लिए आई.जी. या स्थानीय प्रशासन जैसे उच्च अधिकारियों के साथ फिर से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर सकता है।
- इसमें प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए और अधिक बल तैनात करना या रणनीति के सर्वोत्तम तरीके पर मार्गदर्शन प्राप्त करना शामिल हो सकता है।

(b) उपरोक्त स्थिति में रोहित के समक्ष निम्नलिखित नैतिक दुविधाएँ हैं-

- **कानून व्यवस्था बनाम जीवन रक्षा :** रोहित को नक्सलियों को हिरासत में लेकर कानून को बनाए रखने के अपने कर्तव्य और आदिवासी महिलाओं की स्थिति के बिगड़ने पर नागरिकों की जान जाने के संभावित जोखिम के बीच संतुलन बनाना होगा।
- **कर्तव्यनिष्ठता बनाम संवेदनशीलता :** रोहित ऐसी स्थिति में है जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसका कर्तव्य आदिवासी महिलाओं द्वारा नक्सलियों को दिए जा रहे समर्थन के विपरीत है। रोहित के समक्ष यह नैतिक दुविधा है कि वह अपने कर्तव्य और संवेदना में से किसका चयन करे।
- **बल प्रयोग के नैतिक औचित्य के बारे में दुविधा :** रोहित के समक्ष यह भी दुविधा है कि आदिवासी महिला प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग का सहारा लेना चाहिए या नहीं, भले ही इससे नागरिक हताहत हों।
- **दीर्घकालिक परिणामों के बारे में दुविधा :** रोहित को नक्सलियों को रिहा करने या उन्हें बंदी बनाए रखने के दीर्घकालिक परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। उग्रवादियों को रिहा करने से महिलाओं को अस्थायी रूप से संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन इससे क्षेत्र में और अधिक हिंसा एवं उग्रवाद को बढ़ावा मिल सकता है।

(c) रोहित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प

रोहित के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प-3 है, इसमें क्षेत्र के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए आदिवासी महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास शामिल है। इस विकल्प के चयन के निम्नलिखित कारण हैं–

- **शांति स्थापित करना :** आदिवासी महिलाओं के साथ बातचीत करने से हिंसा और जान-माल के नुकसान के जोखिम से बचने में मदद मिल सकती है। बातचीत एक शांतिपूर्ण मार्ग प्रदान करती है।
- **कानून और व्यवस्था बनाए रखना :** नक्सलियों को तुरंत रिहा न करके, रोहित यह सुनिश्चित करता है कि कानून एवं व्यवस्था कायम रहे और कानून प्रवर्तन अधिकारी उग्रवाद के सामने कमज़ोर न दिखें।
- **रणनीति के लिए समय में वृद्धि :** बातचीत करते समय, रोहित सुदृढ़ीकरण और मार्गदर्शन का अनुरोध करने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास जारी रख सकता है, जो अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है।
- **सामुदायिक संबंधों का प्रबंधन :** संवाद के दृष्टिकोण से रोहित को आदिवासी समुदाय की भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाने की अनुमति मिलेगी जिससे कानून प्रवर्तन उद्देश्यों से समझौता किए बिना लंबे समय में तनाव कम हो सकता है। यह स्थानीय आबादी के अलगाव को रोकने में भी मदद करेगा, जो अन्यथा कठोर दृष्टिकोण से उत्पीड़न महसूस कर सकते हैं।

(d) मौजूदा स्थिति में, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए–

- **गैर-घातक भीड़ नियंत्रण रणनीति :** पुलिस को गैर-घातक तरीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जैसे कि स्थिति अधिक आक्रामक होने पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आँसू गैस, पानी की बौछारें या रबर की गोलियों का उपयोग करना। ये उपाय नियंत्रण बनाए रखते हुए गंभीर चोटों के जोखिम को कम कर सकते हैं।
- **शांति और विश्वास पुनर्बहाली :** पुलिसकर्मियों को शांत और गैर-टकराव वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सम्मानजनक तरीके से बात करना और आश्वासन देना भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। महिलाओं से सीधे संवाद करने और उनकी आक्रामकता को शांत करने के लिए कुछ भरोसेमंद स्थानीय नेताओं या मध्यस्थों को लाया जा सकता है।
- **स्पष्ट संचार स्थापित करना :** रोहित की टीम के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे प्रदर्शनकारियों के साथ आगे की आक्रामकता के परिणामों के बारे में स्पष्ट संचार सुनिश्चित करें और साथ ही पुलिस की कार्रवाई के कारणों को भी दोहराएँ।
- **चिकित्सा आपात स्थिति के लिए तैयारी :** प्रदर्शनकारियों या पुलिसकर्मियों को किसी भी तरह की चोट लगने की स्थिति में पुलिस को मेडिकल टीमों को तैयार रखना चाहिए। तत्काल चिकित्सा सहायता किसी भी आकस्मिक मृत्यु को रोक सकती है और तनाव को कम कर सकती है।
- **प्रवेश और निकास बिंदुओं को नियंत्रित करना :** स्थिति को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए, रोहित को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अतिरिक्त प्रदर्शनकारी क्षेत्र में प्रवेश न कर सके और जो लोग मौजूद हैं वे बाहर न जा सकें तथा स्थिति को आसपास के गाँवों में न फैला सकें।
- **वापसी की रणनीति बनाना :** यदि आदिवासी महिलाओं के साथ संवाद विफल हो जाती है या स्थिति बिगड़ जाती है, तो रोहित के पास पीछे हटने और फिर से संगठित होने की रणनीति होनी चाहिए। इससे अतिरिक्त रणनीति बनाने या उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए समय मिल जाएगा।

केस स्टडी-2

आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) दिल्ली के एक ज़िले में ज़िलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण की समस्या के कारण सरकार द्वारा प्रदूषण के स्रोतों जैसे; खुले में आग जलाना, आदि पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सरकार ने सभी ज़िला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राजधानी के साथ-साथ पूरे एन.सी.आर. में कोई भी पराली या किसी भी तरह का कचरा न जलाया जाए। हालाँकि, जब एक रात आप अपने काम से वापस लौट रहे थे, तो आपने देखा कि कई गरीब लोग सर्दियों से बचने के लिए लकड़ी और अन्य कचरा जला रहे थे।

आपने लोगों से पूछा, 'आप सभी टायर व लकड़ी क्यों जला रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं? अब आदेश है और प्रशासन को आपको ऐसा करने से रोकना होगा। क्या आप सभी समझ गए हैं?' उनमें से एक ने जवाब दिया, 'आप बड़े साहब हैं!! साहब, हमारा क्या? हम कहाँ जाएँ? हमारे पास इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए न तो गर्म कपड़े हैं, न ही कंबल। क्या करें साहब? अगर आप हमें लकड़ी और दूसरी चीज़ें जलाने से रोकेंगे तो हम मर जाएंगे।'

ऐसी स्थिति में आप बिना कुछ कहे ही वापस लौट जाते हैं। अगले दिन आपके अधीनस्थ ने कहा, 'सर, कल आदेश का पालन करने की अंतिम तिथि है। हमें उन्हें हटाना ही होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सर्द रातों में या सुबह के समय भी, सड़कों पर गरीब लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कागज़ या लकड़ी जलाना पसंद करते हैं।' आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और समाज में सभी वर्गों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखते हैं।

(a) उपरोक्त परिस्थिति में एक लोक सेवक के रूप में आपके समक्ष कौन-कौन सी नैतिक दुविधाएँ हैं?

(b) एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होंगे।

(c) एक ज़िलाधिकारी के रूप में आपके पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करें और कौन-सा विकल्प सबसे अधिक नैतिक होगा और क्यों?

❑❑❑

विविध

राष्ट्रीय घटनाक्रम

ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म 'वेव्स'

गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक (National Public Broadcaster) प्रसार भारती ने अपने ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म 'वेव्स' को लॉन्च किया है।

वेव्स (Waves) के बारे में

- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उत्कृष्ट कंटेंट के साथ ही पुराने और नए भारतीय शो को ओ.टी.टी. प्रारूप में लाना है।
  - इसे 'पारिवारिक मनोरंजन की नई लहर' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
- यह 12 से अधिक भाषाओं, जैसे- हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी, असमिया में उपलब्ध होगा।
- यह ओ.एन.डी.सी. (Open Network For Digital Commerce: ONDC) नेटवर्क के माध्यम से लाइव टीवी, वीडियो ऑन डिमांड, गेम, रेडियो स्ट्रीमिंग और ई-कॉमर्स विकल्पों सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं–
  - ऑन-डिमांड सामग्री : फिल्में, शो, ई-पुस्तकें और ऐतिहासिक दृश्य
  - लाइव कार्यक्रम : धार्मिक कार्यक्रम, क्रिकेट टूर्नामेंट और अन्य बड़े कार्यक्रम
  - खेल : सभी आयु समूहों के लिए उपयुक्त
  - ऑनलाइन शॉपिंग विकल्प
- वर्तमान में यह ऐप लगभग 65 लाइव चैनलों तक पहुँच प्रदान करता है, जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ-साथ ए.बी.पी. न्यूज़, इंडिया टुडे, रिपब्लिक और एन.डी.टी.वी. इंडिया जैसे निजी प्रसारकों के चैनल भी शामिल हैं।

महत्त्व

- दूरदर्शन का ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म पारंपरिक टेलीविज़न और आधुनिक स्ट्रीमिंग के बीच की कमी को दूर करता है, और तकनीक-प्रेमी युवाओं व पुरानी पीढ़ियों तक बराबर रूप से पहुँचता है।
- 'वेव्स' एक बड़े एग्रीगेटर ओ.टी.टी. के रूप में प्रवेश कर रहा है, जिसमें समावेशी भारत की कहानियाँ हैं, जो भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ती हैं।
- विदित है की केरल सरकार CSpace नामक अपना ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुकी है जो कि भारत में किसी सरकार की तरफ से पहला ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म है।

एकलव्य डिजिटल पोर्टल

भारतीय सेना के लिए 'एकलव्य' नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया गया है।

एकलव्य प्लेटफॉर्म के बारे में

- एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय के तत्त्वावधान में विकसित किया गया है, जिसमें एजेंसी आर्मी वॉर कॉलेज प्रायोजककर्ता की भूमिका में है।
- इस प्लेटफॉर्म को गांधीनगर स्थित 'भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान' (BISAG-N) द्वारा शून्य लागत पर विकसित किया गया है। इसे सूचना प्रणाली महानिदेशालय का भी सहयोग प्राप्त हुआ है।
- यह पहल वर्ष 2024 के लिए भारतीय सेना की विषय-वस्तु 'प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष' के अनुरूप है।
- एकलव्य प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रमों की तीन श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं–
  - पहली श्रेणी 'प्री-कोर्स प्रिपरेटरी कैप्सूल' है जिसमें विभिन्न श्रेणी 'ए' प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आयोजित किए जा रहे सभी ऑफलाइन पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री है।
  - पाठ्यक्रमों की दूसरी श्रेणी 'नियुक्ति या विशिष्ट असाइनमेंट-संबंधी पाठ्यक्रम' हैं।
  - पाठ्यक्रमों की तीसरी श्रेणी 'प्रोफेशनल डेवलपमेंट सूट' है।

अन्न चक्र एवं स्कैन पोर्टल

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक बनाने और सब्सिडी दावा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 'अन्न चक्र' व 'स्कैन पोर्टल' (Subsidy Claim Application for the National Food Security Act : SCAN) का शुभारंभ किया।

अन्न चक्र के बारे में

- 'अन्न चक्र' पी.डी.एस. आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तथा देश भर में पी.डी.एस. लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
- इसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण फाउंडेशन (FITT) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह उपकरण आपूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्नों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

- पी.डी.एस. के संचालन में एक जटिल आपूर्ति श्रृंखला शामिल है जो किसानों से लेकर उचित मूल्य की दुकानों तक कई हितधारकों पर निर्भर है।
    - यह पहल खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत रसद नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाता है, जो 810 मिलियन लाभार्थियों को सेवा प्रदान करता है।
- इससे ईंधन की खपत, समय एवं लॉजिस्टिक्स संबंधी लागत में कमी लाना, बेहतर दक्षता व लागत प्रभावी होने के साथ-साथ निम्न कार्बन उत्सर्जन जैसे लाभ होंगे।

स्कैन पोर्टल

- इसका पूरा नाम 'एन.एफ.एस.ए. के लिए सब्सिडी दावा आवेदन' (Subsidy Claim Application for NFSA : SCAN) है।
- यह पोर्टल राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों को एकल खिड़की के माध्यम से प्रस्तुत करने, दावों की जाँच करने और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान करेगा जिससे निपटान प्रक्रिया में तेज़ी आएगी।
- इसके अलावा यह पोर्टल नियम-आधारित प्रोसेसिंग का उपयोग करके खाद्य सब्सिडी जारी व निपटान करने के लिए सभी प्रक्रियाओं के शुरू से अंत तक के कार्यप्रवाह स्वचालन (End-to-End Workflow Automation) सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

यू.एन.एस.सी. संकल्प 1701

इज़रायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा 13 महीने लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव (यू.एन.एस.सी. संकल्प 1701) को मंज़ूरी देने के बाद इज़रायल व लेबनान ने युद्ध-विराम पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्या है संकल्प 1701

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव 1701 का उद्देश्य हिज़बुल्लाह एवं इज़रायल के बीच संघर्ष को समाप्त करना है तथा इस संकल्प में एक बफर ज़ोन के निर्माण के साथ-साथ स्थायी युद्ध-विराम की मांग की गई है।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से 'ब्लू लाइन' तथा इज़रायल द्वारा कब्ज़ा किए गए गोलान हाइट्स से इज़रायली सेनाओं की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करना था।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 11 अगस्त, 2006 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव 1701 पारित किया, जिसमें इज़रायल व हिज़बुल्लाह के बीच शत्रुता को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया गया।

दीर्घकालिक समाधान के प्रावधान

- ताइफ समझौते, संकल्प 1559 (2004) तथा संकल्प 1680 (2006) के प्रासंगिक प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन
    - इसके तहत लेबनान में सभी सशस्त्र समूहों का निरस्त्रीकरण आवश्यक है, ताकि देश में लेबनान राज्य (सरकार) के अलावा किसी अन्य के पास हथियार या अधिकार न हों।
- सरकार की सहमति के बिना लेबनान में विदेशी सेना का प्रवेश वर्जित होना
- लेबनान को हथियारों एवं संबंधित सामग्रियों की बिक्री या आपूर्ति न करना
    - सिवाय इसके कि इसको सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो।
- इज़रायल के कब्ज़े में लेबनान में मौजूद सभी बारूदी सुरंगों के मानचित्रों को संयुक्त राष्ट्र को सौंपना
- दोनों पक्षों द्वारा ब्लू लाइन के प्रति पूर्ण सम्मान तथा संघर्ष की पुन: शुरुआत को रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान
    - इसमें ब्लू लाइन एवं लिटानी नदी के बीच लेबनान के प्राधिकारियों व यूनिफिल के अलावा किसी भी सशस्त्र कार्मिक, संपत्ति तथा हथियारों से मुक्त क्षेत्र शामिल हैं।
- सुरक्षा परिषद् ने संघर्ष की समाप्ति पर निगरानी रखने, लेबनानी सैनिकों के साथ क्षेत्र को सुरक्षित करने में मदद करने तथा विस्थापित लेबनानी लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए UNIFIL बल की अधिकतम क्षमता 15,000 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को रखने को अधिकृत किया।

विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम

अमेरिकी अदालत में अडानी ग्रुप और उनके सहयोगियों पर विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) का कथित उल्लंघन करते हुए ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की साज़िश का आरोप लगाया गया है।

विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA)

- विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1977 अमेरिका का संघीय कानून है। यह सामान्यत: व्यापार करने या उसे बनाए रखने में सहायता के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाता है।
- एफ.सी.पी.ए. को निषिद्ध आचरण के आधार पर दुनिया में कहीं भी लागू किया जा सकता है और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों व उनके अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों एवं एजेंटों तक विस्तारित होता है।
    - इन एजेंट्स में तीसरे पक्ष के एजेंट, सलाहकार, वितरक, संयुक्त उद्यम भागीदार और अन्य शामिल हो सकते हैं।
- एफ.सी.पी.ए. के रिश्वत-रोधी या लेखा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जारीकर्ताओं और उनके अधिकारियों, निदेशकों,

कर्मचारियों, शेयरधारकों व एजेंटों के खिलाफ नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई कर सकता है।

- इस अधिनियम के अनुसार, जिन कंपनियों और व्यक्तियों ने एफ.सी.पी.ए. का उल्लंघन किया है, उन्हें अपने गलत तरीके से अर्जित लाभ को वापस करना पड़ सकता है और पूर्व-निर्धारित ब्याज एवं पर्याप्त नागरिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।
    - कंपनियों को एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा निरीक्षण के अधीन भी किया जा सकता है।

आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल

आर्मेनिया अपनी 'हरित ऊर्जा नीति' के विज़न को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में 104वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इसके अलावा आर्मेनिया सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

इसे भी जानिए!

- **अवस्थिति :** आर्मेनिया (आर्मेनिया गणराज्य) पश्चिम एशिया के काकेशस क्षेत्र का एक स्थलरुद्ध देश है।
    - यह दक्षिणी काकेशस पर्वतमाला और काला सागर तथा कैस्पियन सागर के बीच निम्न भूमि तथा अर्मेनियाई उच्च भूमि के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- **राजधानी :** येरेवान
- **सीमा :** यह पश्चिम में तुर्की, उत्तर में जॉर्जिया और पूर्व में अज़रबैजान तथा दक्षिण में ईरान से सीमा साझा करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

- आई.एस.ए. एक वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन है जो कार्बन-तटस्थ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- **मुख्यालय :** राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम (हरियाणा)
- **उद्देश्य :** यह भारत एवं फ्रांँस के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को एकजुट करना है।
- **संकल्पना :** इसकी संकल्पना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी।
- **पात्रता :** इसके फ्रेमवर्क समझौते में वर्ष 2020 के संशोधन के बाद सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश अब इस गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं।
- **लक्ष्य :** इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त करना और प्रौद्योगिकी एवं वित्तपोषण लागत को कम करना है।

नारकोटिक ड्रग्स आयोग

भारत को पहली बार नारकोटिक ड्रग्स आयोग (Commission on Narcotic Drugs : CND) के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है।

नारकोटिक ड्रग्स आयोग (CND) के बारे में

- **क्या है :** संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (ECOSOC) के कार्यात्मक आयोगों में से एक तथा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) का शासी निकाय
- **स्थापना :** वर्ष 1946 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (ECOSOC) संकल्प द्वारा
- **मुख्यालय :** वियना (ऑस्ट्रिया)
- **उद्देश्य :** मादक पदार्थ संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति-निर्माण निकाय होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों के अनुप्रयोग की निगरानी में ECOSOC की सहायता करना
- **कार्य :** वैश्विक ड्रग प्रवृत्तियों पर नज़र रखना, संतुलित नीतियाँ बनाने में सदस्य देशों को सहायता प्रदान करना तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सम्मेलनों के कार्यान्वयन की देखरेख करना
- **मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र :** वर्ष 2019 में वैश्विक नशीली दवाओं की समस्या का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को मज़बूत करने पर मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र (Ministerial Declaration)
    - इस घोषणा-पत्र में सदस्य देशों ने वर्ष 2029 में नीति प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)

- **स्थापना :** वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम (UNDCP) और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय प्रभाग को मिलाकर

- वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) कर दिया गया।

- **मुख्यालय :** वियना (ऑस्ट्रिया)
- **उद्देश्य**
  - सरकारों को नशीली दवाओं, अपराध, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना
  - सरकारी संस्थानों और एजेंसियों के बीच इन मुद्दों पर ज्ञान को अधिकतम करना
  - वैश्विक, राष्ट्रीय एवं सामुदायिक स्तर पर इन मामलों के बारे में जागरूकता को अधिकतम करना
- **फोकस क्षेत्र**
  - अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग
  - अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय
  - अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
  - राजनीतिक भ्रष्टाचार
- **वार्षिक प्रकाशन :** विश्व ड्रग रिपोर्ट
  - इस रिपोर्ट के माध्यम से यू.एन.ओ.डी.सी. का लक्ष्य वैश्विक अवैध ड्रग प्रवृत्तियों के बारे में सदस्य देशों की समझ को बढ़ाना और अवैध ड्रग्स से संबंधित आँकड़ों के अधिक व्यवस्थित संग्रह एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकता के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाना है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग

भारत को वर्ष 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग (PBC) में पुनः निर्वाचित किया गया है। इस आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के बारे में

- शांति स्थापना आयोग एक अंतर-सरकारी सलाहकारी निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है।
- शांति निर्माण आयोग की स्थापना जकरने वाले 'संकल्प A/RES/60/180' एवं 'संकल्प S/RES/1645' (2005) में संयुक्त राष्ट्र महासभा व सुरक्षा परिषद् ने इसके कार्य अधिदेशित किया है।
- इसका उद्देश्य व्यापक वैश्विक शांति एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता में महत्त्वपूर्ण योगदान देना तथा उसे बढ़ाना है।
- इसमें 31 सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें महासभा, सुरक्षा परिषद् और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् से चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे ज़्यादा वित्तीय योगदान देने वाले देश और सबसे ज़्यादा सैन्य योगदान देने वाले देश भी इसके सदस्य हैं।
  - शांति स्थापना आयोग सहायता शाखा (PBCSB) शांति स्थापना आयोग (PBC) को सचिवालय सहायता प्रदान करती है।

रियाद डिज़ाइन कानून संधि

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लगभग दो दशकों की संवाद के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई रियाद 'डिज़ाइन कानून संधि' (Design Law Treaty : DLT) के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

रियाद डिज़ाइन कानून संधि के बारे में

- इस संधि का उद्देश्य औद्योगिक डिज़ाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक ढाँचे को सुसंगत बनाना, विभिन्न क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता एवं पहुँच में सुधार करना है।
  - यह प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को मानकीकृत करके डी.एल.टी. प्रशासनिक बोझ को कम करता है जिससे डिज़ाइन में वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है।
- यह संधि अनुबंध करने वाले पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक डिज़ाइन प्रणालियों को लागू करने और प्राथमिकता दस्तावेज़ों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) योजना जैसी पहलों के साथ संयुक्त होने पर ये प्रावधान स्टार्टअप एवं एस.एम.ई. को वैश्विक स्तर पर डिज़ाइन अधिकार सुरक्षित करने, उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने और बाज़ार के विकास का समर्थन करने में मदद करेंगे।
- पिछले दशक में भारत में डिज़ाइन पंजीकरण तीन गुना बढ़ गए हैं। पिछले दो वर्षों में केवल घरेलू दाखिलों (Filings) में 120% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष डिज़ाइन आवेदनों में 25% की वृद्धि हुई।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- **स्थापना :** वर्ष 1967
- **मुख्यालय :** जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- **उद्देश्य :** रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना
- **भारत द्वारा इसकी सदस्यता :** वर्ष 1975 में

संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद्

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर को 12 नवंबर, 2028 तक के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद (UN Internal Justice Council) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद् के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली के प्रशासन में स्वतंत्रता, पेशेवरता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए महासभा

ने नई आंतरिक न्याय प्रणाली के हिस्से के रूप में आंतरिक न्याय परिषद् (IJC) की स्थापना की है।

- आई.जे.सी. में पाँच सदस्य होते हैं। इनमें एक कर्मचारी प्रतिनिधि, एक प्रबंधन प्रतिनिधि और दो प्रतिष्ठित बाहरी न्यायविद् शामिल होते हैं, जिनमें से एक कर्मचारी द्वारा तथा एक प्रबंधन द्वारा नामित होता है।
- आई.जे.सी. के सदस्यों की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है। परिषद की अध्यक्षता चार अन्य सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए एक प्रतिष्ठित न्यायविद द्वारा की जाती है।

योजनाएँ एवं कार्यक्रम

एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत@2047 के विज़न के अनुरूप 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' (One Nation, One Subscription : ONOS) योजना को मंजूरी दी।

एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना के बारे में

- **परिचय :** ONOS योजना अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक शोधकर्ताओं की देशव्यापी पहुँच प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- **ONOS पोर्टल :** उच्च शिक्षा विभाग के पास 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' नाम से एक एकीकृत पोर्टल होगा, जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकेंगे।
- **आवंटित राशि :** इस योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 एवं 2027 की अवधि के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- **डिजिटल प्लेटफॉर्म :** इस योजना को एक सरल, उपयोगकर्ता-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
- **एक राष्ट्रीय सदस्यता :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फ्लिबनेट) द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुँच प्रदान की जाएगी।
- **प्रकाशक :** ONOS में कुल 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशकों को शामिल किया गया है।
- **समीक्षा :** अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) समय-समय पर इस योजना के उपयोग तथा इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों की समीक्षा करेगा।
- **उपलब्धता :** इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई-पत्रिकाएँ 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में उपलब्ध होंगी।
- **लाभार्थी :** केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा प्रबंधित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र, शिक्षक व शोधकर्ता।

योजना का महत्त्व

- यह योजना वैश्विक अनुसंधान इकोसिस्टम में भारत को स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो सरकारी संस्थानों में सभी छात्रों, शिक्षकों व शोधकर्ताओं के लिए शोध कार्य को आसान बनाएगी।
- इस पहल से लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और सभी विषयों के वैज्ञानिकों के लिए शीर्ष गुणवत्ता वाली विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं में उपलब्ध ज्ञान का भंडार खुल जाएगा।
- टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम होंगे जिससे देश में मुख्य व अंत:विषयक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
- यह योजना भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच को अधिकतम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की सीमा के दायरे और पहुँच का विस्तार करेगा।

शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICSSR) के शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम (Research Internship Programme) का उद्घाटन किया गया। इसे सामाजिक एवं मानव विज्ञान के क्षेत्र में शुरू किया गया है।

शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में

- कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित इंटर्न सामाजिक एवं मानव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- सांख्यिकी, जनसंख्या अध्ययन, समाजशास्त्र, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य व नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विकास अध्ययन, भाषा अध्ययन, नृविज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- यह कार्यक्रम अकादमिक ज्ञान एवं रोज़गार कौशल के बीच के अंतराल को पाटने पर केंद्रित है। यह नीति अनुसंधान, डाटा विश्लेषण एवं सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देता है।
- चयनित इंटर्न अनुभवी एवं सफल सलाहकारों के साथ काम करके शोध उपकरणों, पद्धतियों व वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे।

शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य

- सामाजिक एवं मानव विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना

- युवा सामाजिक वैज्ञानिकों एवं मानवतावादियों को रोज़गार की बदलती स्थितियों के लिए तैयार करना
- राष्ट्रीय विकास में युवाओं का योगदान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा को शोध कौशल के साथ जोड़ना
- पारंपरिक ज्ञान एवं तकनीकों के साथ आधुनिक शिक्षा व कौशल का एकीकरण करना
- संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) पर शोध अध्ययन के लिए आवश्यक कौशल पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएँ आयोजित करना
  - इन्हें भारत ने G20 अध्यक्षीय घोषणा-पत्र में दृढ़ता से दोहराया है।

जलवाहक योजना

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कार्गो प्रोत्साहन के लिए 'जलवाहक' योजना का अनावरण किया।

जलवाहक योजना की विशेषताएँ

- जलवाहक योजना 'भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP)' मार्ग से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 (गंगा नदी) के साथ-साथ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 16 (बराक नदी) के माध्यम से लंबी दूरी के माल की आवाजाही को प्रोत्साहित करती है।
- यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India : IWAI) और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग लिमिटेड (Inland Coastal Shipping Limited : ICSL) का संयुक्त प्रयास है।
- यह योजना सकारात्मक आर्थिक मूल्य प्रस्ताव के साथ जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही का पता लगाने का अवसर प्रदान करती है।
- इसके अंतर्गत कोलकाता से शुरू हुई नियमित अनुसूचित माल सेवा निर्धारित समय सीमा के भीतर माल का परिवहन एवं वितरण सुनिश्चित करेगी।
- यह योजना कार्गो मालिकों को 300 किमी. से अधिक की दूरी के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से अपने माल का परिवहन करने के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- 'जलवाहक' योजना रसद लागत को कम करने, सड़क व रेलवे पर भीड़भाड़ कम करने और परिवहन के टिकाऊ तरीके को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- यह योजना निर्दिष्ट जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन करते समय किए गए कुल परिचालन व्यय का 35% तक प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।
- पोत संचालकों के व्यवसाय प्रस्ताव को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना कार्गो मालिकों को IWAI या ICSL के अलावा अन्य संगठनों के स्वामित्व वाले या संचालित पोत को किराये पर लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- दूरी के अनुसार निर्धारित समय के साथ नौकायन सेवा की शुरुआत का उद्देश्य माल परिवहन के लिए एक व्यवहार्य, आर्थिक एवं पारिस्थितिक रूप से ज़िम्मेदार विकल्प के रूप में जलमार्ग की तत्परता को प्रदर्शित करना है।
- भारत में नदियों, नहरों, बैकवाटर एवं खाड़ियों से युक्त अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क है।
  - हालाँकि, जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों की तुलना में काफी कम उपयोग किया जाता है।

यूथ को:लैब

नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने सिटी फाउंडेशन के सहयोग से वर्ष 2024-25 के लिए सातवें यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है।

यूथ को:लैब (Youth Co:Lab) के बारे में

- यूथ को:लैब को वर्ष 2017 में यू.एन.डी.पी. और सिटी फाउंडेशन ने मिलकर निर्मित किया था। भारत में यूथ को:लैब को वर्ष 2019 में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के सहयोग से लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य नेतृत्व, सामाजिक नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाना और उनमें निवेश करना है।
- वर्ष 2024 के अंत तक यूथ को:लैब ने इस सहयोग के माध्यम से भारत में छह राष्ट्रीय थीम-विशिष्ट युवा सामाजिक नवाचार एवं उद्यमिता संवाद आयोजित किए हैं, जिनकी पहुँच 19,000 से अधिक लोगों तक हुई है।
- इसके माध्यम से युवा-नेतृत्व वाले सामाजिक नवाचार एवं उद्यमिता संबंधी 2,600 टीमों के निर्माण या वृद्धि का समर्थन भी किया गया है।
- यूथ को:लैब का सातवाँ आयोजन किया जा रहा है। पहली बार यह दिव्यांगजनों द्वारा और उनके लिए स्टार्टअप को प्राथमिकता देता है।

सूचकांक एवं रिपोर्ट

नई चेतना 3.0 पहल

केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर, 2024 को एक माह तक चलने वाले

'नई चेतना पहल बदलाव की' अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की।

नई चेतना 3.0 पहल के बारे में

- **आयोजक :** ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) द्वारा
- **शामिल भागीदार :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; गृह मंत्रालय; पंचायती राज मंत्रालय; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय; युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और न्याय विभाग
- **नारा :** 'एक-साथ, एक आवाज़, हिंसा के खिलाफ'

नई चेतना 3.0 पहल के उद्देश्य

- लिंग-आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लक्षित कार्रवाई को बढ़ावा देना
- हिंसा के खिलाफ समुदायों को आवाज़ उठाने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना
- समय पर सहायता के लिए समर्थन प्रणालियों तक पहुँच प्रदान करना
- स्थानीय संस्थाओं को निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना

उपलब्धियाँ

- इस अभियान के पहले संस्करण में 31 राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों के 3.5 करोड़ तथा दूसरे संस्करण में 5.5 करोड़ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।
- इसके तहत देश भर में लिंग-आधारित हिंसा पर 9 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

बीमा सखी योजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया।
  - महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी जैसी योजनाएँ संचालित कर रही है।
- यह सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की एक पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए अगले 12 महीनों में 100,000 बीमा सखियों के नामांकन का लक्ष्य है।
  - तीन वर्षों की अवधि में 200,000 बीमा सखियों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।
- बीमा सखी को तीन वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं मानदेय दिया जाएगा। पहले वर्ष 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए का मानदेय (Stipend) प्रदान किया जाएगा। यह योजना 18-70 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिलाओं को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई गई है।
- तीन वर्ष का संविदा कार्य पूरा होने के बाद एल.आई.सी. इन महिलाओं को प्रशिक्षित करने में मदद करेगी और एक परीक्षा के बाद उन्हें एजेंट के रूप में बीमाकर्ता कंपनी में शामिल होने के लिए चुना जाएगा।
- बीमा सखी योजना के पहले वर्ष में एल.आई.सी. द्वारा 840 करोड़ रुपए व्यय किए जाने की संभावना है।

इसे भी जानिए!

बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024

विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 (International Debt Report 2024) जारी की है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों ने विदेशी ऋण की डेब्ट सर्विसिंग (Debt Servicing) के लिए रिकॉर्ड 1.4 ट्रिलियन डॉलर व्यय किए और वर्ष 2023 में उनकी ब्याज लागत 20 वर्ष के उच्चतम स्तर पर थी। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कई देशों के बजट पर दबाव पड़ा है।
  - डेब्ट सर्विसिंग किसी ऋण या ऋण दायित्व पर मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करने की प्रक्रिया है। इसे प्रत्येक वर्ष ऋण पर देय ब्याज एवं मूलधन भुगतान की कुल राशि से भी संदर्भित किया जा सकता है।
- आँकड़ों के अनुसार, विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) से उधार लेने के पात्र देशों पर वित्तीय दबाव सर्वाधिक था।
  - इन देशों ने वर्ष 2023 में डेब्ट सर्विसिंग के लिए रिकॉर्ड 96.2 बिलियन डॉलर का भुगतान किया। हालाँकि, मूलधन की अदायगी लगभग 8% घटकर 61.6 बिलियन डॉलर हो गई किंतु, ब्याज लागत वर्ष 2023 में 34.6 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई। यह एक दशक पहले की राशि से चार गुना अधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी ने सभी विकासशील देशों के कर्ज़ के बोझ को तेज़ी से बढ़ा दिया है और वैश्विक ब्याज दरों में इसके बाद आई तेज़ी ने कई देशों के लिए संकट उत्पन्न किए।

- वर्ष 2023 के अंत में सभी निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों द्वारा बकाया कुल बाह्य ऋण रिकॉर्ड 8.8 ट्रिलियन डॉलर था जो वर्ष 2020 की तुलना में 8% की वृद्धि को दर्शाता है।
    - यह प्रतिशत वृद्धि IDA से पात्र देशों के लिए दोगुनी से अधिक थी, जिनका कुल बाह्य ऋण 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो लगभग 18% की वृद्धि थी।
- वर्ष 2023 में सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेश से उधार लेना काफी महंगा हो गया और आधिकारिक लेनदारों से लिए गए ऋणों पर ब्याज दरें दोगुनी होकर 4% से अधिक हो गईं।

भारत की स्थिति

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल विदेशी ऋण वर्ष 2023 में 31 अरब डॉलर बढ़कर 646.79 अरब डॉलर हो गया है। इसके अलावा ब्याज भुगतान वर्ष 2022 में 15.08 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023 में 22.54 बिलियन डॉलर हो गया है।
- वर्ष 2023 में दीर्घकालिक ऋण स्टॉक 7% बढ़कर 498 बिलियन डॉलर हो गया तथा वर्ष 2023 में अल्पकालिक ऋण स्टॉक घटकर 126.32 बिलियन डॉलर हो गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, निर्यात के प्रतिशत के रूप में बाह्य ऋण स्टॉक 80% था जबकि वर्ष 2023 में डेब्ट सर्विसिंग निर्यात का 10% था।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान शुद्ध ऋण प्रवाह 33.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2023 में शुद्ध इक्विटी प्रवाह 46.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संगठन

परमाणु ऊर्जा विभाग

पृष्ठभूमि

- परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy : DEA) की स्थापना 3 अगस्त, 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत की गई थी।
- इस आदेश के अनुसार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948 (1948 का XXIX) के तहत केंद्र सरकार के कार्यों से संबंधित सभी मामलों को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास ने वर्ष 1958 तक तीव्र प्रगति की थी।
    - इन विकासों ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए पूर्ण अधिकार वाले संगठन की मांग की।
- तद्नुसार, 1 मार्च, 1958 के एक प्रस्ताव के माध्यम से सरकार द्वारा पूर्ण कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियों के साथ परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी।
- परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में डॉ. अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं।

विज़न

- परमाणु ऊर्जा विभाग का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना, अधिक धन का सृजन करना तथा अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है।
- यह लक्ष्य भारत को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बनाकर, परमाणु एवं विकिरण प्रौद्योगिकियों तथा उनके अनुप्रयोगों के विकास व उपयोग के माध्यम से लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके प्राप्त किया जाना है।

मिशन

- स्वदेशी और अन्य सिद्ध प्रौद्योगिकियों की तैनाती के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना, साथ ही, ईंधन चक्र सुविधाओं के साथ फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों व थोरियम रिएक्टरों का विकास करना।
- रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों का निर्माण एवं संचालन करना और चिकित्सा, कृषि तथा उद्योग, कैंसर देखभाल, जल संबंधी प्रौद्योगिकियों, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना।
- त्वरक, लेज़र, सुपरकंप्यूटर, उन्नत सामग्री तथा इंस्ट्रूमेंटेशन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास करना व उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।
- परमाणु ऊर्जा और विज्ञान के संबंधित अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को समर्थन; विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद, DEA के कार्यक्रमों पर प्रभाव डालने वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन तथा अनुसंधान के संबंधित उन्नत क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान

संबंधित या संलग्न केंद्र

- DEA परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए ज़िम्मेदार है जिसमें बिजली उत्पादन, अनुसंधान, विकास, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक अनुप्रयोग शामिल हैं।
- परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके घटक प्रतिष्ठान परमाणु विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- DEA के अंतर्गत शामिल हैं–

6 अनुसंधान केंद्र

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (मुंबई)
- इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (कलपक्कम)
- राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (इंदौर)
- परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र (कोलकाता)
- परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (हैदराबाद)
- वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र (बहादुरगढ़)

3 औद्योगिक संगठन

- परमाणु ईंधन परिसर (हैदराबाद)
- भारी जल बोर्ड (मुंबई)
- विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (मुंबई)

5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (मुंबई)
- भाविनी (कलपक्कम)
- इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (हैदराबाद)
- यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जादुगुड़ा)
- रेयर अर्थ इंडिया लिमिटेड (मुंबई)

3 सेवा संगठन

- निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (मुंबई)
- क्रय एवं भंडार निदेशालय (मुंबई)
- सामान्य सेवा संगठन (कलपक्कम)

परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियाँ

- परमाणु रिएक्टरों का निर्माण एवं संचालन
- उन्नत रिएक्टरों और प्रणालियों का विकास
- फास्ट रिएक्टर और फ्यूज़न प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास
- सामाजिक महत्त्व के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग
- यूरेनियम संसाधनों, परमाणु खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों (REM) की खोज
- यूरेनियम खनन, प्रसंस्करण एवं उत्पादन
- दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व खनन, प्रसंस्करण एवं उत्पादन
- विद्युत संयंत्रों के लिए परमाणु ईंधन संयोजनों का निर्माण
- भारी जल और ड्यूटेरेटेड यौगिकों का उत्पादन
- चिकित्सा, औद्योगिक एवं कृषि अनुप्रयोगों के लिए आइसोटोप उत्पादन
- त्वरक, प्लाज़्मा और लेज़र प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास
- परमाणु अनुप्रयोगों के लिए सामग्री विज्ञान अनुसंधान
- इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में अनुसंधान एवं विकास
- किफायती कैंसर देखभाल एवं अनुसंधान
- परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन क्षमता निर्माण
- बेसिक एवं फंडामेंटल साइन्स और गणित में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना
- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- सार्वजनिक जागरूकता एवं आउटरीच
- परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण

परमाणु ऊर्जा आयोग

- परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में की गई थी। 3 अगस्त, 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना के बाद 1 मार्च, 1958 के सरकारी संकल्प के अनुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए आयोग के अध्यक्ष की सिफारिश पर और प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद की जाती है।
- इसके पदेन सदस्यों में शामिल हैं–
  - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
  - भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
  - कैबिनेट सचिव
  - विदेश सचिव
  - सचिव व्यय विभाग

प्रकाशन

- परमाणु ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट
- भारत में परमाणु ऊर्जा की गाथा
- परमाणु दर्पण

भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र

- वर्तमान में भारत में 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित हैं जिनकी स्थापित क्षमता 6,780 मेगावाट है।
- इनमें से 18 दाबयुक्त भारी जल संयंत्र (Pressurized Heavy Water Reactors : PHWR) और चार लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) हैं।

संयंत्र का नाम	वाणिज्यिक परिचालन	अवस्थिति	क्षमता (मेगावाट)	श्रेणी/प्रकार
तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र-1	अक्तूबर, 1969	बोईसर महाराष्ट्र	160	LWR
तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र-2	अक्तूबर, 1969	बोईसर महाराष्ट्र	160	LWR
राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र-1	दिसंबर, 1973	कोटा राजस्थान	100	PHWR
राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र-2	अप्रैल, 1981	कोटा, राजस्थान	200	PHWR
मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र-1	जनवरी, 1984	कलपक्कम, तमिलनाडु	220	PHWR
मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र-2	मार्च, 1986	कलपक्कम, तमिलनाडु	220	PHWR
नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र-1	जनवरी, 1991	नरोरा, उत्तर प्रदेश	220	PHWR
नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र-2	जनवरी, 1992	नरोरा, उत्तर प्रदेश	220	PHWR
काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र-1	मई, 1993	तापी, गुजरात	220	PHWR
काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र-2	सितंबर, 1995	तापी, गुजरात	220	PHWR
कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र-1	नवंबर, 2000	कैगा, कर्नाटक	220	PHWR
कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र-2	मार्च, 2000	कैगा, कर्नाटक	220	PHWR
राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र-3	जून, 2000	कोटा, राजस्थान	220	PHWR
राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र-4	दिसंबर, 2000	कोटा, राजस्थान	220	PHWR
कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र-3	मई, 2007	कैगा, कर्नाटक	220	PHWR
कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र-4	जनवरी, 2011	कैगा, कर्नाटक	220	PHWR
तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र-3	अगस्त, 2006	बोईसर महाराष्ट्र	540	PHWR
तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र-4	सितंबर, 2005	बोईसर महाराष्ट्र	540	PHWR
राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र-5	फरवरी, 2010	कोटा, राजस्थान	220	PHWR
राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र-6	मार्च, 2010	कोटा, राजस्थान	220	PHWR
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र-1	दिसंबर, 2014	कुडनकुलम, तमिलनाडु	1000	LWR
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र-2	मार्च, 2017	कुडनकुलम, तमिलनाडु	1000	LWR

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में राज्यों (राष्ट्रों) के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए निम्नलिखित विधियाँ सूचीबद्ध हैं–
  - वार्ता
  - पूछताछ
  - मध्यस्थता
  - सुलह
  - न्यायिक समाधान
  - क्षेत्रीय एजेंसियों या व्यवस्थाओं का सहारा लेना

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की उत्पत्ति एवं विकास

जय संधि (John Jay के नाम पर)

- अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का आधुनिक इतिहास अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच वर्ष 1794 की तथाकथित 'जय संधि' से शुरू होता है।
- मैत्री, वाणिज्य एवं नौवहन से संबंधित इस संधि ने एक संयुक्त आयोग के निर्माण का प्रावधान किया, जिसमें अमेरिकी एवं ब्रिटिश नागरिकों की समान संख्या शामिल थी।
  - इस आयोग का कार्य दोनों देशों के बीच उन लंबित विवादों को सुलझाना था, जिन्हें बातचीत से हल करना संभव नहीं था।

- इस संयुक्त आयोग का उद्देश्य कुछ हद तक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करना था जिसने मध्यस्थता की प्रक्रिया में रुचि को पुनर्जीवित किया।

अलबामा दावों की मध्यस्थता

यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका के बीच वर्ष 1872 में अलबामा दावों की मध्यस्थता ने मध्यस्थता के अधिक निर्णायक चरण की शुरुआत को चिह्नित किया।

वाशिंगटन संधि

- वर्ष 1871 की वाशिंगटन संधि के तहत यूनाइटेड स्टेट्स एवं यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान तटस्थता के कथित उल्लंघन के लिए मध्यस्थता दावों को प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों देशों ने तटस्थ सरकारों के कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाले कुछ नियम निर्धारित किए, जिन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लागू किया जाना था।
- इस कार्यवाही ने एक बड़े विवाद को निपटाने में मध्यस्थता की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया और 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध के वर्षों में इसे व्यापक चर्चा का केंद्रबिंदु बना दिया।

हेग शांति सम्मेलन और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय

- वर्ष 1899 में रूस केज़ार निकोलस द्वितीय की पहल पर आयोजित हेग शांति सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के आधुनिक चरण की शुरुआत की।
  - इसमें अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम के अलावा यूरोप के छोटे राज्य, कुछ एशियाई राज्य एवं मेक्सिको ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शांति एवं निरस्त्रीकरण पर चर्चा करना था।
- इसका समापन अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान पर एक प्रसंविदा को अपनाने के साथ हुआ जो अच्छे कार्यालयों एवं मध्यस्थता जैसे शांतिपूर्ण निपटान के विभिन्न तरीकों से संबंधित थी।
- हेग शांति सम्मेलन ने स्थायी मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के निर्माण का प्रावधान किया। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के रूप में जानी जाने वाली इस संस्था में मूल रूप से सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रत्येक देश द्वारा नामित न्यायविदों का एक पैनल शामिल था।
  - प्रत्येक देश अधिकतम चार सदस्य को नामित कर सकते थे।
- इसने हेग में एक स्थायी ब्यूरो का भी निर्माण किया जिसे न्यायाधिकरण के सचिवालयी कार्य सौंपे गए थे।
- हेग शांति सम्मेलन ने मध्यस्थता के संचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया के नियमों का एक सेट भी निर्धारित किया।
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना वर्ष 1900 में हुई और इसने वर्ष 1902 में काम करना शुरू किया।
- वर्ष 1907 में दूसरे हेग शांति सम्मेलन में मध्य और दक्षिण अमेरिका के राज्यों को भी आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियमों में सुधार किया गया।
- अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं जर्मनी ने एक स्थायी न्यायालय के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया किंतु, सम्मेलन में इस पर सहमति नहीं बना सकी।
  - हालाँकि, सम्मेलन के मौलिक विचारों ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (PCIJ) की स्थापना के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय

- राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 14 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (PCIJ) की स्थापना का उल्लेख किया गया।
- PCIJ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के विवाद को सुनने और निर्णय देने में सक्षम होने के साथ ही, राष्ट्र संघ परिषद् या सभा द्वारा संदर्भित किसी भी विवाद या प्रश्न पर सलाह भी देने के लिए अधिकृत था।
- वर्ष 1920 की शुरुआत में राष्ट्र संघ की सभा ने PCIJ की स्थापना पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बैरन डेसकैंप्स (बेल्जियम) की अध्यक्षता में न्यायविदों की एक सलाहकार समिति नियुक्त की।
- दिसंबर 1920 में समिति ने सभा को PCIJ की स्थापना से संबंधित एक संशोधित मसौदा प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से अपनाया गया।
- सितंबर 1921 में राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके उसका अनुमोदन कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का आधार

- सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने से PCIJ की गतिविधियों में गिरावट दर्ज की गई। 4 दिसंबर, 1939 को अपनी अंतिम सार्वजनिक बैठक और 26 फरवरी, 1940 को अपने अंतिम आदेश के बाद PCIJ ने कोई न्यायिक कार्य नहीं किया।
  - वर्ष 1940 में PCIJ को जिनेवा में स्थानांतरित कर दिया गया।
- वर्ष 1942 में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री ने द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना या पुनः स्थापना के पक्ष में प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

- वर्ष 1943 की शुरुआत में सर विलियम मालकिन (यूनाइटेड किंगडम) की अध्यक्षता में गठित समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की–
    - किसी भी नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कानून स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून पर आधारित होना चाहिए।
    - नए न्यायालय को एक सलाहकार क्षेत्राधिकार बनाए रखना चाहिए।
    - नए न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
    - न्यायालय के पास अनिवार्य रूप से राजनीतिक मामलों से निपटने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिए।
- PCIJ की आखिरी बैठक अक्तूबर 1945 में हुई और इसने अपने अभिलेखों एवं प्रभावों को नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थानांतरित करने का संकल्प लिया।
- PCIJ के सभी न्यायाधीशों ने 31 जनवरी, 1946 को इस्तीफा दे दिया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले सदस्यों का चुनाव 6 फरवरी, 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद् के पहले सत्र में हुआ।
- अप्रैल 1946 में PCIJ को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पहली बार बैठक करते हुए PCIJ के अंतिम अध्यक्ष न्यायाधीश जोस गुस्तावो गुरेरो (अल साल्वाडोर) को अपना अध्यक्ष चुना।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पहला मामला मई 1947 में प्रस्तुत किया गया था। यह यूनाइटेड किंगडम तथा अल्बानिया के मध्य कोर्फू चैनल विवाद से संबंधित था।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद् द्वारा नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
- न्यायालय के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष में चुने जाते हैं। न्यायाधीश पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं।
- यदि किसी न्यायाधीश की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है तो कार्यकाल के शेष भाग के लिए न्यायाधीश को चुनने के लिए जल्द-से-जल्द एक विशेष चुनाव आयोजित किया जाता है।
- सदस्य न्यायाधीशों द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए गुप्त मतदान किया जाता है।
- न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं और अपने कर्तव्यों को संभालने से पहले उन्हें खुले न्यायालय (Open Court) में यह घोषणा करना होता है कि वे अपनी शक्तियों का निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठा से प्रयोग करेंगे।
- न्यायालय के सदस्यों को राजनयिक मिशन के प्रमुख के समान विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा प्राप्त होती है।
- सेवानिवृत्ति पर न्यायाधीशों को एक वार्षिक पेंशन मिलती है जो सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके वार्षिक आधार वेतन के आधे के बराबर होती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यप्रणाली

न्यायालय दो प्रकार के मामलों पर विचार कर सकता है–

- **विवादास्पद मामले संबंधी कार्य :**
    - राज्यों के बीच कानूनी विवाद जो उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।
    - इस संदर्भ में न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है जो मामले के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
    - किसी व्याख्या के अधीन या किसी नए तथ्य की खोज के आधार पर इसके विरुद्ध पुनः अपील की जा सकती है।
- **सलाहकारी कार्य :** संयुक्त राष्ट्र के अंगों एवं विशेष एजेंसियों द्वारा न्यायालय को भेजे गए कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय के लिए अनुरोध।
    - सलाहकार कार्यवाही में न्यायालय की राय संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होती है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय

- 17 जुलाई, 1998 को 120 राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम कानून के रूप में जाना जाता है।
- इस कानून ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court : ICC) की स्थापना की।
- रोम संविधि के 120 से अधिक पक्षकार देश अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई देशों के साथ पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, जबकि ICC व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं ICC दोनों का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है।
- ICC एक स्वतंत्र निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र से विशेष आदेश की आवश्यकता के बिना अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है।

- कोई भी व्यक्ति जिस पर ICC के अधिकार क्षेत्र में अपराध करने का आरोप है, उसे ICC के समक्ष लाया जा सकता है।
- ICC के चार अंग हैं–
    - प्रेसीडेंसी
    - चैंबर्स
    - अभियोक्ता का कार्यालय
    - रजिस्ट्री
- रोम संविधि के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर अपने आपराधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है।
    - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब कोई राज्य वास्तव में जाँच करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हो।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों, जैसे- नरसंहार के अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध व आक्रामकता के अपराध के आरोपी व्यक्तियों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिए की गई है।
- रोम संविधि के अनुसार, ICC जब भी वांछनीय समझे, कहीं अन्य स्थान पर भी पीठ स्थापित कर सकता है। न्यायालय ने उन क्षेत्रों में भी कार्यालय स्थापित किए हैं जहाँ वह जाँच कर रहा है।
- न्यायालय को सदस्य राज्यों के योगदान तथा सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, व्यक्तियों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं के स्वैच्छिक योगदान से वित्तपोषित किया जाता है।

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ

व्यक्ति	नियुक्ति
पंकज त्रिपाठी	अरुणाचल रंग महोत्सव, 2024 के महोत्सव राजदूत नियुक्त
जी. बालासुब्रमण्यम	मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त
दिनेश भाटिया	ब्राज़ील में भारत के राजदूत नियुक्त
डॉ. जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी	ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त
प्रीति लोबाना	गूगल की भारत प्रमुख नियुक्त
डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा	भारत में नेपाल के राजदूत नियुक्त
सलमान खान	खो-खो विश्व कप के ब्रांड एंबेसडर
वी. रामसुब्रमण्यम	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त
न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
अजय कुमार भल्ला	मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त
आरिफ मोहम्मद खान	बिहार के राज्यपाल नियुक्त (पूर्व में केरल के राज्यपाल)
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर	केरल के राज्यपाल नियुक्त (पूर्व में बिहार के राज्यपाल)
हरि बाबू कंभमपति	ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त (पूर्व में मिज़ोरम के राज्यपाल)
जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह	मिज़ोरम के राज्यपाल नियुक्त
अरुणीश चावला	वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव नियुक्त
संजय मल्होत्रा	RBI के गवर्नर नियुक्त

निधन

व्यक्ति	संबंधित क्षेत्र
ब्रेयटेन ब्रेयटेनबाक	दक्षिण अफ्रीकी कवि, संस्मरणकार और पूर्व राजनीतिक कैदी
अमिय कुमार बागची	प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार
ब्रिगेडियर राज मनचंदा	भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी
नील फ्रेज़र	ऑस्ट्रेलियाई डेविस कप आइकन
एस.एम. कृष्णा	कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री
पुरूषोत्तम उपाध्याय	प्रसिद्ध गुजराती गायक
पद्म भूषण उस्ताद ज़ाकिर हुसैन	प्रसिद्ध तबला वादक
तुलसी गौड़ा	पद्म श्री (2021) से सम्मानित कर्नाटक की प्रसिद्ध पर्यावरणविद्
पंडित संजय मराठे	प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार
ओम प्रकाश चौटाला	हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
मीना गणेश	एक प्रतिष्ठित मलयालम अभिनेत्री एवं थिएटर कलाकार
श्याम बेनेगल	प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक
डॉ. मनमोहन सिंह	पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री
जिमी कार्टर	पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति एवं 2002 में शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें

पुस्तक	लेखक
द सेंटेंस	*गौतम भाटिया*
द एम्पुसियम : ए हेल्थ रिसॉर्ट हॉरर स्टोरी	*ओल्गा टोकरजुक द्वारा लिखित एवं एंटोनिया लॉयड-जोन्स द्वारा अनूदित*
चेंजिंग, अनचेंजिंग	*अंजू मखीजा*
द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट : द अनमेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी	*राहुल भाटिया*
रतन टाटा : अ लाइफ इन इनोवेशन एंड एंटरप्राइज	*द हिंदू समूह द्वारा प्रकाशित*
आइकोनिक ट्रीज ऑफ इंडिया	*एस. नितेश*
द बिग बुक ऑफ इंडियन आर्ट	*बीना सरकार इलियास*
द बुक ऑफ एक्सोडस	*वी.जे. जेम्स द्वारा लिखित एवं मिनिस्थी एस. द्वारा अनूदित*
व्यूफाइंडर : अ मेमॉयर	*अमोल पालेकर*
आइकोनोक्लास्ट : अ रिफ्लेक्टिव बायोग्राफी ऑफ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	*आनंद तेलतुम्बडे*
द बर्निंग अर्थ	*सुनील अमृत*
नेहरूज इंडिया	*आदित्य मुखर्जी*
नेक्सस	*युवल नूह हरारी*
एवरीथिंग देयर इज	*एम.जी. वासनजी*
स्माल रेन	*गार्थ ग्रीनवेल*
इरु : द रिमार्केबल लाइफ ऑफ इरावती कर्वे	*उर्मिला देशपांडे एवं थियागो पिंटो बारबोसा*
द लकी वन	*ज़ारा चौधरी*
बियॉन्ड हिग्स बोसॉन	*माणिक कोटवाल द्वारा लिखित एवं जेरी पिंटो द्वारा अनूदित*
माय बिलव्ड लाइफ	*अमिताव कुमार*
दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस	*डॉ. दिनेश शाहरा*
ब्रिंग इट ऑन: द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ	*डॉ. दीपा मलिक की आत्मकथा*

महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम

FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप-2024

- **आयोजन स्थल** : सिंगापुर
- **विजेता** : डोम्माराजू गुकेश (भारत)
- **उपविजेता** : डिंग लिरेन (चीन)
- 18 वर्षीय डोम्माराजू गुकेश विश्व चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम गेम में डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए हैं।

लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स-2024

- **आयोजन स्थल** : लास वेगास स्ट्रीट सर्किट, अमेरिका
- **विजेता** :
- **प्रथम** : जी. रसेल (मर्सिडीज़)
- **द्वितीय** : एल. हैमिल्टन (मर्सिडीज़)
- **तृतीय** : कार्लोस सैन्ज जूनियर (फेरारी)

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2024

- **प्रदानकर्ता** : युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

- **प्राप्तकर्ता :**

श्रेणी	विजेता
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार	1. गुकेश डी. (शतरंज) 2. हरमनप्रीत सिंह (हॉकी) 3. प्रवीण कुमार (पैरा-एथलेटिक्स) 4. मनु भाकर (निशानेबाज़ी)
खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार	1. एथलेटिक्स- ज्योति याराजी, अन्नू रानी 2. बॉक्सिंग- नीतू, स्वीटी, 3. शतरंज- वंतिका अग्रवाल 4. हॉकी- सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह 5. शूटिंग- स्वप्निल सुरेश कुशाले, सरबजोत सिंह 6. स्क्वाश- अभय सिंह 7. तैराकी- साजन प्रकाश 8. कुश्ती- अमन 9. पैरा-तीरंदाज़ी- राकेश कुमार 10. पैरा- एथलेटिक्स- प्रीति पाल, जीवनजी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सरजेराव खिलारी, धरमबीर, प्रणव सूरमा, एच. होकाटो सेमा, सिमरन जी, नवदीप 11. पैरा-बैडमिंटन- नितेश कुमार, तुलसीमथी मुरुगेसन, नित्य श्री सुमति सिवान, मनीषा रामदास 12. पैरा-जूडो- कपिल परमार 13. पैरा-शूटिंग- मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रॉंसिस
खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार (आजीवन)	1. सुच्चा सिंह (एथलेटिक्स) 2. मुरलीकांत राजाराम पेटकर (पैरा-तैराकी)
खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार	1. सुभाष राणा (पैरा-शूटिंग) 2. दीपाली देशपांडे (शूटिंग) 3. संदीप सांगवान (हॉकी)
लाइफटाइम श्रेणी	1. एस. मुरलीधरन (बैडमिंटन) 2. अरमांडो एग्नेलो कोलाको (फुटबॉल)
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार	फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी	1. ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय- चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 2. प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय- लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 3. द्वितीय रनर अप विश्वविद्यालय- गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन-2024

आयोजन स्थल : बाबू बनारसीदास बैडमिंटन अकादमी, लखनऊ।

श्रेणी	विजेता	उपविजेता
महिला एकल	पी.वी. सिंधु (भारत)	लुओ यू वू (चीन)
पुरुष एकल	लक्ष्य सेन (भारत)	जिया हेंग जेसन तेह (सिंगापुर)
महिला युगल	गायत्री गोपीचंद एवं ट्रीसा जॉली (भारत)	ली जिंग बाओ एवं ली कियान (चीन)
पुरुष युगल	हुआंग डि एवं लियू यांग (चीन)	बी.टी. पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय एवं के. साई प्रतीक (भारत)
मिश्रित युगल	डेचापोल पुआवरानुक्रोह एवं सुपिसारा पेवसम्प्रान (थाईलैंड)	ध्रुव कपिला एवं तनिषा कास्त्रो (भारत)

5वाँ जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप

- **आयोजन स्थल :** मस्कट, ओमान
- **विजेता :** भारत
- **कप्तान :** आमिर अली
- **उपविजेता :** पाकिस्तान
- **कप्तान :** शाहिद हन्नान
- भारत ने पाकिस्तान पर 5-3 से जीत हासिल की
- **सर्वाधिक गोल :** अरिजीत सिंह (4 गोल)

आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स-2024

- **आयोजन स्थल :** यास मरीना सर्किट, आबू धाबी
- **विजेता :**
- **प्रथम :** लैंडो नॉरिस (मैकलारेन)
- **द्वितीय :** कार्लोस सैन्ज जूनियर (फेरारी)
- **तृतीय :** चार्ल्स लेक्लर (फेरारी)

अंडर-19 एशिया कप-2024

- **आयोजन स्थल (फाइनल) :** दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम
- **विजेता :** बांग्लादेश
- **कप्तान :** अज़ीज़ुल हकीम तमीम
- **उपविजेता :** भारत
- **कप्तान :** मोहम्मद अमान
- **प्लेयर ऑफ द मैच :** मोहम्मद इकबाल हसन इमोन
- **प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट :** मोहम्मद इकबाल हसन इमोन

20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप

- **आयोजन स्थल :** इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम, दिल्ली
- **विजेता :** जापान
- **उपविजेता :** दक्षिण कोरिया
- भारत इस चैंपियनशिप में 6वें स्थान पर रहा।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी-2024

- **आयोजन स्थल (फाइनल) :** एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, कर्नाटक
- **विजेता :** मुंबई
- **कप्तान :** श्रेयस अय्यर
- **उपविजेता :** मध्य प्रदेश
- **कप्तान :** रजत पाटीदार
- **प्लेयर ऑफ द मैच :** सूर्यांश शेडगे (मुंबई)
- **प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट :** अजिंक्य रहाणे (मुंबई)

महिला जूनियर एशिया कप-2024

- **आयोजन स्थल :** मस्कट, ओमान
- **विजेता :** भारत
- **कप्तान :** ज्योति सिंह
- **उपविजेता :** चीन
- **कप्तान :** टैन जिनझुआंग
- भारत ने पेनाल्टी कार्नर में 3-2 से चीन पर जीत हासिल की।
- इस जीत के साथ भारत ने वर्ष 2025 में चिली में होने वाले एफ.आई.एच. महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

महिला अंडर-19 टी20 एशिया कप

- **आयोजन स्थल :** बयूमास ओवल, कुआलालंपुर
- **विजेता :** भारत
- **कप्तान :** निकी प्रसाद
- **उपविजेता :** बांग्लादेश
- **कप्तान :** सुमैया अख्तर
- **प्लेयर ऑफ द मैच :** गोंगाडी तृषा (भारत)
- **प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट :** गोंगाडी तृषा (भारत)

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर महिला तैराक एवं ओलंपिक खिलाड़ी एम्मा मैककॉन ने तैराकी से सन्यांस की घोषणा की है।
- राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी (नाडा) ने वर्ष 2024 के राष्ट्रीय कुश्ती चयन ट्रायल में डोप परीक्षण के दौरान मूत्र का नमूना देने से इनकार करने पर बजरंग पुनिया को चार साल के लिए निलंबित कर दिया है।
- हैदराबाद के आठ वर्षीय दिविथ रेड्डी अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल की है।
- तेज़ भारतीय गेंदबाज़ सिद्धार्थ कौल ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।
- जय शाह ICC के सबसे युवा चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं।
- विश्वनाथन आनंद के बाद अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2,800 ई.एल.ओ. रेटिंग को पार करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।
- भारत के पवन काम्पेली ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई ईस्पोर्ट्स गेम्स-2024 में ई-फुटबॉल में कांस्य पदक हासिल किया है।
- असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है।
- दिल्ली के नौ वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आरित कपिल किसी शतरंज ग्रैंडमास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं।
  - के.आई.आई.टी. इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट के नौवें दौर के दौरान आरित ने रासेट जियातदीनोव को हराया।
- भारतीय कार रेसर कुश मैनी एफ.आई.ए. एफ2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
- खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG)-2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
- फीफा की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, वर्ष 2030 के पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी संयुक्त रूप से स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को द्वारा जबकि वर्ष 2034 संस्करण की मेज़बानी सऊदी अरब द्वारा की जाएगी।
  - प्रतियोगिता की शताब्दी मनाने के लिए अर्जेंटीना, पेराग्वे और उरुग्वे में अतिरिक्त मैच आयोजित होंगे।
- पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज़ बन गए हैं।
- पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।

- भारत के स्पिनर गेंदबाज़ रविचंद्रन अश्विन ने तीसरे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
- जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए, उन्होंने कपिल देव के 51 विकेटों के आँकड़े को पीछे छोड़ दिया।
- इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर नैट साइवर-ब्रंट सबसे तेज़ टेस्ट शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
- उत्तराखंड ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल-2025 के शुभंकर, लोगो, जर्सी, गान और टैगलाइन का अनावरण किया।
  - **शुभंकर :** मौली
  - **टैगलाइन :** संकल्प से शिखर तक
- रियल मैड्रिड ने कतर के लुसैल स्टेडियम में मेक्सिको पर 3-0 की शानदार जीत के साथ फीफा इंटरकांटिनेंटल कप-2024 जीता।
- भारतीय पुरुष हॉकी टीम नेपेरिस ओलंपिक-2024 में अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद नवीनतम एफ.आई.एच. विश्व रैंकिंग में 5वाँ स्थान हासिल किया है।
- भारत की महिला बल्लेबाज़ ऋचा घोष ने महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्द्धशतक लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।
  - उन्होंने डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के तीसरे और अंतिम टी20I के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।
- भारत पहली बार 26 सितंबर से 5 अक्तूबर, 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा।
- वर्ष 2025 के लिए भारत को राइफल/पिस्टल/शॉटगन स्पर्द्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज़ी खेल महासंघ (ISSF) जूनियर विश्व कप की मेज़बानी के लिए चुना गया है।
- रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनियल सेवलेव को जुलाई 2024 में प्रतिबंधित पदार्थ मेल्डोनियम के सेवन से डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण दो साल का निलंबन दिया गया है।
- भारती ग्रैंडमास्टर कोनेरु हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर महिलाओं की विश्व रैपिड चैंपियनशिप में जीत हासिल की।

महत्त्वपूर्ण दिवस

क्रम	दिवस/सप्ताह	तिथि	थीम/विषय/अन्य तथ्य
1.	विश्व एड्स दिवस	1 दिसंबर	टेक द राइट पाथ : माय हेल्थ, माय राइट
2.	राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस	2 दिसंबर	स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी : टिकाऊ जीवन की ओर एक कदम
3.	दासता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस	2 दिसंबर	गुलामी के समकालीन रूपों का उन्मूलन करना
4.	दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	3 दिसंबर	समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना
5.	विश्व मृदा दिवस	5 दिसंबर	मृदा देखभाल : माप, निगरानी, प्रबंधन
6.	अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस	7 दिसंबर	सुरक्षित आकाश, टिकाऊ भविष्य : अगले 80 वर्षों तक साथ-साथ
7.	अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस	9 दिसंबर	भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना : कल की सत्यनिष्ठा को आकार देना
8.	विश्व मानवाधिकार दिवस	10 दिसंबर	अवर राइट, अवर फ्यूचर, राइट नाउ
9.	अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस	12 दिसंबर	स्वास्थ्य : यह सरकार पर निर्भर है!
10.	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस	14 दिसंबर	पॉवरिंग सस्टेनेबिलिटी : एव्री वाट्स काउंट्स
11.	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस	18 दिसंबर	प्रवासियों के योगदान का आदर और उनके अधिकारों का सम्मान

12.	भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस	18 दिसंबर	विविधता को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा करना
13.	किसान दिवस	23 दिसंबर	समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना
14.	राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस	24 दिसंबर	आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुँच
15.	राष्ट्रीय सुशासन दिवस	25 दिसंबर	पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में
16.	वीर बाल दिवस	26 दिसंबर	वीरता

महत्त्वपूर्ण पुरस्कार

डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार

- **प्रदानकर्ता :** भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक संघ
- **प्राप्तकर्ता :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण में उनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है।
- भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक संघ का उद्देश्य भारतीय अमेरिकी समुदाय में एकता को बढ़ावा देना और अल्पसंख्यक समुदायों का उत्थान करना है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार-2022-23

- **प्रदानकर्ता :** संगीत नाटक अकादमी
- **प्राप्तकर्ता :**

वर्ष 2022

संबंधित क्षेत्र	नाम	विशेषज्ञता
संगीत	समित मलिक	हिंदुस्तानी गायन
	समर्थ जानवे	हिंदुस्तानी गायन
	संगीत मिश्रा	हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र - सारंगी
	पार्थो रॉय चौधरी	हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र - संतूर
	के. गायत्री	कर्नाटक संगीत
	आई. स्वेता प्रसाद	कर्नाटक संगीत
	बी. अनंथा कृष्णन	कर्नाटक वाद्य - वायलिन
	सहाना एस.वी.	कर्नाटक वाद्ययंत्र - वीणा
	मनोज राय	रचनात्मक एवं प्रयोगात्मक संगीत
	दिनी राव गूजर	संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ (सुगम संगीत)
नृत्य	मंदाक्रांता रॉय	भरतनाट्यम
	कदम पारीख	कथक
	उर्मिका मैबाम	मणिपुरी
	टी. रेड्डी लक्ष्मी	कुचिपुड़ी
	अरूपा गायत्री पांडा	ओडिसी
	डिम्पी बैश्य	सत्रिया
	अक्षरा एम. दास	मोहिनीअट्टम
	प्रद्युम्न कुमार मोहंता	छऊ
	मिंगमा डी. लेप्चा	रचनात्मक एवं प्रयोगात्मक नृत्य
	अपर्णा नांगियार	नांगियारकुथु
पारंपरिक/ लोक/ आदिवासी और कठपुतली कला	लता तिवारी और संजय दत्त पांडे	लोक संगीत एवं नृत्य (उत्तराखंड)
	चौ सरथम नामचूम	लोक संगीत (अरुणाचल प्रदेश)
	संप्रिया पूजा	लोक संगीत एवं नृत्य (छत्तीसगढ़)
	सूर्यवंशी प्रमिला कौटिकराव	लोक नृत्य लावणी (महाराष्ट्र)
	कुमार उदय सिंह	लोक नृत्य (बिहार)
	नसरुल्लाह ई.पी. आई.	लोक नृत्य (लक्षद्वीप)
	बिनीता देवी	कठपुतली (असम)
	महेश अबा सतारकर	लोक नृत्य (गोवा)
	आसवा मुकेशभाई एम.	लोक नृत्य (गुजरात)
	गुलज़ार अहमद भट्ट	लोक नृत्य (जम्मू एवं कश्मीर)
	मोइरंगथेम केंद्र सिंह	नाता संकीर्तन (मणिपुर)
समग्र योगदान	अनुथामा मुरली	प्रदर्शन कला में समग्र योगदान

वर्ष 2023

संबंधित क्षेत्र	नाम	विशेषज्ञता
संगीत	अनुजा जोकारकर	हिंदुस्तानी गायन
	मोनिका सोनी	हिंदुस्तानी गायन
	ऋषि शंकर उपाध्याय	हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र - पखावज
	सारंग राजन कुलकर्णी	हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र - सरोद
	एस. आर. विनय शर्वा	कर्नाटक संगीत
	रामकृष्णन मूर्ति	कर्नाटक संगीत
	अक्षय अनंतपद्मनाभन	कर्नाटक वाद्य- मृदंगम
	सैखोम पिंकी देवी	रचनात्मक एवं प्रायोगिक संगीत
	सत्यवती मुदवथ	रचनात्मक एवं प्रायोगिक संगीत
	नागेश शंकरराव अडगांवकर	संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ (अभंग)
नृत्य	अपूर्वा जयरमण	भरतनाट्यम
	मेघरंजनी मेधी	कथक
	कलामंडलम विपीन शंकर	कथकली
	पुखरामबम रीपा देवी	मणिपुरी
	मुरामल्ला सुरेंद्र नाथ	कुचिपुड़ी
	देबासिस पटनायक	ओडिसी
	मुकुंद सैकिया बारबायन	सत्रिया
	विद्या प्रदीप	मोहिनीअट्टम
	सुनीता महतो	छऊ
पारंपरिक/ लोक/ आदिवासी और कठपुतली	अंगदी भास्कर	दप्पलु (तेलंगाना)
	आलोक बिशोयी	लोक नृत्य एवं संगीत (ओडिशा)
	एम. प्रकाश	लोक नृत्य (पुडुचेरी)
	पद्मा डोलकर	लोक संगीत एवं नृत्य (लद्दाख)
	सुखराम पाहन	लोक संगीत (झारखंड)
	यूसुफ खान मेवाती जोगी	लोक संगीत (राजस्थान)
पारंपरिक/ लोक/ आदिवासी और कठपुतली	कलामंडलम रविशंकर टी.एस.	लोक वाद्ययंत्र (चेंडा, केरल)
	प्रियंका शक्ति ठाकुर	पारंपरिक संगीत (महाराष्ट्र)
	अनुरीत पाल कौर	लोक संगीत (पंजाब)
	चारु शर्मा	लोक संगीत (हिमाचल प्रदेश)
समग्र योगदान	लक्ष्मीनारायण जेना	प्रदर्शन कला में समग्र योगदान

55वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

- **आयोजन स्थल :** डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा
- **शीर्षक :** यंग फिल्ममेकर्स द फ्यूचर इज नाउ
- **फोकस देश :** ऑस्ट्रेलिया
- **पुरस्कार प्राप्तकर्ता :**

श्रेणी	विजेता	फिल्म/ प्रोजेक्ट	संबंधित देश
गोल्डन पीकॉक (सर्वश्रेष्ठ फिल्म)	सौले ब्लुवेटे	टॉक्सिक	लिथुआनिया
सिल्वर पीकॉक (सर्वश्रेष्ठ निर्देशक)	बोगदान मुरेसानु	द न्यू ईयर दैट नेवर केम	रोमानिया
सिल्वर पीकॉक (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता)	क्लेमेंट फेवौ	होली काउ	फ्राँस
सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म	सारा फ्रीडलैंड	फॅमिलियर टच	अमेरिका
भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक	नवज्योत बांदीवाडेकर	घरत गणपति	भारत
सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ (ओ.टी.टी.)	निपुण धर्माधिकारी	लैंपन	भारत
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म हस्ती	विक्रांत मैसी	-	भारत

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवॉर्ड-2024

- **प्रदानकर्ता :** अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ
- **प्राप्तकर्ता :** भारत
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सामाजिक सुरक्षा वितरण में अपने अभिनव अभ्यासों के लिए पाँच योग्यता प्रमाण-पत्र भी

प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार सेवा वितरण, संचार और समावेशिता को बढ़ाने में ई.पी.एफ.ओ. की पहल को मान्यता प्रदान करते हैं।

जे.सी. डैनियल अवॉर्ड-2023

- **प्रदानकर्ता :** केरल राज्य चलचित्र अकादमी
- **प्राप्तकर्ता :** शाजी एन. करुण
- उन्हें यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया गया है।
- जे.सी. डैनियल पुरस्कार केरल में किसी फिल्म निर्माता को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड-2024

- **प्रदानकर्ता :** संयुक्त राष्ट्र संघ
- **प्राप्तकर्ता :**

विजेता	संबंधित क्षेत्र	देश
माधव गाडगिल	भारत के पश्चिमी घाट जैव-विविधता हॉटस्पॉट के संरक्षण में मौलिक कार्य हेतु।	भारत
एमी बोवर्स कॉर्डालिस	युरोक जनजाति के अधिकारों और आजीविका की रक्षा करते हुए उनके बेहतर भविष्य को सुरक्षित करना।	संयुक्त राज्य अमेरिका
गेब्रियल पौन	गैर-सरकारी संगठन एजेंट ग्रीन के संस्थापक जो कारपेथियन की जैव-विविधता की रक्षा करते हैं।	रोमानिया
लू क्यू	चीन में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका	चीन
सोनिया गुआजारा	स्वदेशी अधिकारों की वकालत करना	ब्राज़ील
SEKEM पहल	रेगिस्तानी क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि की शुरुआत	मिस्र

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2024

- **प्रदानकर्ता :** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- **प्राप्तकर्ता :**

श्रेणी	प्राप्तकर्ता
दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और अन्य सहित विभिन्न राज्यों की 27 ग्राम पंचायतें
नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार	सभी विषयों में सतत् विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए उनके समग्र दृष्टिकोण के लिए 9 पंचायतों को
ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार	नवीकरणीय ऊर्जा में नवाचार को मान्यता देने के लिए महाराष्ट्र, ओडिशा और त्रिपुरा की पंचायतों को
कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार	महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उनके प्रयासों के लिए
पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार	केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा की संस्थाओं को सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के कार्यान्वयन में पंचायतों को असाधारण सहयोग प्रदान करने के लिए

34वाँ व्यास सम्मान

- **प्रदानकर्ता :** के.के. बिड़ला फाउंडेशन
- **प्राप्तकर्ता :** लेखिका सूर्यबाला
- उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास कौन देस को वासी: वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया है।

सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार-2024

- **प्रदानकर्ता :** फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा)
- **प्राप्तकर्ता :**

श्रेणी	प्राप्तकर्ता
सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी (पुरुष)	• विनीसियस जूनियर • रोड्री • जूड बेलिंगहैम
सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी (महिला)	• ऐताना बोनमाटी • बारबरा बांडा • कैरोलीन ग्राहम हैनसेन
सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर (पुरुष)	• एमिलियानो मार्टिनेज • एडर्सन • उनाई साइमन
सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर (महिला)	• एलिसा नेहर • काटा कोल • मैरी इयरप्स
सर्वश्रेष्ठ फीफा कोच (पुरुष)	• कार्लो एंसेलोटी • जाबी अलोंसो • लुइस डे ला फुएंते
सर्वश्रेष्ठ फीफा कोच (महिला)	• एम्मा हेस • जोनाथन गिराल्डेज़ • आर्थर एलियास

साहित्य अकादमी पुरस्कार-2024

- **प्रदानकर्ता** : साहित्य अकादमी

भाषा	विजेता	रचना
हिंदी	गगन गिल	मैं जब तक आई बाहर
अंग्रेज़ी	ईस्टरिन कीर	स्पिरिट नाइट्स
तमिल	ए.आर. वेंकटचलपति	तिरुनेलवेली एजुसियुम वा. वु.सी. यम 1908
संस्कृत	दीपक कुमार शर्मा	भास्करचरितम्
तेलुगू	पेनुगोंडा लक्ष्मीनारायण	दीपिका
कन्नड़	के.वी. नारायण	नुडिगाला अलीवु
मलयालम	के. जयकुमार	पिंगलकेशिनी
ओडिया	बैष्णब चरण सामल	भूति भक्ति विभृति
मराठी	सुधीर रसाल	विंदांचे गद्यरोप
असमिया	समीर तांती	असमिया फरिंगबोर बातोर कथा जेन

राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार

- **प्रदानकर्ता** : मध्य प्रदेश सरकार
- **प्राप्तकर्ता** :

श्रेणी	प्राप्तकर्ता
राष्ट्रीय तानसेन सम्मान	तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी
राजा मानसिंह तोमर सम्मान	सानंद न्यास संस्था (इंदौर)

अन्य पुरस्कार

- भारतीय रासायनिक परिषद् को हेग में आयोजित रासायनिक हथियार निषेध संगठन के राज्य दलों के सम्मेलन के 29वें सत्र में प्रतिष्ठित 2024 ओ.पी.सी.डब्ल्यू.-द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- फिलीपींस की नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवॉर्ड-2024 से सम्मानित किया गया है, यह प्रतिष्ठित सम्मान दुनिया भर में नर्सिंग पेशे में असाधारण योगदान को मान्यता प्रदान करता है।
- भारतीय मूल की ग्लासगो में जन्मी स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार-2024 से सम्मानित किया गया है।
    - उन्हें यह पुरस्कार उनकी एकल प्रदर्शनी 'ऑल्टर ऑल्टर' के लिए प्रदान किया गया है।
- पायल कपाड़िया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (मोशन पिक्चर) के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन पाने वाली पहली भारतीय निर्देशक बन गई हैं। उनकी फिल्म 'ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट' को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड के लिए नामांकित किया गया है।
- आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले की 43 वर्षीय भारती कोली को 'वूमेन वी एडमायर' समूह द्वारा बैंकिंग क्षेत्र विशेष रूप से डाटा प्रबंधन में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता दी गई है।
- ताइवान के मशहूर अमेरिकी फिल्म निर्माता एंग ली को डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
- तमिलनाडु में अबथसहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना और महाराष्ट्र में बी.जे.पी.सी.आई. संरक्षण परियोजना को यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- भारतीय फिल्म "द कुम्बाया स्टोरी" को 13वें टी.वी.ई. ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवॉर्ड्स में ट्रान्सफॉर्मिंग सोसायटी शॉर्ट फिल्म श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह समारोह लंदन के प्रसिद्ध बाफ्टा स्थल पर आयोजित किया गया था।
- अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान इसके निर्माण के दौरान लागू किए गए असाधारण सुरक्षा प्रोटोकॉल को मान्यता प्रदान करता है।
- बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ को बायोसाइंस के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए इंडियन सोसायटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- टॉम क्रूज़ को 'टॉप गन' जैसी फिल्मों में उनकी शानदार भूमिकाओं के लिए अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- चेन्नई की 19 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी कैटलिन सैंड्रा नील ने न्यू जर्सी में वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यू.एस.ए.-2024 का खिताब जीता।
- कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-ज़बर अल सबाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 20वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर को दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसायटी द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए भारत भर के 17 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए।

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन

वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024

- **आयोजन स्थल :** भारत मंडपम, नई दिल्ली
- **उद्‌घाटनकर्ता :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की भी शुरुआत की गई।

13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस

- **आयोजन स्थल :** दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ,वाराणसी
- **उद्‌घाटनकर्ता :** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिव राज सिंह चौहान

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट

- **आयोजन स्थल :** जयपुर, राजस्थान
- **उद्‌घाटनकर्ता :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- **उद्देश्य :** राजस्थान में खनन, पत्थर, शिक्षा, चिकित्सा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना।

12वाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट

- **आयोजन स्थल :** काजीरंगा ,असम
- **उद्‌घाटनकर्ता :** केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत
- **उद्देश्य :** पूर्वोत्तर भारत की अपार पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित करना।

विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन

- **आयोजन स्थल :** चेन्नई, तमिलनाडु
- विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन (WMTC) विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस के तत्त्वावधान में प्रत्येक तीन वर्ष में आयोजित होने वाला एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस

- **आयोजन स्थल :** देहरादून, उत्तराखंड
- **शीर्षक :** डिजिटल स्वास्थ्य: आयुर्वेद का एक दृष्टिकोण
- **उद्देश्य :** आयुर्वेद और प्रौद्योगिकी को एक-साथ एकीकृत करने पर विचार करना।

अन्य तथ्य

- 14वाँ एशिया-ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन (AOMSUC-14) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
- भारत ने 20 दिसंबर, 2024 को थाईलैंड द्वारा वर्चुअल तरीके से आयोजित 24वीं बिम्सटेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) जयदीप मजूमदार ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली

रुबाब (Rubab)

रुबाब वीणा सदृश्य तार वाला एक वाद्ययंत्र है। इसमें एक अनुनाद प्रणाली होती है जो आमतौर पर शहतूत के पेड़ के तने या लौकी या कद्दू की खोल (आवरण) से बना होता है। इसमें प्राय: 7 से 9 तार होते हैं जो युवा बकरियों की आंत के तंतु, नायलॉन अथवा धातु से बने होते हैं। यह अपनी विशिष्ट, गहरी व मधुर ध्वनि के लिए जाना जाता है। इसे ल्यूट एवं सितार जैसे तार वाले आधुनिक वाद्ययंत्रों का पूर्वगामी माना जाता है। यह प्राय: पश्तून, बलूची, सिंधी, कश्मीरी व पंजाबी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। यह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय संगीत वाद्ययंत्र (वर्तमान में प्रतिबंधित) है जहाँ इसे प्राय: 'वाद्ययंत्रों का राजा' कहा जाता है। इसे रोबाब या रबाब (Robab or Rabab) भी लिखा जाता है।

हाइपरविटामिनोसिस (Hypervitaminosis)

हाइपरविटामिनोसिस की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर में विटामिन्स का स्तर असामान्य रूप से अधिक हो जाता है जो शरीर में विषाक्तता एवं अनेक स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण भी बन जाता है।

ब्रेन रोट (Brain Rot)

'ब्रेन रोट' शब्द किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे 'निम्न-गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री' के अत्यधिक उपभोग के कारण होने वाली मानसिक या बौद्धिक स्थिति में गिरावट (संज्ञानात्मक गिरावट) को संदर्भित करता है। इस शब्द को सर्वप्रथम वर्ष 1854 में हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक वाल्डेन में दर्ज किया गया था।

म्यूल खाता (Mule Account)

म्यूल खाता एक ऐसे बैंक खाते को संदर्भित करता है जिसका उपयोग दूसरों की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह खाता आपराधिक इकाई और अवैध धन के बीच बिचौलिए के रूप में कार्य करता है जिससे कानून प्रवर्तन निकायों के लिए धन के प्रवाह का पता लगाना जटिल हो जाता है। ऐसे खाताधारक को 'मनी म्यूल' कहा जाता है।

लेविरेट (Levirate)

लेविरेट एक प्रकार का विवाह है। इस प्रथा में मृतक (या शारीरिक रूप से अक्षम) व्यक्ति का भाई अपने भाई की विधवा से विवाह कर सकता (या इसके लिए बाध्य होता) है जिससे वंश की निरंतरता सुनिश्चित होती है। लेविरेट विवाह का पालन ऐसे समाजों में किया जाता है जहाँ मज़बूत कबीले की संरचना होती है जिसमें बहिर्विवाह (अर्थात् कबीले

के बाहर विवाह) निषिद्ध है। यह विवाह सकारात्मक रूप में विधवा एवं उसके बच्चों के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हिब्रू बाइबिल में लेविरेट विवाह के एक रूप को 'यिब्बुम' कहा जाता है। भारत में संथाल एवं मुंडा सहित कई जनजातियों में इसकी प्रथा रही है।

नियोग एवं सोरोरेट (Niyoga and Sororate)

वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसमें छोटे भाई या संबंधी द्वारा बड़े भाई की विधवा से विवाह किया जाता था। हालाँकि, बाद में गुप्त काल और उससे पहले के समय में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। विवाह की सोरोरेट प्रथा में एक पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से विवाह करता है।

विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax)

विंडफॉल टैक्स या अप्रत्याशित कर उन संस्थाओं पर लगाए जाने वाले विशेष शुल्क हैं, जिन्हें विभिन्न कारकों से अचानक औसत से बहुत अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। ये अप्रत्याशित लाभ विभिन्न कारकों से हो सकते हैं, जैसे कि बाज़ार की स्थितियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की खोज, या सरकारी नीति में बदलाव।

चुनावी तानाशाही (Electoral Dictatorship)

इसे राजनीति विज्ञान में 'कार्यकारी प्रभुत्व' भी कहा जाता है। यह एक ऐसा वाक्यांश है जो उस स्थिति का वर्णन करता है जिसमें संसद वस्तुत: एक निर्वाचित तानाशाही बन जाती है। इसकी विधायी शक्तियाँ असीमित हो जाती हैं और उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

सेकेंड पोटैटो (Second Potato)

सेकेंड पोटैटो किसी संबंध में वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति अपने साथी (Partner) के लिए प्राथमिक नहीं, बल्कि एक विकल्प के रूप में होता है अर्थात् व्यक्ति का साथी मानसिक या भावनात्मक रूप से अब भी अपने पुराने संबंधों या किसी अन्य से जुड़ा हुआ है और उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यह स्थिति संबंधों में असंतोष, विश्वास की कमी एवं आत्म-सम्मान खोने का कारण बनता है।

फॉलो-ऑन नियम (Follow-on Rule)

फॉलो-ऑन नियम का प्रयोग मूलत: टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज़ी करने वाली टीम की पहली पारी के तुरंत बाद दूसरी पारी खेलने के लिए किया जाता है। यदि टीम ए पहले बल्लेबाज़ी करती है और एक महत्त्वपूर्ण स्कोर बनाती है, तो टीम बी को फॉलो-ऑन से बचने के लिए टीम ए के कुल स्कोर के 200 रन के भीतर स्कोर करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर टीम A का स्कोर 500 है, तो टीम B को टीम A को दोबारा बल्लेबाज़ी करने के लिए कम-से-कम 301 रन बनाने होंगे। अगर वे 300 या उससे कम स्कोर बनाते हैं, तो टीम A का कप्तान फॉलो-ऑन लागू करने का विकल्प चुन सकता है।

साइबर गुलामी (Cyber Slavery)

इसे डिजिटल गुलामी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक संगठित अपराध है जो श्रम या अन्य उद्देश्यों के लिए डिजिटल माध्यमों से बलपूर्वक या भ्रामक शर्तों के तहत व्यक्तियों का शोषण करने की प्रथा को संदर्भित करता है। गुलामी के पारंपरिक रूपों में मनुष्य को शारीरिक कैद में रखा जाता था, जबकि साइबर गुलामी आभासी क्षेत्र में होती है जहाँ व्यक्तियों को विभिन्न ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से हेरफेर, नियंत्रित एवं शोषण किया जाता है।

दीर्घ कोविड (Long Covid)

दीर्घ कोविड को एक दीर्घकालिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जो SARS-CoV-2 संक्रमण के बाद उत्पन्न होती है और कम-से-कम 3 महीने तक मौजूद रहती है। इसके सामान्य लक्षणों में थकान, साँस लेने में तकलीफ, संज्ञानात्मक विकार आदि शामिल हैं जिनका प्रभाव आमतौर पर दैनिक कामकाज पर पड़ता है।

फिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (Phygital Ecosystem)

यह भौतिक एवं डिजिटल दोनों तत्त्वों को एकीकृत करके एक संयुक्त प्रणाली बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ हैं जो उपयोगकर्ताओं को दोनों प्रकार का अनुभव प्रदान करती हैं। फिजिटल शब्द भौतिक एवं डिजिटल शब्दों के योग से बना है। फिजिटल शब्द का प्रयोग वास्तविक एवं आभासी आयामों वाले हाइब्रिड स्थान का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे फिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित होते हैं।

मूत्र पथ संक्रमण (Urinary Tract Infection)

यह मूत्र प्रणाली के किसी भी हिस्से में होने वाला संक्रमण है। मूत्र प्रणाली में गुर्दे (Kidneys), मूत्रवाहिनी (Ureter), मूत्राशय (Bladder) एवं मूत्रमार्ग (Urethra) शामिल हैं। अधिकांश संक्रमण निचले मूत्र पथ 'मूत्राशय' एवं 'मूत्रमार्ग' को प्रभावित करते हैं। वैश्विक स्तर पर 3 में से 1 महिला को 25 वर्ष की आयु से पूर्व यह समस्या हो जाती है।

शैडो फ्लीट (Shadow Fleet)

शैडो फ्लीट उन जहाज़ों के समूह को संदर्भित करता है जो भ्रामक या अवैध शिपिंग प्रथाओं में संलग्न होते हैं। इसमें नियत या निर्धारित वस्तुओं के स्थान पर (या उनके साथ) प्रतिबंधित वस्तुओं (या गुप्त वस्तुओं) का परिवहन किया जाता है। इसे 'डार्क फ्लीट' के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में रूस एवं यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। चीन एवं पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं।

डी-8 (D-8)

'डी-8' आठ विकासशील मुस्लिम देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला संगठन है। डी-8 की स्थापना 15 जून, 1997 को इस्तांबुल में नेकमेटिन एर्बाकन द्वारा की गई थी। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विकासशील देशों की विश्व आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इसमें बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान व तुर्किये शामिल हैं।

❑❑❑

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार

योजना

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का भावी प्रयोग

संदर्भ

- भारत की कार्यशील आयु वाली आबादी (15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु के बीच) का हिस्सा वर्ष 2011 में 59% से बढ़कर वर्ष 2021 में 63% हो गया और अगले 15 वर्षों में इसके स्थिर रहने की उम्मीद है।
- घरेलू अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत की चुनौती अगले 23 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को छह गुना बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रोज़गार की लगभग सार्वभौमिक परिभाषा 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) या 'हफ्ते में कम-से-कम 1 घंटा काम' है।
- दूसरी परिभाषा शायद भारत के लिए अनूठी हो। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'सामान्य स्थिति' रोज़गार का ज़्यादा उपयुक्त संकेतक है जहाँ कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि में संलग्न है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि कार्य का वृहद क्षेत्र कृषि रोज़गार की मौसम-विशिष्ट प्रकृति को बेहतर ढंग से दर्शाता है।

भारत संबंधी डाटा

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्र किए गए डाटा का अनुमान है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 8 करोड़ (80 मिलियन) से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित हुए। यह औसतन प्रतिवर्ष 2 करोड़ (20 मिलियन) से अधिक है। जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 60.1% थी।
- इसी तरह, सामान्य स्थिति में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) जुलाई 2022-जून 2023 के दौरान 56% से बढ़कर जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान 58.2% हो गया है।

संरचनात्मक आयाम

- भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत धीमी रही है और इसलिए पारंपरिक व्यवसायों से अन्यत्र श्रमिकों के संलग्न होने की दर धीमी रही है। 1980 के दशक के बाद गैर-कृषि गतिविधियों के विस्तार ने गति पकड़ी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में तेज़ी आई।
- अधिकांश आर्थिक मॉडलों में, वास्तविक मज़दूरी श्रम उत्पादकता से जुड़ी होती है। इसका यह अर्थ है कि वहीं काम कर रहे लोगों द्वारा इसे कम किया जा सकता है। बढ़ती श्रम उत्पादकता आम तौर पर दोनों को दर्शाती है। इसे अर्थशास्त्री बेहतर मानव पूंजी (बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर कौशल, साथ ही बेहतर कार्य व्यवहार) और प्रौद्योगिकी कहते हैं। भारत को बढ़ती आय और अधिक रोज़गार दोनों का लक्ष्य रखना चाहिए।

श्रम उत्पादकता का रिकॉर्ड

उत्पादकता और आर्थिक विकास दो सहवर्ती कारक हैं। भारत का दीर्घकालिक उत्पादकता रिकॉर्ड अच्छा है। उत्पादन वृद्धि का एक अच्छा हिस्सा आदर्श रूप से उत्पादकता में वृद्धि के कारण होना चाहिए। इसलिए, रोज़गार वृद्धि को उत्पादन वृद्धि के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही होनी चाहिए। इसलिए, विकास में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

मुद्दा आधारित क्षेत्र

कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 2023 में 45.8% से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2047 में एक-चौथाई रह जाने के साथ, यह अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में औसतन लगभग 8 मिलियन रोज़गार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता है।

महिलाएँ और युवा

- भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर एक सकारात्मक संरचनात्मक बदलाव की पुष्टि करती है। महिला कार्यबल भागीदारी (FWFP) दर में वर्ष 2019 में 24.5% से वर्ष 2023 में 37.0% तक की वृद्धि काफी महत्त्वपूर्ण है, भले ही यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में हो, जिसमें स्वयं के खाते और अवैतनिक पारिवारिक कार्य शामिल हैं।
- श्रम बाज़ार में नए प्रवेशकों के आयु वर्ग के लिए, बेरोज़गारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2022-23 में 10% हो गई है। रोज़गार क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने वालों के बीच बेरोज़गारी के आँकड़े एक बड़ी चिंता का विषय हैं। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में राज्यों में बेरोज़गारी की दर में भारी गिरावट आशाजनक प्रवृत्ति दिखाती है।

युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर बजट में प्रावधान

- रोज़गार प्रोत्साहन और कौशल विकास वर्तमान केंद्रीय बजट के मूल में हैं। रोज़गार सृजन के लिए तीन योजनाएँ पैकेज का

हिस्सा हैं। इसमें पहली बार नए प्रवेशकों के लिए मज़दूरी सब्सिडी शामिल है।

- महिलाओं के नेतृत्व में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने और महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में सुधार करने के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना, क्रेच की स्थापना, महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी/उद्यमों के लिए बाज़ार पहुँच को बढ़ावा देने सहित कई प्रमुख पहलों को बजट में शामिल किया गया है।

फर्मों का छोटा होना

- भारतीय फर्म रोज़गार के मामले में छोटी होती हैं, धीमी गति से बढ़ती हैं। इतना ही नहीं, यह न केवल औद्योगिक पश्चिम, बल्कि चीन एवं मैक्सिको जैसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की फर्मों की तुलना में कम उत्पादक होती हैं। भारत में फर्मों का छोटा आकार और उनसे जुड़ी कम उत्पादकता उनके श्रमिकों की मांग को सीमित करती है।
- इन पहलों को आगे बढ़ाने या लाभकारी रचनात्मक विनाश के लिए लक्षित दृष्टिकोण के साथ-साथ एम.एस.एम.ई. के प्रसार को बढ़ावा देना आवश्यक है। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015-16 में भारत में 63.4 मिलियन असंगठित गैर-कृषि एम.एस.एम.ई. थे। इन उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा, 99% से अधिक सूक्ष्म इकाइयाँ हैं।

औपचारिकीकरण

- समय के साथ रोज़गार में सुधार के बावजूद रोज़गार की स्थिति काफी हद तक अनौपचारिक एवं निम्न उत्पादकता वाली बनी हुई है। 90% से अधिक रोज़गार अनौपचारिक हैं और 83% अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। यह वर्ष 2000 में 90% के करीब था।
- रोज़गार प्रतिरूप का झुकाव अभी भी कृषि की ओर है जिसमें लगभग 46.6% श्रमिक कार्यरत हैं (वर्ष 2019 में 42.4% की तुलना में)। इसके लिए गैर-कृषि रोज़गार के सृजन में तेज़ी लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

राज्यों की भूमिका

- श्रम एवं रोज़गार एक राज्य स्तरीय मुद्दा है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की दरों में अंतर के कारण आर्थिक विकास की प्रकृति एवं भविष्य की संभावना भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होगी।
- उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में रोज़गार के इच्छुक लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने वाले नए अवसर सृजित करना एक गंभीर नीतिगत चुनौती भी है। साथ ही, केरल एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों के आधार पर भविष्य के विकास की सीमाएँ हैं, जिनकी आबादी वृद्ध होती जा रही है। यहाँ राज्यों को अनुकूल नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन और विकसित भारत@2047

संदर्भ

भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से एक होने के कारण जलवायु परिवर्तन में योगदान देने और उससे निपटने में सबसे आगे रहा है। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के जटिल सरोकारों से निपटने के लिए अपने नीतिगत ढाँचे को विस्तृत किया है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक विकास समावेशी एवं टिकाऊ हों।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य और भारत की उपलब्धियाँ

- वर्ष 2015 में अपनाए गए भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अनुसार देश ने वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 33 से 35% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये दोनों उद्देश्य समय सीमा से बहुत पहले ही पूरे हो गए हैं।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन से संबद्ध सौर ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हासिल की है। वर्ष 2023-24 में 15.03 गीगावॉट के उत्पादन के साथ 30 अप्रैल, 2024 तक कुल सौर ऊर्जा उत्पादन 82.64 गीगावॉट तक पहुँच गया। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जलवायु लचीलापन, कार्बन पृथक्करण एवं संधारणीयता में सुधार पर केंद्रित कई महत्त्वपूर्ण पहलों को क्रियान्वित किया गया।

पी.एम. सूर्य घर योजना

- 'पी.एम. सूर्य घर योजना' को मुफ्त बिजली योजना कहा जाता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को किया। इसका कुल बजट 75,021 करोड़ रुपए है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में एक करोड़ आवासीय घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा सके।
- इससे परिवार के बिजली पर आने वाले व्यय को कम करने और उन्हें अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने तथा ग्रिड को वापस बेचने की सुविधा देकर संधारणीय ऊर्जा पद्धतियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
- यह कार्यक्रम परिवारों को पंजीकरण करने, अधिकृत विक्रेताओं को चुनने और सौर प्रणाली तंत्र के आकार एवं अपेक्षित बचत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्लेटफॉर्म प्रदान करके सौर तंत्र स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- यह पहल आदर्श सौर ग्राम की स्थापना करके और सौर प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों सहित स्थानीय अधिकारियों को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में इसको अपनाने पर ज़ोर देती है।

- इस प्रयास का उद्देश्य सौर क्षमता को 30 गीगावॉट तक बढ़ाना है। इससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जाएगा जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता हासिल करना है।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड : जलवायु से संबंधित क्रियाकलापों का वित्तपोषण

- भारत ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करके पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ गतिविधियों को वित्तपोषित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार पर्यावरण संवर्धन परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए 'ग्रीन बॉन्ड' नामक ऋण उपकरण जारी करती है। भारत ने वर्ष 2024 में जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड की शुरुआती किश्त से 8,000 करोड़ रुपए हासिल किए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों को वित्तपोषित करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है जो जलवायु की प्रतिरोधी क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क वित्तपोषण के लिए आवश्यक क्षेत्रों को रेखांकित करता है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, बायोमास), जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्रदूषण शमन शामिल हैं। भारत द्वारा ग्रीन बॉन्ड को अपनाना एक रणनीतिक वित्तीय पहल और पेरिस समझौते तथा कॉप 26 जैसे वैश्विक जलवायु सम्मेलनों में स्थापित दायित्वों के पालन का एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत, दोनों है।

गोबरधन पहल : मवेशियों से नकद लाभ

- सरकार की गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना का उद्देश्य 2023-24 के बजट में घोषित 500 नई बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से कचरे को धन में बदलना है। ये संयंत्र बड़े पैमाने पर मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक कचरे को बायोगैस में बदल देंगे जो एक हरित ऊर्जा स्रोत है।
- यह योजना भारत के वृहत् उद्देश्य से मेल खाती है जिसमें एक चक्रीय अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और जीवाश्म संसाधनों पर निर्भरता कम करना शामिल है। गोबरधन ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करके और जैविक खाद एवं जैव उर्वरकों सहित जैव-उत्पादों व उप-उत्पादों के व्यावसायीकरण के माध्यम से आर्थिक अवसर उत्पन्न करके स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देता है।

महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन : खनिजों को प्राथमिकता

- भारत ने वर्ष 2024-25 के बजट के तहत एक महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है जिसका लक्ष्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना और तांबा एवं लिथियम जैसे आवश्यक खनिजों का पुनर्चक्रण करना है। ये खनिज रक्षा, कृषि, ऊर्जा, औषधि और दूरसंचार जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
- मिशन का महत्त्व घरेलू उत्पादन व पुनर्चक्रण को बढ़ाने, आवश्यक खनिजों को चिह्नित करने, आयात निर्भरता को कम करने, अन्वेषण में तेजी लाने, बाहर से खनिज प्राप्त करने, संसाधन दक्षता को अनुकूलित करने, खनिजों को पुनर्चक्रित करने और उचित अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकल्पों की खोज करने में निहित है।

तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी)

- जून 2023 में आरंभ की गई तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) एक व्यापक परियोजना है जिसे भारत के सभी तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पुनर्वनीकरण व संरक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्बन को सोखने और तूफानों व समुद्र के बढ़ते स्तर के खिलाफ प्राकृतिक अवरोधक के रूप में जलवायु परिवर्तन से निपटने में मैंग्रोव आवश्यक हैं।
- अपने पर्यावरणीय लाभों के अलावा मिष्टी का एक सामाजिक-आर्थिक पहलू भी है। इस पहल के तहत इकोटूरिज्म, संधारणीय मत्स्य पालन और विभिन्न मैंग्रोव-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर तटीय लोगों की आजीविका सुरक्षा में सुधार वांछित है। प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में उनमें महत्त्वपूर्ण उत्पादकता और कार्बन अवशोषण क्षमताएँ हैं। यह पहल वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने और 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्वास करने के भारत के उद्देश्य से मेल खाती है।

अमृत धरोहर : आर्द्रभूमि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला

- अमृत धरोहर योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में पूरे देश में आर्द्रभूमि की जैव विविधता में सुधार लाने के लिए आर्द्रभूमि के उपयोग को अधिकतम करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
- आर्द्रभूमि के सर्वोत्तम संभव उपयोग को बढ़ावा देने और जैव विविधता, कार्बन भंडारण, इकोटूरिज्म संभावनाओं एवं स्थानीय समुदाय के आय सृजन में सुधार करने के लिए 2023-24 से शुरू होने वाले अगले तीन वर्षों के दौरान इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।
- अमृत धरोहर इकोटूरिज़्म को बढ़ावा देकर और स्थानीय समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका का सृजन करके कार्बन अवशोषण एवं जैव-विविधता दोनों के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्रभूमि को बहाल करने तथा सुरक्षित रखने का प्रयास करता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम : वनीकरण को प्रोत्साहन

- वर्ष 2023 में शुरू किया गया भारत का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव रणनीति है। पर्यावरण मंत्रालय ने अप्रैल 2024

में जी.सी.पी. के लिए संशोधित अनुशंसाएं जारी कीं। नए नियम वनीकरण के माध्यम से पारितंत्र की बहाली पर ज़ोर देते हैं। यह पहल लोगों, उद्योगों एवं समुदायों द्वारा क्षरित वनभूमि पर वृक्ष लगाने को बढ़ावा देती है जिससे बाज़ार विनिमय के लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित होता है।

- यह कार्यक्रम वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की व्यापक रणनीति का अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वनावरण बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से वनीकरण को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP) और प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) आगे की पहल हैं जो जी.सी.पी. को बढ़ाती हैं।

सौर पार्क योजना

वर्ष 2014 में शुरू की गई सौर पार्क योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में सौर पार्क बनाना है, जिससे भारत को 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह योजना सरकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करती है और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को जुटाती है।

इकोमार्क योजना

- 26 सितंबर, 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इकोमार्क नियम 2024 अधिसूचित किए। वर्ष 1991 की इकोमार्क योजना को नए नियमों के साथ लाया गया है। भारत सरकार ने पर्यावरण के लिए लाभकारी वस्तुओं को लेबल करने के लिए इकोमार्क योजना शुरू की। इस योजना का प्रबंधन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा किया जा रहा है।
- इसमें साबुन एवं डिटर्जेंट, पेंट, खाद्य पदार्थ, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग सामग्री, आर्किटेक्चरल पेंट, पाउडर कोटिंग, बैटरी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य योजक, लकड़ी के विकल्प, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसोल व प्रोपेलेंट, प्लास्टिक उत्पाद, वस्त्र, अग्निशामक, चमड़ा तथा कॉयर उत्पाद सहित कई उत्पाद श्रेणियाँ शामिल हैं।
- इस योजना के क्रियान्वयन में बी.आई.एस. निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है–
    - लाइसेंस का नवीनीकरण
    - निलंबन एवं निरस्तीकरण तथा निरीक्षण करना
    - किसी भी सामग्री या पदार्थ के विश्लेषण के लिए नमूने लेना जिसके संबंध में इकोमार्क का उपयोग किया गया है।
- बी.आई.एस. ने इस सिस्टम को लागू करने के लिए प्रासंगिक भारतीय मानकों में से इकोमार्क के लिए अतिरिक्त मानकों को अपनाया। लाइसेंस के संचालन को विनियमित करने वाले नियम एवं शर्तें, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अधीन होनी चाहिए। साथ ही, इसके तहत स्थापित संबंधित नियम एवं विनियम के भी अधीन होने चाहिए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर, 2024 को परम रुद्र सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया जो भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता की खोज में एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा निर्मित यह अत्याधुनिक कंप्यूटर देश की हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग क्षमता को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। यह उद्यम इंडस्ट्री 4.0 में भारत की सफलता की आधारशिला है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

अलग-अलग सरोकार होने के बावजूद वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जनवरी 2019 में भारत सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर यानी कणिका तत्व (PM 10 एवं PM 2.5) के स्तर को 20-30% तक कम करना है जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के तहत गैर-प्राप्ति क्षेत्रों के रूप में घोषित 132 शहरों पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) : एक समग्र दृष्टिकोण

- वर्ष 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC), जलवायु परिवर्तन से संबद्ध मुद्दों के निवारण के लिए भारत का मौलिक दृष्टिकोण है। एन.ए.पी.सी.सी. जलवायु परिवर्तन के प्रति समुदायों एवं पारितंत्र की संवेदनशीलता को कम करने के लिए शमन व अनुकूलन उपायों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। एन.ए.पी.सी.सी. के तहत प्रमुख मिशनों में शामिल हैं :
    - **राष्ट्रीय सौर मिशन :** वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देता है।
    - **राष्ट्रीय जल मिशन :** जल संरक्षण, प्रबंधन एवं जल संसाधनों के कुशल उपयोग पर केंद्रित है क्योंकि इसका मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जल की कमी में वृद्धि होगी।
    - **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन :** जल-दक्ष सिंचाई, फसल विविधीकरण और मृदा प्रबंधन पद्धतियों जैसी अनुकूलनीय तकनीकों को बढ़ावा देकर कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने का प्रयास करता है।
    - **हरित भारत मिशन :** वनीकरण एवं पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना, वनों और गैर-वन क्षेत्रों में कार्बन पृथक्करण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

- एन.ए.पी.सी.सी. राष्ट्रीय सतत् आवास मिशन के माध्यम से शहरी अनुकूलन पर ज़ोर देता है और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

- दिसंबर 2022 में पारित ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 ऊर्जा दक्षता एवं डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में भारत के विधायी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में यह संशोधन गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव के प्रयास को गति देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- यह प्रणाली व्यवसायों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके निम्न कार्बन उत्सर्जन कार्य पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उद्योग निर्धारित सीमा से नीचे उत्सर्जन को कम करके कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और ये क्रेडिट उन कंपनियों को बेचे जा सकते हैं जो अपनी उत्सर्जन सीमा को पार करती हैं। पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) कार्बन तीव्रता को कम करने के महत्त्व को उजागर करते हैं और यह विधेयक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक आवश्यक साधन है।

वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो के लिए दीर्घकालिक रणनीति

- कॉप-27 (मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचा अभिसमय (UNFCCC) के पक्षकारों का 27वाँ सम्मेलन) में भारत ने अपनी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) प्रस्तुत की है जो वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए देश के रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारत के एल.टी.-एल.ई.डी.एस. में ऐसे प्रमुख रणनीतिक बदलाव शामिल हैं, जैसे–
  - विद्युत प्रणालियों का निम्न कार्बन विकास
  - कुशल, समावेशी निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली
  - शहरी अनुकूलन एवं टिकाऊ शहरीकरण
  - वन एवं वनस्पति आवरण को बढ़ाना
  - कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की प्रौद्योगिकी

कुरुक्षेत्र

कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ाने में सरकारी पहल

संदर्भ

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) भारत में कौशल विकास पहलों के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशलयुक्त मानव संसाधनों की आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटना है। MSDE का मिशन भारत के लाखों लोगों को तीव्र, दक्षता और उच्च मानकों के साथ कौशल प्रदान करना है, ताकि 'कौशल भारत' के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय व सहायक संगठन

- MSDE को कई कौशल-केंद्रित संगठनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) प्रमुख है।
  - NSDC एक संयुक्त सार्वजनिक-निजी संस्था है जो NSDC इंटरनेशनल के तहत प्रमाणित कौशल, अपस्किलिंग तथा रिस्किलिंग पाठ्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- सरकार-से-सरकार (G To G) समझौते के कारण, NSDC ने इजराइल के जनसंख्या, आव्रजन और सीमा प्राधिकरण (PIBA) के साथ मिलकर तीन राज्यों में विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए।
- MSDE का विज़न वर्ष 2025 देश को एक उच्च कौशल संतुलन की दिशा में स्थानांतरित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र-समर्थक दृष्टिकोण अपनाता है, जो व्यक्तियों, उद्यमों और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने में मदद करता है।

MSDE का उद्देश्य

- MSDE का उद्देश्य एक सजीव और समावेशी उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों, आकांक्षी ज़िलों, जीवंत गाँवों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सीमा क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों का समर्थन करता है।
- सरकार का उद्देश्य महिला उद्यमिता को लक्षित पहलों, मार्गदर्शन कार्यक्रमों और वित्त तक आसान पहुँच के माध्यम से बढ़ावा देना है।
- MSDE के दृष्टिकोण के तहत तीन प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है–
  - सामाजिक गतिशीलता का समर्थन करने वाले व्यक्तिगत आर्थिक लाभों को सक्षम बनाना।
  - एक शिक्षार्थी केंद्रित, मांग-संचालित कौशल बाज़ार का निर्माण करना।
  - आकांक्षात्मक रोज़गार और उद्यमिता के अवसरों के सृजन को सुविधाजनक बनाना जो उद्यमों के लिए समग्र उत्पादकता में सुधार लाए और आर्थिक वृद्धि को उत्प्रेरित करे।

उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए पहलें

- सरकार उद्यमिता के लिए एक अनुकूल नीतिगत माहौल को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है, जिसमें नियमों में सुधार, प्रक्रिया को सरल बनाना, नौकरशाही अड़चनों को कम करना और व्यापार करने में आसानी बढ़ाना शामिल है।
- विभिन्न हितधारकों जैसे– सरकारी एजेंसियों, उद्योग विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों और अकादमिक क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाएंगे।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर और अनुकूलित वित्तीय उत्पादों के निर्माण के माध्यम से हाशिए के समुदायों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए, ऋण वित्त तक पहुँच में भी सुधार किया जा रहा है।
- गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के क्षमता निर्माण के साथ-साथ NBFC और नैनो उद्यमियों के लिए ब्याज अनुदान योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, ताकि ऋण लागत पर अंकुश लगाया जा सके और इन उद्यमियों को औपचारिक ऋण मार्गों तक पहुँचने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- रणनीतिक उद्योगों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर) के साथ ITI-उद्योग साझेदारी को मज़बूत करने के प्रयास भी जारी हैं।
    - इन संस्थानों को सहायक उत्पाद घटकों के लिए विनिर्माण शृंखलाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- उद्यमिता को स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। इससे छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता का विकास होगा।
- उद्यमिता प्रशिक्षण, मेंटरशिप और व्यवसाय विकास सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए AI, IOT, ब्लॉकचेन और डिजि़टल प्लेटफॉर्म जैसी नई-पुरानी तकनीकों का भी लाभ उठाया जा सकता है।
- राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण उद्यमियों को साथियों, विशेषज्ञों और सलाहकारों से जुड़ने, ज्ञान साझा करने, नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है।
- MSDE ने पूरे देश में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अल्पसंख्यकों और दिव्यांग लोगों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया है

प्रमुख योजनाएँ और उपलब्धियाँ

- **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN):** MSDE प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।
- यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में चल रही है और इसे 'ट्राइफेड' (ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) के सहयोग से 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना (पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए पायलट आधार पर) :** इस परियोजना के तहत MSDE ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ सहयोग किया है।
- **स्ट्राइव परियोजना** – MSDE की स्ट्राइव औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) परियोजना के तहत भारत भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्यमिता जागरूकता, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।
- **संकल्प योजना के तहत क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन सहायता और सहायता के माध्यम से उद्यमशील वातावरण को बढ़ाना :** MSDE 'संकल्प' (आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) के माध्यम से पूरे भारत में SC और ST सहित उद्यमियों को सशक्त बनाने, उत्थान और विकास करने के लिए काम कर रहा है।
    - इस परियोजना का उद्देश्य विविध हाशिए के समूहों के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की है।
- **छह शहरों में उद्यमिता विकास :** छह मंदिर शहरों हरिद्वार, बोधगया, कोल्लूर, पुरी, पंढरपुर और वाराणसी में उद्यमिता संवर्द्धन और सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों के मार्गदर्शन पर एक पायलट परियोजना MSDE द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- **उचित मूल्य की दुकान मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम :** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सहयोग से, MSDE ने उचित मूल्य की दुकान (FPS) मालिकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम परियोजना शुरू की है। यह परियोजना PMKVY योजना के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।
- **पूर्वोत्तर शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र एवं इनक्यूबेशन केंद्र की स्थापना, विकास और प्रबंधन :** भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र और इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, विकास और प्रबंधन करेगा।
- **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना :** राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) और IIE ने पीएम-दक्ष योजना के तहत पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कौशल विकास सत्र आयोजित किए हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करके उनका

उत्थान करना है ताकि वे स्थायी आजीविका उत्पन्न कर आत्मनिर्भर बन सकें।

- **सौर उद्यमिता पर ESDP :** MSDE द्वारा समर्थित, पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से सौर उद्यमिता पर उद्यमिता-आधारित कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) के लिए एक परियोजना को लागू कर रहा है। PMKVY के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में शुरू की गई यह परियोजना सौर पीवी सिस्टम स्थापित करने और रखरखाव करने में सक्षम कुशल उद्यमियों का पोषण करेगी।
- **उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम :** NIESBUD पीएमकेवीवाई 4.0 की एक विशेष परियोजना के तहत ब्राइडल फैशन और पोर्टफोलियो मेकअप आर्टिस्ट जैसी भूमिकाओं के साथ-साथ एलईडी लाइट रिपेयर तकनीशियन, सोलर एलईडी तकनीशियन और सोलर पीवी इंस्टॉलर-इलेक्ट्रिकल जैसी भविष्य की नौकरियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- **जेल कैदियों के बीच उद्यमिता का विकास :** MSDE के समर्थन से, NIESBUD ने क्षमता निर्माण, सलाह, हैंडहोल्डिंग और इनक्यूबेशन समर्थन के माध्यम से जेल कैदियों के बीच उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना क्रियान्वित की है। यह परियोजना पहले ही सेंट्रल जेल (वाराणसी) और मॉडल जेल एवं नारी बंदी निकेतन (दोनों लखनऊ में) में लागू की जा चुकी है।
- **जन शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम :** NIESBUD के माध्यम से, MSDE जन शिक्षण संस्थानों (JSS) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ToTs) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) द्वारा एक उद्यमी माहौल बना रहा है।
- इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण तथा इन्क्यूबेशन सहायता, के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना शामिल है।
- **एमएसएमई के स्फूर्ति कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी :** स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा भारत में पारंपरिक उद्योगों को विकसित करने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई थी, जिसका ध्यान क्लस्टर आधारित विकास पर केंद्रित था।
- **HUL द्वारा समर्थित उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम :** NIESBUD ने HUL की CSR पहल के तहत अखिल भारतीय स्तर पर 1,00,000 युवाओं के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के साथ सहयोग किया है।

उद्यमिता को समर्थन देने के लिए कुछ नई पहल

- **नीति आयोग की स्वावलंबिनी परियोजना :** MSDE स्वावलंबिनी परियोजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ सहयोग करेगा। इसे महिला छात्रों के बीच उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना भी है।
- **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान :** MSDE प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का भी समर्थन कर रहा है, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय बहुल गाँवों और आकांक्षी ज़िलों तथा ब्लॉकों में जनजातीय परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज के माध्यम से जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
- **ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन :** MSDE और ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों और उनके सदस्यों के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

भारत में कौशल विकास व उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र

संदर्भ

कौशल विकास और उद्यमिता किसी भी देश के जीवन की कुंजी है। कृषि से लेकर विनिर्माण तक, सेवा से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने के लिए विशिष्ट कौशल और उद्यमिता की आवश्यकता होती है।

क्या है कौशल विकास

- कौशल विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए कौशल और दक्षताओं को सुधारने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो तकनीकी कौशल, सॉफ्ट कौशल और अंतर-पारस्परिक कौशल हो सकते हैं।
- कौशल विकास में औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नौकरी के दौरान अनुभव, स्व-अध्ययन, अप-स्किलिंग, क्रॉस-स्किलिंग और रि-स्किलिंग शामिल हैं।
- सामाजिक और आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता एक-दूसरे के पूरक हैं।
- 'स्किल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' हमारे युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करने की प्रमुख पहल हैं।
- भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) कतिपय उद्देश्यों के साथ देशभर में कौशल विकास प्रयासों का समन्वय सुनिश्चित करता है। कौशल विकास का परिदृश्य शिक्षा से प्रशिक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र से कार्यक्षेत्र के वातावरण तक विस्तृत है।

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020

- शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार कौशल शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए नीति स्तरीय रुपरेखा NEP 2020 में प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार कला एवं विज्ञान, पाठ्यचर्या तथा पाठ्येतर गतिविधियों और कौशल एवं शैक्षणिक धाराओं के बीच कठिन अलगाव को समाप्त कर दिया गया है।
- NEP में छात्रों को विभिन्न कौशलों से परिचय कराने के बाद एक्सपोजर, मध्य चरण में पूर्व-कौशल क्षमताओं के पश्चात् और माध्यमिक चरण में छात्रों की पसंद के कौशल पाठ्यक्रमों की शुरुआत की परिकल्पना है, ताकि उन्हें लाभकारी रोज़गार प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान देने में मदद मिल सके।

भारत में कौशल-अंतर कम करना

- NEP 2020 अकादमिक शिक्षा को व्यावहारिक कौशल के साथ जोड़ने वाले एक लचीले एवं बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।
- इस एकीकरण का उद्देश्य कौशल शिक्षा से जुड़े सामाजिक तौर पर निम्न स्तर के कार्य होने की भावना को दूर कर छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कैरियर विकल्पों के लिए कई रास्ते प्रदान करना हैं।
- ये केंद्र वर्तमान औद्योगिक माहौल में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया के कौशल हासिल करने में मदद मिलती है।

समग्र शिक्षा

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने की योजना को कौशल भारत मिशन के उद्देश्यों के साथ जोड़कर लागू किया जा रहा है।
- इसके तहत हब और स्पोक मॉडल का प्रावधान शुरू किया गया है, जिसके तहत हब स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी ढाँचे का उपयोग कौशल प्रशिक्षण के लिए नज़दीकी स्कूलों (स्पोक स्कूलों) के छात्रों द्वारा किया जाएगा।
- कौशल विकास को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने वाले छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन, बाहरी हितधारकों के साथ सहयोग के साथ-साथ उन्हें उचित कैरियर निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्म-जागरूकता उपलब्ध कराई जाएगी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजनाएँ

- **कौशल भारत मिशन :** यह वर्ष 2015 में शुरू की गई; एक व्यापक योजना है जिसमें देश के युवाओं को पर्याप्त कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने के लिए कई कौशल योजनाएँ/कार्यक्रम शामिल हैं। ये संबंधित क्षेत्रों में उनको रोज़गार योग्य बनाने के साथ-साथ उत्पादकता में भी सुधार करेगा। कौशल प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के अभिसरण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) शुरू किया गया था।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) :** यह योजना देश में लघु अवधि के नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य युवाओं को कुशल बनाने और उनकी क्षमताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप कैरियर पथ चुनने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
- **जन शिक्षण संस्थान :** यह योजना 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के गैर/नवसाक्षरों, 8वीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर वाले व्यक्तियों और बीच में स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करती है। योजना का मुख्य फोकस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, SC, ST, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों पर है।
- **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना :** यह योजना घरेलू उद्योगों के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल श्रमिकों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने, गुणात्मक रूप से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। यह योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण है।
- **उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना :** इस योजना के तहत एक से छह सप्ताह की अवधि के अल्पकालिक मॉड्यूल पाठ्यक्रमों के माध्यम से चयनित कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं।
- **महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :** इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु समूहों में रोज़गार के अवसरों को प्रोत्साहित करने वाली महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसे महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में मुख्यधारा में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना :** यह प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है।
- **संकल्प (आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) :** विश्व बैंक की सहायता से संचालित इस योजना का उद्देश्य संस्थानों को मज़बूत करने के माध्यम से गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना, बेहतर बाजार कनेक्टिविटी लाना और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शामिल करना है।
- **स्किल इंडिया डिजिटल हब :** यह कौशल विकास के लिए एक एकीकृत रजिस्ट्री ढाँचे के रूप में शिक्षा से कौशल और भविष्य के अवसरों तक एक सुचारू परिवर्तन को सक्षम बनाता

है। यह भारत के कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है।

- **पीएम विश्वकर्मा :** इस योजना का उद्देश्य अपने पारंपरिक व्यवसाय/पेशे को करने वाले विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के ज्ञान के साथ- साथ उनके व्यवसाय का विस्तार करने और उनके लिए सम्मान, क्षमता और गरिमा लाने के लिए क्रेडिट सहायता प्रदान करना है।
- **कौशल ऋण योजना :** यह योजना राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों और योग्यता के अनुरूप व्यक्तियों को संस्थागत ऋण प्रदान करती है।

उद्यमिता विकास

- **स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम :** आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर सृजित करने, देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मज़बूत इको-सिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य नवाचार और डिज़ाइन के माध्यम से स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना है। नीति आयोग के स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग कार्यक्रम के साथ अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और मेक इन इंडिया जैसी पहलों द्वारा देश में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- **भास्कर (भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री) :** भास्कर की कल्पना एक वन-स्टॉप डिज़िटल प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है, जहाँ विविध स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारक निर्बाध रूप से जुड़कर सहयोग कर सकते हैं। यह पूरे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और सफलता को उत्प्रेरित कर सकता है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) :** यह योजना सूक्ष्म ऋण प्रदान करके उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग प्रदान करती है। योजना के तहत विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र में आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे पोल्ट्री, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं।

भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत में अभी भी कौशल कार्यबल का प्रतिशत अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।
- व्यावसायिक शिक्षा की सामाजिक स्वीकार्यता कम होना
- जटिल श्रम कानून
- बदलती प्रौद्योगिकी
- बुनियादी ढाँचे की कमी
- प्रशिक्षकों की खराब गुणवत्ता
- कौशल मानकीकरण का अभाव

निष्कर्ष

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, सक्षम सरकारी पहल और लोगों की भागीदारी देश को सबसे अधिक सक्षम बनाने का महान अवसर प्रस्तुत करती है। कौशल विकास से भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

- दुनिया में कुशल राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी युवाओं के बीच कौशल विकास एवं उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए इन सभी उपायों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।

ग्रामीण महिला उद्यमिता के लिए आवश्यक उपाय

संदर्भ

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 48% हिस्सा महिलाएँ हैं, लेकिन भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनका योगदान सिर्फ 17% है। यदि भारत 50% तक महिलाओं को कार्यबल में शामिल करता है, तो GDP की वृद्धि दर में 1.5% अंक के वृद्धि की संभावना है। ऐसे में भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने के लिए महिला श्रमिक भागीदारी दर को बढ़ाना होगा और यह महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिए बिना संभव नहीं है।

उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

- भारत में महिलाओं के पास कुल उद्यमों का केवल 20% हिस्सा है। इनमें से भी अधिकतर उद्यम केवल महिलाओं के नाम पर पंजीकृत होते हैं ताकि वित्त और अनुमतियों तक सरल पहुँच बनाई जा सके।
- 82% महिला-नेतृत्व वाले उद्यम माइक्रो यूनिट्स होते हैं, जिन्हें एकल स्वामित्व के रूप में चलाया जाता है, और अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्र में स्थित होते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कुछ अधिक महिला-स्वामित्व वाले उद्यम हैं।
    - MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 22.24% जबकि शहरी क्षेत्रों में 18.42% महिला स्वामित्व वाले उद्यम है।
- विभिन्न अध्ययनों के अनुसार जिन व्यवसायों में कम से कम एक महिला संस्थापक होती है, उनकी कार्य संस्कृति अधिक समावेशी होती है।
    - वे पुरुषों के मुकाबले तीन गुना अधिक महिलाओं को रोज़गार देती हैं, और उनका कुल राजस्व 10% अधिक होता है।

ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएँ

भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ अद्वितीय योजनाएँ शुरू की हैं। उनमें से कुछ हैं–

- **स्किल अपग्रेडेशन और महिला कॉयर योजना (MCY) :** यह योजना घरेलू और निर्यात बाज़ारों के विकास, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, कॉयर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ आदि प्रदान करती है। महिला कॉयर योजना (MCY) एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो ग्रामीण महिला कारीगरों को कॉयर उद्योग में कौशल विकास के लिए चलाई जा रही है।
- **स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) :** इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को गाँव स्तर पर गैर-कृषि क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है। जिससे ग्रामीणों में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के साथ ही गरीबी और बेरोज़गारी कम हो सके। इसमें महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले वर्गों, SC तथा ST समुदायों और ग्रामीण कारीगरों को प्राथमिकता दी जाती है।
- **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) :** यह योजना ग्रामीण महिलाओं में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में महिलाओं का सशक्तीकरण करना है, ताकि उनकी भागीदारी एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके और उनकी कृषि-आधारित आजीविका का सृजन कर उसे बनाए रखा जा सके।
- **महिला शक्ति केंद्र (MSK) :** इस योजना को नवंबर 2017 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को समुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना है। MSK ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास, रोज़गार, डिज़िटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण जैसी कई सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **महिला उद्यमिता विकास योजना (WED) :** पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की महिला उद्यमिता विकास योजना महिला उद्यमियों को व्यापारिक उद्यमों में शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मौजूदा व्यवसायों को विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए भी पात्र माना जाता है। महिला उद्यमिता विकास योजना सभी वर्गों की महिला व्यापारियों को ऋण प्रदान करती है।
- **अन्नपूर्णा योजना :** भारत सरकार की यह योजना खाद्य सेवा क्षेत्र में महिला उद्यमियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधाएँ प्रदान करती है। यह उन महिलाओं को लक्षित करती है जो छोटे खाद्य कैटरिंग व्यवसायों जैसे टिफिन सेवाएँ, खाद्य स्टॉल या कैंटीन चलाती हैं।
- **मुद्रा योजना :** मुद्रा ऋण भारत सरकार द्वारा छोटे उद्यमियों को प्रदान किए जाने वाले प्रमुख समर्थन उपायों में से एक हैं। मुद्रा ऋण के तहत महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- **स्टार्टअप इंडिया पहल :** भारत सरकार ने जनवरी 2016 में इस पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत में उभरती स्टार्टअप संस्कृति को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे आर्थिक वृद्धि, बेरोज़गारी और गरीबी में कमी आए।

प्रमुख योजनाओं में खामियाँ

- **प्रचार की कमी :** अधिकांश इच्छुक महिला उद्यमियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। इन योजनाओं के संदर्भ में जनजागरूकता का अभाव है।
- **सीमित फोकस :** अधिकांश केंद्र और राज्य योजनाएँ महिलाओं को प्रदान की जाने वाली दो प्रकार की सहायता वित्तीय और कौशल विकास पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। हालाँकि ये दोनों उद्यमिता चक्र के मूल तत्व हैं, फिर भी, ग्रामीण महिला उद्यमियों को इसके अलावा भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कमज़ोर बाज़ार लिंक तथा उचित मार्गदर्शकों की कमी आदि।
- **लक्षित योजनाओं की कमी :** अधिकांश केंद्रीय और राज्य योजनाएँ सभी प्रकार के लाभार्थियों जैसे- पुरुष, महिला, और अन्य के लिए होती हैं। केवल कुछ सीमित केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाएँ महिलाओं के लिए विशेष कोटे और अन्य प्रावधान प्रदान करती हैं।
- **कुछ क्षेत्रों की अनदेखी :** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएँ प्रायः क्षेत्र-निर्दिष्ट दृष्टिकोण को अपनाती हैं। एक अच्छा दृष्टिकोण होने के बावजूद अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **योजनाओं तक सीमित ऑनलाइन पहुँच :** ग्रामीण महिलाओं के बीच सीमित डिज़िटल साक्षरता होने के कारण इनके द्वारा योजनाओं के लाभों के वितरण में देरी और लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के सीमित उपयोग जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

सुझाव

- ग्रामीण महिला उद्यमियों को मुख्यतः अच्छे बाज़ार संबंधों, नेटवर्किंग और उपयुक्त मार्गदर्शन की कमी होती है। इसलिए, उन्हें ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही स्थिर और टिकाऊ भी हों।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, एक समग्र योजना में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए छह प्रकार की समर्थन सेवाएँ होनी चाहिए–
  - उद्यमिता प्रचार
  - व्यावसायिक समर्थन सेवाओं तक पहुँच
  - बाज़ार संबंध
  - वित्त तक पहुँच

- प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
- मार्गदर्शन तथा नेटवर्किंग।

- योजनाओं की एक एकीकृत प्रणाली भारत में महिला उद्यमियों की संख्या को बढ़ा सकती है।
- योजना में पंजीकरण से लेकर लाभ प्राप्त करने तक महिला उद्यमियों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इसलिए योजना को डिज़ाइन करने से लेकर उसकी डिलीवरी, कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र तक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - इसमें उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित तंत्र होना चाहिए, जो योजना की प्रभावशीलता और प्रभाव को समझने में मदद करेगा।
- ऑनलाइन उपलब्ध योजनाओं तक उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनका यूजर इंटरफेस, पहुँच की आसानी और जानकारी के उपयोग में सुधार करना चाहिए।
- बहुभाषी सामग्री को एकीकृत कर आवाज, वीडियो और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करके योजनाओं, उनके पात्रता मानदंडों, प्रक्रिया और शिकायत समाधान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए।
- योजनाओं के उपयोग पर लिंग-विशिष्ट डाटा एकत्र कर उसको एकीकृत करने की आवश्यकता है। यह खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में योजना के प्रदर्शन और कारणों का पता लगाने में मदद कर सकता है।
- महिला स्वामित्व वाले उद्यमों को अविकसित अनौपचारिक क्षेत्रों से औपचारिक क्षेत्रों में लाने के लिए एक औपचारिक अभियान की आवश्यकता है।

डाउन टू अर्थ

जलवायु परिवर्तन और गरीबी

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन सदी की सबसे बड़ी चुनौती है जिसका परिणाम अस्थिर तथा विनाशकारी पर्यावरण है। इसका प्रतिकूल प्रभाव दुनिया के उन सबसे गरीब लोगों पर सर्वाधिक है जिनका वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे कम योगदान है। जलवायु परिवर्तन के जोखिमों ने उनकी गरीबी से बाहर निकलने की क्षमता भी कम कर दी है। एक विरोधाभास यह भी है कि जिस आर्थिक विकास को गरीबी कम करने का एक साधन माना जाता है, उससे ही अत्यधिक मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।

विश्व बैंक द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट

- **शीर्षक** : गरीबी, समृद्धि और ग्रह रिपोर्ट-2024 (Poverty, Prosperity and Planet Report-2024)
- इसे पहले गरीबी और साझा समृद्धि (Poverty and Shared Prosperity) के नाम से जाना जाता था।

प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि को बढ़ाने के लिए उन तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए जो पर्यावरणीय क्षरण के लिए उत्तरदायी न हों।
- वर्तमान में धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ी हुई नाजुकता, जलवायु जोखिम और अनिश्चितता में वृद्धि जैसे कई संकट एक-साथ सामने आए हैं। इस प्रकार के बहुसंकट राष्ट्रीय विकास रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मुश्किल बनाता है। रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि वैश्विक गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन COVID-19 संकट से पहले की तुलना में अभी भी इसकी गति धीमी है।
- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन लोग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन US$2.15 से कम आय के साथ अत्यधिक गरीबी में रहते हैं।
  - यह कुल वैश्विक आबादी का लगभग 8.5% है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक तक कुल वैश्विक आबादी की करीब 7.3% आबादी के 'अत्यधिक गरीब' की श्रेणी में रहने की संभावना है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में आय असमानता के उच्च स्तर वाले देशों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन साझा समृद्धि में सुधार की गति धीमी हो गई है।
- वर्तमान मे सर्वाधिक गरीबी मुख्य रूप से उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्रों में केंद्रित है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में भी असमानता की उच्च स्थिति बनी हुई है।
  - वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लोगों की आय में औसतन पाँच गुना वृद्धि की आवश्यकता होगी, ताकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम समृद्धि सीमा तक पहुँच सकें।
- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि गरीबी में कमी और साझा समृद्धि में प्रगति वाले देशों में प्राकृतिक आपदाओं को प्रबंधित करने की बढ़ती क्षमता के सबूत हैं, लेकिन सबसे निर्धन क्षेत्रों में जलवायु जोखिम काफी अधिक है।
- वैश्विक स्तर पर दुनिया की लगभग 60% आबादी ने बाढ़, सूखे, चक्रवातों और लू जैसी चरम मौसमी घटनाओं का अनुभव किया है।
  - इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन, गरीबी घटाने के लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण बना देगा क्योंकि इसमें लोगों को लंबे समय तक गरीबी के दुष्चक्र में फंसाकर रखने की क्षमता है।

- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के ज़्यादातर निर्धन आबादी जैव-ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। दुनिया के करीब 66% निर्धन जीवनयापन के लिए खेती पर निर्भर हैं।
    - इससे वे जलवायु के झटकों के प्रति और संवेदनशील हो जाते हैं।
- विश्व बैंक के अनुसार, चरम मौसमी घटनाओं के कारण पाँच में से एक व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होगा जिससे उन्हें आजीवन जलवायु के गंभीर झटकों का सामना करना होगा।

सुझाव/समाधान

- वर्तमान में गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने में नई आवश्यकताएँ उत्पन्न हो गईं जिससे निपटने के लिए बेहतर प्रयासों की आवश्यकता है।
- विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयास जलवायु लक्ष्यों के प्रति विरोधाभासी नहीं हैं क्योंकि कम आय वाले परिवारों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बहुत ही कम है।
- जलवायु परिवर्तन और गरीबी के परस्पर जुड़े मुद्दे से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय के एकजुट होकर कार्य करने व समावेशी प्रयास की आवश्यकता है।
- सतत् विकास के माध्यम से एक ऐसे भविष्य की ओर प्रयास कर सकते हैं जो समृद्ध, न्यायसंगत और लचीला हो।

भोपाल गैस त्रासदी पर नया अध्ययन

संदर्भ

भोपाल गैस त्रासदी के 26 साल बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) द्वारा "हेल्थ इफेक्टस ऑफ द टॉक्सिक गैस लीक फ्रॉम यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट प्लांट इन भोपाल" नामक रिपोर्ट जारी की गई जो कि वर्ष 1984 से वर्ष 1992 तक पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन पर आधारित थी।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल गैस त्रासदी के बाद दिसंबर, 1984 में 731 शवों की ऑटोप्सी हुई। यह पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में व्यवस्थित ऑटोप्सी और विस्तृत अध्ययन किए गए जिसमें कई तथ्य आधिकारिक तौर पर पहली बार सामने आएँ।

- भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी के द्वारा लगातार यह तर्क दिया जाता रहा कि मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) ज़हर नहीं बनाती। इसलिए पीड़ितों को तत्काल कोई राहत वाला उपचार नहीं मिला जिससे कई लोगों की जान बच सकती थी।
    - हालाँकि, पीड़ितों का खून 'चेरी रेड' रंग का पाया गया जिसने हाइड्रोजन साइनाइड विषाक्तता का संकेत दिया।
- बाद में विषैली MIC और उसके सह-उत्पादों में से एक हाइड्रोजन साइनाइड (HCN) को विषाक्तता का मुख्य कारण माना गया और विषाक्तता को कम करने के लिए भोपाल गैस पीड़ितों पर सोडियम थायोसल्फेट (Sodium Thiosulfate : NATS) इंजेक्शन दिया गया।

हाइड्रोजन साइनाइड (Hydrogen cyanide)

- इसे प्रूसिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र HCN है।
    - यह एक रंगहीन, अत्यंत ज़हरीला और ज्वलनशील तरल है।
- **उपयोग :** HCN का उपयोग रंगाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फ्यूमिगेंट्स, विनिर्माण प्रक्रियाओं, धातु निष्कर्षण, धातु सख्तीकरण, धातु पॉलिश, कीटनाशकों, फोटोग्राफी और मुद्रण आदि में किया जाता है।
- हाइड्रोजन साइनाइड की थोड़ी-सी मात्रा की उपस्थिति में साँस लेने से सिरदर्द, चक्कर आना, कमज़ोरी, मतली और उल्टी हो सकती है। इसके अलावा यह शरीर के लगभग हर अंग द्वारा ऑक्सीजन के सामान्य उपयोग में बाधा डालता है जिससे कुछ ही मिनटों में मृत्यु तक हो सकती है।
- NATS एक चिकित्सकीय यौगिक है जो साइनाइड विषाक्तता के उपचार में प्रभावी है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान इसका उपयोग किया गया।
    - वस्तुतः NATS साइनाइड के साथ प्रतिक्रिया करके थायोसाइनेट बनाता है जो विषहीन होता है और शरीर से मूत्र द्वारा आसानी से निकल जाता है।
    - NATS के इंजेक्शन से पीड़ितों में श्वसन और तंत्रिका संबंधी लक्षणों में तत्काल सुधार देखा गया। इससे यह पुष्टि हुई कि साइनाइड का डिटॉक्सिफिकेशन सफलतापूर्वक हो रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, यदि पहले ही यह पता होता कि MIC से साइनाइड उत्पन्न हो रहा तो NATS का उपचार तत्काल किया जा सकता था।
    - क्योंकि NATS की प्रभावशीलता तभी उच्चतम होती है जब इसे विषाक्तता के तुरंत बाद दिया जाए। देरी होने पर इसके परिणाम सीमित हो सकते हैं।
- ICMR की रिपोर्ट में यह पहली बार उजागर किया गया कि विषैली गैस MIC के कारण भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के रक्त और ऊतकों में एन-कार्बमॉयलेशन और एस-कार्बमॉयलेशन (N-carbamoylation and S-carbamoylation) की प्रतिक्रिया हुई।
    - रिपोर्ट के अनुसार, कॉर्बमॉयलेशन के ज़रिए पीड़ितों के शरीर में जो प्रोटीन और ऊतकों में बदलाव आए वह अब अपनी सामान्य स्थितियों में कभी लौट नहीं पाएंगे।

कार्बमॉयलेशन (Carbamoylation)

- जब मिथाइल आइसोसाइनेट जैसा कोई रसायन शरीर में प्रवेश करता है तो वह शरीर के भीतर मौजूद प्रोटीन और एंज़ाइम या

अन्य जैविक पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करता है और उन पर एक नया रासायनिक समूह जोड़ देता है। यह नया रसायन समूह कार्बमॉयलेशन कहलाता है जो शरीर के प्रोटीन और एंज़ाइम के सामान्य कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं।

- **प्रभाव :** सामान्यत: शरीर में प्रोटीन सामान्य रूप से काम करते हैं, लेकिन कार्बमॉयलेशन प्रक्रिया (Carbamoylation Process) होने पर उनकी संरचना हमेशा के लिए बदल जाती है। इसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन पहुँचाने वाला हीमोग्लोबिन सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता।
  - इसके अलावा शरीर में मौजूद एक अहम एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन (Glutathione) पर भी इसका असर पड़ता है।
  - कार्बमॉयलेशन के कारण शरीर के विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने की क्षमता समाप्त हो सकती है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकांश गैस पीड़ितों के फेफड़ों में गंभीर सूजन और उनमें खून का रिसाव था। साथ ही दिमाग में सूजन, कम रक्तस्राव और अन्य अंगों में भी क्षति पाई गई। इन तात्कालिक प्रभावों के अलावा पीड़ित लंबे समय तक श्वसन और नेत्र समस्याओं से जूझते रहे।
  - इनमें अस्थमा, आँखों की रोशनी कम होना और संक्रमण का खतरा बढ़ना शामिल है। इसके अलावा गर्भपात, भ्रूण विकास में बाधा और जन्मजात विकार भी रिपोर्ट किए गए।
- ICMR की रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी बाधाओं के कारण वैज्ञानिक निष्कर्ष देरी से प्रकाशित हुए। साथ ही, MIC टैंक के अवशेषों में पाए गए कई अज्ञात रसायनों का विषाक्त प्रभाव अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल गैस त्रासदी केवल MIC की विषाक्तता का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके ताप विघटन (Pyrolisis) से उत्पन्न यौगिकों का भी प्रभाव था।

शजर हस्तशिल्प

संदर्भ

उत्तर प्रदेश के बांदा में पाए जाने वाले शजर पत्थर हस्तकला को वर्ष 2017 में 'एक ज़िला एक उत्पाद योजना' (ODOP) में शामिल करने और मार्च 2023 में मिले भौगोलिक संकेतक (GI Tag) ने भी इस लघु उद्योग को पहचान दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, कारोबारियों का मानना है कि अभी भी अधिकांश लोगों को इस पत्थर के महत्त्व के बारे में जानकारी न होने के कारण यह उद्योग अभी तक अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन नहीं कर पाया।

क्या है शजर

- शजर पत्थर को वैज्ञानिक भाषा में 'डेंड्राइट एगेट' के नाम से जाना जाता है। यह क्वाट्र्ज़ परिवार का पत्थर है। मोस स्केल पर इसकी कठोरता करीब 7 होती है।
- शजर पत्थर पर पेड़-पौधे, पत्तियों, चिड़ियों, मानव आदि की खूबसूरत आकृतियों को तराशा जाता है जिन्हें शजर कहते हैं।
- बरसात या बाढ़ के बाद नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर इस पत्थर को खोजा जाता है पारंपरिक रूप से इसे तराशने का काम बांदा में किया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर को पहनने से ताकत और शांति मिलती है व ईश्वर प्रसन्न रहता है। मुस्लिम समुदाय में भी इसे बेहद पाक माना गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, बांदा पिछले 300-400 वर्षों से शजर हस्तशिल्प का केंद्र रहा है। इसे करीब 400 साल पहले एक अरबी द्वारा खोजा गया था। अरबी में शजर का अर्थ पेड़ या झाड़ होता है।
- मुगल काल में इस कला को स्थानीय राजाओं व नवाबों ने काफी प्रोत्साहित किया। बांदा के नवाब जुल्फिकार अली खान बहादुर ने इसे विशेष संरक्षण दिया।
- वर्ष 1911 में शजर कला का प्रदर्शन महारानी विक्टोरिया के दरबार में किया गया था।

उत्पत्ति का सिद्धांत

- स्थानीय मान्यता के अनुसार, पूर्णिमा की रात में पत्थर पर जिसकी छाया पड़ती है वह उसमें छप जाती है।
  - हालाँकि एक सिद्धांत के अनुसार, वॉलकैनिक युग में लावा के साथ एगेट, आयरन और मैंगनीज़ का उत्सर्जन हुआ। एगेट वास्तव में सिलिका ऑक्साइड होती है है जो बाहर आकर ठोस रूप धारण कर लेती है।
  - सिलिका के ठोस में परिवर्तित होने के बाद भी अन्य खनिज तरल अवस्था में थे जो सिलिका की दो परतों के बीच दबकर विभिन्न पैटर्न के रूप में फैल गए।
- दूसरे सिद्धांत के अनुसार, सिलिका की दो परतें जुड़ने पर उनके बीच कुछ जगह खाली रह गई जहाँ पिघला हुआ खनिज जमा हो गया और दबाव पड़ने पर वह विभिन्न पैटर्न में बदल गया।
- जर्नल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में प्रकाशित "शजर स्टोन (Hakik) : इंडियन शजर हेरिटेज इज इन डिक्लाइन स्टेज" अध्ययन के अनुसार, "शजर पर जो पैटर्न दिखाई देते हैं, वो शैवाल (Fungus) के फंसे हुए जीवाश्मों के अलावा और कुछ नहीं हैं।
  - शजर पत्थर के दो या अधिक टुकड़ों के बीच फंसा शैवाल अम्ल या क्षार उत्सर्जित करता है जो पत्थरों को पारदर्शी बनाता है और अकार्बनिक गोंद के रूप में कार्य करते हुए अलग-अलग पत्थरों को चिपका देता है।
  - पत्थरों के अंदर फंसे ये शैवाल के जीवाश्म ही पत्तियों या पेड़ों के पैटर्न की तरह दिखते हैं।

विस्तार

- यह बांदा से गुज़रने वाली केन नदी में पाया जाता है। हालाँकि, कुछ लोगों का मानना है कि अब यह पत्थर केन में मिलना बंद हो गया है और बांदा में शजर पत्थर की आपूर्ति नर्मदा नदी से लाए गए पत्थर से होती है।
- भारत के अलावा यह ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कज़ाकिस्तान, मेडागास्कर, मेक्सिको, मंगोलिया, नामीबिया, उरुग्वे व अमेरिका में भी पाया जाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

शजर हस्तशिल्प को सरकारी प्रोत्साहन के बावजूद शजर के शिल्पियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- कच्चे माल की अत्यधिक लागत
- हस्तशिल के संबंध में कम जानकारी
- कठिन लाइसेंसिंग प्रक्रिया
- उद्योग का सीमित विस्तार
- अवैध खनन की समस्या
- सीमित स्थानीय बाज़ार

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

संदर्भ

- वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में वर्ष 2018 से नीति आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक (SDG India Index) जारी किया जाता है।
    - इसके माध्यम से राज्यों में सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने के परिणामों को मापा जाता है।
- ग्रामीण भारत में सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने के परिणामों को मापने का कोई भी ढाँचा उपलब्ध नहीं था। इसी संदर्भ में नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019 मे सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (Localization of Sustainable Development Goals : LSDG) का विचार दिया गया।

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

- SDG का स्थानीयकरण एक ऐसा नेटवर्क है जो स्थानीय स्तर पर SDG के क्रियान्वयन में सहायता करने के साथ सबसे पीछे रह गए लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों एवं उनके संघों, राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायों, समुदाय-आधारित संगठनों व अन्य स्थानीय अभिनेताओं तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बीच एक अभिसरण बिंदु है।
- LSDG की ज़िम्मेदारी केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को सौंपी गई और मई 2021 में LSDG में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। विशेषज्ञ समूह ने 27 अक्तूबर, 2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज मंत्रालय ने 17 सतत् विकास लक्ष्यों को 9 व्यापक विषयों में वर्गीकृत कर दिया, ताकि पंचायतों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसके लिए "संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण" अपनाया गया।
- इन 9 विषयों में 17 सतत् विकास लक्ष्यों के साथ ही, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषय भी समाहित हैं।
- शामिल विषय–
    - गरीबीमुक्त और उन्नत आजीविका वाला गाँव
    - स्वस्थ गाँव
    - बच्चों के अनुकूल गाँव
    - पर्याप्त जल वाला गाँव
    - स्वच्छ और हरा-भरा गाँव
    - आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचे वाला गाँव
    - सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव
    - सुशासन वाला गाँव
    - महिला अनुकूल गाँव

SDG को प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका

- विशेषज्ञों के अनुसार, पंचायतों के पास सतत् विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ जल, स्वच्छता और शिक्षा से जुड़े ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है।
- पंचायतें ज़मीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं साथ ही, सामुदायिक संस्थाओं के साथ मिलकर वे इसे आसानी से हासिल कर सकती हैं।
- पंचायतों को सतत् विकास लक्ष्यों से जोड़कर की गई यह अभिनव संकल्पना तभी अपने लक्ष्य को हासिल लकर पाएगी जब उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

प्रमुख चुनौतियाँ

समन्वय का अभाव

- LSDG को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती पंचायतों की योजनाओं में समन्वय का अभाव है। उदाहरण के लिए, एक गाँव में 36 विभाग अलग-अलग काम करते हैं लेकिन इनके बीच कोई समन्वय नहीं होता।
    - विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ये विभाग एक-साथ मिलकर LSDG के शीर्षक पर फोकस करके काम करें तो

प्रत्येक पंचायतें तय समय पर सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेंगी।

प्रशासनिक क्षमता का अभाव

पंचायतों में प्राय: विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षमता का अभाव होता है, ऐसे में पंचायतों को प्रशिक्षण व सशक्तीकरण की सख्त ज़रूरत है।

वित्तीय संसाधनों की कमी

- वित्तीय संसाधन की कमी पंचायतों के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
- पंचायतों को प्राय: कम वित्त का आवंटन किया जाता है जिससे SDG से संबंधित कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए संसाधनों तक उनकी सीमित पहुँच होती है।
- राज्य और केंद्र सरकार के वित्तपोषण पर निर्भरता उनकी स्वायत्तता को सीमित करती है।

निष्कर्ष

- वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए मात्र छह वर्ष बचे हैं। ऐसे समय में पंचायतों को इस लक्ष्य को हासिल करने में शामिल करना एक सराहनीय प्रयास है।
- भारत द्वारा SDG हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को इस दिशा में तेज़ी से काम करना होगा।
- SDG को प्राप्त करने के लिए एक मज़बूत और रियल टाइम निगरानी, मूल्यांकन, प्रशिक्षण की प्रणाली की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण स्थानीय आवश्यकता के आधार पर योजना बना सकें।
- सरकार द्वारा एक नियमित समीक्षा के साथ ही सार्थक व दीर्घकालिक परिवर्तन पर बल दिया जाना चाहिए, जो वास्तव में लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।
- विशेषज्ञों द्वारा SDG हासिल करने के लिए पंचायतों को आर्थिक सहयोग देने की भी वकालत की गई है।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

जन्मपूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण

संदर्भ

हाल ही में देश की शीर्ष चिकित्सा संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association: IMA) के अध्यक्ष आर.वी. अशोकन ने भ्रूण के जन्मपूर्व लिंग निर्धारण को वैध बनाने का आह्वान किया है। जिसके बाद पुन: प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है।

भारत में जन्मपूर्व लिंग निर्धारण की कानूनी स्थिति

- गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques : PCPNDT) अधिनियम को वर्ष 1994 में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए पारित किया गया जिसके तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है।
- इस कानून को वर्ष 2003 में संशोधित कर इसके दायरे का विस्तार किया गया, ताकि गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन पर रोक लगाई जा सके।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- अधिनियम में गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर प्रतिबंध का प्रावधान है।
- यह प्रसव पूर्व निदान तकनीकों, जैसे– अल्ट्रासाउंड मशीन के उपयोग को नियंत्रित करता है तथा उन्हें केवल निम्नलिखित स्थितियों में उपयोग करने की अनुमति देता है जिनमें शामिल हैं–
  - आनुवंशिक असामान्यताएँ
  - चयापचय संबंधी विकार
  - गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएँ
  - कुछ जन्मजात विकृतियाँ
  - हीमोग्लोबिनोपैथी
  - लिंग से जुड़े विकार
- अधिनियम के तहत कोई भी प्रयोगशाला या केंद्र या क्लिनिक भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई भी परीक्षण नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति, गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों या किसी अन्य तरीके से भ्रूण का लिंग नहीं बताएगा।
- इस अधिनियम के तहत शामिल अपराधों में अपंजीकृत इकाइयों में प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन या संचालन में सहायता करना, लिंग परीक्षण, अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए PNDT परीक्षण करना, भ्रूण के लिंग का पता लगाने में सक्षम किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन या किसी अन्य उपकरण की बिक्री, वितरण, आपूर्ति, किराये पर देना आदि शामिल हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो नोटिस, परिपत्र, लेबल, आवरण या किसी दस्तावेज़ के रूप में प्रसव पूर्व और गर्भाधान पूर्व लिंग निर्धारण सुविधाओं के लिए विज्ञापन देता है, या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट रूप में या अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देता है या होर्डिंग, दीवार पेंटिंग, सिग्नल, प्रकाश, ध्वनि के माध्यम से कोई

दृश्य चित्रण करता है, उसे तीन वर्ष तक की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।

लिंग परीक्षण को वैध बनाए जाने संबंधी तर्क

- डॉ. अशोकन के अनुसार, लिंग निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध हटाने से अजन्में बच्चे की सुरक्षा में मदद मिलेगी तथा इससे बालिकाओं की सुरक्षा करने व देश के लिंगानुपात में सुधार करने में मदद मिलेगी।
  - क्योंकि PCPNDT अधिनियम अल्ट्रासाउंड केंद्रों, जेनेटिक लैब और क्लीनिकों के लिए रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य बनाता है।
- IMA अध्यक्ष ने डॉक्टरों को दंडित करने वाले कानून की भी आलोचना की है। इनके अनुसार, इस कानून ने प्रसूति विशेषज्ञों, रेडियोलॉजिस्ट और यहाँ तक कि हृदय रोग विशेषज्ञों के लिए भी समस्याएँ उत्पन्न की है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड, सिंगापुर और दुबई जैसे विभिन्न देशों में लिंग परीक्षण वैध है। ऐसे में भारत को इन देशों के मॉडल पर विचार करना चाहिए।
- वर्ष 2016 में, तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा भी यह प्रस्ताव दिया गया था कि "महिला को अपने अजन्में बच्चे के लिंग पहचान को अनिवार्य रूप से बताया जाना चाहिए। जिसके बाद उनकी इस प्रस्ताव को लेकर कड़ी आलोचना की गई थी।
  - भारतीय रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के अनुसार "लिंग अनुपात में गिरावट चिंता का विषय है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट पर मुकदमा चलाना इसका समाधान नहीं है।
  - उनके अनुसार भ्रूण का लिंग 11-12 सप्ताह में निर्धारित किया जा सकता है, और भारत में 90 % से अधिक गर्भपात दूसरी तिमाही में किए जाते हैं, लेकिन उन्हें पहली तिमाही (12 सप्ताह से पहले) में किया गया दर्ज किया जाता है।
  - गर्भपात से पहले अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि गर्भपात लिंग-चयनात्मक है या नहीं।

विपक्ष में तर्क

- लिंग परीक्षण को वैध बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव उन महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा की संभावना को नज़रअंदाज़ करता है।
  - भ्रूण अवस्था में लिंग निर्धारण केवल पुरुष बच्चे की प्राथमिकता और गर्भावस्था के दौरान व बाद में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के बीच पितृसत्तात्मक गठजोड़ को बढ़ावा दे सकता है।
- गर्भपात या पूर्ण-अवधि गर्भावस्था को बनाए रखने के विकल्प को पूरी तरह से कानून द्वारा तय किया जाना महिलाओं की शारीरिक और प्रजनन स्वायत्तता से समझौता कर सकता है।
- भारत में भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने का कार्य ही समस्याग्रस्त है। वैधीकरण से चिकित्सकों की निदान संबंधी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं और साथ ही, महिलाओं को परिवारों और रिश्तेदारों से मिलने वाले संभावित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक खतरे भी बढ़ सकते हैं।
- यदि परिवारों को कानूनी रूप से लिंग निर्धारण की अनुमति दे दी जाए तो पुत्र को जन्म देना अधिक आसान हो जाएगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार, जन्म से पहले लिंग निर्धारण से कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि के साथ ही, अनिवार्य लिंग निर्धारण जैसे प्रस्ताव महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात की ओर ले जाएगें।
- विशेषज्ञों के अनुसार, समस्या PCPNDT अधिनियम में नहीं बल्कि इसके क्रियान्वयन में है। उनके अनुसार अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की ठीक से निगरानी नहीं की जाती और उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है।

निष्कर्ष

- विशेषज्ञों के अनुसार, यह अधिनियम भारत में घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए लाया गया था और इसमें प्रगति हुई है।
  - भारत में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 933 हो गया। लेकिन आदर्श लिंगानुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 960 या 970 लड़कियाँ हैं जो कि अभी अपने लक्ष्य से दूर है।
- भारत का मौजूदा ढाँचा अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया पर बोझिल प्रतिबंध लगाकर चिकित्सकों के लिए अनावश्यक निदान संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है, हालाँकि, वैधीकरण इस जटिल समस्या को बहुत सरल बना सकता है।
- कन्या भ्रूण हत्या के समाधान बहुआयामी होने चाहिए। इस संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या मौजूदा कानून में नहीं बल्कि इसके उचित कार्यान्वयन की कमी के कारण है जिसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

नवीन प्रौद्योगिकियाँ : रोज़गार और असमानता

संदर्भ

- विगत दो दशकों के दौरान, भारत में तकनीकी परिवर्तन ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उच्च-कुशल श्रम की मांग में वृद्धि जबकि कम-कुशल श्रम के लिए रोज़गार के अवसरों को कम कर दिया है। इस अवधि में अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण पूंजी गहनता भी देखी गई।
- संरचनात्मक बदलावों ने कौशल उन्नयन को बढ़ावा दिया जिससे मध्यम-कुशल श्रम के रोज़गार में सापेक्ष वृद्धि हुई।
  - हालाँकि, कौशल-उन्नयन की यह प्रक्रिया कुल रोज़गार की धीमी वृद्धि के साथ सामने आई है।

- इस अवधि के दौरान विकसित देशों के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी रोज़गार की कौशल संरचना में परिवर्तन की प्रकृति को देखा जा सकता है।

विकसित एवं विकासशील देशों में तकनीकी उन्नयन, रोज़गार और असमानता

विकासशील देश तकनीक का उत्पादन नहीं करते बल्कि, उन्हें विकसित देशों से आयात करते हैं। ऐसे में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी तकनीकी परिवर्तन,सृजित रोज़गार और असमानता संबंधी चिंताएँ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन के समान ही होंगी।

स्वचालन

- तकनीकी उन्नयन के करण स्वचालन तेज़ी से बढ़ा है जिन कार्यों को पहले श्रमिकों द्वारा किया जाता था अब उन कार्यों का स्थान मशीनों ने ले लिया है।
- रोबोट और कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें विनिर्माण में उत्पादन एवं शिल्प श्रमिकों की जगह ले रही हैं वहीं कंप्यूटर प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंटिंग, लिपिकीय/सचिवीय कार्य और लॉजिस्टिक्स सेवा श्रमिकों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं।
  - इस प्रकार नई प्रौद्योगिकियों ने उन क्षेत्रों और उद्योगों में रोज़गार को कम किया है जो नियमित रोज़गार गहन थे।

तकनीकों का कौशलपूरक होना

- वर्तमान में नई तकनीकें अत्यधिक कौशलपूरक साबित हुई हैं, जिनमें समस्या-समाधान कौशल और जटिल संचार कौशल आदि शामिल हैं।
- इस प्रकार, नई तकनीकों ने अमूर्त, रचनात्मक, समस्या-समाधान और समन्वय कार्यों में संलग्न उच्च शिक्षित श्रमिकों के लिए व्यापक रोज़गार भी सृजित किए हैं।
  - इससे प्रबंधकीय, पेशेवर और तकनीकी व्यवसायों में उच्च-कुशल श्रमिकों के रोज़गार में तेज़ी से वृद्धि भी हुई है।

कम प्रभावित क्षेत्र

- नई प्रौद्योगिकियों का परिवहन, निर्माण और खनन जैसे निम्न कौशल एवं वेतन वाली नौकरियों पर बहुत कम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है क्योंकि इन नौकरियों में नियमित कार्य अपेक्षाकृत कम होते हैं।
- इसके अलावा सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाओं में कम कौशल वाले श्रमिकों के लिए तकनीकी परिवर्तन भी बहुत कम प्रासंगिक रहा है।
  - उदाहरण के लिए, रेस्तरां सेवा श्रमिकों, घरेलू सहायकों, खुदरा बिक्री श्रमिकों, सुरक्षा गार्डों, चौकीदारों, माली, सफाईकर्मियों, घरेलू स्वास्थ्य सहायकों, देखभाल श्रमिकों, हेयरड्रेसर और डिलीवरी श्रमिकों की नौकरियाँ नई प्रौद्योगिकियों से अप्रभावित रहीं हैं।

उच्च कौशल की मांग में वृद्धि

नई प्रौद्योगिकियों ने वेतन में कौशल प्रीमियम (उच्च कौशल वेतन और निम्न कौशल वेतन का अनुपात) में वृद्धि की है, क्योंकि इससे उच्च शिक्षित लोगों की मांग में तेज़ी जबकि मध्यम शिक्षित लोगों की मांग में गिरावट आई है। जिससे श्रम-आय असमानता में भी वृद्धि हुई है।

श्रम भागीदारी में गिरावट

- नई प्रौद्योगिकियों ने श्रम की कीमत पर पूंजी को लाभ पहुँचाया। 1980 के दशक की शुरुआत से लेकर अब तक, राष्ट्रीय आय में पूंजी की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, जबकि सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में श्रम की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
  - श्रम की हिस्सेदारी में गिरावट का कारण मध्यम-कुशल श्रम के सापेक्ष रोज़गार और मज़दूरी में गिरावट को माना जा सकता है।

आय असमानता में वृद्धि

1980 के बाद की अवधि के दौरान सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आय असमानता में तेज़ी से वृद्धि हुई। आय असमानता की वृद्धि, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक थी।

भारत की स्थिति

- अधिकांश विकासशील देशों की तरह भारत भी विकसित देशों से प्रौद्योगिकी का आयातक रहा है और वर्तमान में भी बना हुआ है।
- प्रौद्योगिकी आयात पर इस निर्भरता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल हैं–
  - **प्रौद्योगिकीय परिवर्तन :** इसमें उन्नत देशों में विकसित तथा वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए पूंजीगत वस्तुओं का आयात शामिल है। यह अर्थव्यवस्था के खुलेपन से काफी सुगम हो जाता है।
  - भारत की अर्थव्यवस्था में श्रम आपूर्ति की स्थिति तकनीकी परिवर्तन की विशेषताओं को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है।
  - विकसित देशों से आयातित प्रौद्योगिकियाँ अनिवार्य रूप से कौशल-पक्षपाती (skill-biased) होती हैं, इसलिए भारत में तकनीकी परिवर्तन भी अनिवार्य रूप से कौशल-पक्षपाती होता है, भले ही भारत में अकुशल/कम-कुशल श्रम की प्रचुर आपूर्ति हो।
- प्रौद्योगिकी आयात की मांग भारत की अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि के पैटर्न पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, तेज़ी से बढ़ते उद्योग और क्षेत्र तीव्र तकनीकी परिवर्तन का अनुभव करते हैं।

तकनीकी उन्नयन से रोज़गार पर पड़ने वाले प्रभाव

रोज़गार की कौशल संरचना में परिवर्तन

- तकनीकी परिवर्तन का रोज़गार की कौशल संरचना पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा है जहाँ कुल रोज़गार में निम्न कौशल रोज़गार की हिस्सेदारी में कमी, जबकि मध्यम और उच्च कौशल रोज़गार की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है।
- स्पष्ट रूप से, भारत की अर्थव्यवस्था में रोज़गार की कौशल संरचना में परिवर्तन का पैटर्न उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से काफी अलग रहा है।
    - एक ओर जहाँ भारत में निम्न कौशल रोज़गार में कमी आई है वहीं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह काफी तेज़ी से बढ़ा है।
    - भारत में मध्यम-कुशल रोज़गार में वृद्धि, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निरपेक्ष रूप से कमी दर्ज की गई है।

तकनीकी परिवर्तन और आय असमानता

- भारत में 1990 के दशक की शुरुआत से आय असमानता में वृद्धि हुई है, यह वृद्धि वर्ष 2000 से 2018 के बीच काफी तेज़ी से बढ़ी है।
- विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, तकनीकी परिवर्तन ने दो प्रकार से आय असमानता को बढ़ाया है जिसमें नौकरी में कौशल उन्नयन और लैंगिक विभेद शामिल हैं। इसी रूप में भारत में भी इसी प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं।

प्रौद्योगिकी और श्रम-आय असमानता

तकनीकी परिवर्तन और पूंजी गहनता ने मूलतः रोज़गार असमानता के साथ ही श्रम-आय असमानता को भी बढ़ा दिया है।

श्रम एवं पूंजी पर प्रभाव

- तकनीकी उन्नयन से सकल मूल्य वर्द्धन (Gross Value Addition: GVA) में पूंजी की हिस्सेदारी में भी बदलाव आया है।
- तकनीकी परिवर्तन के कारण समग्र अर्थव्यवस्था में श्रम की हिस्सेदारी में गिरावट जबकि पूंजी की हिस्सेदारी में थोड़ी वृद्धि हुई है।
    - यह वृद्धि मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पूंजी गहनता के कारण है, जिनमें महत्त्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन नहीं हुआ।
    - हालाँकि, इस बात के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि अध्ययन अवधि के दौरान तकनीकी परिवर्तन ने GVA में पूंजी की हिस्सेदारी को किसी महत्त्वपूर्ण सीमा तक बढ़ाया है।
- आँकड़ों के अनुसार, भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा स्व-रोज़गार में संलग्न है। ऐसे में इस अवधि के दौरान समग्र अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रम की हिस्सेदारी में थोड़ी ही गिरावट आई है जिसका प्रभाव मुख्य रूप से कृषि, खनन और उत्खनन, व निर्माण आदि क्षेत्रों पर पड़ा है।

पूर्वोत्तर भारत के लिए आर्थिक रोडमैप

संदर्भ

भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अनुकूल भूमि-मानव अनुपात, समृद्ध संसाधन संपदा और वृद्धि एवं विकास की उच्च क्षमता के बावजूद प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इसके कारणों में भौगोलिक अवस्थिति, आबादी का विभाजन और ध्रुवीकरण आदि हैं। ऐसे में उत्तर-पूर्व के लिए एक आर्थिक रोडमैप की आवश्यकता है जिससे इन राज्यों का मुख्य भूमि राज्यों के साथ संयोजन हो सके।

पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़ेपन के कारण

- **प्रचुर संसाधन और विकास का अभाव :** आज़ादी के बाद से ही इस क्षेत्र में विकास की कोई भी एकीकृत रणनीति नहीं रही है जिसके कारण यह क्षेत्र ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दर्शाता है।
- **कनेक्टिविटी :** भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी की कमी विकास को प्रभावित करता है जो यहाँ के पिछड़ेपन का भी कारण बनता है।
- **अशांत पड़ोस :** पूर्वोत्तर राज्यों में हमारे पड़ोसी तिब्बत, म्याँमार और बांग्लादेश आदि में नागरिक संघर्ष एवं राजनीतिक अस्थिरता लगातार रही है जो तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनुकूल नहीं हैं।
- **नृजातीय संघर्ष :** पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकांश राज्य अपने नागरिकों के बीच किसी-न-किसी प्रकार के संघर्ष का सामना करते हैं। इस प्रकार के संघर्ष भी आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पूर्वोत्तर के लिए आर्थिक रोडमैप

- **अवसंरचनात्मक विकास :** पूर्वोत्तर के लिए किसी भी आर्थिक रोडमैप का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक भौतिक अवसंरचना है जिसमें सड़कें, रेलवे एवं हवाई संपर्क आदि आते हैं। पहाड़ी इलाकों, विशाल नदियों और तय लंबी दूरी को देखते हुए सड़कें व रेलमार्ग बनाना आठ पूर्वोत्तर राज्यों की वित्तीय क्षमताओं से परे है। ऐसे में कम आबादी वाले उत्तर-पूर्व में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की स्पष्ट आवश्यकता है।
- **बेहतर कनेक्टिविटी :** आर्थिक विकास के लिए पूर्वोत्तर को न केवल देश के बाकी हिस्सों की तुलना में, बल्कि विदेशों की तुलना में भी अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी की कमी से परिवहन लागत बढ़ जाती है, बाहर से लाए गए सामानों की कीमतें बढ़ जाती हैं व स्थानीय रूप से उत्पादित तथा बाहर बेचे जाने वाले सामानों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।
- **स्थानीय इनपुट के साथ उच्च-मूल्य एवं कम-मात्रा उत्पादन :** पूर्वोत्तर राज्यों को ज़्यादातर स्थानीय इनपुट का उपयोग करके उच्च-मूल्य एवं कम-मात्रा उत्पादन संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित

करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में फसल कृषि से बागवानी, फूलों की खेती, फलों, मसालों, मत्स्यपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, डेयरी एवं बकरी पालन में क्षेत्र के कृषि-जलवायु लाभ का उपयोग करने की काफी संभावनाएँ हैं।

- यह क्षेत्र पहले से ही कुछ उच्च गुणवत्ता वाले मसालों का उत्पादन कर रहा है। कृषि-उत्पादन संरचना में बदलाव से जलवायु-नियंत्रित कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उपज की जीवंत छंटाई एवं भंडारण को भी बढ़ावा मिलेगा।

- **पर्यटन उद्योग को बढ़ावा :** यात्रा एवं पर्यटन उद्योग वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 10.4% का योगदान देता है और दुनिया भर में हर 10 लोगों में से एक को रोज़गार देता है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो सकती है। ऐसे में पर्यटन के इस अवसर में उत्तर-पूर्व एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - इस क्षेत्र की आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता, कई वन्यजीव अभयारण्य और समृद्ध संस्कृति आपस में मिलकर उत्तर-पूर्व को कई लोगों के लिए संभावित रूप से अनूठा आकर्षण का केंद्र बनाती है।
- **राजकोषीय शासन में सुधार :** विकास और संबंधित सरकारी हस्तक्षेप के लिए राजकोषीय संसाधनों की आवश्यकता होती है क्योंकि पूर्वोत्तर के सभी राज्य राजकोषीय रूप से तनावग्रस्त हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात के रूप में उनका सकल राजकोषीय घाटा (GFD) सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के औसत से अधिक होता है। ऐसे में पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बेहतर राजकोषीय सुधार की आवश्यकता है।
- **जल-विद्युत का दोहन :** भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य अपनी पहाड़ी स्थलाकृति और बारहमासी नदियों के साथ देश में सबसे बड़ी जल-विद्युत क्षमता (लगभग 40%) रखता है और इस क्षेत्र को भारत का 'भविष्य का बिजलीघर' कहा गया है।
  - इस क्षेत्र मे पंप स्टोरेज योजनाओं को छोड़कर भारत की कुल 1,45,320 मेगावाट जल-विद्युत क्षमता का केवल एक-तिहाई ही उपयोग किया गया है। ऐसे में पूर्वोत्तर के बेहतर आर्थिक रोडमैप के लिए जल-विद्युत क्षमता के अधिकतम दोहन करने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास देश के समग्र विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक अवस्थिति, राज्यों की आंतरिक समस्याएँ, पड़ोसी देशों से सीमाएँ साझा करने जैसे सभी मुद्दों के कारण यहाँ का विकास बाधित हुआ है। ऐसे में एक बेहतर आर्थिक रोडमैप इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा जिसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होगी।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था मापन संबंधी मुद्दे व चुनौतियाँ

संदर्भ

भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिशीलता को आकार देने, आजीविका प्रदान करने व समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था प्रायः अपनी अपंजीकृत, अनियमित एवं अनिर्दिष्ट प्रकृति के कारण पारंपरिक सांख्यिकीय ढाँचे के भीतर माप और विश्लेषण में अद्वितीय चुनौतियाँ पेश करती है। इस संदर्भ में इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य श्रमिकों एवं आर्थिक इकाइयों द्वारा की जाने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों से है, जो किसी कानून या व्यवहार में औपचारिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह मुख्य रूप से उच्च बेरोज़गारी, अल्परोज़गार, गरीबी, लैंगिक असमानता और अनिश्चित कार्य के संदर्भ में पनपती है।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक दायरा शामिल है जो औपचारिक विनियमन और संस्थागत ढाँचे के दायरे से बाहर संचालित होता है। इसमें अनौपचारिक रोज़गार, अपंजीकृत व्यवसाय, अघोषित कार्य और विभिन्न अन्य लेनदेन शामिल होते हैं, जो सरकारी निगरानी और कराधान से परे संचालित होते हैं। इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र प्राय: औपचारिक के साथ-साथ जुड़ता है साथ ही, इसकी गतिशीलता को प्रभावित करता है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे- स्ट्रीट वेंडिंग, लघु स्तरीय विनिर्माण, कृषि एवं सेवाएँ आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी ढाँचे में अर्थव्यवस्था के संगठित (औपचारिक) क्षेत्रों में मोटे तौर पर कारखाना अधिनियम और/या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत खनन, विनिर्माण और गैर-विनिर्माण उद्यम गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इन गतिविधियों में लगे सार्वजनिक एवं निजी निगम भी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। संगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों की जानकारी या डाटा नियमित रूप से उनकी वार्षिक रिपोर्टों और/या बजट दस्तावेज़ों से उपलब्ध होता है।
  - भारतीय आधिकारिक आँकड़ों में संगठित क्षेत्र को मुख्य रूप से इस क्षेत्र पर नियमित डाटा या सूचना की उपलब्धता के आधार पर परिभाषित किया गया है। इसके विपरीत अन्य सभी परिचालन या उत्पादक आर्थिक इकाइयों को अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के संयुक्त अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कार्य दल के अनुसार, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से उभरती

अर्थव्यवस्थाओं में, उत्पादन योगदान और रोज़गार सृजन में इसके महत्त्व के कारण केंद्रबिंदु बनी हुई है। इसके अलावा, नई आर्थिक गतिविधियाँ उभर रही हैं जो पूरी तरह से औपचारिक नहीं हैं जिससे अनौपचारिक क्षेत्र का महत्त्व बढ़ रहा है।

- ये अनौपचारिक उत्पादन गतिविधियाँ अनेक व्यक्तियों को रोज़गार और आय प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हालाँकि वे प्राय: बहुत कम आय अर्जित करते हैं। यह श्रमिकों के लिए कम स्थिर होती है क्योंकि अनौपचारिक श्रमिकों और उद्यमों को अधिक औपचारिक क्षेत्रों में दी जाने वाली सुरक्षा का अभाव होता है जिससे वे आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली फ्रेमवर्क में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का उदय

- राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (System of National Accounts - SNA) को पहली बार वर्ष 1953 में पेश किया गया और वर्ष 1968 में संशोधित किया गया। हालाँकि, औपचारिक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद एवं रोज़गार प्रदान करने में एक बड़ा हिस्सा उत्पन्न होने के बावजूद भी वर्ष 1990 तक भी इसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। वर्ष 1993 में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कल्याणकारी प्रभावों पर विचार करते हुए अनौपचारिक क्षेत्र को इस ढाँचे में घरेलू क्षेत्र के एक उप-क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था।
- राष्ट्रीय लेखा प्रणाली ढाँचे के भीतर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों की एक विविध श्रेणी के रूप में समझा जा सकता है जो औपचारिक क्षेत्र के बाहर संचालित होती हैं और सरकारी विनियमन या निगरानी के अधीन नहीं होती हैं। इन गतिविधियों में स्ट्रीट वेंडिंग, अपंजीकृत व्यवसाय, घरेलू कार्य एवं छोटे पैमाने के उद्यम शामिल हैं किंतु ये यहीं तक सीमित नहीं हैं।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था प्राय: ऐसे वातावरण में पनपती है जहाँ औपचारिक रोज़गार के अवसर सीमित होते हैं और विनियामक बाधाएँ व्यक्तियों एवं व्यवसायों के लिए औपचारिक क्षेत्र के भीतर काम करना चुनौतीपूर्ण बना देती हैं।
- वर्ष 2008 में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली ने 'अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक पहलू' शीर्षक से एक अलग अध्याय शामिल करके अनौपचारिक क्षेत्र के महत्त्व को स्वीकार किया जिसमें न केवल अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा दी गई, बल्कि राष्ट्रीय लेखा ढाँचे में अनौपचारिक क्षेत्र के उपचार पर मार्गदर्शन भी दिया गया।
- भारतीय असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के प्रमुख घटकों में स्वयं के खाते वाले श्रमिकों द्वारा संचालित घरेलू स्वयं के खाते वाले उद्यम और किराये के श्रमिकों को रोज़गार देने वाले गैर-निगमित उद्यम (अनिवार्य रूप से स्वामित्व एवं साझेदारी उद्यम) शामिल हैं। हालाँकि, आंशिक या पूर्ण खातों को बनाए रखने वाले गैर-निगमित उद्यमों को अर्द्ध-कॉर्पोरेट माना जाता है और भारतीय आधिकारिक आँकड़ों में संगठित या औपचारिक क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है।

अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ

- **गरीबी और ऋणग्रस्तता :** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तुलना में कम आय प्राप्त होती है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में आय का निम्न स्तर व अनिश्चित रोज़गार श्रमिकों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों तथा अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ बनाता है।
- **उच्च असमानता :** समान कौशल वाले श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में अपने औपचारिक क्षेत्र के साथियों की तुलना में कम कमाते हैं और औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रमिकों के बीच वेतन का अंतर निम्न कौशल स्तरों पर अधिक होता है।
- **न्यूनतम मज़दूरी में अनियमितताएँ :** असंगठित क्षेत्र में रोज़गार की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए किए गए अधिकांश अध्ययनों में श्रमिकों के वेतन स्तर और आय की जाँच की गई है और पाया गया है कि अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक मज़दूरी न्यूनतम मज़दूरी दर से कम है।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव :** कई बार ऐसा होता है कि बीमारी या बुढ़ापे जैसे जैविक कारणों या दुर्घटना जैसी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण जब कोई कर्मचारी आर्थिक रूप से सक्रिय नहीं हो पाता है तो ऐसे संकटों के समय जोखिम कवरेज प्रदान करने और बुनियादी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा उपाय नहीं हैं।
- **लैंगिक पूर्वाग्रह :** अनौपचारिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जिसमें महिलाओं के लिए कठिन काम, निम्न कार्य सुरक्षा और कम वेतन आदि शामिल हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र में मापन संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ

- कुल अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन, व्यापार चक्रों और सामान्य मूल्य स्तरों पर उनके प्रभाव को समझने में महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) को सटीक रूप से मापन में निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं–
  - कार्यों की विविधता
  - विश्वसनीय डाटा की कमी
  - अनौपचारिक इकाइयों की पहचान में समस्याएँ
  - एकीकृत पद्धति का अभाव
- **SNA की उत्पादन सीमा के तहत असंगठित या अनौपचारिक इकाइयों की पहचान करना :** राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में उत्पादन सीमा, सामान्य उत्पादन सीमा की तुलना में संकरी (Narrow) है। कुछ अपवादों के साथ, व्यक्तिगत उपयोग के लिए सेवाएँ

उत्पन्न करने वाली घरेलू गतिविधियाँ राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की उत्पादन सीमा की अवधारणा से बाहर कर दी गई हैं। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के अनुसार, कोई निश्चित मानदंड नहीं है जो अनौपचारिक इकाई को निर्धारित कर सके।

- **GVA का सटीक अनुमान लगाना :** अनौपचारिक क्षेत्र के GVA का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसकी प्रकृति असंरचित है और औपचारिक तंत्रों का अभाव है। हालाँकि, अनौपचारिक क्षेत्र के GVA का अनुमान लगाने का एक सामान्य तरीका श्रम इनपुट विधि के माध्यम से है। इस विधि में आउटपुट का अनुमान प्रति कर्मचारी आउटपुट और नियोजित श्रमिकों की संख्या के उत्पाद के रूप में लगाया जाता है। हालाँकि, यह विधि अलग-अलग उत्पादकता वाले श्रमिकों के बीच अंतर नहीं करती है।
- **विश्वसनीय डाटा का अभाव :** अनौपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में विश्वसनीय डाटा का अभाव है जिससे इस क्षेत्र को लेकर सटीक मापन में अनेक कठिनाइयाँ देखी जा सकती हैं।
- **कार्यों की विविधता :** असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यों में अनेक विविधताएँ हैं इसके अंतर्गत सड़कों पर ठेला लगाने से लेकर मोटरबाइक द्वारा लोगों या सामान का परिवहन करना, कपड़े, जूते या मोटर स्कूटर की मरम्मत करना आदि गतिविधियों के अलावा अनेक प्रकार की व्यक्तिगत सेवाएँ, जैसे– केश-सज्जा, भविष्य बताना, जूते साफ करना, नुक्कड़-नाटक, घर की सफाई, इत्यादि शामिल हैं। हालाँकि, यह क्षेत्र यहीं तक सीमित न होकर और भी विविधता को समेटे हुए है।

निष्कर्ष

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अनेक समस्याएँ विकासशील देशों में अधिक स्पष्ट हैं, जहाँ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से उत्पादन और रोज़गार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को मापने के लिए नई उभरती गतिविधियों को आधिकारिक आँकड़ों में शामिल करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

साइन्स रिपोर्टर

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

संदर्भ

- अंतरिक्ष यात्रा की घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्षयान की अप्रत्याशित तकनीकी विफलता के कारण नासा के दो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं।
- यह परिदृश्य, सनसनीखेज़ विज्ञान कथा की याद दिलाता है जिसने विश्व की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सक्षम और अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों पर दुनिया का ध्यान केंद्रित किया है।
- जहाँ एक ओर यह घटना अंतरिक्ष यात्रा के खतरों को प्रमुखता से दर्शाती है तो वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की आवश्यक दृढ़ता को भी रेखांकित करती है।

बोइंग स्टारलाइनर उड़ान का घटनाक्रम

- वर्षों के विलंब के बाद 5 जून, 2024 को बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्षयान की पहली समानव परीक्षण उड़ान का प्रक्षेपण किया गया।
  - इसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को-पायलट और बैरी "बुच" विल्मोर को कमांडर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया।
  - अपने प्रक्षेपण के एक दिन बाद स्टारलाइनर ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक किया।
  - मूलतः यह मात्र 8 दिन की एक छोटी यात्रा थी परंतु, स्टारलाइनर की प्रणोदन प्रणाली में खराबी और संचार संबंधी गड़बड़ी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी यात्रा पहले स्थगित और अंततः रद्द कर दी गई।
- इस प्रकार नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए 8 दिन की छोटी अंतरिक्ष यात्रा 8 महीने के दुःस्वप्न में बदल गई है।

बोइंग स्टारलाइनर की तकनीकी गड़बड़ियों का विश्लेषण

बोइंग स्टारलाइनर को ऑर्बिटल लाइट के दौरान कई विशिष्ट तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हाइड्रोजन रिसाव और थ्रस्टर अंडरपरफॉर्मेस सहित कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं :

- **हाइड्रोजन रिसाव :** सर्विस मॉड्यूल में हाइड्रोजन रिसाव देखा गया। रिसाव का पता प्रणोदन प्रणाली में एक दोषपूर्ण वाल्व से लगाया गया, जिसने ईंधन प्रणाली की अखंडता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कीं।
- **थ्रस्टर का खराब प्रदर्शन :** रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम (RCS) थ्रस्टर्स ने उड़ान के दौरान अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया। बारह RCS थ्रस्टर्स में से दो ने खराब प्रदर्शन किया। इस खराब प्रदर्शन ने अंतरिक्षयान की कौशल्य संचालन (Maneuvering) क्षमता को सीमित कर दिया जिससे इसके प्रक्षेपवक्र और डॉकिंग क्षमताओं पर असर पड़ा।
- **सॉफ्टवेयर विसंगति :** एक महत्त्वपूर्ण सॉफ्टवेयर समस्या के कारण मिशन क्लॉक टाइमिंग गलत हो गई। इस टाइमिंग त्रुटि के कारण समय से पहले थ्रस्टर जल गया, जिसने अंतरिक्षयान

को आई.एस.एस. के साथ अपनी नियोजित डॉकिंग प्रक्रिया को निष्पादित करने से रोक दिया।

- **संचार समस्याएँ :** महत्त्वपूर्ण उड़ान चरणों के दौरान संचार समस्याएँ देखी गईं। इन समस्याओं ने मिशन नियंत्रण के साथ स्पष्ट, निरंतर संचार बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित किया, जो वास्तविक समय की निगरानी एवं निर्णय लेने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

बोइंग स्टारलाइनर के मानवरहित ऑर्बिटल लाइट के वापसी चरण के दौरान भी जो 7 सितंबर, 2024 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, कई मुद्दों का पता चला:

- **पुन: प्रवेश संचार :** पुन: प्रवेश चरण के दौरान संचार हानि के कुछ उदाहरण थे, जो अंतरिक्षयान की प्रणालियों और प्रक्षेप पथ की निगरानी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसने पुन: प्रवेश के तनाव के तहत संचार प्रणालियों की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कीं।
- **डाटा प्रोसेसिंग में देरी :** टेलीमेट्री डाटा को प्रोसेस करने में देरी देखी गई जिससे ग्राउंड टीम की अंतरिक्षयान की स्थिति के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित हुई।
- **पैराशूट की तैनाती का समय :** यद्यपि पैराशूट की तैनाती सफल रही लेकिन तैनाती के समय और अनुक्रम के बारे में चिंताएँ थीं, जो सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम :** थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से संबंधित कुछ छोटी-मोटी समस्याएँ देखी गईं, हालाँकि वे तत्काल सुरक्षा जोखिम उत्पन्न नहीं करती थीं।

बोइंग स्टारलाइनर उड़ान का महत्त्व

- यद्यपि बोइंग स्टारलाइनर को कई महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन भविष्य की मानव अंतरिक्षयान उड़ानों के लिए सुधारात्मक उपाय लागू करने के लिए मूल्यवान डाटा और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है।
- यह संकट अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद निरंतर सतर्कता, नवाचार और अप्रत्याशित के लिए तैयारी की आवश्यकता पर बल देता है जो अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोटोकॉल में आगे की प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है।
    - इससे सीख लेकर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियाँ निसंदेह आपातकालीन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और ऐसी विसंगतियों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए भविष्य के अंतरिक्षयानों को डिज़ाइन करेंगी।

समानव अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियाँ

- मानव मिशन का संबंध अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा से है, वहाँ किसी भी त्रुटि या खराबी के लिए कोई स्थान नहीं है।
- अंतरिक्ष वातावरण बहुत कठोर है जहाँ गुरुत्वाकर्षण एवं वायुमंडल के अभाव के साथ ही विकिरण का खतरा है।
- समानवयान में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी तत्त्वों और उप-प्रणाली के लिए बहुत सावधानीपूर्वक सत्यापन की आवश्यकता होती है। अब तक, समानवयान दुर्घटनाओं में चालक दल के 22 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है।
- अंतरिक्ष में फंसे होने के मनोवैज्ञानिक पहलू को कम करके नहीं आंका जा सकता। यद्यपि अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अकेले रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन सुप्रशिक्षित व्यक्ति भी अनपेक्षित अनिश्चितता के माहौल में मानसिक तनाव से जूझ सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) निम्न भू-कक्षा में एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। यह अंतरिक्ष में मानव द्वारा स्थापित अब तक की सबसे बड़ी और जटिल संरचना है, जो 16 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली पाँच अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का परिणाम है। जिसमें शामिल हैं:
    - **नासा :** नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
    - **रोस्कोस्मोस :** रशियन स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज़
    - **जाक्सा :** जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी
    - **ईसा :** यूरोपीय स्पेस एजेंसी
    - **सीएसए :** कनाडाई स्पेस एजेंसी
- अंतरिक्ष स्टेशन का स्वामित्व एवं उपयोग अंतर-सरकारी संधियों और समझौतों द्वारा किया जाता है।
- अंतरिक्ष स्टेशन मानव शरीर पर अंतरिक्ष जोखिम के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जैसे- माँसपेशियों का अपकर्ष, अस्थि क्षय और तरल पदार्थ विस्थापन।
    - सूक्ष्मगुरुत्व में प्राय: अंतरिक्ष यात्रियों के अभिविन्यास, दृष्टि, माँसपेशियों की ताकत, एरोबिक क्षमता और अस्थि घनत्व का ह्रास देखा गया है।
- वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की लागत का अनुमान 150 अरब अमेरिकी डॉलर लगाया गया था, जो इसे अब तक की सबसे महँगी एकल वस्तु बनाती है।

अग्निकुल का अग्निबाण : भारतीय अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र

संदर्भ

चेन्नई की अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने 30 मई, 2024 को श्रीहरिकोटा में अपने खुद के लॉन्च पैड से 3डी मुद्रित अर्द्ध-क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण की सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान पूरी की। यह ऐसा करने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी बन गई है। अग्निकुल कॉसमॉस का 22 मार्च, 2024 के बाद SOrTeD

(अग्निबाण उप-कक्षीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शक) को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का यह पाँचवां प्रयास था, जिसे भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

अग्निबाण रॉकेट की प्रमुख विशेषताएँ

- अग्निकुल कॉसमॉस द्वारा विकसित 'अग्निबाण' भारत का एक अद्वितीय 3डी मुद्रित अर्द्ध-क्रायोजेनिक रॉकेट है, जो पूरी तरह से वेल्डिंग के बिना निर्मित है। यह निर्माण प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाता है।
- यह रॉकेट अपने लचीलेपन के लिए जाना जाता है क्योंकि इसे किसी भी लॉन्च पैड पर स्थापित किया जा सकता है और इसके बाद रॉकेट पर स्थापित किया जा सकता है।
- इस रॉकेट को अंतत: श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड ए.एल.पी.-01 से लॉन्च किया गया, जो भारत के अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की प्रगति को दर्शाता है।
- अग्निबाण को किसी भी लॉन्च पैड पर आसानी से स्थापित और लॉन्च किया जा सकता है। इसका यह लचीलापन इसे विभिन्न स्थानों से लॉन्च करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह 100 किग्रा. तक के पेलोड को 700 किमी. की कक्षीय ऊँचाई तक भेजने की क्षमता रखता है जिससे यह छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त है।
- अग्निबाण का डिज़ाइन मॉड्यूलर है जिसे आवश्यकतानुसार अलग-अलग मिशन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
- अग्निबाण पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया है, जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है।
- 3डी मुद्रित और मॉड्यूलर डिज़ाइन के उपयोग से अग्निबाण रॉकेट के निर्माण और लॉन्च लागत अपेक्षाकृत कम रहती है जिससे यह छोटे उपग्रहों को किफायती तरीके से अंतरिक्ष में भेजने के लिए आदर्श स्थिति है।
- ये विशेषताएँ अग्निबाण को आधुनिक और उन्नत रॉकेटों में शामिल करती हैं, जो भारत की अंतरिक्ष तकनीक को एक नई दिशा में ले जाएगी।

भारतीय दृष्टिकोण

भारत के दृष्टिकोण से निजी लॉन्च सेवाएँ अंतरिक्ष अन्वेषण और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार में एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने दशकों तक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाई है, लेकिन अब निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत की अंतरिक्ष क्षमताएँ और भी बढ़ गई हैं। इसके कई कारण इस प्रकार हैं:

- **अंतरिक्ष उद्योग में आत्मनिर्भरता :** निजी लॉन्च सेवाएँ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। स्वदेशी तकनीक और नवाचार के साथ, भारतीय कंपनियाँ अब रॉकेट और उपग्रहों का निर्माण व प्रक्षेपण तेज़ी से कर रही हैं जिससे विदेशी लॉन्च सेवाओं पर निर्भरता कम हो रही है।
- **स्टार्टअप्स का उदय :** भारत में निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स का तेज़ी से उदय हो रहा है। ये स्टार्टअप्स उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अन्वेषण, और डाटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं।
- **वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा :** निजी लॉन्च सेवाओं ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बनाया है। भारतीय निजी कंपनियाँ कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली लॉन्च सेवाएँ प्रदान कर रही हैं जिससे दुनिया भर के छोटे और बड़े देशों को किफायती उपग्रह प्रक्षेपण का अवसर मिल रहा है।
- **नवाचार और तकनीकी उन्नति :** भारत के निजी क्षेत्र ने नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के लिए, 3डी मुद्रित रॉकेट, अर्द्ध-क्रायोजेनिक इंजन, और पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियाँ जैसी उन्नत तकनीकें भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को विश्वस्तरीय बना रही हैं।
- **अंतरिक्ष तक आसान पहुँच :** निजी लॉन्च सेवाओं ने अंतरिक्ष तक पहुँच को आसान बना दिया है। छोटे उपग्रहों, अनुसंधान संस्थानों, और विश्वविद्यालयों के लिए निजी कंपनियाँ किफायती और सुविधाजनक प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।
- **भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि :** निजी क्षेत्र की भागीदारी और सफल अंतरिक्ष प्रक्षेपणों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी सुदृढ़ किया है।
- **रोज़गार और आर्थिक विकास :** निजी अंतरिक्ष कंपनियों का उदय रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्रोत बन रहा है। अंतरिक्ष उद्योग में नई नौकरियाँ सृजित हो रही हैं जिससे भारत के युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को अधिक अवसर मिल रहे हैं।
- **सरकारी एजेंसियों का समर्थन :** इसरो और अन्य सरकारी एजेंसियाँ निजी क्षेत्र के साथ सहयोग कर रही हैं जिससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में समग्र विकास हो रहा है। निजी कंपनियाँ व्यावसायिक प्रक्षेपण और छोटे मिशनों का संचालन कर रही हैं, जबकि इसरो बड़े वैज्ञानिक मिशनों व अनुसंधान परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

निष्कर्ष

निजी लॉन्च सेवाएँ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ला रही हैं। ये सेवाएँ न केवल भारत को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि देश को वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही हैं। नवाचार, लागत-कुशलता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के साथ, भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र आने वाले वर्षों में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिससे

भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण और व्यावसायिक गतिविधियों में तेज़ी से विस्तार होगा।

पौधा संरक्षण व उन्नत प्रजाति विकास और आई.एल.पी. मार्कर

संदर्भ

डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड (DNA) जीवित प्राणियों में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। डी.एन.ए. की आनुवंशिक जानकारी को दो विशेषताओं से समझा जा सकता है; पहला यह एक पॉलिमर है जो डबल हेलिकल स्ट्रिंग के रूप मे मौजूद होता है और दूसरा एक टेप जिसमें आनुवंशिक सूचना संगृहीत होती है जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) और प्रोटीन अणुओं के सिक्वेंस को एनकोड करता है एवं सूचना को पैकेज तथा एक्ससेबल रूप में संगृहीत करने की अनुमति प्रदान करता है। मॉलिक्यूलर मार्कर अपनी स्थिरता की विशेषता, आसानी से उपयोग आने के कारण जीनोम मैपिंग, जीन टैगिंग, जेनेटिक डायवर्सिटी, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस और फॉरेंसिक जाँच सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए बेहतर उपकरण माने जाते हैं।

इन्ट्रोन लेंथ पॉलीमॉर्फिज़्म (ILP) मार्कर

- आई.एल.पी. एक नवीन तकनीक है जो एक्सॉन इन्ट्रोन जीन की संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर आणविक मार्कर की उत्पत्ति निर्धारित करने में सक्षम है। आई.एल.पी. दो तत्त्वों– एक्सॉन इन्ट्रोन के विकास की विभिन्न दर का उपयोग करता है जिसके परिणामस्वरूप संरक्षित एक्सॉन न्यूक्लियोटाइडस सीक्वेंसिंग अधिक परिवर्तनशील इन्ट्रोन सिक्वेंस से दृढ़ता से जुड़ा होता है और यह उन आनुवंशिक स्थान पर होने के लिए दिखाया जाता है जो कि हाउसकीपिंग जीनों को कोड कर सकता है।
- आई.एल.पी. एक ऐसा मार्कर है जो कि जीन क्षेत्र में पॉलीमॉर्फिज़्म की पहचान करता है जबकि, अन्य मार्कर की खोज जीनोमिक रीज़न में की गई है। आई.एल.पी. मार्कर का विकास सबसे ज़्यादा स्थिर इन्ट्रोन पर किया जाता है, क्योंकि इन्ट्रोन एक्सॉन की तुलना में ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज़्म होते हैं। मार्कर की वर्सेटालिटी और त्वरितता (Rapidity) के कारण जब आनुवंशिक दूरी के माप में कम सटीकता होती है तब भी विश्लेषण सबसे कम टैक्सोनोमिक स्तर पर किया जाता है।
- इस प्रकार आई.एल.पी. मार्कर (Intron length Polymorphism marker) एक प्रकार का आनुवंशिक संकेत है जिसका उपयोग वैज्ञानिक पौधों के जीनोम का पता लगाने और समझने के लिए करते हैं।

यह क्यों मायने रखता है

- आई.एल.पी. मार्कर गुप्त कोड की तरह होते हैं जो बताते हैं कि पौधे कैसे संबंधित हैं या समय के साथ उनका विकास कैसे हुआ है।
- इन मार्करों का अध्ययन करके, वैज्ञानिक पौधों की विविधता को समझ सकते हैं, फसल प्रजनन में सुधार कर सकते हैं और यहाँ तक कि बेहतर किस्में भी विकसित कर सकते हैं।

इन्ट्रोन : जीन के अंदर, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें इन्ट्रोन कहा जाता है। उन्हें गैर-कोडिंग सेगमेंट के रूप में सोचें जैसे वाक्य में शब्दों के बीच अतिरिक्त स्थान।

आई.एल.पी. मार्कर : वैज्ञानिक विभिन्न पौधों के बीच इन इन्ट्रोन क्षेत्रों की तुलना करते हैं। जब उन्हें इन्ट्रोन की लंबाई में भिन्नता मिलती है (कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे), तो वे आई.एल.पी. मार्कर बनाते हैं। ये मार्कर विभिन्न पौधों की किस्मों में अद्वितीय आनुवंशिक पैटर्न की पहचान करने में मदद करते हैं।

लाभ

- आई.एल.पी. मार्कर के कई फायदे हैं। आई.एल.पी. उच्च पौधों में इंटर-स्पेसिफिक ट्रान्सफ्रेबिलिटी के साथ सुविधाजनक विश्वसनीय मार्कर है जिसका उपयोग जेनेटिक मैप के निर्माण में लिया जा सकता है। इसलिए अन्य सभी मार्कर की तुलना में आई.एल.पी. विश्वसनीय मार्कर है एवं आई.एल.पी. का इस्तेमाल विविधता और जीव विकास अध्ययन के परीक्षण के लिए भी होता है।
- आई.एल.पी. मार्कर का उपयोग इन्ट्रोन क्षेत्र की भिन्नता और सरलता को पहचानने के लिए होता है और इसका पता पी.सी. आर. के द्वारा लगाया जाता है जब टारगेट इन्ट्रोन के किनारे एक्सॉन पर डिज़ाइन किए गए प्राइमर के साथ इस प्रकार के मार्कर जो जीन सीक्वेंसिंग से प्राप्त हुए हैं जो ज़्यादा इन्ट्रोस्पेसिफिक पॉलीमॉर्फिज़्म को दर्शाते हैं।
- भविष्य में, आई.एल.पी. मार्कर पौधों में आनुवंशिक संरचना के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं जिससे पौधों की विभिन्नता और उनकी प्राकृतिक संरचनाओं को समझने में सहायता हो। ये पौधों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और उनकी उत्पादकता को सुधारने में मदद कर सकता है आई.एल.पी. की तकनीक पौधों में विकासशीलता के क्षेत्र में नवाचार ला सकती है जिससे उनकी आनुवंशिक प्रवृत्तियों और जीनोम की समझ में गहराई और नई दिशा मिल सकती है।

❑❑❑

निबंध उद्धरण

पुरुष अधिकार एवं भावना संबंधी उद्धरण

- ऐसा प्राय: नहीं होता है कि विद्यार्थी जीवन के आदर्शवाद को वयस्कता के बाद के जीवन में अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिले। *–सी. वी. रमन*
- एक अच्छे पुरुष को कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में अब अधिक समय बर्बाद न करें। एक अच्छे पुरुष बनें। *–मार्कस ऑरेलियस*
- संस्कृति सभी पुरुषों को कोमल बनाती है। *–मेनांडर*
- यह दर्द एवं पीड़ा की सीमा है कि पुरुषों को लड़कों से अलग कर दिया जाता है। *–एमिल जातोपेक*
- पुरुषों का हृदय समुद्र की तरह ही है; इसमें तूफान आते हैं, ज्वार-भाटे आते हैं और इसकी गहराई में मोती भी होते हैं। *–विन्सेंट वान गॉग*
- सफल पुरुष बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यवान पुरुष बनने की कोशिश करो। *–अल्बर्ट आइंस्टीन*
- किसी पुरुष का मूल्य इस बात से देखा जाना चाहिए कि वह क्या देता है, न कि इस बात से कि वह क्या प्राप्त कर सकता है। *–अल्बर्ट आइंस्टीन*
- अगर आप दूसरों में मर्दानगी की भावना जगाना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर के पुरुषत्व को खोजिए। *–एमोस-ब्रॉन्सन-अल्कोट*
- असुरक्षाओं को छिपाने के बजाय उन्हें प्रकट करने के लिए अधिक साहस की आवश्यकता होती है, लोगों पर हावी होने के बजाय उनसे संबंध बनाने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, विचारहीन प्रतिक्रिया के बजाय सोचे-समझे सिद्धांतों का पालन करने के लिए अधिक 'पुरुषत्व' की आवश्यकता होती है। कठोरता आत्मा और भावना में होती है, माँसपेशियों एवं अपरिपक्व दिमाग में नहीं। *–एलेक्स कर्रास*
- लोभ का अभिशाप यह है कि यह चरित्र के स्थान पर धन को स्थापित करके पुरुषत्व को नष्ट कर देता है। *–लुसी लार्कोम*
- किसी व्यक्ति के लिए खुद को एक ही चीज़ का गुलाम बना लेना बहुत दुखद है; अत्यधिक कार्य एवं गतिविधि के दबाव से उसकी सारी मर्दानगी खत्म हो जाती है। *–थियोडोर पार्कर*
- पुरुष यह पहचान रहे हैं कि उन्हें पुरुषत्व एवं मर्दानगी की एक बहुत ही संकीर्ण और दो-आयामी तस्वीर के अनुरूप ढलने के लिए मजबूर किया गया है, जिस पर सवाल उठाने की उन्हें कभी आज़ादी नहीं मिली। *–एंड्रयू कोहेन*
- 1960 और 1970 के दशक में कई युवा पुरुषों ने मर्दानगी के बारे में कुछ पारंपरिक विचारों को अस्वीकार कर दिया, जिन्हें उनके पिता आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। *–जैक्सन कैट्ज*
- युवावस्था एक भूल है; पुरुषत्व एक संघर्ष है, बुढ़ापा एक पछतावा है। *–बेंज़ामिन डिज़रायली*
- ज़िम्मेदारी वह चीज़ है जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। फिर भी यह दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो हमें विकसित करती है, हमें मर्दानगी या नारीत्व प्रदान करती है। *–फ्रैंक क्रेन*
- जब आप ईश्वर की गहराई की तलाश करते हैं तो आप पुरुषत्व की ऊँचाइयों की तलाश करते हैं। *–एडविन लुइस कोल*
- कर्तव्य ही पुरुषत्व का सार है। *–जॉर्ज एस. पैटन*
- पुरुषों को मर्दानगी की पुरानी रूढ़ियों से क्यों विवश होना चाहिए? अब 'असली मर्द होने' का क्या मतलब रह गया है? क्या हम सभी को मर्दानगी की कई परिभाषाओं का जश्न नहीं मनाना चाहिए? *–एंडी डन*
- हमने इस संघर्ष की तलाश नहीं की है; हमने इसे टालने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रयास किया है; हमारी सहनशीलता को कमज़ोरी में बदल दिया गया है, हमारी उदारता को भय में, जब तक कि हमारे पुरुषत्व की पुष्टि, साथ ही हमारे अधिकारों की रक्षा, हमारे द्वारा स्वयं नहीं की जाती। *–रॉबर्ट टूम्ब्स*
- शांति में मर्दानगी की उतनी ही अधिक परीक्षा होती है, जितनी युद्ध में कभी नहीं हुई। *–जॉन ग्रीनलीफ व्हिटियर*
- पुरुषों को यह विश्वास दिलाकर बड़ा किया जाता है कि मदद मांगना कमज़ोरी की निशानी है, जो मर्दानगी को चुनौती देता है। *–टोनी गोल्डविन*
- जब किसी पुरुष को अपने परिवार के प्रति खतरा महसूस होता है तो उसके प्रति जो ज़िम्मेदारी एवं सुरक्षा की भावना होती है, वह मेरे लिए एक रहस्योद्घाटन था। अब मैंने मर्दानगी का अनुभव किया है। *–कॉलिन मॉर्गन*
- मर्दानगी हर आदमी के कंधों पर सवार एक पौराणिक कथा है। *–नोरा विंसेंट*

❑❑❑

क्विक रिवीज़न

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इसकी थीम 'पूर्ण, ज़िम्मेदार, तैयार' है।
- भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास 'सिनबैक्स' का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड, पुणे में आयोजित किया गया।
- विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में विक्रम संपत की पुस्तक 'टीपू सुल्तान-द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेगनम' का विमोचन किया।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। अमर जैन एवं प्रतीक खंडेलवाल को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन-2024 की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (COP-16) रियाद में आयोजित किया गया।
- विश्व समुद्री सम्मेलन, 2024 का आयोजन 4-6 दिसंबर तक चेन्नई में किया गया।
- ऑक्सफोर्ड के सैड बिजनेस स्कूल एवं गेट्स फाउंडेशन ने अध्ययन में प्रगति (Pro-Active Governance and Timely Implementation : PRAGATI) प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को मान्यता दी है।
- राज्य सभा ने तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान की है।
- लोक सभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के विकल्प को मौजूदा एक से बढ़ाकर चार करने का प्रावधान है।
- भारत एवं मिस्र ने दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के 13वें दौर का आयोजन किया। इसकी सह-अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में सचिव (काउंसलर, पासपोर्ट, वीज़ा एवं प्रवासी भारतीय मामले) अरुण कुमार चटर्जी और मिस्र की ओर से एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री राजदूत अहमद शाहीन ने की।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया।
- 6 दिसंबर को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 349वाँ शहीदी दिवस मनाया गया।
- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएम ई-विद्या डी.टी.एच. चैनल लॉन्च किया।
- भारतीय नौसेना ने 9 दिसंबर को रूस के कैलिनिनग्राद में अपने नवीनतम बहु-भूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट 'आई.एन.एस. तुशील' का जलावतरण किया। आई.एन.एस. तुशील प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत एक उन्नत क्रिवाक III-क्लास फ्रिगेट है।
- भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग (UN Commission on Narcotic Drugs : UNCND) के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है।
- प्रधानमंत्री ने महान तमिल कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का विमोचन किया।
- झारखंड मुक्ति मोर्चा के रबिंद्र नाथ महतो को झारखंड विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। स्टीफेन मरांडी को झारखंड विधान सभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सफलतापूर्वक गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल का वेल डेक परीक्षण किया।
- संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल को वैश्विक जैव-विविधता हॉटस्पॉट 'पश्चिमी घाट' में उनके मौलिक कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है।

- 'अत्यधिक इज़रायल विरोधी नीतियों' का हवाला देते हुए इज़रायल ने डबलिन (आयरलैंड) में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है।
- पूर्वी कांगो में संघर्ष समाप्त करने के लिए आयोजित होने वाली शांति वार्ता को रवांडा एवं कांगो ने रद्द कर दी है।
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के ग्रामीण निर्धनों को घर मुहैया कराने के लिए 'बांग्लार बारी' योजना की शुरुआत की। इसके तहत एक परिवार को घर बनाने के लिए कुल 1.20 लाख रुपए, जबकि जंगलमहल एवं दार्जिलिंग पहाड़ियों के कुछ इलाकों में लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपए दिए जाएंगे।
- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने 'किसान कवच' नामक एक 'कीटनाशक-रोधी' सूट विकसित किया है। इस सूट का उद्देश्य खेत मज़दूरों को उनके द्वारा छिड़के जाने वाले कीटनाशकों से बचाना है।
- ताइवान की लैपटॉप निर्माता कंपनी MSI ने चेन्नई में अपनी पहली इकाई के साथ भारत में विनिर्माण कार्यों की शुरुआत की घोषणा की।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 के महाकुंभ मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र को अस्थायी रूप से नया ज़िला घोषित किया है। नया ज़िला 'महाकुंभ मेला क्षेत्र' के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ-2025 में 400 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्य में 32 विशेष 'ट्रांसजेंडर क्लीनिकों' का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। इन्हें 'मैत्री क्लीनिक' के नाम से जाना जाएगा
- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2025 की शुरुआत में होने वाले भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे, जो फरवरी 2022 में यूक्रेन-रूस संघर्ष के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी।
- नवंबर 2024 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, जिसकी वजह उच्च मुद्रास्फीति के दबाव के बीच कमज़ोर मांग है। विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) नवंबर में घटकर 56.5 हो गया, जो पिछले महीने 57.5 के स्तर पर था।
- नवंबर 2024 में भारत की विद्युत खपत एक वर्ष पहले इसी महीने की तुलना में 5.14% बढ़कर 125.44 बिलियन यूनिट (BU) हो गई। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, नवंबर 2023 में बिजली की खपत 119.30 गीगावाट थी।
- केंद्र सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF), कच्चे उत्पादों, पेट्रोल एवं डीज़ल उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स को समाप्त कर दिया है। जुलाई 2022 में विंडफॉल टैक्स की शुरुआत की गई थी जब रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया तथा तेल कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ।
- नेपाल ने प्रधानमंत्री ओली की चीन यात्रा से पहले चीन से 20 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता स्वीकार की है। साथ ही, मंत्रिमंडल ने चीन सरकार द्वारा प्रस्तावित 5.60 अरब नेपाली रुपए मूल्य की परियोजनाओं के लिए 300 मिलियन चीनी युआन (लगभग 4.13 मिलियन डॉलर) स्वीकार करने का भी निर्णय लिया।
- अमेरिका की एलेक्स कोंसानी को लंदन में वार्षिक फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर चुना गया।
- उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और सतत् पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 'राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना व स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन' नामक एक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि ओडिशा में विगत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कार्यकाल के दौरान कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए निर्धारित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा गबन किया गया।
- तीन सप्ताह से बंगाल की खाड़ी में फंसे म्यांँमार के 4 मछुआरों को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा बचाकर तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह पर सुरक्षित रूप से लाया गया।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा सह-प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें 21 दिसंबर को 'विश्व ध्यान दिवस' घोषित किया गया। इस प्रस्ताव में व्यापक कल्याण एवं आंतरिक शांति में ध्यान की भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) और दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (DICCI) ने हाशिए पर स्थित समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- कैबिनेट ने देश भर में सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केंद्रीय विद्यालय (KV) खोलने और एक मौजूदा KV (केवी शिवमोगा, कर्नाटक) की सभी कक्षाओं में 2 अतिरिक्त खंड जोड़कर विस्तार करने की मंज़ूरी दी।

- क्षय रोग (टीबी) के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्य के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय तीव्र राष्ट्रव्यापी अभियान का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया।
- ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने कलिंगा स्टेडियम परिसर में बैडमिंटन खेल के लिए 75 करोड़ रुपए की लागत वाले हाई परफॉर्मेंस सेंटर (HPC) का उद्घाटन किया। इस सेंटर का आधिकारिक नाम 'डालमिया भारत पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी' है।
- सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी डी. गुकेश ने 17वें विश्व चैंपियन डिंग लिरेन (चीन) को हराया और इतिहास के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन के रूप में अपना नाम दर्ज कराया।
- यूरोपीय संघ ने बुल्गारिया और रोमानिया को शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की मंज़ूरी दे दी है। ये दोनों देश 1 जनवरी, 2025 को आधिकारिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए।
- डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टाइम पत्रिका के प्रतिष्ठित 'पर्सन ऑफ द ईयर' बन गए हैं। उन्हें वर्ष 2016 में भी यह खिताब प्रदान किया गया था।
- झारखंड उच्च न्यायालय ने निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण संबंधी कानून पर रोक लगा दी है। वर्ष 2021 में झारखंड विधान सभा द्वारा पारित इस अधिनियम के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले निजी नियोक्ताओं को कम-से-कम 75% नौकरियाँ, जिनमें मासिक वेतन 40,000 रुपए से कम है, स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान था।
- नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष (COAS) जनरल अशोक राज सिगडेल ने 11 से 14 दिसंबर, 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। जनरल सिगडेल को भारतीय सेना के 'मानद जनरल' (Honorary General) का पद प्रदान किया गया।
- भारत ने युद्धग्रस्त गाज़ा पट्टी में 'तत्काल, बिना शर्त एवं स्थायी' युद्ध-विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 157 अन्य देशों के साथ मिलकर काम किया है।
- राष्ट्रीय आर.टी.आई. पुरस्कार समारोह में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया द्वारा केरल के राज्य सूचना आयुक्त ए. ए. हकीम को पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाबदेही एवं सूचना के प्रसार के क्षेत्र में अग्रणी प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 29वाँ केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान ब्राज़ील के फिल्म निर्माता पेड्रो फ्रेयर की 'मालू' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन क्रो फिजेंट (सुवर्णा चकोरम) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक लगभग 36 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है और 1.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान के साथ 8.39 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज़ी खेल महासंघ (ISSF) ने आगामी 2025 सत्र में जूनियर विश्व कप के लिए भारत को मेज़बान घोषित किया है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ताइवान के लिए रक्षा विभाग की सामग्री एवं सेवाओं तथा सैन्य शिक्षा व प्रशिक्षण में 571 मिलियन डॉलर तक के प्रावधान को मंज़ूरी दी।
- सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम 'सही रास्ता अपनाएँ : मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार' रखी गई है।
- गुजरात सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के लिए सुपोषित गुजरात मिशन के तहत 'मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना' की शुरुआत की है।
- भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराते हुए जूनियर एशिया कप-2024 का खिताब जीता है।
- चेन्नई के तांबरम में स्थित राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (NIS) ने एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्मम थेरेपी प्रदान कर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
- भारत-नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वाँ संस्करण 31 दिसंबर, 2024 से 13 जनवरी, 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जा रहा है। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति के चौथे का आयोजन मलेशिया के पहांग ज़िले के बेंटोंग कैंप में शुरू हुआ। अभ्यास के पिछले संस्करण का आयोजन भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में किया गया था।
- मध्य प्रदेश सरकार ने 'रातापानी वन्यजीव अभयारण्य' को राज्य का आठवाँ बाघ अभयारण्य घोषित किया। इसके बाद देश में बाघ अभयारण्यों की कुल संख्या 57 हो गई है।

- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि विपणन बोर्ड और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करके मिशन अरुण हिमवीर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए बाज़ार संपर्क को बढ़ावा देना
- गूगल एल.एल.सी. ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। टोक्यो के बाहर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह अपनी तरह की पहली और विश्व की पाँचवीं उन्नत सुविधा होगी।
- स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी राज मनचंदा का निधन हो गया है।
- 'ब्रेन रोट' (Brain Rot) को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, 2024 चुना गया।
- भारत को एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मृदा संरक्षण और इसके सतत् प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'विश्व मृदा दिवस' मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस की थीम 'मृदा की देखभाल: माप, निगरानी, प्रबंधन' है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने PSLV C-59 रॉकेट पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 (प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी) मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और सब्सिडी दावा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 'अन्न चक्र' एवं 'स्कैन पोर्टल' (Subsidy Claim Application for the National Food Security Act (SCAN) का शुभारंभ किया।
- प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस' मनाया जाता है।
- टी.बी. को जड़ से खत्म करने के लिए 100 दिनों का एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत देश के 33 राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेश में कुल 347 ऐसे ज़िले चिह्नित किए गए हैं जहाँ पर सघन व केंद्रित प्रयास करके टी.बी. के रोगियों की पहचान व जाँच करके उन्हें उपचार तथा पोषण की सुविधा देनी है।
- वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति व मानवाधिकार समर्थक मिशेल बाचेलेट को दिया जाएगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने म्यूल खातों से निपटने के लिए म्यूलहंटर (MuleHunter AI tool) नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग-आधारित मॉडल शुरू किया है।
- बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे ने रिमताल्बा जीन इमैनुअल ओउएड्रागो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।
- भारत को पहली बार नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है।
- तबला वादक उस्ताद ज़ाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया।
- प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी।
- केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोयला (कोल) के पारदर्शी दोहन एवं आवंटन के लिए शक्ति योजना की शुरुआत वर्ष 2017 शुरू की गई।
- वर्ष 2023-24 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 41.7% दर्ज किया गया है।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने गुजरात के सूरत में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्टिंग आउटसोर्स प्लांट का उद्घाटन किया।
- मुंबई (कप्तान : श्रेयस अय्यर) ने मध्य प्रदेश (कप्तान : रजत पाटीदार) को हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (T20) का खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुंबई के आजिंक्य रहाणे को प्रदान किया गया।
- विजयवाड़ा की 37 वर्षीय कोनेरू हंपी ने न्यूयॉर्क में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में विजय प्राप्त की है। यह हंपी का दूसरा विश्व रैपिड खिताब है।
- 29 दिसंबर, 2024 को 181 लोगों को थाईलैंड से दक्षिण कोरिया लेकर जा रहा जेजू एयर का विमान 'बोइंग 737-800 जेट' दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 179 लोगों की मृत्यु हो गई।
- 29 दिसंबर, 2024 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) पर पहला वाणिज्यिक उड़ान सत्यापन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इस दौरान इंडिगो ए320 विमान NMIA के रनवे 08/26 पर उतरा।

- तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह और सलामी बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना को क्रमश: ICC पुरुष और महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है।
- भोपाल में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाज़ी चैंपियनशिप की महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3-पोज़िशन स्पर्द्धा में आशी चौकसे ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कर्नाटक की अनुष्का थोकुर ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है।
- राजस्थान सरकार ने नौ ज़िलों और वर्ष 2023 में बनाए गए तीन संभागों को भंग कर दिया। राज्य में अब कुल 41 ज़िले एवं सात संभाग होंगे।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सुईरहित 'शॉक सिरिंज' विकसित की है। शॉक सिरिंज त्वचा में छिद्र के लिए नोक पर निर्भर नहीं रहती है, बल्कि यह उच्च-ऊर्जा दबाव तरंगों (शॉक तरंगों) का उपयोग करती है जो त्वचा में छिद्र के लिए ध्वनि की गति से भी तेज़ गति से चल सकती हैं।
- जापान के ओसामु सुज़ुकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने चार दशकों से अधिक समय तक जापान की सुज़ुकी मोटर का नेतृत्व किया और भारत को एक समृद्ध ऑटो बाज़ार में बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद के साले और प्रतिबंधित ज़मात-उद-दावा के उप-प्रमुख हाफिज़ अब्दुल रहमान मक्की की 27 दिसंबर, 2024 को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
- 27 दिसंबर, 2024 को चीन ने एक नया उभयचर वार पोत (Amphibious Assault Ship) लॉन्च किया, जो लड़ाकू जेट लॉन्च करने में सक्षम है। सिचुआन, 076 प्रकार का पहला जहाज़ है। यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा जहाज़ है, जिसका वज़न 40,000 टन है और यह विद्युत चुंबकीय गुलेल से लैस है।
- 26 दिसंबर, 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (92) का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में निधन हो गया। डॉ. सिंह वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में दो बार प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने वर्ष 1991 में सुधारों के निर्माता थे, जिसने भारत की आर्थिक दिशा बदल दी। पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में केंद्र सरकार ने सात दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया।
- द सैटेनिक वर्सेज (The Satanic Verses) के लेखक सलमान रुश्दी हैं।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जिसमें 14 राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों के 7 बालक एवं 10 बालिकाएँ शामिल हैं। यह पुरस्कार सात श्रेणियों कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल, पर्यावरण में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास द्वारा आयोजित शास्त्र (टेक फेस्टिवल) का 26वाँ संस्करण 3 से 7 जनवरी तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर द हिंदू है। इसका थीम 'फ्रैक्टल फ्रंटियर्स' है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाँच राज्यों में राज्यपालों की नवीनतम नियुक्तियाँ की हैं– पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (मणिपुर), पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) (मिज़ोरम), केरल के निवर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (बिहार), बिहार के निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (केरल) और मिज़ोरम के निवर्तमान राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति (ओडिशा)।
- महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएँ प्रतिमाह 1,500 रुपए प्राप्त करने की पात्र हैं।
- भारत द्वारा श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्रों में 33 विकास परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 2,371 मिलियन रुपए प्रदान किया जाएगा।
- रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना का संबंध बांग्लादेश से है जो राजधानी ढाका से 160 किमी. दूर पदमा नदी के तट पर स्थित है। यह रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम द्वारा संचालित है।
- भारतीय सिनेमा के दिग्गज एवं समानांतर सिनेमा आंदोलन के मार्गदर्शक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम (सेवानिवृत्त) को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने बाल अधिकार समर्थक प्रियांक कानूनगो और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया।

- केंद्र सरकार ने कक्षा 5 एवं 8 के लिए 'नो-डिटेंशन' नीति को समाप्त कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय विद्यालयों व जवाहर नवोदय विद्यालयों सहित लगभग 3,000 केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों को परीक्षा पास न करने पर अगली कक्षा में प्रमोट करने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई छात्र पहली बार में परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो उसे दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा।
- आई.टी. कंपनी विप्रो ने रंजीता घोष को अपना नया ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) नियुक्त किया है। घोष ने लॉरा लैंगडन की जगह ली है।
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) ने कहा कि उसने महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) के निर्माण के लिए टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (TIL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। टी.आई.एल. वधावन पोर्ट एवं आसपास के पारितंत्र के विकास के लिए अनुमानित ₹20,000 करोड़ का निवेश करेगी।
- नारायणपुर (छत्तीसगढ़) में राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए मणिपुर ने ओडिशा के खिलाफ जीत हासिल कर सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह मणिपुर का 29 संस्करणों में से 23वाँ खिताब था, जबकि ओडिशा को सात फाइनल में छठी बार हार का सामना करना पड़ा, वो भी सभी मणिपुर के खिलाफ।
- भारतीय महिला क्रिकेट टीम (कैप्टन- निकी प्रसाद) ने ए.सी.सी. अंडर-19 महिला एशिया कप-2024 जीता और फाइनल में बांग्लादेश महिला टीम (कैप्टन- सुमैया अख्तर) को 41 रनों से हराकर उद्घाटन चैंपियन बनी। भारत की गोंगडी त्रिशा ने प्लेयर ऑफ द मैच व सिरीज़ का पुरस्कार जीता।
- उत्तर प्रदेश बालक वर्ग और तमिलनाडु बालिका वर्ग में सरूरनगर इंडोर स्टेडियम में 49वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में चैंपियन बने।
- हरियाणा के पाँच बार मुख्यमंत्री रहे और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला (89 वर्ष) का 20 दिसंबर, 2024 को निधन हो गया। चौटाला हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री और भारत के 6वें उप-प्रधानमंत्री दिवंगत देवीलाल के सबसे बड़े पुत्र थे।
- वर्ष 2025 सीज़न में मिलिंग कोपरा के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹11,582 प्रति क्विंटल होगा, जो वर्ष 2024 से ₹422 अधिक है। बॉल कोपरा के लिए यह ₹12,100 प्रति क्विंटल होगा, जो वर्ष 2024 से ₹100 अधिक है। केंद्र सरकार के अनुसार, वर्ष 2014 से वर्ष 2025 तक मिलिंग कोपरा की MSP में ₹5,250 प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा की MSP में ₹5,500 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
- आंध्र प्रदेश की ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक (WB) ने अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम (AIUDP) के लिए 800 मिलियन डॉलर के ऋण को मंज़ूरी दी है।
- रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, डप-17 हेलिकॉप्टर दुर्घटना मानवीय भूल (एयरक्रू) के कारण हुई, जिसके कारण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच भारतीय वायुसेना (IAF) से जुड़ी 34 हवाई दुर्घटनाओं में से 19 मानवीय भूल के कारण हुई।
- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 100 अतिरिक्त 155 मिमी./52 कैलिबर K9 वज्र-टी स्व-चालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ 7,629 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- फार्मा कंपनी सिप्ला लिमिटेड पर जी.एस.टी. प्राधिकरण ने गलत क्रेडिट दावे के लिए ₹1 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है।
- 19 दिसंबर, 2024 को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पूरे वर्ष सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया।
- 19 दिसंबर, 2024 को 81 वर्षीय मलयालम अभिनेता मीना गणेश का निधन हो गया।
- दिसंबर 2024 में भारत एवं फ्राँस ने राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में पेरिस के लौवर की तर्ज़ पर नए राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। युगे युगीन भारत संग्रहालय बनकर तैयार होने पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।
- कर्नाटक एवं हरियाणा ने के.बी.ए. कोर्ट में 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष एवं महिला टीम के रूप में जीत हासिल की। कर्नाटक ने करीब पाँच दशकों में पहला पुरुष खिताब जीता है।
- ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी कुलसी से एक स्वस्थ नर गंगा नदी डॉल्फिन को भारत में पहली बार टैग किया गया। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा असम वन विभाग एवं जैव-विविधता संरक्षण समूह आरण्यक के सहयोग से क्रियान्वित किया गया।

- 18 दिसंबर, 2024 को सर्वेक्षण पोत (बड़ी) परियोजना के दूसरे जहाज़ आई.एन.एस. निर्देशक को विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसको हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- अभिनेता-निर्देशक थॉमस बर्ले कुरीशिंगल का कोच्चि में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- 97वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि लापता लेडीज़ थी। इस फिल्म का निर्देशन किरण राव ने किया है।
- भारत, भूटान एवं ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले भारतीय शिक्षाविद् अरुण कपूर को 17 दिसंबर, 2024 को थिंपू के चांगलीमाथांग स्टेडियम में 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा 'बुरा मार्प' (लाल दुपट्टा) और 'पतंग' (औपचारिक तलवार) से सम्मानित किया गया। यह सम्मान संभवत: पहली बार किसी गैर-भूटानी निवासियों को दिया गया है। वर्ष 2019 में कपूर को रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना और भूटान बैकलॉरिएट शैक्षणिक प्रणाली विकसित करने में उनके काम के लिए 'ड्रुक थुकसे' से सम्मानित किया गया था।
- हिंदी कवि गगन गिल को उनकी कविता पर पुस्तक 'मैं जब तक आई बहार' के लिए और अंग्रेज़ी लेखिका ईस्टरीन कीर को उनके उपन्यास 'स्पिरिट नाइट्स' के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 18 दिसंबर, 2024 को जारी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट प्राइवेट बैंकिंग और हुरुन इंडिया के 'भारत के शीर्ष 200 स्व-निर्मित उद्यमियों की सहस्राब्दी 2024' के दूसरे संस्करण में एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड (डीमार्ट) के प्रमोटर राधाकिशन दमानी, ज़ोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल और स्विगी के श्रीहर्ष मजे़टी एवं नंदन रेड्डी ने क्रमश: शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए हैं। सूची में शामिल 19 महिलाओं में से नाइका की फल्गुनी नायर सर्वोच्च रैंक वाली महिला हैं और मामाअर्थ की गज़ल अलघ (36) सबसे कम उम्र की महिला उद्यमी बन गई हैं।
- भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। अश्विन ने 106 टेस्ट मैच में 537 विकेट लिए, जिसमें 37 बार पाँच विकेट भी शामिल है और 3,503 रन बनाए। अश्विन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सातवें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं और अनिल कुंबले (619) के बाद भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं।
- 17 दिसंबर को मॉस्को में एक वरिष्ठ रूसी लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मौत हो गई। किरिलोव सेना के परमाणु, जैविक एवं रासायनिक सुरक्षा बलों के प्रमुख थे। उन पर यूक्रेन में मास्को के युद्ध में उनके कार्यों के लिए यू.के. और कनाडा सहित कई देशों ने प्रतिबंध लगाए थे।
- 18 दिसंबर को आयोजित किए गए भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन पहुँचें। वार्ता का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार वर्ष से अधिक समय से रुके द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है।
- केंद्र ने विमान (सुरक्षा) नियम, 2023 में संशोधन किया है और धारा 30A जोड़ी है। इसके तहत बम की झूठी धमकी देने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संशोधन के द्वारा धारा 29A भी जोड़ा गया है, जो महानिदेशक को विमान में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रवेश देने से मना करने के लिए लिखित में निर्देश जारी करने की अनुमति देता है।
- ग्रैन्यूल्स इंडिया को लिस्डेक्सामफेटामाइन डाइमेसिलेट च्यूएबल टैबलेट के लिए यू.एस. खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंज़ूरी मिल गई है। यह टेकेडा फार्मास्युटिकल्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट वायवेन्स च्यूएबल टैबलेट का जेनेरिक वर्जन है जो अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) और मध्यम से गंभीर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के उपचार के लिए संकेतित है।
- 17 दिसंबर को वानुअतु के तट के पास 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। वानुअतु दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है।
- रूस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक को मंज़ूरी दे दी है, जो मॉस्को के लिए अफगानिस्तान में तालिबान को आतंकवादी समूह के रूप में मान्यता से हटाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस विधेयक को कानून बनने के लिए अभी भी ऊपरी सदन से मंज़ूरी मिलने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्ताक्षर की आवश्यकता है।
- रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर ने फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, जबकि बार्सिलोना की ऐताना बोनमाटी ने दूसरी बार महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है।
- भारत वर्ष 2025 के नवंबर में विश्व मुक्केबाज़ी कप फाइनल की मेज़बानी करेगा।

❑❑❑

मानचित्र अध्ययन

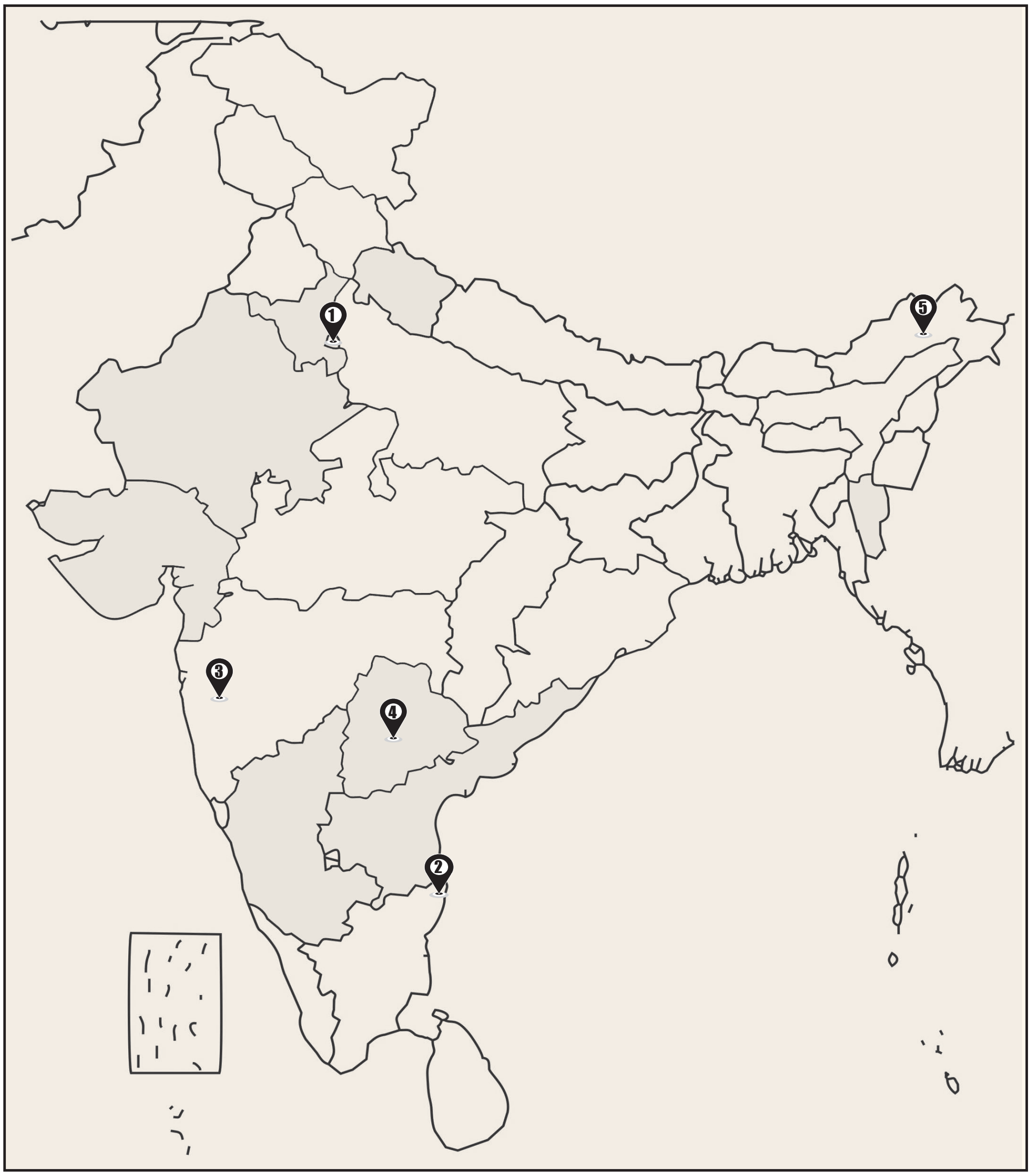

मानचित्र-1 (भारत)

1. वह स्थान जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) वैश्विक सहकारी सम्मेलन-2024 का उद्घाटन किया।
2. वह शहर जहाँ पर हाल ही में विश्व समुद्री सम्मेलन, 2024 का आयोजन किया गया।
3. वह शहर जहाँ पर हाल ही में भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया।
4. वह शहर जहाँ पर हाल ही में गूगल एल.एल.सी. ने गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर (GSEC) स्थापित करने की घोषणा की है।
5. वह राज्य जिसने हाल ही में कृषि विपणन बोर्ड और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करके मिशन अरुण हिमवीर का शुभारंभ किया।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 161 पर देखें)

मानचित्र अध्ययन

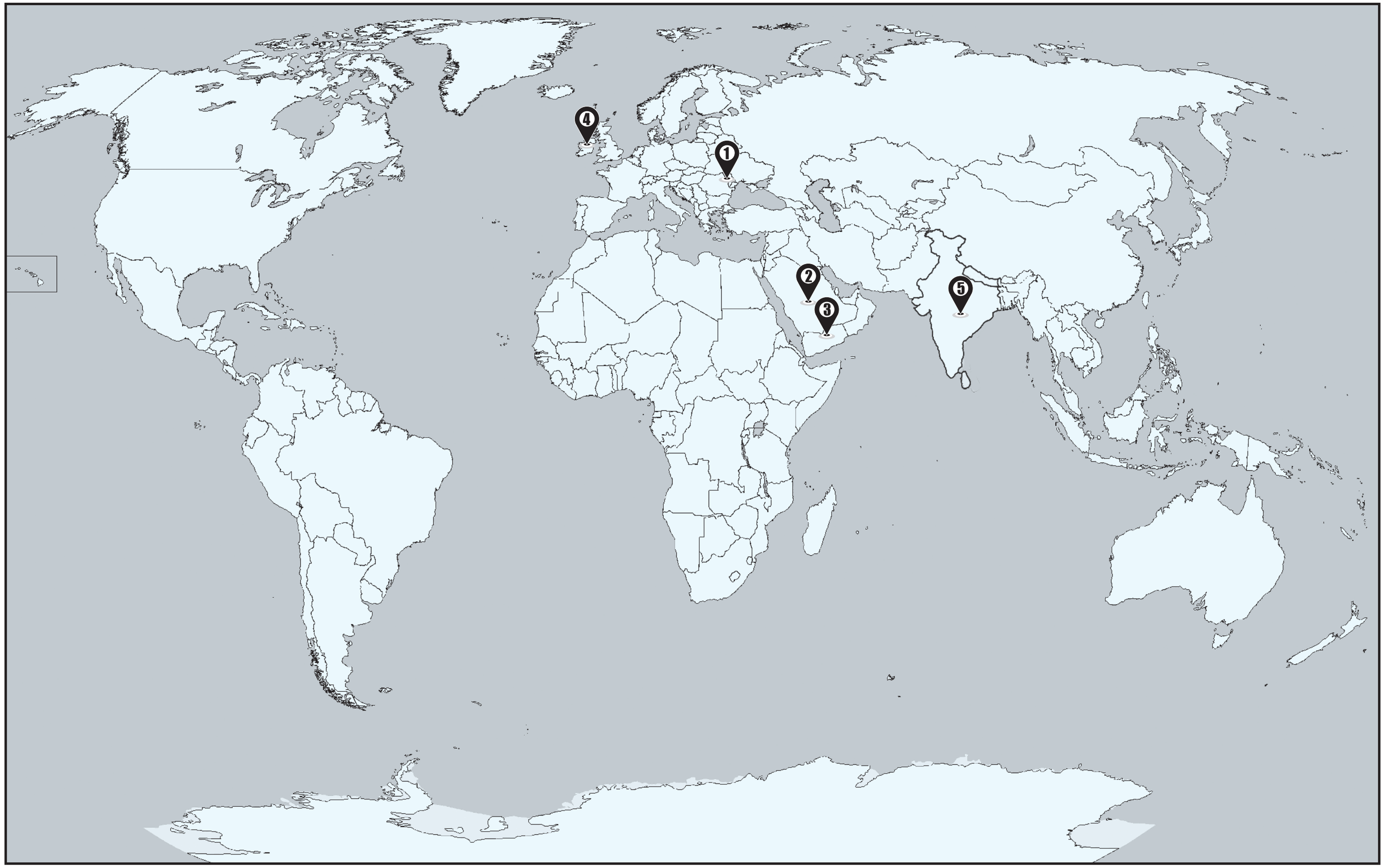

मानचित्र-2 (विश्व)

1. वह देश जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में 105वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।
2. वह देश जहाँ पर हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) की पार्टियों के सम्मेलन का 16वे सत्र (COP16) का आयोजन किया गया।
3. वह देश जिसे हाल ही में जारी हुए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2024 में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ।
4. वह देश जहाँ पर हाल ही में इज़राइल ने अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है।
5. वह देश जिसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग (UN Commission on Narcotic Drugs : UNCND) के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 161 पर देखें)

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न

1. प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की वर्ष 2024 की थीम, निम्नलिखित में से क्या है?

(a) दिव्यांग लोगों की गरिमा, अधिकारों एवं कल्याण के लिए समर्थन जुटाना

(b) सतत् विकास के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण

(c) समावेशी एवं टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना

(d) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सृजित करने की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना

2. रातापानी बाघ अभयारण्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह मध्य प्रदेश के रायसेन एवं सीहोर ज़िले में विंध्य पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है।
2. इसे वर्ष 1976 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।
3. इस अभयारण्य के उत्तर में नर्मदा एवं पश्चिम में कोलार नदी प्रवाहित होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

3. हाल ही में खबरों में रहा 'शॉक डायमंड' (Shock Diamonds) का संबंध किससे है?

(a) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कृत्रिम हीरे के मूल्य में अचानक वृद्धि से

(b) बौद्धिक संपदा अधिकारों से

(c) रॉकेट उड़ान से बनने वाले एकांतरिक पैटर्न से

(d) कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग से

4. लेक इफेक्ट स्नो (Lake Effect Snow) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह मौसमी परिघटना अपेक्षाकृत गर्म झील क्षेत्रों के ऊपर से बर्फीली ठंडी हवा के गुज़रने के परिणामस्वरूप घटित होती है।
2. इस परिघटना से बादलों का निर्माण एवं बर्फबारी की मात्रा में भारी वृद्धि हो सकती है।
3. जब यही प्रभाव खारे जल निकायों पर होता है, तब इसे ओसियन-इफेक्ट (Ocean-Effect) कहा जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

5. निम्नलिखित में से विश्व मृदा दिवस, 2024 की थीम क्या है?

(a) मृदा एवं जल : जीवन का एक स्रोत

(b) मृदा : जहाँ से भोजन शुरू होता है

(c) मृदा लवणीकरण को रोकना, मृदा उत्पादकता बढ़ाना

(d) मृदा देखभाल : माप, निगरानी, प्रबंधन

6. शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए :

1. अभियांत्रिकी 2. जनसंख्या अध्ययन
3. समाजशास्त्र 4. मनोविज्ञान
5. गणित एवं विज्ञान 6. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

उपर्युक्त में से कितने विषयों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है?

(a) केवल तीन (b) केवल चार

(c) केवल पाँच (d) सभी छह

7. केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 'अन्न चक्र' एवं 'स्कैन पोर्टल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. 'अन्न चक्र पहल' का उद्देश्य देश भर में पी.डी.एस. लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाना है।
2. 'स्कैन पोर्टल' का उद्देश्य राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों को एकल खिड़की के माध्यम से प्रस्तुत करके निपटान प्रक्रिया में तेज़ी लाना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

8. हाल ही में खबरों में रहा 'कॉपरनिकस मिशन' का संबंध किस संगठन से है?

(a) नासा (b) इसरो

(c) ई.एस.ए. (ESA) (d) जाक्सा (JAXA)

9. हाल में आए चक्रवातों के नामकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

(नामकरण)		(देश)
1. चक्रवात फेंगल	:	सऊदी अरब
2. चक्रवात दाना	:	कतर
3. चक्रवात रेमल	:	थाईलैंड
4. चक्रवात सितरंग	:	ओमान

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

10. ट्रौएसर्टिया थैलासिना एवं प्रोटेरोथ्रिक्स सिबिली नामक पंख वाले कीटों (Feather Mites) की दो अज्ञात प्रजातियों की खोज कहाँ की गई है?
(a) असम (b) केरल
(c) मेघालय (d) सिक्किम

11. नारकोटिक ड्रग्स आयोग (CND) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इसकी स्थापना वर्ष 1946 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (ECOSOC) के संकल्प द्वारा की गई।
2. आयोग का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी. में है।
3. इसके कार्यों में वैश्विक ड्रग प्रवृत्तियों पर नज़र रखना एवं सदस्य देशों को नीति-निर्माण में सहायता प्रदान करना शामिल है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

12. अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है?
(a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(b) विश्व आर्थिक मंच
(c) विश्व बैंक समूह
(d) संयुक्त राष्ट्र संघ

13. केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

(योजना)		(आरंभ वर्ष)
1. जल जीवन मिशन	:	2019
2. अटल भू-जल योजना	:	2020
3. जल शक्ति अभियान	:	2022

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

14. भारतीय स्टार कछुए के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. ये भारत के केवल उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं।
2. ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल हैं।
3. इस कछुए की मादा प्रजाति अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

15. आई.एन.एस. तुशिल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यह 'प्रोजेक्ट 1135.6' के अंतर्गत निर्मित इज़रायल युद्धपोत की उन्नत क्रिवाक III श्रेणी या 'तलवार श्रेणी' का युद्धपोत है।
2. इसे भारतीय नौसेना के 'स्वॉर्ड आर्म' बेड़े में शामिल किया जाएगा।
3. समुद्र में इसकी गति 59 किमी./घंटा (30 नॉट) तक है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही **नहीं** हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

16. हाल ही में चर्चित बीमा सखी योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ से की गई है?
(a) पटना (b) जयपुर
(c) प्रयागराज (d) पानीपत

17. हाल ही में गुवाहाटी स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) के शोधकर्ताओं ने किस रोग के प्रबंधन के लिए पारंपरिक औषधीय पौधे 'सुबाबुल' (Subabul) के बीज की चिकित्सीय क्षमता की जाँच की है?
(a) ग्रीवा कैंसर
(b) टाइप II मधुमेह
(c) दीर्घकालिक श्वसन रोग
(d) एच.आई.वी. एड्स

18. गूगल द्वारा भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर (GSEC) की स्थापना कहाँ की जाएगी?
(a) बेंगलुरु (b) गांधीनगर
(c) वाराणसी (d) हैदराबाद

19. हाल ही में भूमि क्षरण से संबंधित 'स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रीसिपिस: ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे इनसाइड प्लैनेटरी बाउंड्रीज' रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है?

(a) WEF (b) OECD
(c) UNCCD (d) IPCC

20. दिव्यांगजन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

	(योजनाएँ)		**(वर्ष)**
1.	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	–	1999
2.	ज़िला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र	–	2002
3.	सुगम्य भारत अभियान	–	2015
4.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम	–	2016

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

21. संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई।
2. इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में स्थित है।
3. इसके द्वारा प्रतिवर्ष 'विश्व ड्रग रिपोर्ट' का प्रकाशन किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

22. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

	(दिवस)		**(तिथि)**
1.	विश्व मानवाधिकार दिवस	:	10 दिसंबर
2.	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस	:	14 दिसंबर
3.	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस	:	18 दिसंबर
4.	किसान दिवस	:	25 दिसंबर

उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

23. साहित्य अकादमी पुरस्कार-2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

	(भाषा)		**(विजेता)**
1.	हिंदी	:	गगन गिल
2.	अंग्रेज़ी	:	ईस्टरिन कीर
3.	तमिल	:	ए.आर. वेंकटचलपति
4.	संस्कृत	:	दीपक कुमार शर्मा

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

24. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

	(पुस्तक)		**(लेखक)**
1.	द बर्निंग अर्थ	:	सुनील अमृत
2.	नेहरूज इंडिया	:	आदित्य मुखर्जी
3.	नेक्सस	:	युवल नूह हरारी
4.	एवरीथिंग देयर इज	:	एम.जी. वासनजी

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

25. निम्नलिखित में से कार्यक्षेत्र में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' प्रावधान लागू करने वाला पहला देश कौन-सा है?

(a) फ्रॉंस (b) जापान
(c) नीदरलैंड (d) ऑस्ट्रेलिया

26. मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 का स्थान लेगा।
2. इस विधेयक में 'पोत' की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
3. इसमें अवैध समुद्री प्रशिक्षण प्रथाओं को समाप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

27. यूथ को:लैब (Youth Co:Lab) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत में यूथ को:लैब को वर्ष 2019 में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के सहयोग से लॉन्च किया गया था।
2. इसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए युवाओं को सशक्त बनाना और उनमें निवेश करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

28. भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी गुजरात में (36.39 वर्ग किमी.) दर्ज की गई है।
2. पश्चिमी घाट में अति सघन वन में वृद्धि तथा मध्यम सघन वन और खुले वन में कमी आई है।
3. वर्ष 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

29. 'स्पैडेक्स मिशन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यह संयुक्त रूप से नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा प्रस्तावित तकनीकी मिशन है।
2. यह मिशन अंतरिक्ष यान को डॉक/अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

30. 'न्यूट्रास्युटिकल्स' (Nutraceuticals) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. ये खाद्य स्रोतों से प्राप्त ऐसे उत्पाद हैं जिनमें खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्त्वों के अलावा अन्य स्वास्थ्य लाभ भी शामिल होते हैं।
2. इनका वर्गीकरण प्राकृतिक स्रोतों, औषधीय घटकों एवं रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है।
3. इनका उपयोग मधुमेह, गुर्दे एवं जठरांत्र संबंधी विकारों के साथ-साथ विभिन्न संक्रामक बीमारियों की रोकथाम लिए किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

31. राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इसका उद्देश्य भारत की संचित निधि से 'लघु बचत लेनदेन' को अलग करके आत्मनिर्भर तरीके से संचालित करना है।
2. इस कोष का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 283(1) के अंतर्गत किया जाता है।
3. इस कोष के तहत होने वाले लेनदेन का केंद्र के राजकोषीय घाटे पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

32. हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI), 2024 में भारत की रैंक क्या है?
(a) 28वीं (b) 36वीं
(c) 42वीं (d) 49वीं

33. हाल ही में 'एकलव्य' नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया?
(a) शिक्षा मंत्रालय
(b) भारतीय सेना
(c) भारतीय रेलवे
(d) नीति आयोग

34. निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक डॉ मनमोहन सिंह द्वारा लिखित नहीं है?
(a) ब्रेकिंग द मोल्ड
(b) चेंजिंग इंडिया
(c) क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट
(d) ग्लोबल सिस्टम ट्रेडिंग सिस्टम, द डब्ल्यू.टी.ओ. एंड डेवलपिंग कंट्रीज़

35. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इस मिशन को अगले पाँच वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा।
2. इसके तहत आवश्यकता-आधारित 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (BRC) स्थापित किए जाएंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

36. हाइड्रोजन साइनाइड (Hydrogen Cyanide) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इसे प्रूसिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है।
2. यह एक रंगहीन, अत्यंत ज़हरीला और ज्वलनशील तरल है।
3. इसका उपयोग विनिर्माण प्रक्रियाओं, धातु निष्कर्षण, फोटोग्राफी एवं मुद्रण आदि में किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

37. अधिसूचित बीमारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसकी घोषणा केवल केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
2. अधिसूचित बीमारी के बारे में निजी और सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा सरकार को सूचित करना कानूनी रूप बाध्यकारी होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

38. भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा?

(a) उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा
(b) ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान
(c) राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा
(d) छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान

39. हाल ही में कोइमा रेमाडेवी और कोइमा मोनिलिस नामक मछलियों की खोज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई?

(a) हिमालयी क्षेत्र
(b) पूर्वी घाट
(c) कच्छ की खाड़ी
(d) अंडमान एवं निकोबार

40. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुन: लागू की गई संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (Protected Area Regime : PAR) में निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य शामिल नहीं है?

(a) मणिपुर (b) नागालैंड
(c) मिज़ोरम (d) त्रिपुरा

41. हाल ही में मौसम पूर्वानुमान से संबंधित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल GenCast किस कंपनी ने विकसित किया है?

(a) माइक्रोसॉफ्ट (b) आई.बी.एम.
(c) एप्पल इंक (d) गूगल डीपमाइंड

42. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसकी स्थापना वर्ष 1925 को लखनऊ में की गई।
2. इसके प्रथम महासचिव मानवेंद्र नाथ राय थे।
3. कानपुर षड्यंत्र एवं मेरठ षड्यंत्र भाकपा से संबंधित हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

43. रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करके इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में एकीकृत करना है।
2. यह विधेयक केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना एवं सदस्यों की संख्या निर्धारित करने संबंधी शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान करता है।
3. इस विधेयक में एक नए रेलवे बोर्ड जैसे स्वतंत्र निकाय के गठन का प्रस्ताव भी है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

44. हाल ही में, संयुक्त आतंकवाद-रोधी टेबल टॉप युद्ध अभ्यास 'अभ्यास सिनबैक्स' का पहला संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया?

(a) श्रीलंका (b) इज़रायल
(c) जापान (d) कंबोडिया

45. अष्टलक्ष्मी महोत्सव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के पारंपरिक हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संपर्क व आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना है।
2. इसका शुभंकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक युवा लड़की 'पूर्वी' को बनाया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

46. एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह बेहतर मार्किट लिक्विडिटी के लिए एक कंप्यूटर तथा एल्गोरिदम-आधारित ट्रेडिंग है।
2. वर्तमान में केवल संस्थागत निवेशकों को एल्गो-आधारित ट्रेड्स में निवेश करने की अनुमति है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

47. जलवाहक योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग लिमिटेड की संयुक्त पहल है।
2. यह योजना भारत एवं बांग्लादेश के मध्य संचालित की जा रही है।
3. इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 16 को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

48. विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है।
2. दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और म्याँमार में मलेरिया के मामलों में वृद्धि आकलित की गई है।
3. भारत में वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के बीच मलेरिया के मामलों में 9.6% की गिरावट आकलित की गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

49. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक कार्यक्रम है।
2. इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के संचार एवं संवेदन प्रणालियों के विकास में क्वांटम भौतिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।
3. इसकी समय सीमा वर्ष 2024 से वर्ष 2031 तक निर्धारित की गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

50. संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद् (IJC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है।
2. परिषद् में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल पंद्रह सदस्य होते हैं।
3. आई.जे.सी. के सदस्यों की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्नों के उत्तर

1	(c)	2	(c)	3	(c)	4	(c)	5	(d)	6	(b)	7	(c)	8	(c)	9	(b)	10	(c)
11	(b)	12	(c)	13	(a)	14	(b)	15	(a)	16	(d)	17	(b)	18	(d)	19	(c)	20	(c)
21	(b)	22	(c)	23	(d)	24	(d)	25	(a)	26	(c)	27	(c)	28	(c)	29	(b)	30	(c)
31	(b)	32	(d)	33	(b)	34	(a)	35	(b)	36	(c)	37	(b)	38	(d)	39	(b)	40	(d)
41	(d)	42	(a)	43	(b)	44	(d)	45	(c)	46	(c)	47	(c)	48	(c)	49	(b)	50	(b)

मानचित्र अध्ययन (पृष्ठ संख्या 154 & 155) के उत्तर

मानचित्र-1 (भारत)

1. नई दिल्ली
2. चेन्नई
3. पुणे
4. हैदराबाद
5. अरुणाचल प्रदेश

मानचित्र-2 (विश्व)

1. मॉल्डोवा
2. सऊदी अरब
3. यमन
4. आयरलैंड
5. भारत

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न

1. भारत के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस कथन का परीक्षण कीजिए।
2. भारत में बढ़ती पेयजल समस्या की चर्चा करते हुए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
3. वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में लगभग दस हज़ार से भी अधिक सक्रिय उपग्रह हैं जिनकी संख्या वर्ष 2030 तक बढ़कर एक लाख तक होने का अनुमान है। ऐसे में उपग्रहों के विघटन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न करते हैं चर्चा कीजिए।
4. डिजिटल धोखाधड़ी के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। भारत में इससे निपटने के लिए उपलब्ध विधिक उपायों का उल्लेख कीजिए।
5. न्यूट्रास्यूटिकल्स को परिभाषित कीजिए। इसके लाभों तथा चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
6. मौसमी परिघटना के रूप में लेक स्नो इफेक्ट के प्रभावों की चर्चा कीजिए।
7. भूमि क्षरण एक वैश्विक समस्या है। इसके कारणों एवं प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
8. भारत में दिव्यांगजनों के समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रमुख प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
9. गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ते चरमपंथ पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों कि चर्चा कीजिए।
10. आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के विभिन्न प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
11. 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' (One Nation, One Subscription : ONOS) योजना क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए इसके महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
12. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लगभग 15% कामकाजी वयस्क चिंता, अवसाद एवं अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित हैं जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' ऐसी समस्याओं का किस प्रकार समाधान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
13. वैश्विक स्तर पर भारत की समुद्री प्रतिस्पर्द्धा मज़बूत करने के साथ ही, शिपिंग उद्योग में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने एवं विभिन्न सुधारों के उद्देश्य से प्रस्तावित मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 और कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024 के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा कीजिए।
14. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न कानून, 2013 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? इसके कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए।
15. प्रोबा-3 मिशन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
16. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के प्रमुख उद्देश्यों और विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
17. परिवार नियोजन में लैंगिक असमानता संबंधी मुद्दों की पहचान कीजिए। साथ ही, इसके समाधान के लिए प्रमुख सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
18. 'भारत की शहरी आबादी अगले तीन दशकों में 800 मिलियन होने की संभावना है। यह भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने का भी महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है किंतु, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख वित्तीय समस्याएँ है'। उपरोक्त कथन के संदर्भ में शहरी बुनियादी ढाँचा वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न समस्याओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इसके समाधान में अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
19. एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा की व्यवहार्यता का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इसे लागू करने में संविधान में किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी?
20. भारत एवं बांग्लादेश अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत व ऐतिहासिक घटनाओं के कारण एक जैविक बंधन साझा करते हैं किंतु, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट के कारण दोनों देशों के राजनयिक संबंध कुछ कमज़ोर हो गए हैं। चर्चा कीजिए।

❑❑❑

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से
सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

प्रत्येक माह नया बैच आरंभ

हाइब्रिड कोर्स
ऑफलाइन + ऑनलाइन

SPECIAL OFFER
9555 124 124

दिल्ली एवं प्रयागराज

इतिहास
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री अखिल मूर्ति

वैकल्पिक विषय
कार्यक्रम विशेषताएँ
- मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
- क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
- प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
- मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

भूगोल
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री कुमार गौरव

GS EXTENSIVE COURSE Prelims + Mains
- लगभग 650 कक्षाओं का एक्स्टेंसिव स्टडी प्रोग्राम
- AI द्वारा समर्थित अध्यापन प्रविधि का प्रयोग
- प्रत्येक टॉपिक का बेसिक से एडवांस लेवल तक कवरेज

INDIVIDUAL MENTORING
- शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाने का प्रशिक्षण
- उत्तर लेखन में सुधार के लिए पर्सनल गाइडेंस
- स्टडी इम्प्रूवमेंट के लिए वन-टू-वन सेशन

PGP 2025 PRELIMS GUIDANCE Programme
- प्रत्येक टॉपिक के लिए महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स सिनॉप्सिस
- विगत 13 वर्षों के PYQs में पैटर्न के अनुरूप संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीज़न

PCS COURSES
UPPCS फाउंडेशन कोर्स
BPSC फाउंडेशन कोर्स
MPPCS फाउंडेशन कोर्स
RAS फाउंडेशन कोर्स
UP-RO/ARO

MMP 2024 MAINS MENTORSHIP Programme
- संस्कृति IAS की कोर फैकल्टी द्वारा Daily पर्सनल मेंटरिंग की सुविधा
- चारों प्रश्नपत्रों पर आधारित 70 टेस्ट का Intensive Test Programme

IGP 2024 INTERVIEW GUIDANCE Programme
- एक्सपर्ट के साथ वन-टू-वन सेशन
- DAF एनालिसिस एक्सपर्ट के साथ सीधा संवाद
- इंटरव्यू पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू सेशन्स

CSAT COURSE
- गणित और रीज़निंग का बेसिक से एडवांस लेवल तक Step-by-Step अध्यापन
- कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को सटीक और त्वरित ढंग से हल करने के लिए डायनमिक मेथडलॉजी

Mode of Courses
- Hybrid Course — Offline Classroom & Online Live Stream
- Offline Classroom
- Online Live Stream — 3 साल तक Mobile App पर वीडियो लैक्चर देखने की सुविधा

NCERT COURSE
- प्रत्येक विषय की कक्षा 6 से 12 तक की NCERT पर कक्षानुसार लैक्चर
- NCERT पर आधारित प्रिलिम्स और मेन्स के प्रश्नों पर चर्चा

QAD PROGRAMME
- GS के सभी टॉपिक्स के विगत वर्षों के PYQs पर विस्तृत प्रश्नोत्तर चर्चा
- प्रिलिम्स परीक्षा में जटिल प्रश्नों को सुगमता से हल करने में सक्षम बनाना

CURRENT AFFAIRS Programme
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक घटनाक्रमों का विस्तृत कवरेज
- फैकल्टी द्वारा समसामयिक घटनाक्रमों का विषयवार डिस्कशन

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
sanskritiias.com

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से
सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

मुखर्जी नगर ही रहेगा, UPSC का हब

संस्कृति IAS के मुखर्जी नगर केंद्र पर
सभी सुरक्षा मानकों के साथ ऑफलाइन क्लास आरंभ

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

नि:शुल्क कार्यशाला

20 Jan., 11:30AM

द्वारा : श्री अखिल मूर्ति

Mode of Courses

Offline Classroom

Online Live Stream
3 साल तक Mobile App पर वीडियो लैक्चर देखने की सुविधा

Hybrid Course
Offline Classroom & Online Live Stream

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

9555 124 124
sanskritiIAS.com

Follows us: YouTube